(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम विधान सभा के तृतीय सत्र का 39वां दिवस [संख्या 30

शुक्रवार

दिनांक 7 अप्रेल, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 780

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री निर्मल कुमार

(अनुपस्थित:)

श्री नरेन्द्रपालसिंह।

इन्टाली तहसील मावली में पशु चिकित्सालय

781. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ग्राम इन्टाली तहसील मावली में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों नहीं?

पशु पालन मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी नहीं, बजट प्रावधान के अभाव में वहां चिकित्सालय खोलने की संभावना नहीं है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : इस साल नहीं तो कम से कम अगले साल खोल देंगे, यह आश्वासन क्या मंत्री महोदय देंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : प्रावधान पूरा हुआ तो जरूर ही वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सदस्य को देखते हुए क्या मंत्री महोदय विशेष प्रावधान करने का कष्ट करेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : धन प्राप्त हुआ तो हम जरूर व्यवस्था करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): बागोर पंचायत समिति, माण्डलगढ़ के अन्दर पहले पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था थी परन्तु किस कारण से उस पर अमल नहीं हुआ है? वहां के सरपंच ने···

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे सम्बन्धित पूरक प्रश्न निवेदन करना चाहता हूं .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इन्टाली तहसील मावली में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा यह निवेदन है ..

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को अलाउ नहीं कर सकता। यह अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (बीगोद) : क्या यह सही है कि जो पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं उनको ग्राम पंचायतों को दे दिया जाता है? इन पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों का वेतन तो राज्य सरकार देती है किन्तु औषधियां पंचायत समिति देती है। वेतन पर 2650/--रुपया खर्च होता है और औषधि केवल मात्र 50/--रुपये की दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, औषधियों के लिए कुल 500/--रुपये देते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह विषय नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सरकार 2650/--रुपया वेतन का देती है और दवा केवल 50/--रुपये की देती है। यह असमानता कम से कम दूर की जाए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बागोर के सरपंच ने पशु चिकित्सालय....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैं इस प्रश्न को अलाउ नहीं कर सकता। व्यवस्था दे दी है।

मेजर श्री फतहसिंह!

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य बार बार आसन की ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं। यह उचित नहीं है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 782.

अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूर

782. मेजर श्री फतहसिंह : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में कितने मजदूर अकाल सहायता कार्यों पर काम कर रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उदयपुर जिले में कितने मजदूर अकाल सहायता कार्यों पर काम कर रहे हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भीम व देवगढ़ तहसीलों में किस किस स्थान पर कितने कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

(4) राज्य के कितने गांव अकाल से प्रभावित हुए हैं?

(5) भीम व देवगढ़ तहसीलों के कौन-कौन से गांव अकाल से प्रभावित हुए हैं?

(6) सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाती है?

अकाल राहत मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : (1) राज्य में 23,603 मजदूर सहायता कार्यों पर कार्य कर रहे हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है

(2) उदयपुर जिले में अकाल राहत कार्यों पर 12279 मजदूर कार्य कर रहे हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में क्रमशः 394 एवं 798 मजदूर राहत कार्यों पर कार्य कर रहे हैं। स्थानों की सूची संलग्न है।

(4) राज्य के 19 जिलों में 12245 गांव अकाल से प्रभावित हुए हैं।

(5) उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों के प्रभावग्रस्त गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) वर्तमान में बी.एस.आर में निर्धारित टास्क में 20% कमी की जाकर 80% टास्क के आधार पर राहत कार्यों के श्रमिकों को 2 किलोग्राम गेहूं एवं एक रुपया नकद की अधिकतम सीमा तक मजदूरी दी जाती है तथा एक पखवाड़े में 14 दिन का कार्य करने पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश राहत कार्यों पर लगे सभी मजदूरों को दिया जाता है। सम्पूर्ण मजदूरी का भुगतान गेहूं के रूप में दिये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित टास्क के आधार पर 3 किलोग्राम गेहूं के रूप में अधिकतम मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सूची संख्या (3) में यह बताया है, गुणिया तालाब के काम पर 50 व्यक्ति लगे हुए हैं जब कि वहां पर श्रमिकों की संख्या उदयपुर कलेक्टर ने 125 निर्धारित की थी। तो 50 व्यक्ति ही क्यों वहां पर लगाये गये हैं? इसकी क्या वजह है? इसी तरह से टोंगी कुण्डा सड़क पर 250 मजदूर लगाए जा सकते थे परन्तु वहां पर 28 मजदूर ही काम पर लगाये गये हैं। इसी तरह बरनाल पर 100 मजदूर लगाए जा सकते थे, वहां पर 40 मजदूर लगाये गये हैं। बगड़ तालाब पर जहां अधिकतम 100 मजदूर की संख्या निर्धारित की गई है, वहां पर केवल 36 मजदूर लगाये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बहुत से मजदूर रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, फिर निर्धारित संख्या में मजदूर क्यों नहीं लगाये गये हैं? इसका क्या कारण है? पहले मंत्री महोदय इसका उत्तर दें उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

(व्यवधान)

पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। पहले मेरा प्रश्न है, मुझे पूछने का अधिकार है। उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। पहले, मंत्री महोदय, इसका उत्तर दीजिए।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य ने यह जो काम बताए हैं और कहा है कि वहां पर निर्धारित संख्या में जो मजदूर लगाने चाहिए थे वह नहीं लगाये गये हैं। काम पर मजदूर नहीं आये, या जबरदस्ती

Page No 4

(५)

(श्री जयनारायण पूनिया)
वहां पर लोगों को मजदूरी नहीं दी गई, या मजदूर वहां पर गये और उनको नहीं लगाया गया, यह जानकारी मैं कर लूंगा।

मेजर श्री फतह सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक अधिकारी जानबूझ कर मजदूरों को नहीं लगा रहे हैं मेरे पास इसकी पूरी इन्फार्मेशन है। प्रशासनिक अधिकारी यह कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स और अन्त्योदय योजना के परिवार वालों को ही लगाया जाएगा। इसलिए दूसरे मजदूरों को नहीं लगाया जा रहा है। इस पर गवर्नमेन्ट की नीति क्या है, यह स्पष्ट करें।

दूसरा प्रश्न यह है, श्रीमन्, यह सूची संख्या (4) में बताया गया है, जिन गांवों की जो सूची दी गई है जो भीम, देवगढ़ तहसील के प्रभावग्रस्त गांव हैं: बीरवा क्रम संख्या 7, सेलावास क्रम संख्या 17, खेडी का खेड़ा क्रम संख्या 20, उमर बावडी क्रम संख्या 25, यह भी अकाल प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन वहां पर आस पास 15-20 मील तक कोई काम नहीं खोला गया है। लोग रोजगार, मजदूरी के लिये इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इन लोगों को रोजगार जल्दी दिलाने का प्रयत्न करेंगे?

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने कलेक्टर को ऐसा आदेश दिया है कि 50 आदमियों की, मजदूरों की लिस्ट जहां पर देंगे वहां पर कलेक्टर को बिना पूछे राहत कार्य खोला देने चाहिये।

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है जहां पर 250 मजदूरों की संख्या निर्धारित की गई है वहां पर केवल 30 मजदूरों को लगाया गया है और वह भी शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोगों को लगाया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि इनको नहीं लिया जाय, इनको लिया जाय परन्तु यह एक आर्थिक प्रश्न है, भुखमरी का प्रश्न है इसलिये सभी गरीब लोगों को जीविका चलाने के लिये मजदूरी करने का हक है। उनको रोजी-रोटी नहीं मिल रही है इसलिये उनको लगाया जाना चाहिये। परन्तु वहां पर इस प्रकार की विचारधारा बनी हुई है, सरकारी अधिकारी वहां पर ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नमेन्ट का आदेश मिल जाएगा तो सब को लगा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो सूची है, उसके अनुसार जयपुर जिले में कितने लोग लगे हुए हैं और बाड़मेर जिले में कितने लगे हुए हैं ? इसका जवाब दे दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : इसके साथ साथ झुंझुनूं जिले का भी बता दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, सारी जिलेवार सूची बता दें।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, आपने राहत कार्य मंजूर किये हैं लेकिन अधिकारी लोग नहीं कराते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

Page No 5

(3)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में हों तो कुछ कहें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

मेजर श्री फतहसिह : You have not answered my supplementary.

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय मेजर साहब ने प्रश्न उठाया है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह सही है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह सभी जगह हो रहा है। मेरे क्षेत्र में भी कोई काम नहीं खोला गया है। 25–30 आदमी काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में अकाल की स्थिति है। बहुत ही गंभीर विषय है। अगर कोई भूख से मर जायें तो माननीय मन्त्री महोदय पूरे जिम्मेदार होंगे।

श्री रामसिह विश्नोई (लूणी) : मन्त्री महोदय यह बतायें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करें कि क्या मन्त्री महोदय ने ऐसे निर्देश दिये हैं कि एक काम पर इतने से अधिक मजदूर, निश्चित संख्या से अधिक नहीं लगाये जायेंगे ? क्या यह सही है ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, राहत कार्यों में ऐसे काम दिये गये हैं, जिनकी सीमा निश्चित है, जो निश्चित समय में पूरे होंगे। अगर अधिक संख्या या ज्यादा काम होने की सम्भावना है, वहां ज्यादा लगाये जायेंगे। जैसा काम है, वैसे मजदूर लगाये जाते हैं।

मेजर श्री फतहसिह : क्या यह जितने अभावग्रस्त गांव हैं, वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा ? वहां के सभी अभावग्रस्त लोगों को काम दिया जाएगा ?

(व्यवधान)

Please, let the answer come.

मैंने यह पूछा, जितने भी अभावग्रस्त गांव हैं, उनमें सभी को रोजगार दिया जाएगा ?

श्री जयनारायण पूनिया : उनको सब को दिया जाएगा।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे, क्या वह सर्वे कराके ज्यादा काम हाथ में नहीं लेंगे ? बड़े काम आरम्भ करके ज्यादा काम हाथ में ले सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 12 हजार गांवों में कितने काम खोले गये हैं ?

श्री जयनारायण पूनिया : यह अलग से पूछा जाना चाहिए। यह प्रश्न अलग से है।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : मेरे क्षेत्र में केवल 93 आदमी काम में लगे हुये हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : झुंझुनूं जिले में और सीकर जिले में मजदूर काम पर

(श्री जयनारायण पूनिया)
नहीं आ रहे हैं। वहां आदमी नहीं आ रहे हैं।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : इसके लिए कितना बजट स्वीकार किया गया है ? कितना धन खर्च करने की सरकार की योजना है ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पालिसी से सम्बन्धित था। क्या ऐसे बड़े काम जहां ज्यादा लेबर काम कर सकते हैं, वहां सर्वे कराकर खोले जायेंगे ? क्या आपने ऐसे आदेश दिये हैं या ऐसे आदेश दिये हैं कि ऐसे काम नहीं किये जायं ?

श्री जयनारायण पूनिया : जहां के कार्यों के जिला स्तर कमेटियों ने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, वहां नहीं लिए गये हैं। जो प्रस्तावित हो गये हैं, वह लिए गये हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : यह बताइये · · · ·

(व्यवधान)

श्री जयनारायण पूनिया : कितना बजट खर्च करना होगा वह निर्धारित नहीं है।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : जो जिलेवार सूची मंत्री महोदय ने दी है, उसमें कार्य बहुत कम है। अजमेर जिले के सैकडों गांव अभाव ग्रस्त घोषित हैं लेकिन सूची में है, 64 आदमी काम पर लिए गये है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने दिनों में उनको काम उपलब्ध करायेंगे और तब तक क्या वह काम करने के काबिल रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अल्दाराम (पिंडवाड़ा आबू) : मेरे क्षेत्र में 14 एनीकट बने हुए हैं · · · ·

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या यह सही है, बहुत से कार्य डिपार्टमेंट को भेजे गये थे और वह सैंक्शन होकर नहीं आये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यप्रकाश।

श्री सूर्यप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन जिन क्षेत्रों में गांव अकाल राहत घोषित किये गये हैं वहां अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

• श्री रतनलाल वर्मा : क्या राजस्थान सरकार प्रभावग्रस्त गांवों में लोगों को मजदूरी उपलब्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए फिर मैं भी पूछूंगा। माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले

(श्री अमृतलाल परमार)
में काम प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार वहां काम उपलब्ध करायेगी ? यही मेरा निवेदन है।

श्री सूर्यप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि बरसात ने अपना रास्ता चेंज कर दिया है ? जिन क्षेत्रों में अच्छी बरसात होती थी, वहां पर अब अकाल पड़ने लगा है ?

श्री रतनलाल वर्मा : सरकार कब तक काम दे देगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह सही है कि आपके पास बजट निश्चित सीमा में है और किसी कारण से बरसात का इन्तजार कर रहे हैं इसलिए आपने निर्देश दिए हैं कि काम धीमी गति के साथ किया जाय ? क्या इसलिये मजदूरों को नहीं लगाया गया है ?

श्री जयनारायण पूनिया : ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं जिले में 699 गांवों में से 671 गांवों में अकाल है और केवल 92 मजदूर काम कर रहे हैं, टैस्ट वर्क्स चल रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि टालमटोल की नीति नहीं है। आप बरसात का इन्तजार कर रहे हैं, आप साफ जवाब क्यों नहीं देते कि बजट की कमी है ? वहां पर मजदूरों को काम दिलायें, लोगों को राहत दिलाई जाए।

श्री मूलचन्द डागा : जहां जहां अकाल है, क्या आपकी योजना बन चुकी है कि वहां वहां काम खोला जाएगा ? कौन कौन सा काम खोला जाएगा जिससे स्थाई लाभ हो सकता है ?

श्री अमृतलाल परमार : आज सुबह ही मुझे खबर मिली है कि मेरे यहां कई जगहों पर गरीब मजदूरों को निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से डूंगरपुर में…

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री अमृतलाल परमार : काफी मजदूरों को निकाला गया है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश प्रदान करें ताकि मजदूरों के साथ इस प्रकार का बर्ताव न हो।

श्री वृद्धि चन्द जैन : जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है उसके अनुसार दरअसल विभिन्न जिलों में जो लोग राहत कार्यों में लगे हुए हैं उनकी संख्या नगण्य है। 12 हजार गांव अकाल पीड़ित हैं, करीब 75 लाख आबादी पीड़ित है लेकिन 75 लाख में से बहुत कम मजदूर लगे हुए हैं। आप इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। जनता पार्टी की सरकार लोगों को बिलकुल मारना चाहती है। आप कोई कार्य नहीं खोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मंत्री महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मेजर फतहसिंह का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार की नीति से संबंधित प्रश्न है। हमारा राज कल्याणकारी राज है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके

Page No 8

(8)

(श्री अध्यक्ष)
अनुसार मैं समझता हूं राहत कार्य अपर्याप्त हैं, सरकार की नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन आना परमावश्यक है। मुझे आशंका है, धीरे धीरे भुखमरी भी फैल रही है। भूतपूर्व शासन के तीन वर्ष के राहत कार्यों का व्यय जो हुआ है वह देखें और उसके अनुपात से यदि आधा भी खर्चा आप जुटायेंगे तो कल्याणकारी राज सार्थक होगा।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामजीलाल महामना।

(व्यवधान)

जो मुद्दे थे, आ गए, मंत्री महोदय क्या जबाब दें। चारों तरफ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात आ गई।

चम्बल पुल की मरम्मत का कार्य

783. **श्री रामजी लाल महामना (वैर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर के पास स्थित चम्बल पुल के खंभे में दरार कब आई? इस दरार के पड़ने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल की मरम्मत का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है?

(3) राज्य सरकार इसे कब तक पूरा करने का इरादा रखती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) धौलपुर के पास स्थित चम्बल पुल के खंभे में दरार 24 मार्च 1973 को आई। यह पुल राष्ट्रीय राज मार्ग पर है और दरार पड़ने के कारणों की केन्द्रीय सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है अतः जांच प्रतिवेदन परिवहन मंत्रालय केंद्रीय सरकार के पास है।

(2) जी नहीं। पुनः निर्माण का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 2.30 करोड़ रुपया है, दिसम्बर 1975 में प्रारंभ किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

(3) यह केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धनराशि व तकनीकी गाइडेन्स के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है व जून 1979 तक पूरा होने की संभावना है।

श्री रामजी लाल महामना : क्या इस पुल में दरार पड़ने के कारण कोई शिकायतें आपके पास में आई हैं और उन शिकायतों की आपने जांच करने की कोशिश की है?

श्री मदन सिंह दांता : सीमेंट में रेत।

श्री जय नारायण पूनिया : कमेटी बनी हुई है, जांच कर रही है इसलिए राज्य सरकार द्वारा अलग से जांच करने का प्रश्न नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कमेटी कब बनी, उसमें क्या प्रगति हुई? कब तक जांच हो जाएगी? दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा या नहीं?

श्री जय नारायण पूनिया : इस पुल के टूटने के कारणों की परिवहन मंत्रालय द्वारा

(श्री जयनारायण पूनिया)
नियुक्त कमेटी श्री एच. पी. सिंह, भूतपूर्व डाइरेक्टर जनरल, मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट, भारत सरकार की अध्यक्षता में काम कर रही है, इन्वेस्टीगेशन कर रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : कब बनी है ?

श्री जय नारायण पूनिया : पुल टूटा था उस समय कमेटी बनाई गई थी ।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसा साल ?

श्री जय नारायण पूनिया : 1973 ।

श्री मूलचन्द डागा : 1973 से लेकर आज 6 साल हो गए टूटने की जांच अभी भी चल रही है ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाज़ार) : ये आपके टाइम के काले कारनामे हैं ।

श्री वृद्धि चन्द जैन : हर बात में आपके टाइम, आपके टाइम · · ·

श्री मूलचन्द डागा : 6 साल से जांच चल रही है और उत्तर मिल रहा है कि आपके काले कारनामे हैं । हमने तो जांच बिठाई ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मंत्रीजी तो जवाब देते नहीं, जनता पार्टी के सदस्य जवाब देते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत तहसील सागवाड़ा में भूमि का आवंटन

784. श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा चरनोट भूमि को कृषि अथवा आबादी में परिवर्तन करने के बाद ही आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि तहसील सागवाड़ा (डूंगरपुर) में चरनोट भूमि का बिना परिवर्तन आदेश के ग्राम आधार योजना द्वारा नाजायज कब्जा किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम माणकपुरा से सागवाड़ा (डूंगरपुर) के भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित आवासीय भू-खंड से बेदखल करने की दृष्टि से ही ग्राम आधार योजना द्वारा नाजायज कब्जा किया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं करती ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम आधार योजना द्वारा किया गया नाजायज कब्जा हटाने के लिए स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : (1) चरनोट भूमि का आवंटन उसे चरनोट से खारिज कर उसकी किस्म परिवर्तन के बाद ही किया जाता है । इस मामले में ग्राम आधार योजना के लिए भूमि जिलाधीश ने आरक्षित करके उपलब्ध की थी । इस प्रकार

Page No 10

(10)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
इसे नाजायज कब्जा नहीं कहा जा सकता। इस भूमि को चरनोट से खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह सही नहीं है। ग्राम माणक-पुरा के 15 व्यक्तियों को खसरा नं. 313 में आवासीय भू-खण्ड अभियान के अन्तर्गत आवासीय भू-खण्ड आवंटित किए गए थे। इन आवासीय भू-खण्डों की भूमि को छोड़कर ही शेष भूमि में ग्राम आधार योजना हेतु भूमि दी गई है। आवंटित आवासीय भू-खंडों से बेदखली करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) इस मामले में जिला प्रशासन को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें बाद जांच आधारहीन पाया गया।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह चरनोट की भूमि जो अलाट की गई है··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री अमृतलाल परमार : क्या यह सही है कि चरनोट की भूमि जब तक राजस्व मंडल से परिवर्तित नहीं होती है उससे पहले आवंटित नहीं हो सकती है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : चरनोट भूमि का परिवर्तन राज्य सरकार करती है राजस्व मंडल नहीं करता है। और आवंटित नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है।

श्री अमृत लाल परमार : तहसील साग-वाड़ा या डूंगरपुर के अन्दर मरकोला गांव है। वह गांव चारों तरफ से बसा हुआ है, मवेशियों को पानी पिलाने की जगह है, वही जमीन ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत दी गई। मवेशी वहां आकर पानी पीते थे। उनको बड़ी दिक्कत है आज। आपके सामने प्रार्थना-पत्र भी आया होगा। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिलाधीश डूंगरपुर ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर इस भूमि को अलॉट कर दिया ? यह चरनोट की भूमि थी। इस भूमि को अलॉट करने के लिये जिलाधीश ने राज्य सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी जो कि की जानी चाहिये थी। यह बात सही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय इस प्रकार राजस्थान की कई जगहों पर चरनोट की भूमि को ले लिया गया है तो क्या राज्य सरकार ऐसे आदेश देगी कि चर-नोट की भूमि, जो कि अलॉट कर दी गई थी, वापस चरनोट की भूमि में कन्वर्ट कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप बार बार खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो कि वाइड रेन्जिग प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछना कहां तक उचित है। बिलकुल उचित नहीं है।

नैक्स्ट। श्री रघुनन्दन व्यास।

जालौर एवं सिरोही जिले के पशुपालन अस्पताल

785. श्री रघुनन्दन व्यास (जालौर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर एवं सिरोही जिले में कितने पशुपालन अस्पताल हैं ?

(2) कितने अस्पताल सरकारी भवनों में हैं और कितने किराये के भवनों में हैं ?

(3) क्या जालौर में भी भवन के अभाव में अस्पताल किराये के भवन में है ?

(4) क्या यह सही है कि जालौर में अस्पताल का भवन अधूरा पड़ा है जिसका कि कार्य आरम्भ 1967 में हुआ था ?

(5) इसके कारण उस भवन को हानि हो रही है परन्तु पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार की मर्जी इसी प्रकार भवनों को अधूरा रखने की है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

पशुपालन मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) जालौर एवं सिरोही जिलों में सोलह पशु चिकित्सालय एवं दो पशु औषधालय कार्यरत हैं।

(2) इन जिलों में आठ पशु चिकित्सालय किराये के भवन में, तीन सरकारी भवनों व पांच दान दिये हुए भवनों में चल रहे हैं। नये दो पशु औषधालयों के लिये अस्थायी रूप से व्यवस्था पंचायतों ने की है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इसका कार्य वर्ष 1970 में आरम्भ किया गया था।

(5) जी नहीं, अब व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी नहीं, वर्ष 78-82 में शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु वित्तीय प्रावधान किये जा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय 82 की बात कर रहे हैं तो क्या 12 साल और लगेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा मतलब 1979 तक से है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री करतारसिंह।

राजस्थान के पशुओं की अन्य राज्यों में चरने हेतु जाने की व्यवस्था

786. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष राज्य के अनेकों पशु समीपवर्ती राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि) में चरने हेतु जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये पशु इसी वजह से समीपवर्ती राज्यों में चरने जाते हैं कि यहां उनके चरने के लिए पर्याप्त चरागाह उपलब्ध नहीं हैं ?

(श्री करतार सिंह)

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 में जो पशुपालक अन्य प्रान्तों में पशु चराने ले गये उन्हें वहां की सरकार ने वापस लौटने पर मजबूर किया जिससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष सम्भवतः अन्य समीपवर्ती राज्य इन पशुओं को अपने यहां चरने की इजाजत नहीं देंगे ?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार इन पशुओं की चराई हेतु क्या व्यवस्था करने जा रही है ? क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसकी क्रियान्विति से इन पशुपालकों को इस वर्ष एवं आगे आने वाले वर्षों में कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ?

(6) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ चरागाह हैं, उनके विकास का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन (श्री नन्दलाल): (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवर्जी भेड़ों को अपने यहां आने से मना किया। परन्तु बाद में अनुमति दे दी। अन्य किसी राज्य सरकार से भेड़ों को अनुमति न देने या वापस लौटाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) मध्य प्रदेश शासन ने राजस्थान के मवेशियों को अपने यहां चरने देने के लिये अस्थायी तौर पर दो वर्ष के लिये सशर्त अनुमति दी है। अन्य राज्यों की जानकारी विभाग को नहीं है।

(5) प्रदेश में चारा और चराई की व्यवस्था को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये मरुस्थल विकास, सूखाग्रस्त विकास एवं राजस्थान नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चरागाहों और चारा उत्पादन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। परिवर्जी भेड़ों की समस्या हल करने हेतु योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) जी हां। पंचायतों के आर्थिक साधन सुदृढ़ करने के लिये चरागाहों के विकास की योजना विचाराधीन है जिसके अनुसार पंचायतों को उन्नत घास लगानी थी।

श्री करतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि प्रश्न खण्ड (2) का उत्तर दिया 'जी नहीं' जब कि मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि ये पशु इसी वजह से समीपवर्ती राज्यों में चरने जाते हैं कि यहां उनके चरने के लिए पर्याप्त चरागाह उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या उसमें मन्त्री महोदय की यह राय है कि चरागाह राज्य में पर्याप्त मात्रा में हैं ?

दूसरा प्रश्न मेरा मन्त्री महोदय से यह है कि हमारे यहां से सिर्फ भेड़ व बकरी ही दूसरे प्रान्तों को नहीं जाती हैं बल्कि भेड़ों व बकरियों के अलावा गायें, भैंसें भी मध्यप्रदेश वगैरह जो आसपास के प्राविन्सेज हैं, वहां जाती हैं। उसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : पर यह तो भेड़ व ऊन मंत्री ही हैं।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि हमारे राजस्थान के रबारी लोग, जो कि भेड़ व बकरियां पालते है, मध्य प्रदेश में अपनी रेवड़ लेकर चराने गये थे किन्तु मध्य प्रदेश सरकार के लोगों ने उनको पीट-पाट कर वहां से वापस राजस्थान लौटा दिया ? इसके लिये पिछले सत्र में सदन में काफी चिन्ता प्रगट की गयी तो मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि वह मध्य प्रदेश सरकार से इसके सम्बन्ध में जानकारी करेंगे। मैं अब मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा, चूंकि अभी वह सदन में नहीं हैं इसलिए पशु पालन विभाग के मन्त्री महोदय इसका जवाब दे दें कि इसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? मन्त्री महोदय मध्य प्रदेश का चक्कर लगाकर इस सारी समस्या का समाधान निकलवाने का प्रयत्न करें ? आज मध्य प्रदेश सरकार हमारे लोगों पर अन्याय कर रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर चरागाह नहीं और छोटे-छोटे बाड़े बना रखे हैं तो उनसे तो काम चलने वाला नहीं है। हजारों की तादाद में भेड़ें व बकरियां होती हैं। चरवाहे कोई मध्य प्रदेश में ही जाते हों यह बात नहीं है, वह तो पूरे हिन्दुस्तान भर में घूमते रहते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कच्छभुज से भेड़ हमारे राजस्थान के अन्दर हर साल आती हैं उसी तरह हमारी राजस्थान की भेड़ व बकरियां राजस्थान से पीढ़ियों से मध्य प्रदेश में जाती रही हैं। अब उनको वहां पर रोका जा रहा है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे देश के दो टुकड़े हो गये हैं ? आप हमारे पशुओं के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? कृपया यह बतावें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इसके लिये मध्य प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा है। मुख्य मन्त्री जी ने सदन में क्या आश्वासन दिया, वह तो बड़े हैं, मुझे पता नहीं लेकिन मैंने जरूर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र इस बारे में लिखा है। अगर यह समस्या नहीं सुलझी तो मैं खुद मध्य प्रदेश जाऊंगा और इस समस्या का हल निकालने के लिये मध्य प्रदेश के पशु पालन विभाग के मंत्री जी से बात करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शंकर लाल जी ने पूछा कि इस सदन में जो मुख्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि वह मध्य प्रदेश सरकार से इस संबंध में हल निकलवायेंगे, उसका क्या हुआ ?

श्री दिग्विजय सिंह : इसके लिये तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि उन्होंने क्या किया, उसकी सूचना तो मैं पूछ कर दूंगा लेकिन इसके लिये हम सभी लोग चिन्तित हैं। मैं स्वयं जाकर मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के मन्त्री जी से इस संबंध में बातचीत करूंगा और इस समस्या का हल निकालने के लिये प्रयत्न करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप जल्दी जायं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सदन से छुट्टी दिला दें, मैं चला जाऊंगा।

श्री करतार सिंह : मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं वहां जाकर मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करके इसका स्थायी हल निकालने की व्यवस्था करें। इसके अलावा आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में चारा और चराई की व्यवस्था को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए मरुस्थल विकास, सूखाग्रस्त विकास, डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम के तहत चरागाहों का विकास किया जा रहा है। इससे चरागाहों की समस्या काफी हल हो जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम के अन्तर्गत योजनायें बनायीं वह तो फेल हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, यह लोग अपनी रेवड को लेकर पूरे हिन्दुस्तान भर में घूमते रहते हैं। आप इनको पाबन्दी में नहीं रख सकते। छोटे-छोटे बाड़े बनाकर आप छोटे-छोटे चरागाह बनायेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये आप बड़े-बड़े फार्म्स बनावें और वहां पर ट्यूबवेल लगा कर पाश्चर लैण्ड तैयार करायें तो समाधान थोड़ा हो सकता है अन्यथा नहीं होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक दूसरे से इन्टर लिंक्ड हैं। यहां पर यह मांग की जाती है कि चरागाह लैंड शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अलॉट की जाय और दूसरी ओर यह प्रश्न करते हैं कि चरागाह के लिये बड़ी बड़ी जमीनें रोक कर चरागाहों का विकास किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी जनता पार्टी की सरकार की इस बारे में या किसी मामले में रीति नीति स्पष्ट नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह भेड़ बकरी, चराने वाले पूरे हिन्दुस्तान में अपने मवेशी लिये हुए घूमते हैं। आप मध्य-प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री महोदय, आप बतावें हमारे यहां के मवेशी भेड़ बकरी वगैरह दूसरी स्टेट्स में नहीं जायें, उसके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री नन्द लाल : राज्य सरकार चारा और चरायी की व्यवस्था को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये मरुस्थल विकास, सूखा-ग्रस्त विकास एवं राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चरागाहों और चारा उत्पादन क्षेत्रों का विकास कर रही है।

श्री मदनसिंह दांता . बात सुनाई में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गई चर्चा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। अब सिर्फ एक सप्लीमेंट्री लेडी के द्वारा होगा।

श्रीमती मदन कौर !

श्रीमती मदन कौर : एक राज्य से दूसरे राज्य को भेड़ें जाती हैं। राजस्थान की भेड़ें मध्यप्रदेश को जाती हैं। मध्यप्रदेश में यहां की भेड़ों को जाने से रोकते हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर बरसात में जब चारा नया-नया फूटता है तो कच्छ की ओर से हजारों और लाखों की तादाद में भेड़ें बाड़मेर में आती हैं। वे चरागाह को खराब करती हैं उसके लिए आपकी क्या नीति है ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : एक राज्य से दूसरे राज्य को भेड़ें जातीं आती रहती हैं। राजस्थान पशुओं की दृष्टि से काफी बड़ा प्रदेश है। यह समस्या पहले भी थी। मध्यप्रदेश ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान का पशुधन आये। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ रहा है वह यह आ रहा है कि पशुपालकों के साथ मार-पीट होती है और ठीक व्यवहार नहीं होता है। एक पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। मध्यप्रदेश सरकार को लिखा है और भारत सरकार को भी लिखा था कि हमारे पशुधन को मध्य प्रदेश में जाने से नहीं रोका जाय। साथ ही उनके साथ जो ज्यादती होती है उसको रोका जाना चाहिये। कोई न कोई या तो हमारे अधिकारी चले जायं या उनके अधिकारी यहां पर आ जायं दोनों मिल कर जांच कर लें। यदि फिर भी समाधान नहीं होता है तो भारत सरकार दखलन्दाजी करे ताकि पशुधन ले जाने वाले भाइयों को कोई दिक्कत न हो और उनके साथ सद्व्यवहार हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मनीराम !

पंचायत समिति तारानगर की बकाया राशि की वसूली

787. **श्री मणीराम (तारानगर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति तारानगर क्षेत्र में लाखों रुपये की राशि वर्षों से लोगों में ऋण स्वरूप दी हुई बकाया चली आ रही है ? यदि हां, तो इस राशि के वसूल न होने के क्या कारण हैं ? वर्षवार प्रत्येक आसामी की बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : जी हां। 1,35,326 रुपये की पंचायत समिति के दीर्घकालीन ऋण की राशि बकाया चली आ रही है। पंचायत समिति की बकाया राशि राजस्व विभाग द्वारा वसूल की जाती है। सम्बन्धित व्यक्तियों से अब तक यह राशि वसूल नहीं किये जाने के कारणों की जांच कराई जा रही है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मणीराम : माननीय मंत्रीजी को, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो लिस्ट आयी है, जो वसूली के लिए आपने आदेश दिये हैं, वसूली के सम्बन्ध में हमारे तहसीलदार साहब आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वे हमारे भूतपूर्व प्रधानजी के आदमी हैं इसलिये सही रिपोर्ट नहीं आ रही है। मैंने जो कुछ आंकड़े इकट्ठे किये थे वे आपको

Page No 16

(16)

(श्री मगीराम)

दे दिये हैं। उनको और आपके आंकड़ों को मिलाइये। यह अधूरी रिपोर्ट आपको दी गयी है। इसलिए आप तहसीलदार से दुबारा रिपोर्ट मांगिये। इसको आप पूरी तरह से देखिये और इन्क्वायरी कीजिये ताकि कोई दवाये नहीं इस बात को।

श्री मदनसिंह दांता : यों करते हैं। यों क्या ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मूल प्रश्नकर्त्ता ने जो सुझाव दिया है मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं। जो सूची दी है, विभाग का रिप्लाई है, यह जो जवाब आया है उसकी क्या स्थिति है उसकी पूरी जांच करूंगा। वसूली की पूरी कार्यवाही की जावेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज सत्र का समापन होने जा रहा है। आपने यह कहा था कि हम विचार कर रहे हैं तो क्या आप पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने जा रहे हैं या अगले सत्र तक नहीं करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम कर्मचारियों के नियमन का मामला

788. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम में अप्रेन्टिस (आकस्मिक कर्मचारियों) को नियमित किये जाने के लिए निगम ने क्या पद्धति अपनाई है ? क्या श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत 240 दिन पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्ष 1977 में उपरोक्त निगम में कितने प्रबंध संचालक पदासीन हुए ? इनमें से किन किन की नियुक्ति नियमानुसार केन्द्रीय भण्डार निगम और राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जा कर की गयी और क्या इन्हें संचालक मण्डल ने नियुक्ति पत्र दिया था ?

(3) उपरोक्त निगम द्वारा अपने आदेश दिनांक 7–2–78 के द्वारा जिन कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है उनको नियुक्ति के नियमों में शिथिलन (रिलेक्सेशन) देकर नियुक्त किया गया है ? क्या निगम के प्रबन्ध संचालक को उक्त अधिकार प्राप्त हैं ? क्या राज्य सरकार ने पूर्व में उक्त शिथिलन को अनुमोदित कर दिया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम में अप्रेन्टिस (आकस्मिक कर्मचारियों) को नियमित करने के लिये कोई पद्धति नहीं अपनाई गयी है। श्रमिक कानून के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को 240 दिन पूरे करने के बाद नियमित करने का प्रावधान नहीं है। अतएव किसी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) वर्ष 1977 में इस निगम में 4 प्रबंध संचालक पदासीन हुए जिनके नाम एवं अवधि निम्न प्रकार हैं:–

1. श्री पी.सी. जैन 11-6-77 से 13-7-77
2. श्री एन.सी.शर्मा 14–7–77 से 4-10-77
3. श्री एस.एन.शर्मा 5-10-77 से 14-11-77
4. श्री पी.एस. भटनागर 15–11–77 से 22–1–78

श्री पी. सी. जैन की नियुक्ति प्रबंध संचालक के पद पर राज्य सरकार के द्वारा प्रति नियुक्ति पर की गयी थी और राज्य सरकार के द्वारा उन्हें वापस राज्य सेवा में बुलाये जाने के कारण अध्यक्ष, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम ने श्री अविनाश चन्द्र शर्मा, श्री सत्यनारायण शर्मा, एवं श्री पी. एस. भटनागर, जो कि निगम में वरिष्ठतम अधिकारी थे, को अपने कार्य के अतिरिक्त प्रबंध संचालक के पद का कार्य भी करने के आदेश दिये थे। प्रबंध संचालक को नियुक्ति-पत्र संचालक मंडल के द्वारा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) दिनांक 7–2–78 को जिन कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की गयी उनकी नियुक्ति नियमों में शिथिलन देकर नहीं की गयी। इसलिये राज्य सरकार से शिथिलन को अनुमोदित करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने उत्तर तो दे दिया, श्रीमन्, यह बतायें कि जो अप्रेन्टिस प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनको आप अपनी ओर से 180 रुपया महीना देते हैं, 2 साल तक अपने पास रखते हैं और आई.टी. आई. की ट्रेनिंग में भेजते हैं, उनको भेजने के बाद, उन पर इतना रुपया खर्च करने के बाद, 2 साल के बाद आपने नोटिस निकाला वह गलत निकाला, उसके सम्बन्ध में तो मैं बाद में बताऊंगा। आपने नोटिस निकाला 11–5–77 को और उसमें दो शर्तें रखी थीं, हम 18 से 28 वर्ष के लोगों को लेंगे। अंग्रेजी और हिन्दी टाइप की 30 और 35 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं उनकी और जो प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम करते हैं उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन लेंगे। यह नोटिस निकाला। यह बताइये कृपा करके क्या वे एप्लीकेशन्स और दूसरी एप्लीकेशन्स एम्पलॉयमेन्ट आफिस से आयीं या डायरेक्ट आपके आफिसर ने ले लीं ? एप्लीकेशन ले लेने के अलावा आपने सैक्शन 2 ए के नीचे सलेक्शन कमेटी मुकर्रर की या नहीं की ? क्या यह सही है कि सारे टाइपिस्ट फेल हुए ? फेल होने के बाद भी उनकी नियुक्ति आपने किस रूप में दी ?

एक माननीय सदस्य : यह भाषण है या प्रश्न है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में भर्ती की जो व्यवस्था है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसेज एक्ट के सैक्शन 7 सब-सैक्शन (2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें यह स्पष्ट लिखा कि :

"All vacancies in categories 3 and 4 shall be notified to the employment exchange having

(श्री कैलाश मेघवाल)
jurisdiction and the applications forwarded by it shall be considered along with direct applications. In all cases of direct recruitment, employees of the Corporation shall also be eligible to apply along with outside candidates, provided they fulfil the requirements laid down for the concerned posts, and in their case the upper age limit will be relaxable up to five years."

इसके तहत एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को नोटीफाई किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन का आन्सर दें.

श्री कैलाश मेघवाल : मैं दे रहा हूँ। उत्तर में आपके प्रश्न का भी उत्तर आ जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सैक्शन के तहत डाइरेक्ट एप्लीकेशन्स ली गयीं। इस सैक्शन के तहत एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को नोटीफाई किया गया। इस सैक्शन के तहत कार्पोरेशन के जो एम्पलॉइज थे उनको भी एप्लीकेशन्स देने के अधिकार दिये गये। यह सब एप्लीकेशन आने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिलेक्सेशन वाली बात कही गयी है तो रिलेक्सेशन नहीं दिया जाकर कन्सेशन्स दिये हैं। जैसे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नियमों में व्यवस्था है कि अगर टाइपिंग टैस्ट में फेल हो जाते हैं तो 6 महीने के अन्दर-अन्दर उनको टाइपिंग टैस्ट क्लियर करना पड़ता है। इसमें हमारे इस कार्पोरेशन के एम्पलाइज भी थे, उनकी सीधी भर्ती जिस जगह के लिए की जा रही थी वह लेवी प्रोक्योरमेंट में की जा रही थी जहां टाइपिंग की जरूरत नहीं होती इसलिए उनको कहा गया कि 3 महीने के अन्दर-अन्दर आप टाइपिंग टैस्ट क्लियर कर लें। यह कन्सेशन दिया गया। क्योंकि काम अधिक था इसलिये हमने 30-6-78 तक कन्सेशन दिया है कि टाइपिंग टैस्ट क्लियर करें तभी भर्ती पक्की मानी जायेगी।

दूसरे जो चयन समिति का कहा मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कमेटी नियमानुसार चार व्यक्तियों की बनाई गई और उन्हीं के द्वारा चयन किया गया। उसमें मैनेजिंग डाइरेक्टर, सीनियर मोस्ट आफिसर आफ दी कार्पोरेशन, मैनेजिंग डाइरेक्टर कन्सर्न्ड, आफिसर आफ दी कार्पोरेशन एण्ड सेक्रेटरी थे। इस चयन समिति के द्वारा यह चयन किया गया। जो भर्ती की गयी है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा भी पूरा किया गया है। यह स्थिति है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सारे क्वेश्चन को आप बड़े ढंग से अवाइड कर गये। एक तो मैंने क्वेश्चन किया था कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से कितनी डाइरेक्ट एप्लीकेशन्स आईं? दूसरे मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को आपने 180 रुपया माहवार देकर दो साल तक रखा और आई. टी आई की ट्रेनिंग में भेजा और भेजने के बाद प्रशिक्षण में पास हुआ उस व्यक्ति को नहीं रखने का क्या कारण है? उसका नाम खूंटेटा है उसको क्यों नहीं रखा? तीसरी बात आपने नोटिस

(श्री मूलचन्द डागा)
निकाला था कि उनकी नियुक्ति की अवधि किसी हालत में आगे नहीं बढ़ाई जायेगी, यह आपका नोटिस है। जब आपने आर्डर निकाला दिया कि उनकी नियुक्ति की अवधि किसी हालत में आगे नहीं बढ़ाई जायेगी तो फिर कैसे बढ़ायी? इन तीनों बातों का उत्तर दीजिए। यह भी बताइये कि आप इतना रुपया खर्च करते हैं . . . .

एक माननीय सदस्य : भाषण मत दें, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रेन्टिस रखने के बाद राज्य सरकार अप्रेन्टिस एक्ट के तहत समय गुजर जाने के बाद इसकी कतई गारन्टी नहीं देती है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति को नौकरी में रखेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किसी एक व्यक्ति का वह हवाला दे रहे हैं कि इस चयन में और नियुक्ति में पक्षपात होकर उनके राइटफुल क्लेम को मारा गया है तो मैं उस व्यक्ति के मामले पर पुनर्विचार के लिए कार्पोरेशन को लिख दूंगा। बाकी हमारे यहां केजुअल और अप्रेन्टिस काम कर रहे हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से 5 एप्लीकेशन आयी हैं। सारी सूची मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं कि कौन-कौन डाइरेक्ट एप्लीकेशन से अपाइन्ट हुए हैं। सब मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

भीलवाडा क्रय-विक्रय समिति में गबन के मामले

789. श्री सुभाषचन्द्र (सूरतगढ़) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भीलवाड़ा क्रय-विक्रय समिति में लाखों रुपयों के गबन के मामले में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) उपरोक्त समिति के किन-किन सदस्यों के विरुद्ध समिति के धन के दुरुपयोग के आरोप हैं?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) जी नहीं, पुलिस द्वारा जांच पूरी नहीं हुई है।

(2) समिति के धन के दुरुपयोग के लिए संचालक मण्डल के निम्न सदस्यों को दोषी पाया गया है:–

1. श्री भंवरलाल भदादा भू.पू. अध्यक्ष
2. श्री उमाकांत आचार्य ,, ,,
3. श्री जमनेश चौबे भू. पू. संचालक
4. श्री नारायण शर्मा ,, ,,
5. श्री भंवरलाल चपलोत ,, ,,
6. श्री शिव कुमार त्रिवेदी ,, ,,
7. श्री सुवालाल शर्मा ,, ,,
8. श्री रमेशचन्द मुंदड़ा ,, ,,
9. श्री रामचन्द ओझा वैद्य ,, ,,

श्री करतार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि तफतीश चल रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि 6 साल के बाद भी तफतीश पूरी नहीं हुई? इसके अन्दर कांग्रेस के कई नेता इनवाल्व्ड थे इसलिए उन्होंने जानबूझ कर तफतीश को रोका। इस समिति के जो भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भंवरलाल भदादा हैं वह जमीन के सब बेनामी ट्रान्सफर कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि इस मामले में भूतपूर्व मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा, उनके लड़के ओमप्रकाश और भंवरलाल, यह जो कांग्रेसी नेता थे, के खिलाफ क्या 22 लाख रुपये के घोटाले का मामला है ? क्या वह मामला जांच के लिए विचाराधीन है ?

श्री अचलाराम : क्या इनको बख्शा जायेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, उसमें दोषी जो पाये गये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? दूसरे सहकारी समिति भीलवाड़ा के अन्दर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय किस प्रकार से खुला ? उसका किराया जमा हुआ या नहीं ? यह भी जानकारी दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय करतारसिंह जी ने पूरक प्रश्न पूछा है, इसके सम्बन्ध में निवेदन है, यह सच है कि पुलिस में 5 केसेज दर्ज कराये गये थे 20-7-72, 29-7-72, 17-8-72 21-8-72 और 7-9-72 को। यह सब केसेज 1972 में पुलिस में दर्ज हो चुके हैं। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह है कि तफतीश जारी है। इससे लगता है कि पुलिस ने तफतीश में तेजी नहीं की और शीघ्रता से तफतीश नहीं हो रही है। मेरे सामने मामला आया है। मैं विधायक महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी से ······

श्री मदनसिंह दांता : गृह मंत्री जी, आप पर चार्ज लगा रहे हैं। आपका विभाग निष्क्रिय है····

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम) : नहीं, नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : I tell you, you can see proceedings.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, क्या यह सच है कि भंवर लाल भदादा, भूतपूर्व कांग्रेसी एम.एल.ए. सम्पत्ति खुदबुर्द कर रहे हैं या नहीं ? इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सहकारिता नियम के अन्तर्गत भी हमने बहुत जल्दी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

दूसरे माननीय सदस्य मांडल से आने वाले हैं उन्होंने एक प्रश्न किया है कि क्या यह सच है कि 22 लाख रुपये का एक मामला इसमें है ? 22 लाख रुपये के मामले में भी भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भंवरलाल भदादा, श्री उमाकान्त और भूतपूर्व संचालक श्री जमनेश चौबे आदि की जांच हुई और उसमें इनको अपराधी पाया गया। मुझे सूचना मिली है, पूरी तो नहीं है लेकिन इसमें कई दूसरे लोग भी इनवाल्व्ड हैं और पुलिस तफतीश से ही वह सामने आयेंगे। यह मसला प्रश्न के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने लाया गया है। मैं विधायकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इसकी जल्दी ही तफतीश करूंगा।

श्री अध्यक्ष ; स्थगित प्रश्न। श्री राम रघुनाथ।

ग्राम बुहाटी, तहसील डेगाना में बंजारा जाति द्वारा मृत्युभोज

629. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 1977 में ग्राम बुहाटी, तहसील डेगाना में बंजारा जाति के लोगों ने एक मृत्यु भोज किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवसर पर तहसीलदार डेगाना श्री जगदीश प्रसाद स्वर्णकार ने मौके पर पहुंच कर मृत्यु भोज में बने भोजन को पकड़ा और फिर खुली बोली से नीलाम कर दिया ? अगर हां, तो कितनी धन राशि प्राप्त की गई ? भोज का सामान कितने वजन में कितने लोगों के लिए बना था ? यह धन राशि प्राप्त करने व नीलाम करने की तारीख क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने प्राप्त धन राशि तहसील में जमा नहीं कराई जिसकी शिकायत नायब तहसीलदार श्री यादव सिंह ने की ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा यह राशि तहसील में किस तारीख को जमा कराई गई ?

खाद्य मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया): (1) जी नहीं, मृत्यु भोज अप्रेल 77 में न होकर मई 1977 में हुआ था एवं बंजारा जाति में न होकर गजरिया जाति में हुआ था।

(2) जी हां, श्री जगदीश प्रसाद तहसीलदार, डेगाना 20-5-77 को ग्राम बुहाटी में गये एवं मृत्युभोज की सामग्री–सीरा 4 क्वि., दाल 1 क्वि एवं भुजिया 1 मन जमा किया। उसे 315 रुपये में नीलाम किया गया।

(3) श्री यादव सिंह ने 17–6–77 को शिकायत की। 22–6–77 को भू-अभिलेख निरीक्षक जूडीकलां द्वारा 315 रु. जमा करा दिये गये। अतिरिक्त जिलाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री राम रघुनाथ : आपने कितना रुपया बताया ?

श्री जयनारायण पूनिया : 315 रुपये में नीलाम हुआ।

श्री राम रघुनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, चार क्विटल सीरा, 1 क्विन्टल दाल व 1 मन भुजिया को 315 रुपये में नीलाम करना बताया। मुझे जानकारी मिली है कि चार हजार लिया गया। दो हजार तहसीलदार की टेबल पर रखे। उसके बाद धन राशि ट्रेजरी में जमा नहीं कराई। नीलामी की राशि थी, किसी न किसी हैड में जमा होनी चाहिए थी। ट्रेजरी में जमा नहीं हुई। आपने उसे गबन मान कर निलम्बित क्यों नहीं किया ? वह राशि किसके पास रही है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है पहली बात तो यह है कि भोजन गजरिया जाति ने बनाया था। इसकी नीलामी किसी ने

Page No 22

(22)

(श्री जयनारायण पूनिया)
दी नहीं। जो 315 रुपये वहां दिये गये, वह 22–6–77 को जमा हो चुके हैं। गिरदावर ने जमा करवाये हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है। इसकी जांच भी चल रही है। उसके आधार पर कौन लाइबल है, कौन नहीं है, इसकी आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम रघुनाथ : जमा कहां कराई ?

श्री जयनारायण पूनिया : जमा कराई है, राशि जमा हो चुकी है।

श्री राम रघुनाथ : कहां कराई, यह तो बतायें आप ?

श्री जयनारायण पूनिया : यह मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। 22–6–77 को राशि जमा हो चुकी है।

श्री कल्याण सिंह सांखला : आज तक जितने छापे पड़े हैं, मृत्यु भोज के नाम पर वह सवर्ण लोगों के घरों पर भी डाले गये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, उस जाति को बंजारा कहते हैं। मृत्यु भोज की 20-5-77 आपने तारीख बताई। राशि जमा हुई शिकायत होने के बाद। नीलामी की राशि थी वह तहसीलदार को ट्रेजरी में जमा करानी चाहिये थी। जब उसकी कम्पलेंट हो गई और उसे महसूस हुआ, मैं यह पैसा हजम नहीं कर सकता, तब पैसा जमा कराया। उससे पहले कराया हो तो आप बता दीजिये। इस तहसीलदार ने गलत जवाब भेजा है जिलाधीश को और जिलाधीश ने आपको गलत जवाब भेजा है। आपने गलत जवाब सदन में प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, मैंने एक प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित पूछा था, वह प्रश्न सदन में तो आ नहीं सका, लेकिन जो उत्तर दिया गया वह गलत दिया गया। 4100 रुपये की लकड़ी नीलाम हुई और 1100 रुपये जमा करवाये। बाकी सारे के सारे तहसीलदार ने ले लिये। आपने गलत जवाब भिजवाया है। ऐसा वाकया न हो तो या तो आप रिजाइन करें और यह सूचना गलत हो तो मैं इस्तीफा दूंगा। नहीं तो आप विश्वास दिलायें..

(व्यवधान)

उस अधिकारी को सस्पेन्ड करें। फैक्ट के साथ बता रहा हूं। राजस्व मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : राजस्व मंत्री कहां से आ गया ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन की मान-हानि है।

श्री रामरघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार का मामला है, पहले भी जवाब गलत भेजे हैं। एक ही तहसीलदार है, उसने राजस्व मंत्री को गुमराह किया है..

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : गृह विभाग वाले जवाब दे रहे हैं बार-बार।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राजस्व मंत्री भी बैठे हैं, खाद्य मंत्री भी बैठे हैं। यह बीच में टोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय का उत्तर होने दें।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच बात है यह विधान सभा सर्वोच्च संस्था है, जो कुछ भी सूचना इसमें दी जाये, वह सही हो। किसी भी अधिकारी ने किसी भी मामले में अगर गलत जवाब भेजा है, तो सस्पेण्ड करने का ही सवाल नहीं है, उसके खिलाफ और भी सख्त कार्यवाही की जायेगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री राम रघुनाथ : एक बात पूछना चाहता हूं, जो जवाब दिया, स्पष्ट है। नीलामी की राशि प्राप्त करने वाली तारीख और राशि जमा कराने की तारीख में अन्तर है। क्या यह गबन नहीं है? सस्पेंड करने की घोषणा कर सकते हैं।

श्री करतारसिंह : नीति संबंधी मेरा प्रश्न है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। अतिथि नियन्त्रण कानून के तहत केवल ग्रामों में ही पकड़ की जाती है और ग्रामीणों को ही अधिकारी परेशान करते हैं, शहरों में नहीं करते हैं। क्या राज्य सरकार पुनर्विचार कर मृत्यु भोज कानून में संशोधन करने का विचार रखती है कि नहीं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सदन में आज भी नहीं आया है, 806 नं.।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

यह ××× है। ×××है।

श्री मदनसिंह दांता : This is second remark. एक तो पहले दिया था अब ××× का दे दिया तो भी नहीं समझे।

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे समझ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो बच्चे है, आप तो बूढ़े हैं।

श्री मदनसिंह दांता :You are a baby.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़-बालाजी के मन्दिर को सड़क पर डामर का कार्य

780. **श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ से बालाजी के मन्दिर तक जाने के लिये डामर रोड का ठेका हुआ था? यदि हां, तो काम अभी तक क्यों नहीं हुआ?

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 24

(२५)

(श्री निर्मल कुमार)

(2) क्या यह सही है कि असनावर-इकलेरा रोड पर आनन्दा बड़ोदिया रोड को डामर का किया जाना आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि पिछली बार असनावर ग्राम में इस रोड के डामर के लिये मन्त्री महोदय ने डामर की बनाने की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ से बालाजी तक की डामर सड़क का निर्माण काम पूरा हो चुका है।

(2) सीमित वित्तीय साधनों एवं जन-संख्या के मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार किया जावेगा।

(3) जी हां। इस वर्ष विचार किया जा रहा है और शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की उचित कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गांवों की आर्थिक उन्नति और गांवों में बेरोजगारी मिटाने हेतु औद्योगीकरण

566. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ने गांवों की आर्थिक उन्नति और गांवों में बेरोजगारी मिटाने हेतु गांवों में उद्योग लगाने की क्या योजना बनाई है ?

(2) क्या यह सही है कि अभी भी उद्योग लगाने में शहरों को प्राथमिकता दी जा रही है और गांवों में नाममात्र के भी उद्योग मंजूर नहीं किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण उद्योगों के नाम से अधिकांश उद्योग शहर की म्यूनिसिपैलिटी सीमा के पास लगाये जा रहे हैं और ये उद्योग वास्तव में शहरी उद्योग हैं और शहर वालों के लाभ के लिये ही हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पावरलूम, हैण्डलूम और ऊनी धागे के तकुए और अन्य उद्योगों के अधिकांश लाइसेंस व कोटे शहरों के लिये ही आवंटित किये गये हैं और इसमें अधिकांशत: व्यापारी वर्ग को प्राथमिकता दी गई है ? यदि ऐसा है तो क्या इस विसंगति को दूर कर ग्रामीण क्षेत्रों में और व्यापारी वर्ग के अलावा अन्य ग्रामीण लोगों को उद्योग लगाने के अधिकांश लाइसेंस और कोटे दिये जावेंगे ?

(5) क्या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को शहरों में स्थापित उद्योगों से अधिक सुविधायें व कम ब्याज पर ऋण तथा करों में रियायत देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) गांवों की आर्थिक दशा सुधारने व बेरोजगारी मिटाने हेतु राज्य सरकार ने गांवों में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इस क्रम में राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में जिला औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जिनके माध्यम

(उद्योग मंत्री)

से, गांवों में लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग व हाथ करघा इत्यादि उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को घोषित सुविधाएं एवं सहायताएं शीघ्रता व सरलता से उपलब्ध कराई जावेंगी। इस सम्बन्ध में एक नई नीति का प्रारूप बना लिया गया है जिसकी घोषणा शीघ्र की जा रही है।

(2) जी नहीं। लघु उद्योगों की स्थापना के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लघु उद्योगों की स्थापना निजी स्तर पर उत्साही उद्यमियों द्वारा की जाती है। वे अपनी सुविधा व इच्छानुसार गांव या शहर में कहीं भी उद्योग लगाने के लिए स्वतन्त्र हैं। नई नीति के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए गांवों एवं छोटे कस्बों में उद्यमियों को सुविधाएं एवं सहायताएं देकर अधिक प्रोत्साहित किया जावेगा।

(3) जी नहीं। सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना उत्साही उद्यमियों द्वारा की जाती है। ये अपनी सुविधानुसार कच्चा माल उपलब्ध होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्र अथवा म्यूनिसिपल क्षेत्र में कहीं भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण उद्योगों की श्रेणी में आने वाले 24 प्रकार के उद्योग (सूची संलग्न है) अधिकांश गांव में ही विकसित होते हैं एवं जिनका लाभ अधिकतर ग्रामीण को ही मिलता है।

(4) जी नहीं। हैण्डलूम के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस व कोटा नहीं दिया जाता है। हाथ करघा परियोजना मण्डल द्वारा 80 प्रतिशत हाथ करघे गांव में ही लगाये गये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद पावरलूम का कोटा केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पहले पावरलूम का आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मसूदा, विजयनगर, परबतसर, फलासनी, गन्नेडा, मथानिया आदि स्थानों पर मांग के अनुसार किया गया है। ऊनी धागे के तकुओं के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में मांग कम होने के कारण गांवों में शहरों के मुकाबले में इनका कम आवंटन हुआ है। सूची संलग्न है। पावरलूम ऊनी तकुओं के आवंटन में किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ग्राम वासी द्वारा भी उद्योग लगाने में रुचि रखने पर उन्हें सभी प्रकार की सुविधा व सहायताएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(5) इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के पांच जिलों-नागौर, चूरू, टोंक, बांसवाड़ा, व झालावाड़ में ग्रामीण उद्योगों को 5½ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

राज्य में मोमबत्तियां बनाने की फैक्ट्रियां

567. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में मोमबत्ती बनाने वाली कितनी फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि फैक्ट्रियों को जो मोम का कोटा राज्य सरकार द्वारा दिया

(श्री गोविन्द सहाय)

जाता है उसका फैक्ट्रियों में सही उपयोग न करके कच्चे माल को बाजार में बेच दिया जाता है ?

(3) क्या इस तरह ब्लैक करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक राज्य सरकार कार्यवाही करने को सोच रही है ?

(4) प्रति माह कितना-कितना मोम किन-किन फैक्ट्रियों को दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियों, जिनको विभाग द्वारा मोम दिया जाता है, की कुल संख्या 170 है। इन इकाइयों की सूची (क) सलंग्न है।

(2) जिन इकाइयों को विभाग द्वारा मोम का कोटा दिया जा रहा है उनमें से किसी भी इकाई द्वारा माल को बाजार में बेचने की शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। इकाइयों को मोम का कोटा उनके पिछले दिये गए माल का जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जाने पर आवंटन किया जाता है। विभाग इस बाबत सतर्कता बरत रहा है। जब कभी कोई मामला ध्यान में लाया जावेगा तो इस पर राज्य सरकार गंभीरता से कार्यवाही करेगी।

(3) जब भी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो विभाग द्वारा तत्काल उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) मोम का कोटा इकाइयों को प्रति माह नहीं दिया जाता है बल्कि हर तिमाही में दिया जाता है। वर्ष 1977 एवं प्रथम तिमाही 1978 में जिन इकाइयों को नियमित रूप से मोम का कोटा आवंटन किया गया है उनकी सूची (ख) सलंग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण

568. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान का औद्योगिक सर्वे करवा लिया है ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग पनप सकते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार किस-किस उद्योग को क्या क्या सहायता देती है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जनता होटलों की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे स्थानों पर उद्योग स्थापित करने का इरादा रखती है जहां रॉ मैटीरियल उपलब्ध हो, कस्टमर भी हो, कंजम्पशन भी हो तथा अन्य सुविधायें भी हों ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार रावतसर नोहर में खाद का कारखाना लगायेगी जहां जिप्सम उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के सभी जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण करा लिया गया

(उद्योग मंत्री)

है, सर्वेक्षण के प्राधार पर प्रत्येक जिले में विकसित होने वाले संभावित उद्योगों की सूची सलंग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधायें एवं सहायताओं के विवरण की सूची संलग्न है।

(3) इस प्रश्न का सम्बन्ध उद्योग विभाग से नहीं है।

(4) राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है। बल्कि उत्साही उद्यमियों को विभिन्न सुविधायें व सहायतायें उपलब्ध कराकर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रावतसर, नोहर में जिप्सम पर प्राधारित खाद का कारखाना लगाने के लिए किसी उद्यमी के द्वारा प्रावेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री, मोडक गांव हेतु अवाप्त भूमि

569. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रामगंज मंडी के मोडक गांव में मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए कितने एकड़ भूमि प्रवाप्त की गई है तथा कितने किसानों की कितनी भूमि इसमें प्रधिग्रहीत हुई है ?

(2) क्या उन किसानों को प्राज तक भी कोई मुग्रावजा एवं भूमि नहीं दी गई है? यदि हां, तो यह भूमि और मुआवजा कब तक दिया जा रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार उन पीड़ित किसानों को सहरावदा बीड की भूमि देने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मण्डी के मोडक गांव में मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये 788 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रवाप्त की गई है।

133 किसानों की 788 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रधिग्रहीत हुई है।

(2) अभी तक किसानों को कोई मुआवजा एवं भूमि नहीं दी गई है। मुआवजा का निर्णय माह मई तक कर दिया जावेगा और सहरावदा बीड में भूमि आवंटन करने के संबंध में वन विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(3) माननीय सदस्य द्वारा राजस्व मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र के निवेदनानुसार पीड़ित किसानों को सहरावदा बीड में भूमि आवंटन करने के संबंध में राजस्व विभाग (वन विभाग) द्वारा विचार किया जा रहा है।

डीडवाना सोडियम सल्फेट प्लांट में मार्गदर्शक संयंत्र की स्थापना

570. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय उपक्रम समिति 1975-76 की रिपोर्ट में यह सिफा-

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

रिश की गई है कि राजकीय उपक्रम विभाग डीडवाना सोडियम सल्फेट प्लांट में मार्ग दर्शक संयंत्र की स्थापना के लिये वर्ष 1959 से 1965 तक की गई कार्यवाही को एक विचार्य विषय बनाकर पूर्ण अध्ययन करें और इस पर पूर्ण प्रकाश डालें कि आवश्यकता से अधिक जो समय लगा है वह किन कारणों से लगा है और वह कहां तक उचित था ? किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या विचार किया और इसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी था या नहीं ?

उत्तर

जी हां। राजकीय उपक्रम समिति 1975-76 की सिफारिश के अनुसार राजकीय उपक्रम विभाग के द्वारा सोडियम सल्फेट प्लांट मार्ग दर्शक संयंत्र डीडवाना की स्थापना के संबंध के वर्ष 59-65 तक की कार्यवाही को एक विचार्य विषय बनाकर पूर्ण अध्ययन कराया गया। अध्ययन करने पर निम्न जानकारी उपलब्ध हुई है :--

(क) इस लाइन का समुचित ज्ञान न होना।

(ख) भारत में होरीजेन्टल क्रिस्टलाइजेशन एवं इन्टर कनेक्टिंग पाइप लाइन का समय पर उत्पादन न होने से।

(ग) आयातित सामान को मंगाने में विलम्ब के फलस्वरूप।

(घ) फैक्ट्री क्षेत्र में मीठे पानी की अनुपलब्धि के कारण ही इसमें उत्पादन प्रारंभ होने में इतना विलम्ब हुआ।

प्लांट के विलम्ब से चालू होने के कारणों का अवलोकन जन लेखा समिति द्वारा भी किया गया था। अष्टम् प्रतिवेदन के अनुसार फर्म के विरुद्ध उपेक्षा का चार्ज लगाते हुए अखबारों में इस आशय का ज्ञापन दिया गया था। अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विभाग के द्वारा समुचित कार्यवाही की गई थी।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा सोडियम सल्फेट का क्रय

571. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि राजकीय उपक्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1975-76 में यह सिफारिश की थी कि सरकार इस प्रश्न की जांच करे कि उपक्रम विभाग द्वारा वर्ष 1970-71 से 1975-76 तक सोडियम सल्फेट के विक्रय के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई और वह कहां तक उचित थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी हां। राजकीय उपक्रम समिति ने ऐसी सिफारिश की थी। राज्य सरकार के द्वारा उक्त प्रक्रिया का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के आधार पर विपणन व्यवस्था को सुसंगठित और अधिक प्रभावी बनाने की कार्यवाही की गई जो निम्न प्रकार से हैं:--

रेयन मिलों के द्वारा बाई-प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फेट का उत्पादन प्रारम्भ

(उद्योग मंत्री)

करने से यह रसायन बाजार में आसानी से एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगा जिससे इसके भावों में निरन्तर गिरावट आने लगी। पूर्व में इसकी विक्रय दर रुपये 1800/- प्रति टन थी जब कि वर्तमान में यह रु. 600/- से 630/- रु. प्रति टन पर उपलब्ध है। अतः अन्य उत्पादकों के द्वारा क्रेताओं को उधार पर माल देना प्रारंभ कर दिया गया। उनके द्वारा दूरस्थ स्थानों, जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि, पर जहां इस माल की ज्यादा खपत है अपने डिपो खोल लिये गये अथवा किराये में छूट आदि की व्यवस्था की गई जिससे माल की निकासी ज्यादा से ज्यादा हो एवं स्थानीय उत्पादकों के होते हुए भी उन स्थानों पर उनके माल की निकासी ज्यादा से ज्यादा हो सके।

उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं माल की निकासी में भविष्य में रुकावट न हो के परिणामस्वरूप क्रेताओं को विभाग के द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई:–

(क) अच्छी वित्तीय स्थिति वाले क्रेताओं को बैंक के माध्यम से 45 से 60 दिन के उधार पर माल का विक्रय।

(ख) दूर स्थान पर भेजे जाने वाले माल पर भाड़े में रियायत जिससे स्थानीय लोगों के मुकाबले में सोडियम सल्फेट को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बेचा जा सके।

(ग) स्टॉकिस्ट की नियुक्ति कर उन्हें 5% कमीशन देना।

(घ) क्रेताओं के द्वारा अधिक माल लेने पर रिबेट की व्यवस्था।

(ङ) माल के पैंकिंग में सुधार।

(च) उपभोक्ताओं की कोई शिकायत आने पर तुरन्त कार्यवाही करना।

क्रेताओं को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के उपरान्त भी माल की निकासी सन्तोषजनक नहीं हो रही है फिर भी विभाग निकासी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड देने में अनियमितता

572. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी-पार्क) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय उपक्रम विभाग ने नियम के विरुद्ध उधार पर सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड अपनी मर्जीदान पार्टियों को दे दिया उसके कारण राज्य सरकार के करीब 5,00,000 रुपये पार्टियों के यहां बकाया है? यदि हां, तो इन रुपयों की वसूली के लिए राजकीय उपक्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है?

उत्तर

जी नहीं। सोडियम सल्फेट एवं सल्फाइड का विक्रय उधार पर नियमों के विरुद्ध नहीं किया गया है। बाजार में प्रचलित प्रणाली तथा इन रसायनों की बाजार में मांग में पूर्व की अपेक्षा कमी होने को मद्दे नजर रखते हुए सही वित्तीय स्थिति वाले खरींददारों को 45 से 60 दिन का उधार

(राजकीय उपक्रम मंत्री)
बैंक के माध्यम से देना निश्चित किया गया था जिससे माल की निकासी ज्यादा से ज्यादा हो। उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में क्रेताओं से रुपये 3.39 लाख के करीब बकाया है जो इस प्रक्रिया के अन्तर्गत होना स्वाभाविक है। अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा आडिट रिपोर्ट का उत्तर

573. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उपक्रम विभाग ने पिछले तीन सालों की आडिट रिपोर्ट का संतोषजनक उत्तर न दिया और बहुत सी आपत्तियों की परवाह भी नहीं की।

(2) क्या यह सही है कि इनमें एक आपत्ति यह भी है कि वर्ष 1975–76 मैसर्स चन्द्रा कैमीकल्स ने 1350/- रुपये प्रति टन के हिसाब से 1000 टन सोडियम सल्फेट मांगा था जब कि उपक्रम विभाग ने उस पार्टी को न देकर दूसरी पार्टी एक बम्बई की फर्म को 1250/- रुपये प्रति टन के हिसाब से 1000 टन सोडियम सल्फेट दिया और इससे राज्य सरकार को 1,00,000/- रु. की हानि हुई।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास इन बातों की शिकायतें भी आई हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। आडिट आक्षेपों के निपटाने की कार्यवाही बराबर होती रहती है। राजकीय उपक्रम विभाग के अन्तर्गत निम्न कार्यालय आते हैं जिनके सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में निपटाये गये आक्षेपों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम इकाई/ विभाग	निरीक्षण प्रति-वेदन अवधि/ प्राप्ति तिथि		निरीक्षण प्रति-वेदन के कुल अनुच्छेद	कुल निरस्त करवाये गये अनुच्छेद	अनुच्छेद जो अब शेष हैं
1	2	3		4	5	6
1.	राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर	1975–76	7-9-76	4	–	4
		1974–75	9-7-75	5	4	1
		1970–71	10-3-71	5	5	–
2.	प्रबन्धक, लवण उद्योग, पचपदरा	1972–73	18-3-74	9	6	3
		1974–75	19-1-75	9	7	2
		1975–76	2-9-76	9	4	5

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
3. प्रधान प्रबन्धक, राजकीय लवण उद्योग, जयपुर	1974–75	21–11–75	8	5	3
	1975–76	8–7–76	8	4	4
	1973–74	9–12–74	8	8	–
	1972–73	28–11–73	12	12	–
4. प्रबन्धक, राजकीय लवण उद्योग, डीडवाना	1973–73	8–5–76	9	6	3
	1975–76	15–7–76	12	10	2
5. प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स डीडवाना	1972–73	15–10–73	15	11	4
	1974–75	20–21–75	11	9	2
	1975–76	23–6–76	21	6	15
6. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	1975–76	24–9–76	8	6	2
	1969–70	19–11–70	34	32	2
	1973–74	1–3–75	14	13	1

(2) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1975–76 में मैसर्स चन्दा कैमिकल वर्क्स बम्बई ने 1000 टन सोडियम सल्फेट खरीदने की आफर भेजी थी। उनके पत्र दिनांक 23-3-75 द्वारा 1000 टन सोडियम सल्फेट (अन्हाइड्रस) यह फर्म खरीदना चाहती थी जिसमें से प्रथम 500 टन के लिये रुपये 1350/– प्रति टन एवं द्वितीय 500 टन के लिये 1300/– रुपये प्रति टन की दर फर्म द्वारा आफर की गई थी। यह आफर दिनांक 31-3-75 तक के लिये ही थी।

मैसर्स चन्दा कैमिकल्स वर्क्स, बम्बई विभाग के लिये नई पार्टी थी अतः उसे बिना किसी जमानत राशि के उधार माल देना खतरे से खाली नहीं था और दूसरे उस समय सोडियम सल्फेट सामान्यतया रु. 1400/– प्रति टन की दर से बेचा जा रहा था। अतः उस समय ऐसी फर्म को ऐसी परिस्थिति में रु. 1350/– एवं रु. 1300/– की दर पर माल देना उचित नहीं समझा गया। फर्म को पत्रांक 2147 दिनांक 11–4–75 द्वारा, सोडियम सल्फेट की दर रु. 1400/– प्रति मै. टन सूचित की गई थी।

यहां यह भी कहना गलत है कि उन्हीं दिनों में राजकीय उपक्रम विभाग ने उक्त फर्म को माल न देकर बम्बई की दूसरी पार्टी को रु. 1250/– प्रति टन के हिसाब से 1000 टन सोडियम सल्फेट दिया।

एक अप्रेल, 1975 को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विभागीय परम्परा के अनुसार

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

सोडियम सल्फेट की दरों के संबंध में सविस्तार अध्ययन (चालू बाजार भाव, उपलब्ध स्टाक एवं उत्पादन की स्थिति एवं उत्पादन मूल्य के आधार पर) किया गया और दरें घटाई गईं। मैसर्स चन्दा कैमिकल्स, बम्बई को भी इसकी सूचना दी गई किन्तु फर्म ने अपने पत्र, दिनांक 12–5–75 द्वारा बाजार में गिरते भावों के कारण माल लेना स्वीकार नहीं किया। फर्म मैसर्स श्री एन्टरप्राइजेज, बम्बई को 1000 टन सोडियम सल्फेट रुपये 1250/- प्रति टन की दर से 26 मई, 75 को प्राप्त आफर के अनुसार दिया गया था।

गिरते बाजार भावों के कारण सोडियम सल्फेट की बिक्री की दरों में किये गये संशोधन के अनुसार बेचे गये माल से विभाग को हानि नहीं हुई।

इस संबंध में एक आडिट एतराज प्रधान प्रबन्धक, राजकीय लवण उद्योग, जयपुर के लेखे अवधि 4/75 से 3/76 की आडिट रिपोर्ट में आक्षेप संख्या 2 भाग-11-बी द्वारा प्राप्त हुआ। इसका उत्तर प्रधान प्रबन्धक, राजकीय लवण उद्योग, जयपुर द्वारा उनके पत्र, दिनांक 13-1-77 द्वारा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेज दिया गया था। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ने इसे बाद में रुपये 76,000/- की हानि का ड्राफ्ट-पैरा बनाना उचित समझा।

यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 में पृष्ठ संख्या 130 पर छप चुका है जिसका उत्तर महालेखाकार व राजस्थान विधान सभा सचिवालय को पत्रांक, एफ. 3-सी (4) सी एसई/77/8922-25, दिनांक 26-12-77 द्वारा भेजा जा चुका है।

(3) जी हां। प्राप्त शिकायतों के पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति की रिपोर्ट

574. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1975–76 की राजस्थान विधान सभा की राजकीय उपक्रम समिति की यह रिपोर्ट है कि राजकीय उपक्रम विभाग ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया है जिससे राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ी? समिति ने यह सिफारिश की थी कि उपक्रम विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई के बारे में नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए एक टिप्पणी समिति को भेजी जाय? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

• राजकीय उपक्रम समिति ने वर्ष 75–76 में विभागीय इकाई राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना के संबंध में बिजली की सप्लाई के बाबत नवीनतम स्थिति दर्शाते हुए विभाग से टिप्पणी देने की मांग की थी। बिजली की सप्लाई में समय-समय पर व्यवधानों को मद्दे नजर रखते हुए इस इकाई में टरबोजेनेरेटर लगाकर स्वयं की बिजली उत्पादन करने के लिये कार्यवाही की गई,

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

यह टर्बोजनरेटर तेल से चलने वाले बायलर की क्षमता से संबंधित है। तेल के भावों में विश्व-व्यापी चार गुना वृद्धि के कारण एवं इस संयंत्र से उत्पादित सोडियम सल्फेट के भावों में भारी गिरावट के कारण सोडियम सल्फेट संयंत्र में वर्तमान में उत्पादन नहीं किया जा रहा है। विभाग फर्नेस आयल से चलने वाले बायलर के स्थान पर कोयले से चलने वाले बायलर के लगाने के लिये विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा रही है। इस इकाई में लाभांश को मद्दे नजर रखते हुए अनुकूल कार्यवाही की जावेगी।

डीडवाना सोडियम सल्फेट की प्रतिदिन की क्षमता

575. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डीडवाना सोडियम सल्फेट की क्षमता 40 टन सोडियम सल्फेट प्रतिदिन बनाने की है और यह दिसम्बर 1971 से पूरी क्षमता से उत्पादन करने की स्थिति में आ गया था? यदि हां, तो संयंत्र ने किसी साल या महीने में पूरी क्षमता से उत्पादन क्यों नहीं किया और इसका उत्पादन निरन्तर क्यों गिरता गया? इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। नये सोडियम सल्फेट प्लांट की डिजाइन क्षमता 40 टन प्रतिदिन हैं। यह संयंत्र जनवरी, 1972 में पूरी क्षमता पर उत्पादन करने की स्थिति में आ गया था। लगातार विद्युत प्राप्ति एवं सर्दी के मौसम में इस संयंत्र से 35 टन प्रतिदिन अधिकतम उत्पादन फरवरी, 73 में हुआ। विद्युत् सप्लाई में निरन्तर व्यवधान के कारण उत्पादन क्षमता के अनुकूल नहीं हो सका जिसके लिए उच्च स्तर पर लगातार एवं समय-समय पर प्रयास किये गये परन्तु आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप विभाग ने विद्युत बनाने की स्वयं की व्यवस्था की।

सोडियम सल्फेट बनाने में कच्चे माल के रूप में फर्नेस आयल काम में आता है जिस के भावों में पूर्व की अपेक्षा चार गुना वृद्धि हुई। सोडियम सल्फेट की विक्रय दरों में भारी गिरावट उदाहरणार्थ रु. 1800/— प्रतिदिन से रु. 630/— प्रति टन को देखते हुए एवं वर्तमान में संभावित हानि को मद्दे नजर रखते हुए यह प्लान्ट विभाग के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। तेल से चालित बायलर के स्थान पर कोयले से चालित बायलर लगाने के बाबत विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा रही है और उनकी राय लाभप्रद होगी तो इस पर अनुकूल कार्यवाही की जावेगी।

मकराना में संगमरमर की खानों का सर्वेक्षण

576. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना में संगमरमर की खानों का सर्वेक्षण किन किन क्षेत्रों में किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 34

३५

(श्री अब्दुल अजीज)

(2) नई खानों के अलाटमेंट के पहले खेत मालिकों को राज्य सरकार किस हिसाब से मुआवजे का भुगतान करेगी ? क्या खेत मालिक खान ले सकेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि सर्वेक्षण किये गये खेतों में कहीं कही आबादी बढ़ रही है तथा खानों के अलाटमेंट में रुकावट पैदा होगी ?

उत्तर

(1) मकराना में जिन जिन खेतों में सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है उसकी सूची खेत मालिकों के नाम मय खसरा नम्बर के संलग्न है।

(2) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार मकराना में व्यक्तिगत पट्टाधारियों के लिये भूमि की अवाप्ति नहीं करती है। खेत मालिक भी खानें नियमानुसार ले सकते हैं।

(3) यह सही है कि सर्वेक्षण किये कुछ क्षेत्र म आबादी बढ़ती जा रही है जिससे खानें स्वीकृत करने में रुकावट पैदा हो सकती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बून्दी में खनिज अभियन्ता कार्यालय खोलने की योजना

577. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बून्दी में खनिज अभियन्ता कार्यालय खोलने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक।

(2) क्या बूंदी में खनिज विभाग की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कें बनाने के लिए राशि दी गई ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या लक्ष्मीपुरा और ढाबी के मध्य जो भूमि है वह खनिज विभाग के अन्तर्गत ली जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां, वर्ष 1977-78 में 7 लाख रुपये की राशि करोदी से धानेश्वर सड़क निर्माण हेतु दी गई और कार्य चल रहा है। इसके अलावा निम्न और सड़कें भी बनाने हेतु वर्ष 77-78 में स्वीकृत की गई :

1. धानेश्वर से ढाबी वाया सूतड़ा

2. ढाबी से लाम्बा खो

3. ढाबी से भूतपुरा

(3) राज्य में जहां भी खनिज सम्पदा उपलब्ध है वह खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टों/आर. सी. आर. एल. पर नियमानुसार दी जाती है। भूमि देने का अधिकार राजस्व विभाग के पास है। अतः लक्ष्मीपुरा व ढाबी के मध्य भूमि को खनिज विभाग के अन्तर्गत दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ खानें पूर्व से ही लीज पर दी हुई हैं और अन्य खनिज सम्पदा क्षेत्र को लीज पर दिये जाने हेतु विभाग सक्रिय है।

पंचायत घातोड़ उदयपुर में निःशुल्क आवासीय पट्टे

578. श्री गम्भीरलाल मीणा (सराड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत घातोड़ तहसील सराड़ा जिला उदयपुर में सन् 75-76 में निःशुल्क आवासीय पट्टे किस में बांटे गये ?

(2) क्या किसी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पट्टे मिले हैं ?

(3) इन व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति और जन-जाति के हैं ?

(4) कितने सवर्ण जाति के हैं ?

(5) क्या इनको यह भूखण्ड वेचने के अधिकार हैं ?

(6) क्या जिन व्यक्तियों को यह भूखण्ड मिले हैं, वे इस ही पंचायत के रहने वाले हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत घातोड़ तहसील सराड़ा में वर्ष 1975-76 में 198 आवासीय भूखण्डों के पट्टे निःशुल्क वितरित किये गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) 4 अनुसूचित जाति एवं 122 अनुसूचित जन जाति के हैं।

(4) सवर्ण जाति के 72 व्यक्ति हैं।

(5) जी नहीं।

(6) केवल 4 व्यक्तियों को छोड़ कर शेष उसी पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं।

पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं हेतु उपकरणों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय

579. श्री नाथू लाल (घाटोल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलाई जाने वाली प्राथमिक शालाओं में छात्रों के उपयोग हेतु उपकरण पर राज्य सरकार द्वारा प्रति शाला क्या व्यय किया जाता है ?

(2) इन प्राथमिक शालाओं में क्या पार्ट टाइम चपरासी की व्यवस्था है तथा उसे कितना पारिश्रमिक मासिक दिया जाता है ?

(3) इन प्राथमिक शालाओं में अध्ययन करने वाले आदिवासी एवं हरिजन छात्रों के लिये राज्य सरकार की ओर से किताबों एवं पहिनने के कपड़ों की क्या व्यवस्था है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इसके लिये मापदण्ड निर्धारित किया हुआ नहीं है। पंचायत समितियों की वित्तीय स्थिति व उनकी अपनी निजी आय के अनुसार पाठशालाओं के उपकरण हेतु धनराशि व्यय की जाती है।

(2) पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलाई जाने वाली प्राथमिक पाठशालाओं में अभी तक पार्ट टाइम चपरासी लगाने की व्यवस्था नहीं है। किन्तु कहीं कहीं पर पंचायत समिति ने पानी आदि के लिये निजी आय से व्यवस्था कर रखी है।

Page No 36

(36)

(पंचायत मंत्री)

(3) अनुसूचित जन जाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र की पंचायत समितियों द्वारा वसूल की जाने वाली शिक्षा उप कर की कुल राशि के 25 प्रतिशत व अन्य क्षेत्र की पंचायत समितियों द्वारा वसूल की गई शिक्षा उप कर की राशि के 15 प्रतिशत के बराबर विशेष अनुदान की राशि शिक्षा कर वसूल करने वाली पंचायत समितियों को प्राथमिक पाठशालाओं के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को दोपहर का भोजन, कपड़े व किताबें मुफ्त उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा उप कर के मेचिंग शेयर के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह सुविधा केवल शिक्षा कर वसूल करने वाली पंचायत समितियो के क्षेत्र में ही उपलब्ध है।

झीटियां पंचायत समिति रियांबड़ी के भू. पू. सरपंच का मामला

580. श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम झीटियां पंचायत समिति रियांबड़ी में श्री पेमाराम सन् 59–60 में सरपंच रहे ?

(2) क्या यह सही है कि इस अवधि में पंचायत समिति रियांबडी से श्री पेमाराम को गेहूं, ज्वार, खाद (रासायनिक) किसानों को वितरण हेतु मिला ? यदि हां, तो कितनी तादाद मे ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी वस्तुएं किसानों को वितरित नहीं की गई एवं श्री पेमाराम ने दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार ने श्री पेमाराम के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या इतनी अनियमितता के कारण राज्य सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। निम्न प्रकार बीज व खाद दिया गया है:—

ज्वार का बीज– 80 क्विंटल दिनांक 2-10-59 के पूर्व व 6 क्विंटल 1960 में कुल 86 क्विंटल।

गेहूं का बीज– 25 क्विंटल।

सुपर फास्फेट– 10 बोरियां।

(3) इस बाबत जांच कराई जा रही है। जांच पूर्ण होने तक कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है।

(4) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही जांच परि[णा]म के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

विकास विभाग के अध्यापकों के एरियर्स के भुगतान का मामला

581. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अध्यापक भंवर लाल गौड़ की एरियर बिल की राशि अभी पंचायत समिति इटावा से नहीं मिली

(श्री हीरालाल आर्य)
है ? यदि हां, तो कितने रुपये बकाया हैं तथा कितने और अध्यापक ऐसे हैं जिनके एरियर बिल अभी तक पास नहीं हुए हैं ? प्रत्येक अध्यापकवार कितनी राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इन अध्यापकों के एरियर की राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। 1295 रुपये 80 पैसे बकाया है। अन्य 29 अध्यापकों के भी एरियर बिल चुकाना शेष है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

पाली सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक

582. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या पाली सैन्ट्रल को. बैंक की अमानतें 94 लाख से कम हैं जब कि अवधि पार ऋण 1 करोड़ 34 लाख के आस-पास है और इस प्रकार अमानतों से कहीं अधिक धन राशि अवधि पार ऋणों में फंसी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारिता मंत्री के पास दिनांक 20-12-77 को पाली जिले के सहकारी समितियों के शिष्टमण्डल ने इस बैंक के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत कर उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि इस बैंक का करीब 40 लाख रुपया गबन, फोर्जरी और धोखाधड़ी के माध्यम से डूब चुका है और बैंक में जबर्दस्त हिसाबों की हेराफेरी हो रही है ? इसके अध्ययन के पश्चात् सहकारिता मंत्री ने बैंक के प्रधान व्यवस्थापक पद पर तुरन्त दूसरा व्यक्ति लगाकर कुल मामले की जांच के आदेश दिए परन्तु रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने आज तक उसकी अनुपालना नहीं की ? क्या इससे और अधिक हेराफेरी के अवसर नहीं खुले ?

(3) क्या यह सही है कि श्री रघुवीरसिंह भाटी को इस बैंक के प्रधान व्यवस्थापक लगाने के संबंध में बैंक की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट में इस नियुक्ति को सर्वथा अवैधानिक बताया है ? क्या यह भी सही है कि उपनियमों की धारा 48 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग ने श्री भाटी की नियुक्ति की आज तक स्वीकृति नहीं दी इसलिए भी यह नियुक्ति बिल्कुल अवैधानिक है फिर भी आज तक दूसरा व्यवस्थापक नहीं लगाया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक की यह दुर्दशा केवल श्री रघुवीरसिंह भाटी प्रधान व्यवस्थापक की वजह से हुई है जैसा कि अनेक ज्ञापनों में बताया गया है फिर भी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग अन्य ईमानदार अधिकारी सहकारी बैंक का प्रधान व्यवस्थापक नियुक्त कर नियमित नियुक्ति करने में असमर्थ हैं ? क्या यह अकर्मण्यता स्वयं में भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आती ?

(5) कुल ऋण, अवधि पार ऋण, अमानतें, लिक्वीडिटी, 31 मार्च, 1973,

Page No 38

(38)

(श्री माधव सिंह दीवान)
31 मार्च, 74, 31 मार्च, 75, 31 मार्च, 76, 31 मार्च, 77 को कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि रिजर्व बैंक ने बार बार आक्षेप लगाया है कि यह बैंक लिक्वीड असैसमेन्ट नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) पाली सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का कुल अवधि पार ऋण 110.01 लाख रुपया है जब कि बैंक की कुल अमानतें 91.04 लाख रुपये हैं। यह सही है कि अमानतों की अपेक्षा बैंक के अवधि पार ऋण अधिक हैं किन्तु अमानतों के अतिरिक्त बैंक की हिस्सा राशि 52.94 लाख एवं 4.33 लाख रुपये के कोष बैंक के पास और हैं।

(2) जी हां। शिकायतों पर जांच कराई जा चुकी है। ज्ञापन में अंकित 6 सहकारी समितियों की विस्तृत जांच हो चुकी है तथा 26 सहकारी समितियों की जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं। समस्त जांच रिपोर्ट्स प्राप्त हो जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी नहीं। यह सही है कि श्री भाटी की नियुक्ति की पुष्टि सहकारी विभाग से नहीं की गई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा यथावत कार्य करते रहने के आदेश दिये गये हैं जिनकी पालना में भाटी बैंक के प्रधान व्यवस्थापक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(4) जी नहीं। बैंक की आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक नहीं कही जा सकती।

(5) सूची संलग्न है।

(6) जी हां। रिजर्व बैंक के आक्षेप अनुसार बैंक अक्टूबर, 1973 से जून, 1976 के बीच लिक्वीड असेसमेन्ट बराबर मेन्टेन नहीं कर सका।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य की सहकारी डेयरियों में कार्यरत कर्मचारियों में शहर वालों का प्रतिशत

584. श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है राज्य की विभिन्न सहकारी डेयरियों में अधिकांश कर्मचारी व अफसर शहरों के निवासी भर्ती किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डेयरियों के सदस्य व दूध उत्पादक सिर्फ गांव वाले हैं लेकिन नौकरी में गांव वालों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है ? अगर यह सही है, तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि डेयरियों में गांव के निवासियों को प्राथमिकता दी जावे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। डेयरी के जिन कर्मचारियों का सीधा सम्पर्क ग्राम से है, उन पदों पर अधिकांश ग्रामीण हैं।

(2) जी हां। डेयरी के जिन कर्मचारियों का सीधा सम्पर्क ग्रामों से है उन पदों पर ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाती है, अन्य कर्मचारी अधिकारियों का चयन निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जाता है। इस विषय में कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं।

रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के भाव

585. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं के भाव 1964 से पूर्व क्या थे व अब क्या भाव हैं? भावों में कितनी वृद्धि कब कब हुई?

(2) क्या राज्य सरकार के पास गेहूं के भावों को देखते हुए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए खादों व दवाओं के भावों में तथा बिजली की दर में कमी करने की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) सन् 1964 से पूर्व तथा अब रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के भावों की कब कब वृद्धि हुई इस की सूचना सदन की मेज रख दी गई है।

(2) रासायनिक उर्वरकों के भाव भारत सरकार निर्धारित करती है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न कीटनाशक रासायनिक निर्माताओं को टेक्निकल ग्रेड रसायन उपलब्ध कराकर दवाओं की कमी को दूर कर कीमतें न बढ़ने की योजना माह सितम्बर 1974 से लागू कर रखी है। बिजली की दरों में कमी करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डेयरी में दूध के भाव एवं पशुपालकों के दूध के भावों में वृद्धि

586. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पिछले दो वर्ष पहले डेयरी में दूध के क्या भाव निश्चित किये गये थे व अब तक पशुपालकों के दूध की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई या कीमत में कटौती की गई?

(2) क्या यह सही है कि पशु आहार बिनौले व चारे की कीमत में दुगुनी वृद्धि हुई है जिसको मद्देनजर रखते हुए डेयरी फेडरेशन पशुपालकों के दूध की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की सोच रहा है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) दो वर्ष पूर्व मार्च, 76 के प्रारम्भ में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा रु. 25 से 30 प्रति किलो फेट की दर से दूध क्रय किया जा रहा था व वर्तमान में 26 मार्च, 78 से रुपये 28.50 से 30 रुपये किलो फेट की दर से दूध क्रय करने के सम्बन्ध में राज्यस्तरीय दुग्ध मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया है। इस प्रकार दूध के भाव में 3.57 से 17.64 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

(2) जी नहीं। पिछले दो वर्षों में बिनौले व चारे की कीमत में दुगुनी वृद्धि नहीं हुई है। फेडेयरी फेडरेशन अधिकतर दुग्ध उत्पादकों को संतुलित एवं पौष्टिक पशु-आहार भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करता रहा है जो सिर्फ बिनौले खिलाने से कहीं अधिक लाभप्रद रहता है। दूध के भावों में 26 मार्च, 78 से विभिन्न दुग्ध उत्पादक संघों में 3.57 से 17.64 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।

राजस्थान में सड़कों के विकास की योजना

587. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की

(श्री रामसिंह विश्नोई)
कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सड़कों के विकास हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है तथा कितनी आबादी तक के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डी, डेयरी विकास योजना फण्ड एवं डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत 2000 से ऊपर आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना बनाई है? अगर हां, तो कब तक इस योजना को पूरा करने का विचार है ?

(3) फेमिन में बनी सड़कों की मरम्मत व रख रखाव पर और उनको विभाग को सौंपने के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है व कब तक इस कार्य को करने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) पिछले वित्तीय वर्ष में 5000 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को सड़को से जोड़ने की योजना स्वीकृत की गई व कार्य प्रगति पर है। इस योजना को अगले वर्ष तक पूरा करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी गई है। 2500 आबादी वाले गांवों को जोड़ने की भी योजना विचाराधीन है और धनराशि प्राप्ति के अनुसार इसे क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) राज्य के सीमित साधनों को देखते हुए फेमिन में बनाई गई सभी सड़कों की तुरन्त मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ब्यावर-कवाई जिला कोटा की सड़क

588. श्री औंकारलाल चौहान (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ब्यावर कवाई तहसील अटरू, जिला कोटा की सड़क वाया सकतपुर बहुत ही खराब है और यात्रियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो कब तक इस रोड को ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

यह सही है कि गऊघाट से घ्यावर वाया सकतपुर सड़क की हालत खराब है।

हां, इस सड़क का गऊघाट से सकतपुर तक इस वर्ष रिमेटलिंग किया जा रहा है और जून तक पूर्ण होने की संभावना है।

डडवाड से कुंजेड (जिला कोटा) की सड़क

589 श्री औंकार लाल चौहान (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार डडवाड से कुंजेड रोड का टुकड़ा (जिला कोटा) 13 कि. मी. को पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

डडवाड़ से कुंजेड वाया आटोन फेयरवेदर रोड है जिसकी कुल लम्बाई 16 कि.मी. है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

इस सड़क को पक्का करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य में महंगाई रोकने हेतु प्रभावी कदम

590. श्री ओंकारलाल चौहान (ग्रटरू): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार ने राज्य में महंगाई रोकने हेतु आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि की दिशा में कोई प्रभावी कदम या योजना बनाई है? यदि हां, तो अब तक इसके क्या परिणाम सामने आए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, राज्य सरकार ने महंगाई रोकने एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि की दिशा में संलग्न सूची में वर्णित कदम उठाये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राहत कार्यों के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्य

591. श्री अजीतसिंह (टोंक): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या लघु सिंचाई योजना हेतु अलग से धनराशि देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है?

(2) राहत कार्यों में पंचायत समिति के माध्यम से लघु सिंचाई बांधों पर कार्य कराने के संबंध में क्या राज्य सरकार विचार करेगी?

उत्तर

(1) यद्यपि इस प्रश्न का सीधा संबंध सहायता विभाग से नहीं है। सहायता विभाग द्वारा राहत मद से लघु सिंचाई कार्यों पर किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है।

(2) पंचायत समिति से इस प्रकार के कार्य कराया जाना संभव नहीं है क्योंकि उनके पास पर्याप्त टैक्निकल स्टाफ नहीं रहता है। इस तरह के कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से ही कराना संभव है।

जमवा रामगढ में चीनी का ब्लैक एवं फर्जी डीलरशिप

593. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 13-3-72 को जयपुर डी.एस.ओ. ने फर्जी डीलर्स को, फर्जी तहसीलदार से फर्जी प्रमाणित कराकर 14 पंचायत क्षेत्रों की चीनी उठवाई और गबन कराई?

(2) क्या यह भी सही है कि जमवा रामगढ़ में चीनी का ब्लैक तत्कालीन डी.एस.ओ. 1972 ने डीलर्स से मिलकर कराया?

(3) क्या यह सही है कि वहां के तहसीलदार वर्मा ने फर्जी डीलर्स व विरुद्ध गबन के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराई व अन्य कार्यवाही की गई तो उस पर चार्ज शीट लगाकर उसका ग्रेड बन्द किया गया

(श्री राम करण सिंह)
ताकि उस समय के डी. एस. ओ. साहब की साजिश व चोर बाजारी न पकड़ी जावे ?

(4) क्या यह भी सच है कि डी. एस. ओ. साहब के प्रभाव व जांच अधिकारी की करतूत से पत्रावली के पृष्ठ निकाले गये और दोषियों को बरी कर निर्दोष को दण्ड के लिये पेश किया ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील के चीनी कांड को दबाने के लिये डी. एस. ओ. साहब वहां ही एस. डी. ओ. होकर अपने को बचाने के लिये एक पक्षीय कार्यवाही कराकर काफी बड़े भ्रष्टाचार व चीनी काण्ड से बच गये ?

(6) क्या वर्तमान सरकार ऐसे लोगों की पुनः सही जांच कर भ्रष्ट महारथी को सजा देगी ?

उत्तर

(1) तहसीलदार ने अपने स्तर पर फर्जी डीलर निर्धारित किये थे। इसकी जिलाधीश एवं जिला रसद अधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली। इसके परिमाण-स्वरूप चीनी का गबन हुआ।

(2) जी नहीं।

(3) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सूचना के आधार पर कोई एफ. आई. आर. दर्ज होना नहीं पाया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं, डी.एस. ओ. जयपुर को एस. डी. ओ. जयपुर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

(6) इस प्रकरण की आंच पहले करवाई जा चुकी है। अतः पुनः जांच करवाना आवश्यक नहीं है।

जिलाधीश जोधपुर के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक का मामला

595 श्री कानसिंह (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या जिलाधीश कार्यालय जोधपुर के कनिष्ठ लिपिक श्री अरुण कुमार को दिनांक 5-5-70 से 22-4-71 तक निलम्बित रखा गया था ? क्या उस अवधि का उक्त लिपिक को निलम्बन भत्ता दिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर दिया गया हो तो किस अवधि का कब कब दिया गया ?

(2) क्या श्री अरुण कुमार कनिष्ठ लिपिक, जो कि टी. बी. रोग से पीड़ित था, को भूत प्रभावी आदेशों के तहत नौकरी से निकाला गया था ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा क्रमांक प. 2(354)अभ्या/72/590 दिनांक 26-9-73 एवं आदेश क्रमांक प. 2(354) अभ्या।72 दिनांक 12-11-73, जो जिलाधीश के नाम जारी हुए थे, की पालना हुई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राजस्व विभाग (ग्रुप-1) जयपुर के द्वारा आदेश क्रमांक नं. एफ. 4(146) रेवेन्यू प्रथम/72, दिनांक 7-12-74 जिलाधीश, जोधपुर के नाम जारी हुआ था ? अगर हुआ था, तो उसकी पालना पूर्ण रूप से हुई अथवा नहीं ?

(5) क्या यह हकीकत सही है कि अरुण कुमार कनिष्ठ लिपिक दिनांक

(श्री कानसिंह)
27–9–75 से कार्य पर लिया जाकर उसे न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ?

(6) क्या श्री अरुण कुमार को सालाना वेतन वृद्धि दी जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने अवहेलना की तथा जान बूझ कर गलत आदेश किये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कोई निलम्बन भत्ता नहीं दिया गया क्योंकि उनका मुख्यालय तहसील शेरगढ़ रखा गया था जहां वे कभी उपस्थित नहीं रहे।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। क्योंकि राजस्व मण्डल के दोनों पत्र अनियमित हैं।

(4) जी हां। लेकिन पालना नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकार से कुछ और स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक था।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं क्योंकि वे टाइप टैस्ट पास नहीं कर सके हैं।

(7) किसी भी अधिकारी द्वारा न तो जानबूझकर अवहेलना की गयी और न किसी ने गलत आदेश जारी किये अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जालौर में राजस्व मामलों के निपटारे हेतु सहायक जिलाधीश को अदालत

596. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर जिला जालौर में राजस्व मामले निपटाने हेतु एक सहायक कलेक्टर की अदालत की स्थापना की गई है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि सांचौर में एक स्थाई सहायक कलेक्टर की अदालत की स्थापना करना जनता के हित में आवश्यक है ? अगर हां, तो अदालत की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर में सहायक कलेक्टर को अभी स्वतन्त्र रूप से प्रथम श्रेणी दण्डाधीश की पावर्स देकर कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी मामलों की सुनवाई करने के अधिकार नहीं दिये गए हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त पावर्स कब दे दी जावेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार सांचौर तहसील को एक फुलफ्लेज्ड परगना अलग से घोषित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अदालत सांचौर में 1-1-77 से स्थापित हो गई है।

(2) दिनांक 28–4–77 से स्थाई रूप से सहायक कलेक्टर का पद सृजित कर दिया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(3) सभी सहायक कलेक्टर पद के आधार पर कार्यपालक दण्डनायक समस्त जिले के लिए होते हैं। अतः कोई समस्या नहीं है।

(4) जी नहीं। सांचौर को अलग से परगना घोषित करना सम्भव नहीं है। प्रशासनिक एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं है।

राज्य में धारा 91 के विचाराधीन मामले

597. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जिलानुसार धारा 91 के अधीन कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और उनमें से गोचर भूमि पर अतिक्रमण के कुल कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(2) उन मुकदमों से सम्बन्धित बकाया जुर्माना की कुल कितनी राशि तहसील अनुसार बकाया है और उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) बकाया राशि की सूचना संलग्न है। वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालौर के पटवारी का मामला

598. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि श्री उमराव खां नायक पटवारी जसवंतपुरा तहसील, जिला जालौर में सर्विस में थे ? अगर हां, तो उन्होंने कब से कब तक उक्त तहसील में कार्य किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री उमराव खां नायक पटवारी तहसील जसवंतपुरा को मोअत्तिल किया गया था ? अगर हां, तो कब एवं किस कारण से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पटवारी को उनकी मोअत्तिली अवधि काल के निलम्बन भत्ता का बिल दिनांक 1-10-52 से 4-9-64 तक का 3956.90 रुपये का भुगतान पिछले 14 वर्षों से नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनके बकाया उक्त भत्ते के बिल का भुगतान कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हां, यह सत्य है कि उमरावखां नायक पटवारी जसवन्तपुरा तहसील, जिला जालौर में सर्विस में थे। उन्होने दिनांक 8-9-51 से 30-9-52 तक इस तहसील में कार्य किया।

(2) हां, यह भी सही है कि श्री उमराव खां नायक पटवारी को दिनांक 30-9-52 से मोअत्तिल कर दिया गया था। कारण कि उसके विरुद्ध निम्न आरोप थे :–

1. तीन नीम काटकर घरेलू कार्य में लेना
2. सरकारी सामान का दुरुपयोग
3. सरकारी राशि का दुरुपयोग

(राजस्व मंत्री)

(3) श्री नायक का निर्वाह भत्ता बिल महालेखाकार एवं कार्यालयों के बीच आक्षेपों में निरन्तर चल रहा है। महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा बार-बार आक्षेप किए जाने के कारण अब तक इस बिल का भुगतान नहीं हो सका है। यह बिल पुनः बाद आक्षेप निराकरण कर महालेखाकार राजस्थान जयपुर को पत्रांक मि.रा.ले./1006 दि. 20-3-78 के पारित करवाने हेतु भेजा हुआ है।

जालोर में जसवन्तपुरा के पटवारी के निलम्बन का मामला

599. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री उमराव खां नायक भूतपूर्व पटवारी जसवंतपुरा जिला जालोर को तहसीलदार ने दिनांक 29-9-52 को अनधिकार निलम्बित (सस्पेंड) कर माहवार निलम्बन भत्ता प्राप्ति से भी वंचित रखा और उस समय के जिलाधीश जालोर ने बिना जांच के उनकी दिनांक 4-9-54 को सेवा समाप्त कर दी थी?

(2) क्या यह सही है कि अब पच्चीस वर्ष के बाद अवैधानिक निलम्बन आदेश दिनांक 29-9-52 में जिलाधीश जालोर द्वारा दिनांक 9-11-77 को सुधार किया जाकर निलम्बन भत्ता दिलवाने के आदेश दिये गये थे जब कि अवैधानिक सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 4-9-54 में सुधार नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि निलम्बित भत्ता भुगतान कार्यवाही जिलाधीश जालोर कार्यालय में दिनांक 24-4-59 से जारी है जिससे आज नौ वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी श्री खान को रकम का भुगतान नहीं हो रहा है और न हो उन्हें बताया जा रहा है कि अब भविष्य में यह रकम उनको कब तक भुगतान कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) श्री उमरावखां नायक भूतपूर्व पटवारी जसवन्तपुरा जिला जालोर को तहसीलदार जसवंतपुरा ने दि. 29-9-52 को निलंबित किया था। श्री नायक द्वारा राजकीय राशि एवं सामान का दुरुपयोग (misappropriation) किया जाना पाया जाने पर तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाकर जिलाधीश जालोर को सूचित किया गया था। श्री नायक को निलम्बन के भत्ते से वंचित नहीं रखा गया है। उन्हें दिसम्बर 1952 तक के निलंबन काल का भुगतान जरिये वेतन बिल संख्या 17 दिनांक 8-4-54 किया जा चुका है। इस मामले की पूर्ण जांच हो जाने के पश्चात् तत्कालीन जिलाधीश जालोर ने आदेश दि. 25-6-52 के निलंबन की तिथि 1-10-52 से डिस्मिस किया गया। जिसकी अपील पर पुनः केस रिमांड होने पर आदेश दिनांक 4-9-64 से डिस्मिस किया गया।

(2) श्री खान के निर्वाह भत्ता का बिल बनाया गया था जिस पर महालेखाकार द्वारा एतराज किया गया कि 4-9-64 के आदेश में निलंबन काल में निर्वाह भत्ता पाने का स्पष्ट आदेश नहीं है जिसकी पालना में

(राजस्व मंत्री)
4-9-64 के आदेश में संशोधन करने की स्वीकृति उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 17-7-72 के चाही जो पत्र दिनांक 22-6-77 के प्राप्त होने पर आदेश दि. 9-11-77 से संशोधन किया जाकर पुनः निर्वाह भत्ता का बिल बनाया जाकर बाद प्रति हस्ताक्षर के महालेखाकार, राजस्थान जयपुर को दिनांक 20-3-78 के भेजा गया।

(3) हां। यह सही है कि निलंबन काल के निर्वाह भत्ता के भुगतान की कार्यवाही 24-6-69 से जारी है जो महालेखाकार के एतराजों के कारण बिल महालेखाकार व जिला कार्यालय एवं राज्य सरकार के बीच चलता रहा। अब उक्त बिल महालेखाकार को 20-3-78 को पुनः भेजा गया है जिसका भुगतान हो जायेगा।

जोधपुर जिले की बाढ़ग्रस्त सडकें

600. श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले के अन्तर्गत कितनी सड़कें बाढ़ से प्रभावित हुईं या टूट गईं? क्या इन सड़कों को फिर से ठीक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जोधपुर जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि जोधपुर के कुछ भाग में बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान हुआ?

(3) क्या बाढ से प्रभावित क्षेत्र का राज्य सरकार ने सर्वे कराया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि दूसरी जगह राहत कार्य शुरू किया गया है जब कि इस क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों का जीवन संकटमय है? क्या राज्य सरकार राहत कार्य खोलेगी?

उत्तर

(1) इस खण्ड के अन्तर्गत जो सड़कें 1976 की बाढ़ से प्रभावित हुईं व टूटीं व 1977 की अतिवृष्टि से प्रभावित हुईं उनकी सूची संलग्न है। इनमें से जो सड़कें विभाग द्वारा मरम्मत हेतु स्वीकृत हैं उनको यातायात के चलने योग्य कच्चे उप मार्ग बनाकर सड़कों के साधारण मरम्मत मद में से ठीक करा दिया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों की पूर्ण दुरुस्ती मरम्मत मद में धनाभाव के कारण अभी होना बाकी है। बाढ़ग्रस्त मद में पैसा उपलब्ध न होने के कारण करना संभव नहीं हो सका है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाढ़ग्रस्त का कोई नोटिफिकेशन नहीं है।

(3) जी हां, और क्षति केन्द्रीय सरकार की टीम को बताया गया जो राज्य सरकार सारे राज्य में क्षतिग्रस्त सडकों के लिये 12.71 करोड़ रुपयों की मांग की थी उसमें से केवल 2.77 करोड़ रु. उपलब्ध कराये गये। राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है।

(4) राहत कार्य राहत के मापदण्ड के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में खोला जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-78)

झालावाड जिले के मंदिरों की माफी की भूमि

100 श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ में मन्दिरों की माफी की कितनी भूमि है तथा वह किन-किन की खातेदारी में है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील पचपहाड़ में माफी मन्दिरान की सैंकड़ों बीघा भूमि पुजारियों ने अपने खाते दर्ज करवा कर बेच दी ? यदि हां, तो कृपया उनके नाम व बेचान का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में 25418।।।)2 बीघा माफी मन्दिरों की भूमि थी जो अब रिज्यूम होकर खातेदारी में जा चुकी है। इसमें से 20125।।।)4 बीघा भूमि मंदिरों में ठाकुरजी के खाते में, तथा 4292।।)4 बीघा पुजारियों एवं अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में रिकार्ड के अनुसार है। 4 बिस्वा सैटलमेंट द्वारा सिवाय चक में दर्ज कर दी गई है।

(2) तहसील पचपहाड़ में मन्दिरों की माफी की कुल भूमि 2593 बीघा 1 बिस्वा थी जो जागीर रिजम्पशन होने के पश्चात् पुजारियों के खाते दर्ज हो गई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिफ्रेंस स्वीकृत किये जाकर उक्त भूमि में से 744 बीघा 4 बिस्वा भूमि पुजारियों के खाते में वापस मन्दिरों के ठाकुरजी के खाते दर्ज की गई। शेष 17 12/2 भूमि वर्तमान में पुजारियों के खाते में और शेष 1361)1 रिजम्पशन के बाद हुए सैटलमेन्ट के समय खाते बांधी गई। पुजारियान द्वारा बेचे जाने बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में धारा 82 राजस्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत रिफ्रेंस करने के परिपत्र प्रसारित हुए हैं। अंतिम परिपत्र संख्या एफ. 3 (606) राजस्व (ग्रुप-4) 76 दि. 30-3-77 है। इन आदेशों के अन्तर्गत इस जिले से समय-समय पर राजस्व मण्डल अजमेर में रिफ्रेंस किये जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्व मण्डल में इस प्रकार के 22 रिफ्रेंस पैंडिंग हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

ग्राम पंचायत वार शक्कर के कोटा का आवंटन

403. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचौर क्षेत्र में पिछले 6 माह में जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत वार शक्कर के कोटे का वितरण ग्रामीण जनता को नियमित रूप से नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की ग्रामीण जनता को नियंत्रित कोटे की शक्कर वितरण न होने से 'लेप्स' हो चुकी है ? अगर हां, तो क्यों एवं उसकी जवाबदारी किसकी है ?

(3) अगर किसी ग्राम पंचायत के खुदरे कोटे का विक्रेता मुकर्रर न हो सके, तो राज्य सरकार ग्रामीण जनता को शक्कर के वितरण का इन्तजाम खुद क्यों नहीं करती ? भविष्य में ग्रामीण जनता में नियंत्रित शक्कर के कोटे को नियमित रूप से वितरण करने के लिये राज्य सरकार क्या नीति निर्धारित करना चाहेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जनता की मौजूदा जनसंख्या के आधार पर शक्कर का कोटा नहीं मिलने से सब लोगों को पूरी शक्कर वितरण करने में खुदरा शक्कर के कोटेदारों को बड़ी कठिनाइयां आती हैं एवं उनकी शिकायतें होने से उनके लाइसेन्स रद्द हो जाते हैं जिससे शक्कर नियमित रूप से बंटने में रुकावट आती है ? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार भविष्य में क्या क्या कदम उठाना उपयुक्त समझेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि खुदरा शक्कर के विक्रेताओं को शक्कर यातायात का पूरा खर्चा न मिलने से भी शक्कर नियमित रूप से वितरित करने में कठिनाई आती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस कठिनाई को भविष्य में कब तक किस प्रकार हल करना उचित समझेगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार नियंत्रित शक्कर का कोटा खुला करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे जिले में सन् 1971 की जनसंख्या में 10% वृद्धि कर चीनी वितरण की जा रही है। पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में जिन-जिन अधिकृत खुदरा विक्रेताओं ने चीनी उठाकर जनता में वितरण नहीं की है उनको 'कारण बताओ' नोटिसेज दिये जा रहे हैं।

(2) जो जो अधिकृत खुदरा विक्रेता चीनी उठाकर जनता में वितरण करते हैं, उन पंचायतों की चीनी लैप्स नहीं हुई है शेष की लैप्स हो चुकी है। जिन जिन पंचायतों की चीनी नहीं उठाई गई है उन्हें 'कारण बताओ' नोटिसेज देने हेतु परगना अधिकारी, भीनमाल को लिखा जा रहा है क्योंकि सांचौर क्षेत्र उप खण्ड भीनमाल में स्थित है वे ही सक्षम अधिकारी हैं।

(3) राज्य सरकार ने जिलाधीशों को अधिकार नई दुकानें देने के दिये हैं। एवं वे व्यवस्था कर रहे हैं।

(4) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(5) इस सम्बन्ध में भारत सरकार से निवेदन किया जा चुका है।

(6) यह पूरे देश की नीति का प्रश्न है। अतः भारत सरकार के अधिकार का है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

सीकर–सिगरावट, कासली, घोद सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

406. श्री रामदेवसिंह (घोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीकर–सिगरावट सड़क वाया कासली, घोद का सर्वे कब हुआ था व इस सड़क के लिये भूमि किस साल में राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई थी ?

(2) क्या इस सड़क के लिये अवाप्त की हुई भूमि का मुआवजा काश्तकारों को दिया जा चुका है ? अगर हां, तो कब कब व कितने काश्तकारों को ? अगर नहीं, तो कितने काश्तकारों को नहीं दिया गया ?

(3) इस सड़क का अब तक कितना काम पूरा हो चुका है व शेष काम को राज्य सरकार कब तक पूरा करवाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सीकर–लोसल सड़क वाया कासली, घोद का सर्वे सन् 1954–55 में हुआ था। इस कच्ची सड़क के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही अगस्त, 1961 में की गई थी।

(2) जी हां। कुल 170 काश्तकारों में से 104 को मुआवजा दिनांक 6–2–62 से 26-8-62 की अवधि में दे दिया गया है एवं 66 काश्तकारों को मुआवजा देना बाकी है जिनकी सूची सदन के टेबल पर रख दी गई है।

(3) इस सड़क को बनाने की अभी कोई स्वीकृति नहीं है। सीमित वित्तीय साधनों एवं जनसंख्या के मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

सार्वजनिक निर्माण विभाग की चल एवं अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन

407. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य और राज्य के बाहर कितनी चल, अचल सम्पत्ति है ? सूची सदन की मेज पर पेश करने की कृपा करें। क्या इसका भौतिक सत्यापन हो गया है ?

(2) विभाग की इस सम्पत्ति का किन कार्यों में उपयोग किया जा रहा है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपनी सम्पत्ति से होने वाली आय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार सिद्धांत रूप से निर्माण विभाग के भवनों में स्कूल, डिस्पेंसरी और सरकारी कार्यालय खोलने का विचार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रखती हैं ? यदि हां, तो इनमें कब से स्कूल, डिस्पेन्सरी और कार्यालय खोले जायेंगे ?

उत्तर

(1) विभागीय सम्पत्ति (भवन), जो राज्य में व राज्य के बाहर हैं, को सूची (क) (क–1) में दर्शायी गया है (संलग्न है)। इस सूची की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन हो गया है।

(2) ये सम्पत्ति अधिकतर सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, होस्टल, डाक बंगलो, सर्किट हाउसेज के कार्य में ली जा रही हैं। आवास के भवन सरकारी कर्मचारियों के निवास हेतु काम में लिये जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भवन व आवासीय भवन प्राइवेट पार्टीज को किराये पर दिये हुए हैं।

इन सम्पत्तियों द्वारा अनुमानित आय:—

1. नोन रेजीडेन्शियल भवन से 30,00,000/– रु.

2. आवासीय भवन द्वारा 20,00,000/– रु.

प्रति वर्ष होती है

(3) सिद्धान्त रूप से निर्माण विभाग के भवन स्कूल, डिस्पेन्सरी और सरकारी कार्यालय ही के काम आते हैं। केवल कुछ भवन, दुकान व आवास निजी व्यक्तियों को किराये पर दिये हुए हैं। ऐसे नजूल भवन, जो अभी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, को विभिन्न विभाग द्वारा मांग किये जाने पर भवनों की दशा देखते हुए आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) सर्व श्री अब्दुल अजीज, नवरंग सिंह, अयूब खां, हरजी राम बुरड़क, जयकृष्ण शर्मा, परसराम मदेरणा, गंगाराम चौधरी व रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि व्याख्याताओं को यू.जी.सी. के संशोधित नये वेतनमान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(2) श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिये जाने के विषय में,

(3) श्री मदन सिंह दांता, सदस्य, विधान सभा की ओर से दांतारामगढ़ तहसील में सहायक विद्युत् अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता के विषय में,

(4) सर्वश्री नूरा व शंकर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लक्ष्मी मिल्स, ब्यावर तथा एडवर्ड मिल, ब्यावर में कपड़े का उत्पादन बिजली की कमी के कारण कम हुआ है, इस विषय में,

(5) श्री मांगी लाल भूरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जायल क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री खेत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर. ए. सी. की अगरतला में कार्यरत आठवीं बटालियन को भंग किया जा रहा है, इस विषय में,

(7) सर्व श्री समर्थलाल व रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर द्वारा नियुक्त 19 प्रहरियों की सेवायें अप्रेल से समाप्त हो रही हैं, इस विषय में।

ये सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है,

(8) सर्व श्री राम रघुनाथ चौधरी व रामदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही बसों के किराये में वृद्धि किये जाने के विषय में।

आज इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लिया जा रहा है। उस अवसर पर आप भी चर्चा में भाग ले सकते है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था खेतड़ी के बाहर चार दिन से हड़ताल हो रही है। उसके अन्दर मंत्री महोदय से मिल चुका हूं। मंत्री महोदय ने चेयरमैन को बुलाया

श्री अध्यक्ष : मैं भी आपने बाद में बोलबा की इजाजत देस्यूं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था नगरपालिका, मकराना के अधिशासी अधिकारी की अनियमितताओं के सम्बन्ध में। उसको लिया जाना बहुत जरूरी है। वह भ्रष्ट है। उसको बाद के लिये रखा है या भूल गये हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है?

श्री अब्दुल अजीज : वह बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार का मामला है। उसका तबादला कर दिया, उसके बाद भी जमा हुआ है। उसके बारे में कहने के लिये कुछ मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, पाली में दोहरा शासन चल रहा है एक तो म्यूनिसिपेलटी का और दूसरा यू.आई.टी. का। इससे जनता बड़ा परेशान है। काफी अनियमितताएं चल रही है। इससे जनता में असन्तोष और आक्रोश है और सारा शहर हड़ताल करने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भी स्थगन प्रस्ताव उसी केटेगरी में है। मैंने अस्वीकार किया है। अतएव इस सम्बन्ध में आप कोई चर्चा नहीं उठा सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनट कहने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं दो मिनट का समय देने में कतई असमर्थ हूं।

Page No 52

(52)

श्री निर्मल कुमार (झालरा पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सदन में चर्चा नहीं होती है।

श्री निर्मल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में कह दीजिये।

श्री निर्मल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में काश्तकारों की अफीम के दाम 120 रु. से 200 रु. किलो तक है। अध्यक्ष महोदय, यह कीमत बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 250 रु. किलो अफीम की कीमत काश्तकारों को दी जाय। अभी जो कीमत है उसमें 100 रु. की वृद्धि की जाय।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके प्रस्ताव को सरकार के पास जानकारी हेतु भेज दिया है।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें आध घंटे की चर्चा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब प्रस्ताव सरकार को जानकारी हेतु भेज दिये गये हैं, सदन की कार्यवाही आज ही समाप्त होने वाली है इसलिए अब समय नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आज समाप्त हो रही है। पिछली बार बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि यहां पर जो प्रहरी हैं, उनको निश्चित रूप से इसी साल से और अलाउन्स दिया जायगा, हार्ड ड्यूटी अलाउन्स। मुझे मालूम पड़ा है, आज भी प्रहरी लोग मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा है कि हार्ड ड्यूटी अलाउन्स की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें यह कहा गया है कि जब आप यहां से जायेंगे तो आपको मुख्यालय पर मिल जायगा। मेरा निवेदन है, प्रहरी अभी यहां पर हैं, राज्य सरकार इन गरीब प्रहरियों को अलाउन्स देने की अनुकम्पा करे। दूसरे इन प्रहरियों को एक महीने से ज्यादा अलाउन्स नहीं मिलता है जब कि सदन 40-45 रोज चलता है। मेरा पुरजोर निवेदन है, राज्य सरकार कृपया आदेश दे कि इन प्रहरियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स तुरन्त दिया जाय। एक महीने की जो इनकी अवधि है, वह भी बढ़ाई जाय। अध्यक्ष महोदय, आज सदन समाप्त होने तक दिला दिया जाय तो आप की बड़ी अनुकम्पा होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियम सब जानते हुए भी··

(व्यवधान)

हां, श्री रतन लालजी !

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मसला आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। माननीय हरिदेव जोशी ने जो जमीन····

श्री अध्यक्ष : भेज दिया है सरकार को जानकारी हेतु।

श्री रतनलाल वर्मा : सेवा सदन के नाम से जो 100 बीघा जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है वह बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से मुख्य मन्त्री होने के नाते और विधायक होने के नाते हड़प ली है। जो जमीन सेवा सदन के नाम आवंटित की गई थी, वह अपने नाम करवा ली। 17 बीघा जमीन एक ठकुरानी के नाम पर गैरखातेदारी नाम से अलाट कराकर एक साल के लिए उसको खातेदारी अधिकार दिलाकर फर्जी रजिस्ट्री करवाकर भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने अपने नाम करवा ली। यह काम बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है। तीसरी बात यह है कि कोई जमीन खसरा नं. 241 की 20 बीघा 1 बिस्वा जंगलात के नाम से अंकित थी, वह सेवा सदन के नाम से भी अंकित है, रेवेन्यू रिकार्ड में दोनों जगह अंकित है (समय-समाप्ति- सूचक घंटी) वह अपने नाम करवा ली। यह खुला भ्रष्टाचार किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गैर-कानूनी काम उन्होंने किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। बिल्कुल गलत काम उन्होंने किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सरकार उस जमीन को सेवा सदन के नाम कराये और सेवा सदन कायम करके एक कमेटी बनाकर वह जमीन उनसे लेनी चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की तरफ से इस बारे में उत्तर आ चुका है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

ग्राम पंचायत की झूठा के चुनाव शिकायत पर कार्यवाही संबंधी तारांकित प्रश्न की सूचना देने पर श्री हनवन्त सिंह को अधिकारी द्वारा धमकी

श्री अध्यक्ष : श्री हनवन्त सिंह।

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली) : मैंने विशेषाधिकार हनन का मामला आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था····

श्री अध्यक्ष : वह मेरे विचाराधीन है, माननीय सदस्य! इस संबंध में मैं विचार कर रहा हूं कि मैं उसको एडमिट करूं अथवा न करूं। आप चाहें तो 5 मिनट बोल सकते हैं।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न 30-3-78 को पंचायत के चुनाव को लेकर दिया था। वह लिस्ट में आ गया था। उसके संबंध में मेरा यह निवेदन करना है कि जो प्रश्न मैंने दिया था उसमें मैंने यह कहीं मेन्शन नहीं किया कि चुनाव में कौन जीता और कौन हारा और न्यायालय में कौन सा मामला पैंडिंग पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के कारण मेरे साथ क्या बीती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दूदू के भूत-पूर्व जागीरदार की जमीन का मामला उठा जो हाई कोर्ट में सबजुडिस था उस के लिए आपकी तरफ से यह व्यवस्था दी गई थी कि माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो स्टेटमेंट दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपसे

(श्री हनवन्तसिंह राणावत)
निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरा प्रश्न नहीं लिया और मैंने आधे घंटे की चर्चा उठाई कि पाली जिले के अधिकारियों द्वारा चुनावों में····

व्यवस्था का प्रश्न

भारत के किसी भी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत आने वाले विषय पर चर्चा

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर): पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : अनियमितताएं····

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है, माननीय सदस्य।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पूर्ण बहस-मुबाहसे के बाद शासन की तरफ से माननीय सदस्य को मामले की कोई भी इन्फार्मेशन यहां पर देने के लिए पाबन्द कर दिया गया है। यह इस बारे में यहां पर नहीं बोल सकते हैं रूल 37 के सब-रूल (7) के तहत ······

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने अलाऊ किया है।

श्री मन्जूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा, उससे संबंधित कोई वह बात कहें तो ठीक है मगर यहां पर चुनाव के मुतल्लिक किसी अधिकारी के बारे में बात कहेंगे तो जो इन्फार्मेशन आयेगी वह केस को प्रिजुडिस करेगी। चुनावों में अधिकारी का क्या रोल रहा यह चर्चा करेंगे तो केस प्रिजुडिस होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

मैंने आपको ही कहा है। मैंने आपको समय दिया है और दूंगा।

माननीय सदस्य श्री मन्जूर अली ने जो आपत्ति उत्पन्न की है वह ठीक है। उस संबंध में मैं व्यवस्था दे चुका हूं। माननीय सदस्य का जो नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है उस संबंध में मैं विचार कर रहा हूं। कोई अन्य घटना, जो इस सदन में घटी, के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए मैंने उनको 5 मिनट बोलने के लिए अनुमति दी है।

श्री हनवन्त सिंह।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह मुझको शिरोधार्य है···

एक ही बैठक में एक से अधिक विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जादू वह है जो सर पर चढ़कर बोले ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 159 की तरफ दिलाना

(श्री शंकरलाल)
चाहता हूं। 1–5–9। विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा––

एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

माननीय सदस्य विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं। आज की जो कार्यवाही की सूची हमें मिली है उसके अन्दर एक विशेषाधिकार का मामला और है जिस पर आज चर्चा होने वाली है। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री कल्याणसिंह कालवी के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है उस पर यहां पर विचार होगा और उस पर चर्चा होगी। इसलिए एक ही विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जा सकता है। आज की बैठक में पहले से ही वह प्रश्न है इसलिए जो विशेषाधिकार का मामला पहले से टेबल हुआ है। उस पर विचार होगा। एक ही बैठक में दूसरा विशेषाधिकार मामला नहीं उठाया जा सकता है। इस पर आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन के प्रश्न 1, 2, 3, 4 की संख्या में होते हैं तो माननीय सदस्यों को कहां पर महरूम किया गया है रूल्स आफ प्रोसीजर के अन्दर कि माननीय सदस्य इसको नहीं उठा सकेंगे। आपने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण, देना कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं ताकि आपको निर्णय लेने में मदद मिले। जो बिजनेस में आइटम नहीं है उस पर माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

श्री केदारनाथ : आपकी बात की तो जब एडमिट कर लिया हो तब स्टेज होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शंकर लाल ने जो आपत्ति उठाई है वह बिलकुल ठीक है लेकिन विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि माननीय सदस्य को केवल मात्र मैंने चर्चा दो मिनट के लिए उठाने के लिए अनुमति दी है ताकि हाउस को पता चले कि यह क्या विषय है? यह विषय जब मेरे विचाराधीन है तो हाउस के विचाराधीन भी लाने की चेष्टा से मैंने अनुमति दी है, अन्यथा माननीय शंकरलालजी की आपत्ति के अनुसार एक समय में केवल मात्र एक ही विशेषाधिकार के प्रश्न की चर्चा हाउस में लाई जायगी।

श्री हनवन्तसिंह।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर चर्चा

श्री हनवन्तसिंह राणावत : माननीय अध्यक्ष, मैं आपको इस संबंध में क्या हुआ था वह निवेदन करना चाहता था। इस बात को··

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें, कृपया।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : संक्षेप में ही कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कल ही उठा सकता था, लेकिन आज लास्ट वर्किंग डे है इसलिए मेरी बात निहायत जरूरी है इस सदन को कह देना, वह कह दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 31–3–78 को मेरा एक प्रश्न संख्या 625 था। यह आपके

(श्री हनवन्तसिंह राणावत)
आसन की व्यवस्था का विषय था कि यह सब-जुडिस है, इसकी चर्चा की जाय या न की जाय। लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहां आकर बिजनेस में हस्तक्षेप करता है तो वह अनुचित है या नहीं यह इस सदन को सोचना है...

श्री परसराम मदेरणा : किसने क्या किया, वह बता दें आप।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : मैं इसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सी. डी. देवल, आर.ए.एस. अधिकारी द्वारा, जब मैं खाना खाने के लिए हाउस से बाहर गया तो माननीय सदस्य, जो पिड़ावा से आते हैं, श्री ईश्वरचन्द्रजी, के सामने यह धमकी दी गई कि इस को उठाने का आपको क्या अधिकार था ? मैं माननीय सदस्यों की यह राय जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह की धमकी देने का एक अधिकारी को क्या अधिकार था ? अगर इस तरह की धमकियां सदन के माननीय सदस्यों को दी जायेंगी तो उनके अधिकार का हनन होगा या नहीं ? मुझे यह भी कहा गया, मेरे साथ में बहुत बड़े लोग हैं तुम्हारी कुछ भी परवाह नहीं करता। तो इस तरह के अधिकारियों को यह सरकार अपने बगल में लिये क्यों फिर रही है ? अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के उक्त अधिकारी के खिलाफ हर वक्त शिकायत आती है और हर बार वह शिकायत दबा दी जाती है। जिले की राजनीति वही अधिकारी चलाता है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, वह सही है। हजारों बीघा जमीन...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनिट का समय और दिया जाय ताकि स्पष्ट तौर से सदन को सारी बात बता सकूं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर न हों। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जो तथ्यात्मक बात बताना चाहता हूं वह तो बता नहीं पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : जो बात घटी है उसके अतिरिक्त कोई चर्चा करेंगे तो वह मेरी अनुमति के विपरीत है।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरे फेक्ट्स तो आने चाहिये।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों भेजा गया है ? हमारे मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा दूंगा परन्तु पाली जिले में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को रखा जा रहा है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ श्री गहलोत ने सोजत से चुनाव लड़ा था, दुर्भाग्य से वे चुनाव हार गये। उनकी शिकायत पर इनका ट्रांसफर बीकानेर कर दिया गया...

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

(श्री हनवन्त सिंह राणावत)

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें तो सही। इन्होंने बीकानेर में भी दस महीने तक इसी तरह कार्य किया··

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। जो आपको कहना था, वह कह दिया।

श्री हनवन्तसिंह राणावत : यह अधिकारी की हठधर्मी है।

(व्यवधान)

राजस्थान सरकार ऐसे अधिकारी को क्यों बना रही ?

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है माननीय सदस्य को जिस अधिकारी ने धमकी दी, उसने धमकी के साथ साथ गिरहबान पकड़ कर नीचे धक्का दिया··

(व्यवधान)

श्री हनवन्तसिंह : इस तरह की बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं··

श्री शिव चरण सिंह : ऐसे अधिकारी को सजा मिलनी चाहिये। दूसरे पक्ष के जो माननीय मंत्रीगण हैं, वे अधिकारी का पक्ष ले रहे हैं। माननीय सदस्य को इतना बुरा कहा, इस तरह वे माननीय सदस्य को इन्सल्ट करवा रहे हैं··

श्री हनवंतसिंह राणावत : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस अधिकारी के खिलाफ आज दिन तक रेवेन्यू के केसेज जितने रजिस्टर हुए हैं उन केसेज में से एक-दो उदाहरण मैं आपके सामने माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सांडेराव में 4 हजार 22 बीघा जमीन श्रीमती नारायणी कंवर की अनधिकृत रूप से 8 वर्ष तक इस अधिकारी ने भोगी। अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह रेवेन्यू बोर्ड में हारा उसके बाद भी कई बीघा जमीन उसके पास में बेनामी रूप में है··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं।

श्री हनवंत सिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, जो मेरी भावना है उसको उजागर करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : आसन की उदारता का दुरुपयोग न करें।

श्री अब्दुल अजीज : पाइन्ट ऑफ आर्डर··

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैं समझ गया हूं। यहां पर नहीं होना चाहिए।

श्री हनवंत सिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं··

श्री अध्यक्ष : आप कुछ नहीं बतायेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 700,500 लोग प्रदर्शन लेकर आये हैं।

श्री हनवंत सिंह राणावत : मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इर्रेलेवेन्ट है अतएव अंकित न हो

श्री हनवंत सिंह राणावत : ×××

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य के अधिकारों का हनन हो रहा है वह भी एक राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसलिए इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। एक अधिकारी ने माननीय सदस्य को डराया है, धमकाया है कि यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। इसलिए आसन से हमारी प्रार्थना है कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करके इसे माननीय सदस्य के अधिकार का हनन मानें और इस विषय को कमेटी को सौंप दें। यह हमारी दरख्वास्त है।

श्री निर्मल कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का अपमान है इसलिए इस विषय को विशेषाधिकारी समिति को सौंपा जाए।

श्री बाल चन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य की बेइज्जती है। इस अधिकारी को सस्पेन्ड किया जाए। माननीय सदस्य के साथ बेइज्जती का व्यवहार होता है तो जनता को क्या न्याय देंगे ?

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : आज मेरी बेइज्जती हुई, कल दूसरे सदस्य की होगी और तीसरे दिन यही स्थिति रही तो मंत्रियों की होगी···

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सरकार उत्तर भी नहीं दे रही है। बार बार सदस्यगण कह रहे हैं। यह सरकार इस प्रश्न पर मौन है, बहरी है।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : आज मेरी बेइज्जती हुई, कल दूसरे सदस्यों की होगी। तीसरे दिन माननीय मंत्रियों का बेइज्जती होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि···

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय यह एक माननीय सदस्य की गरिमा का प्रश्न नहीं है यह सारे सदन के अपमान का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा अब न करें। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अधिकारों के हनन का प्रश्न उठाया है यह बाली से आने वाले माननीय सदस्य के अधिकारों के हनन का सवाल ही नहीं है, इस सदन के अधिकारों के हनन का भी प्रश्न है। यह सदन का अपमान है भले ही जिस घटना का यहां पर उल्लेख किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सदन के बाहर घटी हो। वह प्रश्न सदन में क्यों आया, अधिकारी ने बाहर इस प्रकार की धमकी दी। 21 तारीख को यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से कोई व्यक्ति बाहर

(श्री परसराम मदेरणा)
विधायक को धमकी दे, एक अधिकारी धमकी दे तो यह सदन के अधिकारों का हनन है। अध्यक्ष महोदय, एक सिविल सर्विस का अधिकारी हाउस की प्रिसिंक्ट्स में आता है, इसके बारे में तय करना तो आपके हाथ में है लेकिन इस हाउस की प्रिसिंक्ट्स से पुलिस टीयर गैस चलाये, हाउस प्रिसिंक्ट्स में माननीय सदस्य को धमकी दे, वह यह कहे कि तुमने यह प्रश्न क्यों पूछा, तुम्हें पूछने का क्या अधिकार था, मैं किसी की परवाह नहीं करता, न मैं सदन की परवाह करने वाला हूं। तो यह सदन का अपमान है। यह हमारा अधिकार है कि इस सदन में सरकार में जो बदइन्तजामी चल रही है उसकी सरकार को जानकारी दें। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस दायित्व को वहन करें। जो दायित्व माननीय सदस्य ने वहन किया वह निश्चित रूप से अधिकारों के अन्तर्गत आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहे जो व्यवस्था दें लेकिन मैं आशा करता हूं माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसको निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। जिस घटना का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में आप व्यवस्था फर्माने की कृपा करें क्योंकि सदन की कार्यवाही आज ही स्थगित होने जा रही है। इसके बाद फिर समय नहीं मिलेगा। यह हाउस के प्रिविलेज का ब्रीच है।

श्री हनवन्त सिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, अगर व्यवस्था नहीं मिली तो मेरी रक्षा का क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत भयभीत हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : यह जानकारी का प्रश्न है। माननीय सदस्य के साथ जो घटना हुई ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिली है कि उस माननीय सदस्य का गिरहबान पकड़कर झटका दिया है। मैंने देखा नहीं है लेकिन इस घटना की चर्चा गवर्नमेन्ट होस्टल में हुई तो इस जानकारी से लोगों के रोंगटे खड़े हो गये। यह क्या अराजकता फैली हुई है। माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की भावना व्यक्त की है कि इस प्रकार की घटना होना सदन का अपमान है। माननीय सदस्यों को डराकर रोका जाता है, इससे सदन की बहुत बड़ी जो परम्परा है, हमारी जो परम्परा रही है, सदन की जो गरिमा है उस गरिमा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस गरिमा को बनाये रखना चाहिये। आप जैसे सुयोग्य अध्यक्ष के होते हुए भी सदन की गरिमा को इस प्रकार से आघात पहुंचाया जाये, माननीय सदस्यों के साथ अधिकारी लोग इस प्रकार का व्यवहार करें, उनको प्रश्न पूछने से रोकें, उनको धमकी दें तो मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार चाहे राज्य सरकार से बातचीत करके उस अधिकारी को तुरंत सस्पेण्ड करायें। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बराबर धमकी दी जा रही है।

(श्री रामकरण सिंह)
अगर इसी प्रकार का अधिकारियों का रवैया रहा तो कोई भी माननीय सदस्य अपना काम नहीं कर सकेंगे। अगर वह बाहर जायेंगे तो उनके साथ में क्षुद्र हथकण्डे अपनाये जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 5 बजे से पहले इस सम्बन्ध में तय हो जाना चाहिए जिससे कि हमारे हाउस की गरिमा बनी रह सके।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां पर खड़े होकर...

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सदस्य का इन्तजाम कर दो ताकि उनकी जान का खतरा नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया गया है, 1952 से लेकर आज दिन तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : वह एस.डी.ओ. किस अधिकार से यहां आया ? इस चार दीवारी के अन्दर आया कैसे ? यह एक गम्भीर घटना है। यह एक पूरा षड्यन्त्र है। किसी अधिकारी की यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उसका हौंसला इस प्रकार का हो गया है, 6 महीने में इतना हौंसला हो गया है कि वह देख लेने की धमकी देता है। इस मामले को तत्काल प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाये। ऐसा अधिकारी जो एम. एल. ए. के खिलाफ बात करता है उसको तत्काल निलम्बित कर के उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक जन-प्रतिनिधि के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया वह आपके सामने, अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो इससे सदन की गरिमा का बड़ा हनन होगा।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय लेने से पूर्व एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि तीन-चार दिन पहले, जैसा कि बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने घटना का उल्लेख किया है, सदन में यह चर्चा आई थी। उसमें यह कहा गया था कि पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य बाली से आने वाले माननीय सदस्य के साथ थे, उन्होंने भी धमकी दी जाने की बात कही थी। उन प्रोसीडिंग्स का भी अवलोकन कर लें तो आपको निर्णय लेने में काफी सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा। मुझे यह विचार करना है कि यह सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला है या नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो गृह मन्त्री जी बैठे सुन रहे थे। क्या सदस्यों के अधिकार के प्रति इतनी भी गम्भीरता नहीं रखते हैं। जब माननीय सदस्य

Page No 61

(61)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है तो उनको सीरियस एक्शन लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : शासन पक्ष की ओर से कुछ अनुशासन भी बरतिये, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने पूर्ण अनुशासित होकर ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यह सरकार नपुंसक है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : But not at the cost of life.

एक माननीय सदस्य : फिर क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : We have gone astray, very far away. Please finish.

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह नपुंसक शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फर्माया है, शायद माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि मैंने एक से अधिक बार उठने की कोशिश की है। लेकिन कई माननीय सदस्य बोल रहे थे इसलिये इण्टरवीन नहीं कर सका। हमारी मन्शा यह नहीं थी कि हम कुछ नहीं करना चाहते या सरकार मौन धारण करना चाहती है। अभी विरोधी दल के नेता ने इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उनसे सहमत हूं। यह अध्यक्ष महोदय के देखने की बात है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी विधान सभा सदस्य अगर यहां कोई प्रश्न करता है तो उसका ताल्लुक जनहित से होता है, महत्वपूर्ण विषयों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने से होता है और किसी न किसी तरीके से प्रशासन में तत्परता, जागरूकता और तेजी लाने के उद्देश्य से होता है। इसमें कोई भी अवरोध पैदा करता है, तो निश्चित ही वह विधान सभा की कार्यवाही में अवरोध पैदा करता है। मैं इससे सहमत हूं। इस सदन के अन्दर चूंकि यह प्रश्न उठाया गया है, इसलिये आपके निर्णय के लिए प्रस्तुत है। सरकार चाहती है कि इस प्रकार के तत्व जो अवरोध पैदा करते हैं, चुने हुए सदस्य के प्रति इस तरह का रुख अपनाते हैं तो जो भी आप निर्णय करेंगे, सरकार उसमें अपनी भावनायें सम्मिलित करती है।

जहां तक विधान सभा के बाहर का प्रश्न है, सदस्य तो क्या लेकिन सभी नागरिकों को सुरक्षा देना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेगी। मैं माननीय सदस्य से बात करूंगा और आवश्यक हुआ तो उसके अनुसार सुरक्षा का इन्तजाम भी करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अगर विधान सभा का सदस्य विधान सभा के काम के लिए बाहर से आता हो और इसी ड्यूटी के लिए आता हो तो वह भी विधान सभा के काम में गिना जाएगा। विधान सभा परिसीमा के बाहर से विधायक अपना कर्त्तव्य वहन करने के लिए यहां आता है तो जिस जगह से वह रवाना होता है, वहां से ही यदि कोई व्यक्ति

(श्री मूलचन्द डागा)
उसके काम में रुकावट डालता है तो वह विशेषाधिकार हनन में आएगा।

श्री मदनसिंह दांता : ज्यादा मत बढ़ाइए पब्लिक में मिसअन्डरस्टेंडिंग होती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : जेल के अन्दर जो भूख से तड़प रहे हैं, अनशन किए बैठे हैं, उनकी हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, 500 आदमियों का जुलूस केन्द्रीय कारागृह में जो भूखहड़ताल चल रही है, उस सिलसिले में आया है··

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्री महोदय कह दें कि वह उनसे जाकर मिलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय जाकर उनसे मिलें तो भूख हड़ताल भी खतम हो जाएगी और··

श्री सम्पतराम : अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा था। मैंने उनकी बात को स्वीकार किया है और मैंने कहा है कि जीरो आवर के बाद मैं स्वयं जाऊंगा उनसे बात करने के लिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : विशेषाधिकार के प्रश्न को पहले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव पहले ले लें। फिर जैसी सदन की इच्छा हो।

श्री अब्दुल अजीज : पहले प्रिविलेज मोशन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि पहले विशेषाधिकार के प्रश्न को डिस्पोज आफ करें तो बतायें। मैंने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी। अब उन पर चर्चा माननीय सदस्यों को नहीं करनी है, इस आशय से मैं आगे बढ़ता हूं। अगर चर्चा करनी ही है तो विशेषाधिकार के प्रश्न को पहले लें। फिर माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति मिलेगी।

श्री अब्दुल अजीज।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री कल्याणसिंह कालवी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 160 के अन्तर्गत श्री कल्याणसिंह कालवी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान करें

(विराम)

क्या आपने अनुमति प्रदान की ?

श्री अध्यक्ष : किसी को आपत्ति है क्या ?

कई माननीय सदस्य : कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगर 10 माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हों तो उचित होगा।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहली बार यह प्रिविलेज मोशन आया है कि एक सदस्य को···

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत ऐसा विषय विशेषाधिकार समिति को रेफर होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार हो गया और विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द हो गया है।

व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना

मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर। जब सदन चल रहा है. .

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस पर चर्चा· ··

श्री मूलचन्द डागा : I am quoting rule 162. किस प्रकार से आप सोच रहे हैं ? उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। आपकी आज्ञा होनी चाहिए कि वह विधान सभा परिसीमा में नहीं आए।

श्री मदनसिंह दांता : इस सदन में ऐसी परम्परा रही है। एक बार कुचामन से आने वाले माननीय सदस्य रामसिंह कुड़ी को एक पार्टी के नेता ने ऐसे ही शब्द कहे थे, उस व्यक्ति ने रामसिंह जी को धमकी दी थी कि मैं आपसे समझ लूंगा। इस पर इस व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी। उस पर यह नहीं कहा था कि वह विषय किसी कमेटी में जाएगा। वह व्यक्ति, जिसने माफी मांगी थी, इस सदन में मौजूद है। चाहे वह दो घंटे ही जेल में रहा हो या माफी मांगी या खुद ही उनसे मिले। मेरी समझ में नहीं आता कि विशेषाधिकार समिति में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

The matter has been referred to the Privilege Committee.

श्री मदनसिंह दांता : अब मैं बाहर जा रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : 162 में आपने कैसे रेफर किया ? आपका ध्यान 161 की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नियम 161 व 162 बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। मैं कोई कारण नहीं समझता अब इस विषय पर चर्चा उठाने का।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : नियम 161, 162 व 163 के अन्तर्गत कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न विधान सभा में उठे और चर्चा में आये उसके बाद में सदन की राय देख कर उस पर निर्णय दें कि यह सदन विशेषाधिकार समिति को सौंपे या बिना विशेषाधिकार समिति को सौंपे निर्णय करे। यह विषय ऐसा है पहले सदन में चर्चा हो जाए, उसके बाद में आप इस निर्णय पर पहुंचे कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति को दिया जाए तो दे सकते हैं। जहां तक सदस्यों के खड़े होने का सवाल है वह केवल इसलिए कि प्रश्न उठाया जाए या नहीं। उनको पता ही नहीं कि प्रश्न क्या है, यदि सदन ही निपटा सकता है तो क्या जरूरत है विशेषाधिकार समिति को सौंपने की ?

श्री मदनसिंह दांता : यह तभी होता जब कल्याण सिंह को बुलाकर पूछ लिया जाता।

श्री अध्यक्ष: इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आपने आज चर्चा के लिए रखा था।

(65)

श्री मदनसिंह दांता : इंदिरा राज के अन्दर संजय गांधी के लिए कोई नया कानून बना, ऐसा कानून उस आदमी के लिए बनाना चाहते हैं तो बात दूसरी है अन्यथा कल्याण सिंह को यहां बुलाकर पूछा जाए। आधे घंटे में निर्णय हो सकता है। ये भी रियलाइज करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन की कुछ व्यवस्थायें हैं जो कि समय समय पर इसी आसन पर बैठने वाले अध्यक्ष महोदय ने दी थीं। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सदन में पहले सन् 67 से 72 वाली विधान सभा में ही नागौर जिले के एक प्रधान ने विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य श्री राम सिंह कुड़ी को यहां हाउस की गैलरी में गाली गलोच की। रामसिंह कुड़ी सदस्य विधान सभा ने आकर सदन में कहा और आज जो मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बिराजमान हैं और जो आज दिल्ली में स्टेट मिनिस्टर हैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल उन्होंने यहां पर इस प्रकार का प्रश्न उठाया था। उस समय मेरी उनसे बात हुई थी लेकिन बाद में उस प्रधान को पकड़ कर बुलाया गया सदन में और मामला हाउस की प्रिविलेज कमेटी में रखा गया था। उस व्यक्ति का नाम श्री रामेश्वर लाल चौधरी था।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : यहां सदन में नहीं बुलाया गया था।

श्री जय कृष्ण शर्मा : श्री अजीज साहब को कल्याण सिंह कालवी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वह तो अजीज साहब ही जानें। अजीज साहब अपनी बात कहना चाहते हैं आप उनकी सुनें।

श्री मदनसिंह दांता : वह कोई दोस्ती की बात तो होगी नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, यह चतुर्थ विधान सभा के समय की बात है। मैं उस समय प्रधान था किसी काम वश यहां पर आया था। मुझे रास्ते में श्री रामसिंह कुड़ी मिल गये। उनसे मैं हंसी मजाक कर रहा था। उन्होंने यहां आकर हाउस में यह कहा कि मैंने उनके साथ पुलिंग किया। यहां पर आकर उन्होंने मेरे खिलाफ में प्रिविलेज का मोशन पेश किया। उसके बाद मैं ऐसा हुआ मैं तो गांव चला गया था लेकिन यहां से स्पेशल पुलिस मुझे पकड़ने को गई। मुझे मालूम हुआ तो मैं वहां से यहां आया, यहां पर मुझे सार्जेन्ट के कमरे में बिठाये रखा। बाद में चार पांच घन्टे के बाद प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ कि यह कोई गम्भीर मामला नहीं। वह बात बाद में खतम हो गयी।

श्री मदन सिंह दांता : यह कल्याण सिंह कालवी जोइन्ट सैक्रेटरी हैं जनता पार्टी का इसलिए हाउस में चर्चा हो। उसने धमकियां दी श्री अजीज साहब को।

(व्यवधान)

आप कहें तो, अध्यक्ष महोदय, हम कल्याण सिंह कालवी के पैर पकड़लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । मुझे पता नहीं था कि आप ही वह माननीय सदस्य थे !

श्री मदनसिंह दांता : आपने कालवी को बुलाने की इजाजत दे दी ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द करने की व्यवस्था दे दी है । You are having both ways.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । अब चर्चा समाप्त हो गयी । मैंने निर्णय ले लिया यह प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया। There is no scope. Heads I win and tail you loose. You should have one in any case. मैंने व्यवस्था दे दी है, यह मोशन प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द हो गया अब मामला समाप्त हो गया । इस पर आगे चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य·····

(व्यवधान)

I am very firm on it चर्चा समाप्त हो गई । माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें ।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हां पक्ष वाले हमें दबायें । यह हमें मारेंगे क्या ? मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से चाहूंगा कि श्री अजीज जब मकराना जावें तो इनको पीटा नहीं जाये और इन्हें हरेस नहीं किया जाये तो हम इसको विथड्रा कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; आप कृपया शांत रहें ।

श्रीमति उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ने जब व्यवस्था दे दी तो विपक्ष के माननीय सदस्य सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप हमें दबा नहीं सकते । आज जो कल्याणसिंह कालवी ने जो किया वह हम भी हमारी पार्टी वालों से आपकी पार्टी के लोगों के साथ करवायेंगे या खुद करेंगे । ऐसा ही सलूक करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया शान्त रहें । मैंने व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, फिर हम भी किसी जनता पार्टी के सदस्य को छेड़ेंगे या छिडवायेंगे ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मिनट सुन लीजिये । मैं अर्ज करना चाहता हूं । I appeal you, Sir. Kindly hear me

श्री मूलचन्द डागा : आपका मोशन है वह तो ठीक है, अध्यक्ष महोदय he is aggrieved person

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

Page No 66

(69)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य डागाजी आप बिराजिए। श्री नारायणसिंहजी डिग्गी, आप क्या फर्मा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब यह है कि माइनोरिटी में हम हैं तो आप हमें दबायेंगे। दबाओ। आप मार लो हमें।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है। इसके पहले आपने यह कहा था कि जो भी सदस्य इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सौंपने के पक्ष में हों वह खड़े होकर हां कहें। उसके बाद में माननीय सदस्यों की इच्छा पर आपने अपनी व्यवस्था दी कि इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाय। फिरभी माननीय सदस्य दूसरों को बोलने ही नहीं देना चाहते। जो कुछ कहना है, क्या घटना हुई वह प्रिविलेज कमेटी में कहें। उसकी चर्चा यहां सदन में नहीं की जा सकती। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी कि चर्चा नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ आपने व्यवस्था दी है उसका पालन करायें। अगर पालना नहीं होगी तो फिर हरएक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलना चाहेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को सुन लीजिए। आपका पोइन्ट ऑफ आर्डर होगा तो मैं सुनूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर जो उत्तेजना बतायी जा रही है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन नहीं करना चाहता। ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठाया उसके मेरिट्स हर निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस होता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप आप लगायें तो उसको सुनने का अवसर दिया जाय और एक्सप्लेनेशन देने का अवसर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।

श्री मदनसिंह दांता : आदमी को सजा नहीं दिला रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरी बात तो आप सुन लीजिए। यह कोई तरीका नहीं है कि इस प्रकार से व्यवधान पैदा करें।

(व्यवधान)

मैं अपनी बात खतम ही नहीं कर पा रहा हूं, आप बीच-बीच में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, आप मेरी बात तो सुनिये। मैं आप से यह निवेदन करूं कि यह ऐसा प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर पहले लिया जाना चाहिए। वह बड़ा महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा भी पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना पाइन्ट आफ आर्डर रेज करिये फिर श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो चुकी है फिर भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं उस ओर से। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस पर अब किसी स्टेज पर पक्ष या विपक्ष का किसी स्टेज पर पुनर्विचार न हो . . .

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप लोग किसी को बोलने देना ही नहीं चाहते।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है। Very humble sub-mission)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना पोइन्ट आफ आर्डर अर्ज करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर की स्टडी करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन 157 के अन्तर्गत पेश किया जाता है और यदि 160 के अन्तर्गत स्पीकर 157 में रेज करने की आज्ञा दे देते हैं तो उस सदस्य को, जिसका मोशन है, अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अगर लोगों का एतराज हो तो अध्यक्ष अनुमति नहीं देंगे। 10 से अधिक माननीय सदस्य मोशन के एडमिशन के लिए खड़े होते हैं तो एडमिट होता है। आपने 157 के अन्तर्गत एडमिट तो कर दिया इजाजत तो दे दी लेकिन 160 के अन्तर्गत उनको इस पर कुछ कहने की इजाजत नहीं दी इसीलिये यह गड़बड़ी हुई। अब 157 में इजाजत दे दी और 161 में अधिकार है कि मोशन को कमेटी को रेफर कर दें अध्यक्ष महोदय की राय से। यदि अध्यक्ष महोदय की यह राय हो कि हाउस में तुरन्त डिस्कस किया जा सकता है तो सदस्य महोदय को अधिकार होगा कि मोशन लेकर आयें या अन्य स्टेज पर कहें। आपने कन्सेन्ट दे दी। नेचरल प्रिन्सिपल आफ जस्टिस के अनुसार यह आवश्यक है कि रूल 161 के तहत कमेटी को रैफर करने से पहले हमारे विचार सुनें कि इस सदन की राय क्या है? सदन की राय यह बनती है कि मोशन को लिया जाय तो उस समय ले लिया जाय वरना प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

जाय। आपने रूलिंग दे दी कि इस मैटर को कमेटी को रेफर करता हूं इसलिये सदन को अधिकार है कि एक बार इजाजत देने के बाद इस पर विचार करने का कि यहां पर विचार किया जा सकता है या नहीं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, इसी व्यवस्था के प्रश्न पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गुप्ताजी ने प्रश्न उठाया वह ठीक है। जो विशेषाधिकार समिति को सौंपने की बात कही है वह हम भी चाहते हैं। वैसे तो आप उदार हृदय हैं और आपने अपने निर्णय हाउस की भावना को देखते हुए बदले भी हैं। यदि निर्णय नहीं बदलें और यह निर्णय दें कि विशेषाधिकार समिति विचार करे तो उससे पहले यदि सदन में चर्चा कर लें तो विशेषाधिकार समिति को सरलता होगी। दोनों ही प्रश्न हैं। आप अपना निर्णय बदल सकते हैं, सदन में चर्चा हो सकती है। विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले माननीय सदस्य को इजाजत दे दें क्योंकि वास्तव में उनका अधिकार है कि विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने से पहले चर्चा करें। माननीय मंत्रीजी भी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं यह घटना क्या हुई ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने कभी नहीं कहा, मुझे पता नहीं।

मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दें। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

दो माननीय सदस्यों ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाये हैं, एक माननीय रामेश्वरलाल जी ने और दूसरा रामकृष्णदासजी ने, उन पर मैंने विचार किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो फार्म्स हैं प्रिविलेज मोशन को ट्रीट करने के लिये। एक तो सदन स्वयं कर सकता है और दूसरा प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर सकता है। जब एक फार्म निर्धारित कर दिया और प्रिविलेज कमेटी को दे दिया तो रूल 161 बिलकुल साफ है। इसमें जो वर्डिंग्स लिखे हैं वह यह हैं :—

"If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer the question to a Committee on Privileges for report within a period to be specified, unless he is of opinion that the matter is such as may be discussed by the house with out reference to the Committee, in which case member making the complaint shall make a motion that the matter be taken into consideration forthwith or at some future time."

तो मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इससे पूर्व भी मकराना से आये माननीय सदस्य के विचार सुने, आपने अपने कक्ष में भी उनके विचार सुने।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा····

श्री अब्दुल अजीज : आप मुझे सुनिये तो सही।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरी बात सुन लीजिए। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि रूल 161 में अध्यक्ष महोदय ने बहुत सोच विचार कर माननीय अजीज साहब के मोशन पर यह निर्णय लिया है कि यह प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया जाता है। अब इस पर हाउस के अन्दर बहस करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मदन सिंह दांता : He is not talking on this issue. He is a member of this Privilege Committee and there for he wants to say something.

श्री मूलचन्द डागा : कमेटी हाउस का छोटा हिस्सा है। कमेटी बड़ी है या हाउस बड़ा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रूलिंग हो गयी।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसी रूलिंग हुई है तो आपको और हमको कभी अड़चन आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, श्री शंकरलाल और माननीय विधि मंत्री जी को सुना। इस संबंध में मुझे नोटिस दिया गया। नोटिस के पश्चात् इस सदन में चर्चा हुई। क्यों हुई ? प्राइमा फेसी मुझे यह निर्णय लेना था कि आया यह मामला विशेषाधिकार का है या नहीं। मैंने इसको 157 के अन्दर एडमिट किया····

श्री अब्दुल अजीज : आज।

श्री अध्यक्ष : और नियमों के अन्तर्गत 10 सदस्यों को खड़ा होते देख कर मैंने यह निर्णय दे दिया कि यह प्रश्न नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाये। यह मेरा निर्णय है। यह मेरा अन्तिम निर्णय है। तत्पश्चात् अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि सदन में इस संबंध में चर्चा हो तो सदन का निर्णय है वह सर्वमान्य है। बहुमत के द्वारा मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं आया यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाये या···

श्री मदनसिंह दांता : नहीं, नहीं यह तो किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य या तो मेरे निर्णय को स्वीकार करें अन्यथा यह मामला बहुमत के द्वारा तय करने का मैं पुनः निर्णय लूं। इस संबंध में भी मैं आपको घोषणा के द्वारा अवगत करा रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : हम जानते हैं, आप बहुमत में हैं इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अब्दुल अजीज : एक मिनट मेरी बात सुनिये। इस संबंध में नहीं बोल रहा हूं।

Page No 70

(70)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अगर आप इस संबंध में और कुछ कहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह आसन के लिए भी एक एम्बरेसमेंट की सिचुएशन आप क्रियेट करेंगे। दूसरी भी तरह तरह की विचारार्थ समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मैं अलग से अर्ज करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : क्या कोई दूसरी बात नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आप क्या कहना चाहते हैं ? पहले ही इतनी विस्तृत चर्चा यहां हो चुकी है। किसी ने कालवा, किसी ने कालवी–सब कुछ कहा और फिर इसकी पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने तो दें। दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इस सबजैक्ट पर नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : He is a member of the Committee.

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज कमेटी के मेम्बर हैं। क्या यह उस कमेटी में बैठेंगे, यह पूछना चाहते हैं सुनते नहीं हैं !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब क्या है ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया सुनिये तो सही। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपकी शान में गुस्ताखी करूं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ···

श्री अब्दुल अजीज : या तो इनको बुला लो...

श्री मदनसिंह दांता : He is a member of the Privileges Committee. पाइन्ट आफ आर्डर पहले ही उठा दिया है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न य.. है कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से जब यह व्यवस्था दे दी गयी है कि मेरा यह अन्तिम निर्णय है तो माननीय सदस्य दांता रामगढ़ से आने वाले व्यवधान क्यों पैदा करते हैं ? इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यवधान पैदा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह मुसलमान है इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बहुमत को अल्पमत को सुनना चाहिए। बहुमत को सहनशील होना चाहिए। हमारी बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

अल्पमत को बात कहने का अधिकार होना चाहिए···

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार का हनन प्रश्न को सौंपे गये प्रश्न के प्रस्तावक सदस्य की विशेषाधिकार समिति की सदस्यता

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न अब खतम हो गया। यह प्रश्न दूसरा है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हैं। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य प्रिविलेजेज् कमेटी के सदस्य हैं इसलिए, वह यह प्रश्न पेश कर रहे हैं कि अब मेरी स्थिति क्या होगी? वह पाइन्ट आफ आर्डर यह रेज कर रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जो दर्द था वह सुन नहीं पाया।

श्री मदनसिंह दांता : इसलिए चिल्ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इतने व्यवधान में कैसे सुन सकता हूं। समझ नहीं सका। आप बोलिये लेकिन मेरा निर्णय है उसका ध्यान रखते हुए। आपने आपत्ति उठाई है मैं आपको अनुमति देता हूं। यदि आप विषयांतर हो गये और मेरे निर्णय के संबंध में आप चर्चा करेंगे तो उचित नहीं रहेगा।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं बाअदब निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ आपने फैसला दिया वह मुझे मान्य है, सदन के सब सदस्यों को मान्य है और मुझे भी मान्य है। जिस इज्जत के आसन पर आप मौजूद हैं उसको मुझ जैसे छोटे आदमी के द्वारा चुनौती देने का प्रश्न नहीं होता। सदन के कई साथियों ने इस अधिकार को सियासी रूप से समझ लिया। मैं दुःख व्यक्त कर रहा हूँ। यह एक और इन्सानियत का मामला है। लेकिन इसको हमने सियासी तराजू में तोलना शुरू कर दिया। मैं एक सदस्य के रूप में आलरेडी प्रिविलेजेज कमेटी का मैम्बर हूं, मैं खुद अपीलेट हूं तो मैं अपने आपको मैम्बरशिप से विथड्रा करता हूं। यह मेरा कहना है। सदस्यों को सुनना चाहिये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपत्ति स्वीकार करता हूं।

श्री केदारनाथ : यह जो कहा, प्रिविलेजेज कमेटी में विश्वास नहीं है...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : कुछ बोलें तो हमारी जीभ निकाल दीजिए, काट दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। उन्होंने यह शब्द कहे कि प्रिविलेजेज कमेटी यदि इसे ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। हाउस की प्रोसीडिंग्स के अनुसार जो रिर्पोटिंग मेरे पास आई है, माननीय सदस्य, अब्दुल अजीज, मैं आपसे

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई

(श्री अध्यक्ष)
पूछना चाहता हूं आपने ऐसी कुछ बात कही,

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, 5 मिनट तो शांति रखें।

माननीय सदस्य, यदि आपने कहा है तो आप इन शब्दों को विथड्रा करना चाहेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : मैंने स्वीकार किया। आपके आसन से व्यवस्था हुई कि प्रिविलेजेज कमेटी को यह मामला भेज दिया जाये, मैंने माना। दूसरी बात मैंने कही कि इस सदन में जिस प्रकार××× इसी प्रकार का प्रिविलेज कमेटी में हुआ तो क्या इफेक्ट होगा इसलिये मैं मैम्बरशिप से विथड्रा करता हूं। तीसरी बात मैंने अर्ज की कि हमारा जो अधिकार है बोलने का इसको प्रिविलेज कमेटी में××× यह संकेत दिया था, मुझे भरोसा पूर्ण है आपकी कमेटी पर लेकिन जो अभी हो रहा है उसका संकेत दिया है मैंने। यह अधिकार है मेरा। आपकी दी हुई व्यवस्था को मैं मन्जूर करता हूं, प्रिविलेज कमेटी में आप भेज दीजिये।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजीज साहब प्रिविलेज कमेटी के सदस्य रहे हैं। उनकी सदस्यता के दौरान में इस कमेटी ने विभिन्न प्रकार के निर्णय भी लिये होंगे और विचार विमर्श भी हुए होंगे....

श्री अब्दुल अजीज : एक भी नहीं लिया।

श्री सम्पतराम : मैं यह समझता हूं कि कि इस थोड़े समय के कार्यकाल में जो कुछ भी प्रिविलेज कमेटी में हुआ होगा उससे उनको स्वयं को अनुभव हो गया होगा। कमेटी में यदि गैर हाजिर होने से××× वह शर्म की बात है। जैसा कालवी साहब को लेकर प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है, यह भी प्रिविलेज मोशन है। प्रिविलेज केमटी के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : जो कुछ इन्होंने कहा वापस लेने को तैयार हैं।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष जी, प्रिविलेज कमेटी की जैसी फार्मेशन है, माननीय अध्यक्ष जी उस कमेटी के जो मैम्बर्स माननीय सदस्य होते हैं उनका नामीनेशन करते हैं। अध्यक्ष जी, आप चेयरमैन नियुक्त करते हैं। उस प्रिविलेज कमेटी के बारे में कोई एस्पर्शन पोलिटिकली किया गया, उसके बारे में कहना, सारे हाउस का अपमान है..

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : He is withdrawing his words. वह विथड्रा करते हैं..

श्री अब्दुल अजीज : मैंने खुद सुना है

×××अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मदन सिंह दांता : वह जनता पार्टी के महा मंत्री हैं . .

श्री नूरा : गृह मंत्री ने धमकी दी है। यह डराने की बात है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह तो पुलिस के

(व्यवधान)

मुकदमे को खतम करना चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय सदस्य ने अपने आपको अलग किया है। ऐसा कहना चाहते हैं, उनके मन में सन्देह है, उन्होने स्पष्ट किया है उस कमेटी के अन्दर विचार नहीं कर सकेंगे। माननीय सदस्य की बोनाफाइड इन्टेंशन को कमेटी के बारे में इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया तो, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का क्या होगा ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य, : बहुमत की ताकत पर अल्पमत को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई किसी का गला नहीं घोंट सकता।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हमें भी विश्वास नहीं। आपको दबाने के लिये . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है

(विराम)

मैं खतम करने जा रहा हूँ लेकिन खतम हो तब न ? खतम तो करना चाहता हूँ, इसलिए खड़ा भी हुआ हूँ।

(व्यवधान)

आप कृपया मंत्री महोदय को बात सुन लीजिए। इसके बाद जो कुछ होगा, मैं इस मसले को खूबसूरती के साथ समाप्त करने की चेष्टा करूंगा।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इन्टेंशन में शंका नहीं है। पालिटिकल एंगिल की बात कही है। मैं यह मानकर चलता था, जब हाउस के माननीय सदस्य इस प्रकार कहें तो डिसपेशेनेट नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि ऐसे अल्फाज को वापस लें . . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : ये सारे खड़े होकर . .

श्री केदारनाथ : कोई इरादा नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अगर आपने गलत समझा हो तो . . .

श्री मदनसिंह दांता : अगर आप नही चाहते हैं तो हम हमारी रक्षा कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अलाऊ किया है · ·

एक माननीय सदस्य : तीन तो आक्रमण कर चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सारी केबीनेट बोले।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सारा मामला रिपोर्टेड विवरण में जैसा आपने पढ़ा और जिसकी चर्चा यहां सदन के माननीय सदस्यों ने की है, वे शब्द निश्चित रूप से इस प्रकार के हैं जो प्रिविलेज कमेटी के विरोध में हैं और उसका अनादर होता है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ। · · ·

(व्यवस्था)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं। उन शब्दों को पढ़ने के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आप व्यवस्था दें, वे शब्द क्या निश्चित रूप से सदन की परम्परा के अनुकूल हैं ? और यदि अनुकूल नहीं हैं, तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य को विथड्रा करने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस रेफरेन्स और कन्टेस्ट में इस सदन में जो बात रखी है वह आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए और सदन की सर्वोच्च प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति करते हुए कही है, वे प्रिविलेज कमेटी के सदस्य हैं। यह मामला प्रिविलेज कमेटी को रेफर होने पर वे उसमें रहें यह उचित भी नहीं है। वे उस कमेटी से अपने आप को विथड्रा करते हैं ताकि इन्साफ हो सके। दूसरे ××× शब्द का प्रयोग जिस प्रसंग में हुआ है, उसमें उनका अभिप्राय यह था कि · · ·

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपके साथ यह घटना घटी तो क्या करेंगे ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : दांता साहब, आप भी मन्त्री महोदय बोलते हैं तो बीच बीच में बहुत हस्तक्षेप करते हो। आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री मदन सिंह दांता : आप भी नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कौनसी भाषा है ?

श्री मदन सिंह दांता : मैं बोलूंगा, जब तक चेयर नहीं कहेगी।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल भी इस सदन में इस बात के लिये · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब विरोधी दल के माननीय नेता महोदय खड़े होते हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिये।

श्री परस राम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, उनके कथन का जो अभिप्राय था वह यह था कि मेरे साथ न्याय होना चाहिये। अब उसका इन्टरप्रिटेशन यह

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

समझते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनका मतलब यह है कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा । जैसा श्रम मंत्री जी कह रहे हैं, यह सदन का अपमान है । सदन सर्वोपरि है, सदन सर्वोच्च सत्ता है । प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में आयेगी, प्रिविलेज कमेटी फाइनल आथोरिटी नहीं है । इसलिये सर्वोच्च सदन की प्रतिष्ठा को कम करने की बात नहीं है । चाहे वह कुछ भी रिकमन्डेशन कर दे लेकिन प्रिविलेज कमेटी की रिकमन्डेशन्स पर सदन फैसला करता है···

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अब बोलें इनके खिलाफ ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, कुछ सीनियर सदस्य···

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये प्रिविलेज कमेटी के बारे में जो कहा उसका इन्फरेन्श निकालने के पहले पूरा का पूरा वक्तव्य देखें···

एक माननीय सदस्य : आपने देखा है ? तीन मिनट का देखा होगा···

श्री परसराम मदेरणा : यह देखा है ।

एक माननीय सदस्य : 15 मिनट का है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप देख लेना, मैंने देखा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा अभिप्राय नहीं था । जो इन्होंने कहा है उससे सदन की गरिमा या आप द्वारा कोई भी सदस्यों की मनोनीत कमेटी की प्रतिष्ठा को आंच लगती है तो विरोधी पक्ष को निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था का आदर करते हुए और सदन की प्रतिष्ठा को देखते हुए जो भी आसन की तरफ से आदेश होंगे वे मान्य होंगे ।

श्री केदारनाथ : हम तो आप पर छोड़ देंगे ।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है । मैं अब माननीय अब्दुल अजीज से जानकारी चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता ने जो भावना व्यक्त की है उससे सहमत हैं या नहीं हैं ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो आपत्तिजनक बात कही होगी, मैं उसे प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दूंगा और इस सम्बन्ध में अब चर्चा नहीं होगी । आगे कार्यवाही हो···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने रूलिंग दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं हम लोग जो आसन से अनुमति चाहते हैं और अनुमति का इन्तजार करते हैं हमको तो अनुमति नहीं मिलती है और कई माननीय सदस्य, जो सीनियर हैं, आसन पैरों पर होता है तब भी बराबर बोलते जाते हैं । ऐसी परम्परा रही है आसन पैरों पर होता है तो कई लोग खड़े होते हैं । माननीय दांता साहब जैसे सीनियर सदस्य भी इस प्रकार का ××× करते

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रघुबीरसिंह कौशल)

हैं। यदि इस तरह की परम्परा पड़ी तो नये सदस्य भी इस बात को सीखेंगे और इस हाउस की यह परम्परा बनेगी इसलिए शासन की गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि हम उस परम्परा का निर्वहन करें, जो इस सदन में रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे भी कहने की इजाजत दें। जहां आप खड़े होते हैं वहां 20 आदमी खड़े होते हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गई चर्चा। समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो इन्होंने कहा है, वह सदन की कार्यवाही में लिखा है—

He has said 'You are ×××'

'You a e ××× "You learn from the opposition" सबको पाठ सिखा रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय श्री मदन सिंह···

श्री अध्यक्ष : अब टेम्परेचर ठीक हो गया है, आगे चलें।

श्री शिवचरण सिंह : बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मदनसिंह दांता के बारे में यह कहा कि ××× हरकतें करते हैं····

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष, इन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री अब्दुल अजीज : आपका स्थगन प्रस्ताव या। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री नवरंग सिंह।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत से तकलीफमन्द लोगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक लम्बे अर्से से पीड़ित जूनियर लेक्चरर्स अपने अधिकार के लिए, यू. जी. सी. के वेतनमान के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि यूनिवर्सिटी, उदयपुर के जो अध्यापक हैं उनकी तादाद तकरीबन 300 है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय और राज्य सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे अध्यापकों के बारे में जहां सरकार ने फैसला ले लिया है वहां दूसरे आई. ए एस. आफिसर्स के लिए भी वह फैसला ले चुकी है। इनका मामला फाइनेन्स के अन्दर रुका हुआ है। पहले जब मि. मेहता कमिश्नर थे उन्होंने इन लोगों के पक्ष में राय दी थी और प्रस्ताव किया था कि यू. जी. सी. के समकक्ष वेतनमान 700 से 1600 तक उन्हें देने में

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अब्दुल अजीज)

कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करता हूं कि ये टीचर्स भी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स के बराबर डिग्री होल्डर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी दूं कि पूरी शिक्षा की सभी डिग्रीज हासिल करने के बाद एग्रीकल्चर की शिक्षा स्टूडेन्ट्स को अच्छे तरीके से देते हैं तो सरकार को उनके अधिकारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यू. जी. सी का वेतनमान 700 से 1600 तक है, इस वेतनमान की उन अध्यापकों ने मांग की है, उनको यह वेतनमान मिलना चाहिए। उसी क्वालिफिकेशन्स के टीचर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं इसलिये यह जो वेतनमान हैं वह उनको भी दिलाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा दलील न देकर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यू.जी.सी. का ग्रेड उदयपुर यूनिवर्सिटी के समस्त लेक्चरार्स को आप कृपया दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, आपकी सेवा में रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्णजी को बोलने दें, फिर आप बोलें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स के वेतनमान के संबंध में मैं एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर व लेक्चरार्स, इन तीनों श्रेणियों को तो ग्रेड दे दिया गया है, परन्तु जो जूनियर लेक्चरार्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन एम. एस. सी. एजी. है, यह क्वालिफिकेशन भी वही है जो कि दूसरों की है, लेकिन उनको उनके बराबर वेतनमान नहीं मिलता है। इस संबंध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को भारत सरकार की ओर से 80 पर्सेन्ट अनुदान मिलता है, और 20 पर्सेन्ट उस अनुदान में मिलाकर इन लोगों को तनख्वाह मिलती है। भारत सरकार के डाइरेक्टर ने भी लिखा है कि इनका वेतनमान 700 से 1600 होना चाहिए। इस तरीके की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां भी लेक्चरार्स का वेतनमान 700 से 1600 है। इसी तरह से जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह यही वेतनमान है, परन्तु यहां पर कुछ फाइनेन्स की अड़चन होने की वजह से इन लेक्चरार्स की तनख्वाह बहुत थोड़ी है। काफी समय से उनकी यह मांग है और उनकी यह डिमाण्ड वाजिब है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह देश एक कृषि-प्रधान देश है। कृषि-प्रधान देश के अन्दर नये-नये खेती के तरीके उपलब्ध होने चाहिए। यह खेती के नये-नये तरीके खोजने का काम करने वाले लोग हैं। इनका वेतनमान कम होना न्यायसगत नहीं है। इसके ऊपर सरकार को सोचना

(श्री जयकृष्णशर्मा)

चाहिए। इसके अन्दर अनुदान भारत सरकार की ओर से आता है, भारत सरकार ने इस बात को माना है और सैन्ट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट से भी जो आये थे उन्होंने भी इस बात को माना है। इस प्रकार से इन लोगों की यह वाजिब मांग है, परन्तु फाइनेन्स की कुछ दिक्कत की वजह से राजस्थान सरकार के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को इसमें केवल 20 पर्सेन्ट देना पड़ता है वह नहीं दे रहा है।

इसी प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर जो रिसर्च असिस्टेन्ट्स हैं उनका वेतनमान 700 से 1600 है। तो जो रिसर्च असिस्टेन्ट इस यूनिवर्सिटीज में है, जो एग्रीकल्चर के अन्दर रिसर्च का काम करते हैं, जिनका उसी प्रकार का काम है जिस प्रकार का लेक्चरार का काम है उनको यह वेतनमान नहीं देना जब कि 80 पर्सेन्ट यू.जी.सी. देता है, उनके साथ न्याय नहीं है। कहीं कहीं यह प्रश्न पैदा होता है कि इनकी टीचर्स में गिनती नहीं है, इनकी लेक्चरार्स में गिनती नहीं है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए तो इन्हीं के अन्दर से सीनेट के मेम्बर्स बने, इसके लिये जो एनरोलमेंट होता है, उसके अन्दर इनका नाम है। इन बातों को देखते हुए राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और जो इनकी वाजिब मांग है उसको पूरा करने में सहयोग दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे इनमें काम करने का उत्साह पैदा होगा, आपका एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, उनके काम में एफिशियेन्सी आयेगी और उन लोगों को सन्तोष मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी एग्रेरियन रिसर्च असिस्टेन्ट के सम्बन्ध में दो-तीन वक्ताओं ने अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत किये। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसा कि वित्त मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी को मालूम है, उदयपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च असिस्टेन्ट पिछले 4 दिन से विधान सभा के सम्मुख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में आज तीन प्रकार के रिसर्च असिस्टेन्ट्स हैं, एक रिसर्च असिस्टेन्ट्स, दूसरा एक्सटेन्शन असिस्टेन्ट और तीसरा जूनियर लेक्चरार। उनकी मांग यह है कि इन तीनों को भी अध्यापक माना जाय। वैसे यह अध्यापक हैं। उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टेट्यूट के अन्दर सूची संख्या 47 के अन्दर उन्हें अध्यापक माना है। उन्हें अध्यापक मानने के बाद उनकी मांग है कि उन्हें भी यू.जी.सी. का वेतनमान मिलना चाहिए। यू.जी.सी. के वेतनमान के सम्बन्ध में वहां के वाइस चान्सलर ने एजूकेशन डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी। एजूकेशन डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट के बारे में क्वेरी की या क्लेरिफिकेशन मांगा कि जूनियर लेक्चरार्स जो लेक्चरार्स के अन्दर हैं और उनके समकक्ष जितने दूसरे हैं उनको राज्य सरकार यू.जी.

(श्री परसराम मदेरणा)

सी. के समकक्ष वेतनमान देना चाहती है तो 30 पर्सेन्ट अनुदान देंगे। मुझे ऐसी जानकारी मिली है, अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट, जो सेक्रेटेरियेट का है, ने अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे हैं और अब यह मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है। इसलिए मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो रिसर्च असिस्टेन्ट है दूसरी यूनिवर्सिटीज में खास तौर से हरियाणा और पंजाब में, उनको यू.जी.सी. की पे स्केल 700 से 1600 की दे दी गई है। यहां पर भी जोधपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर जो रिसर्च असिस्टेन्ट हैं, जिनकी ग्रेड 300 से 600 की थी, वह बढ़ा कर 700 से 1600 कर दी गई है। फिर जो एग्रीकल्चर रिसर्च असिस्टेन्ट हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना न्यायसंगत नहीं होगा। मेरा निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी पे स्केल यू.जी.सी. के समकक्ष करें। आई. सी. ए. आर. 80 पर्सेन्ट अनुदान देने को तैयार है तो उनको भी दें और 20 पर्सेन्ट खर्चा स्टेट गवर्नमेन्ट वहन करे, उनकी यह मांग वाजिब है। इस वाजिब मांग के ऊपर वित्त मंत्री महोदय विचार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्व विद्यालय के व्याख्याता यू. जी. सी. की ग्रेड के मामले को लेकर चार दिन से विधान सभा के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले इन लोगों ने राज्य सरकार के पास काफी भागा-दौड़ी की परन्तु इनका मामला नहीं सुलझा। इनको बाध्य होकर यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्निकल शिक्षा के यह व्याख्याता हैं, लेक्चरार हैं। हमें आज बेरोजगारी दूर करने के लिये जिस शिक्षा की आवश्यकता है, वह एग्रीकल्चर की शिक्षा है, खेतीबाड़ी की शिक्षा है। खेतीबाड़ी की शिक्षा के लिये जो उदयपुर या अन्य यूनिवर्सिटीज में रिसर्च असिस्टेंट हैं उनको लेक्चरार के समकक्ष वेतन नहीं दिया गया तो हमें अच्छे लेक्चरार या अच्छे अनुसंधानकर्त्ता प्राप्त नहीं होंगे इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, खास कर के कृषि मंत्री जी से, मैंने कृषि मंत्री से पहले भी निवेदन किया था और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और संभवत: जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। आज पुन: कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मामले पर आज सदन में घोषणा करें और जो व्याख्याता चार दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उनको कोई समुचित आश्वासन दें। इनके धरने पर बैठने के कारण उदयपुर-विश्वविद्यालय की शिक्षा का, छात्रों की पढ़ाई का जो कार्य है, वह ठप्प हो गया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस कारण से बहुत से विद्यार्थियों की पढ़ाई का काम रुक गया है। अत:, अध्यक्ष

(श्री नवरंग सिंह)
महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेषकर कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनकी जो जायज मांग है 700 से 1600 की ग्रेड दिए जाने की यह राजस्थान सरकार के अन्तर्गत चलने वाला राजस्थान विश्व-विद्यालय है, जोधपुर विश्वविद्यालय है, इनमें जो इनके समकक्ष अध्यापक, व्याख्याता हैं उनको यह ग्रेड आप दे चुके हैं तो फिर कोई ऐसा कारण नहीं है कि इस विश्व विद्यालय के अध्यापकों को राजस्थान सरकार यू. जी. सी की स्केल न दें। 80 फीसदी इस ग्रेड का राजस्थान सरकार को अनुदान मिल रहा है तो यहां के अध्यापकों को अन्य यूनिवर्सिटी के समकक्ष नहीं दिया जाना न्याय संगत नहीं है। यह आश्चर्यजनक स्थिति है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दें और यह आश्वासन दें कि इन अध्यापकों को वाजिब ग्रेड दी जाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो जूनियर लेक्चरार हैं उन्होंने धरना दिया है विधान सभा के सामने, उसका यह चौथा दिन है। उनकी मांगों के सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज वे कोई संतोषजनक वक्तव्य दें, जो भी उनकी मांग है, मंजूर हो। ताकि यह धरना समाप्त हो और यह यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चले। राजस्थान में यह एकमात्र एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। यहां पर तीन केटेगरी के टीचर्स हैं, जूनियर लेक्चरार, रिसर्च असिस्टेन्ट और लेक्चरार फार एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन सर्विस। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह पूरी तरह से मान लिया है कि इनको भी आप 700 से 1600 का ग्रेड दे सकते हैं। कृषि मंत्री जी, आप कृषि के बारे में जानते हैं। यह नया नया पोर्टफोलियो आपके पास आया है। यह जस लेने का मौका है। 80 फीसदी तो आपको ऊपर से ग्रान्ट मिल जाएगी। आज यह विधान सभा का आखिरी दिन है, मेरे ख्याल से आप ऐसा मौका न चूकेंगे और यह क्रेडिट लेंगे। ये आपकी अच्छी सर्विस करेंगे। यूनिवर्सिटी का काम सफर हो रहा है। ये लोग चार दिन से धरना दे रहे हैं विधान सभा के समक्ष और टकटकी लगाये देख रहे हैं। इनकी मांग की साइक्लोस्टाइल कापी हमारे पास भी आई है। ये उनकी जायज मांगें हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज ने यह ग्रेड दे दी है। इनकी संख्या बहुत कम है। इससे कोई ज्यादा वित्तीय संकट सरकार पर नहीं आने वाला है। राजस्थान की यह एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये तीन केटेगरी के लोग यहां पर धरना लगाये हुए हैं, इनकी मांग की ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे यहां पर खड़े होकर ऐसी बात जरूर कहें जिससे इनको शान्ति मिले और यह धरना समाप्त हो पाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री नूरा : इस विषय पर नहीं है। परन्तु दो शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर नहीं। माननीय सदस्य, यह तो चौथे नम्बर पर है। इस पर नहीं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की है कि राजस्थान सरकार ने आल इंडिया सर्विस रूल्स 1970 के रूल 2 के तहत कुछ नियम बनाये हैं। आई. ए. एस. अधिकारी, जो राज्य सरकार के अन्दर अपाइन्टेड हैं, की सी. आर. लिखने का अधिकार उनको होगा · · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग पहले ही मुझ से मिल चुके हैं, मुझसे मिले हैं। धरना देने के पहले मैंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार विचार कर रही है और इससे पूरी तरह से सहमत है तथा थोड़ी बहुत बात डिपार्टमेन्ट की आपस की है। फाइनेन्स डिपामेन्टर्ट की मीटिंग होना बाकी है। मैंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा था और यह कहा था कि धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद ये धरने पर बैठे हैं। वह धरना उठा दें। हम लोग विचार कर लेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है कि आल इंडिया सर्विस रूल्स के रूल 2 के अन्तर्गत राजस्थान में नियुक्त आई. ए. एस. अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने, और उसको एक्सेप्ट करने के अधिकार की जो सूची आउट हुई है, वह 6 मार्च को आउट हुई है। उस सूची के अनुसार, माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार का यह अधिकार मुख्य मन्त्री या चीफ सैक्रेटरी को दिया है यह अधिकार मुख्य मन्त्री को दिया गया। मुख्य मंत्री या चीफ सैक्रेटरी के अलावा मन्त्रिमण्डल के किसी अन्य मन्त्री को ऐसा कोई अधिकार नियमों के अन्तर्गत नहीं दिया गया है कि वह अपने विभाग के उच्चाधिकारी के प्रतिवेदन पर अपनी राय दे सके। मन्त्री अपने विभाग के अधिकारियों, आई.ए. एस. अधिकारियों के प्रतिवेदन पर इससे पहले राय दिया करते थे। परन्तु जो नये नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार सारे आई. ए. एस. अधिकारी के प्रतिवेदन या तो मुख्य मन्त्री लिख सकते हैं या चीफ सैक्रेटरी। आई. ए. एस. अधिकारियों को कन्ट्रोल करने के लिए जो एक तलवार लटकाई जाती है, वह उनकी सी. आर. है। चीफ सैक्रेटरी से लेकर आखिर तक सी. आर. मेण्टेन करना ही एक खास चीज है। उसमें उनका काम, उनकी इण्टेग्रिटी, भरी जाती है। अगर उनका काम आदि ठीक नहीं होगा तो वह आगे क्या कर सकेंगे? इसी कारण से मन्त्रिमण्डल का प्रशासनिक सत्ता पर कण्ट्रोल रहता है लेकिन नये नियम बनाये गये हैं उनमें एक मुख्य मन्त्री के हाथ में ही सब कुछ केन्द्रित कर दिय

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

गया है। एक तरफ तो यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि नौकरशाही मन्त्रियों पर हावी हो गई है दूसरी तरफ ऐसे नियमों को ड्राफ्ट किया गया है। मुख्य मन्त्री ने ये सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिये हैं और मन्त्रियों को अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उससे मन्त्रियों के प्रति उनमें विश्वास नहीं होगा। जब तक उनमें यह भावना पैदा नहीं होगी कि मन्त्रियों को उनकी सी. आर. लिखने का अधिकार है, तब तक अधिकारी माननीय मन्त्रियों के प्रति अपनी रेस्पांसिबिलिटी नहीं समझेंगे और न केबिनेट के मन्त्रियों को कुछ समझेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो राजनीतिक सत्ता के साथ-साथ प्रशासनिक सत्ता को भी केन्द्रित करने का इरादा है। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो आई. ए. एस. नहीं हैं, दूसरी सर्विसेज से आये हैं, और सचिवालय में डिप्टी सैक्रेटरी हैं उनकी सी. आर. लिखने का अधिकार मन्त्री महोदय को है। आई. ए. एस. की सी. आर. मुख्य मन्त्री और चीफ सैक्रेटरी लिखेंगे। डिप्टी सैक्रेटरी के पद पर जो काम कर रहे हैं, उनकी सी. आर. मन्त्री लिखेंगे। क्या इस प्रकार प्रजातन्त्र प्रणाली को स्थापित कर रहे हैं? अगर हम को नौकरशाही को सत्ता के नीचे रखना है तो हर मन्त्री को यह अधिकार रहना चाहिए कि वह अपने नीचे के अधिकारयों की सी. आर. पर अपनी राय दे सकता है। अन्य मन्त्रियों को वही अधिकार हो जो कि मुख्य मन्त्री को है। अगर वह अधिकार केवल मुख्य मन्त्री के पास रहेगा तो वह जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगी। मुख्य मन्त्री की तानाशाही सत्ता में आ जायेगी। डिक्टेटोरियल पावर्स आ जायेंगी जिस प्रकार से पिछले प्रधान मन्त्री में आ गई थी। मुख्य मन्त्री जी इस प्रकार से पावर्स लेने के लिए नियम बनाते हैं, यह अस्वाभाविक है और अप्रजातान्त्रिक है। जिस प्रकार से हम कांग्रेस के नाम पर कहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उसी प्रकार से जनता पार्टी भी तानाशाही का रास्ता खोल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रियों के हक के बारे में बोल रहा हूं। मन्त्री महोदय इस निर्णय को लागू करायें कि जो अधिकार मुख्य मन्त्री को है, वह अधिकार हर मंन्त्री को होना चाहिए।

श्री दिग्विजयसिंह : सुझाव के लिए धन्यवाद।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे पहले श्री नूरा का नाम है।

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस ओर ले जाना चाहूंगा, उस ओर बिजली मन्त्री जी विराजे हुए हैं उनका भी ध्यान दिलाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी मिलें थीं जिनको उनके मालिकों ने लूट कर खोखला कर दिया, उसके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। बाद में सरकार ने उनको अपने हाथ

(श्री नूरा)

में लेकर चलाया। वह बीमार मिलें हैं। उनमें 51% सरकार के शेयर हैं। वह मिलें, एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल ब्यावर की हैं। इसी प्रकार से विजय नगर की भी एक मिल है। इन मिलों में 12-13% बिजली की कटौती की गई है। इनमें काम करने वाले मजदूरों को ले आफ आधा पैसा घर बैठे दिया जा रहा है। यह सिलसिला जनवरी, 77 से जनवरी, 78 तक चालू था और आज भी चल रहा है। एडवर्ड मिल को 1,47,317.21 रु. ले आफ का देना पड़ा। महालक्ष्मी मिल को 88,869.00 रु. देना पड़ा। उनमें काम नहीं होते हुए भी उनको देना पड़ा। ले आफ की कटौती नहीं होती तो यह इतना रुपया बीमार मिलों को नहीं देना पड़ता। इस वजह से एडवर्ड मिल में 1147805 मीटर उत्पादन में कमी हुई है और 13,06,468 रु. की हानि हुई। महालक्ष्मी मिल में 521192 मीटर का उत्पादन कम हुआ और 1,46,615 रु. का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बीमार मिलों से हजारों मजदूर वापस जाते हैं। उनको घर बैठे पैसा देना पड़ता है। मालिकों ने मिलों को लूट कर छोड़ दिया है। जैसे बीमार आदमी की खुराक का खयाल रखते हैं वैसे जो रुपया बिजली की कटौती के कारण बरबाद किया जा रहा है वह रुपया मिलों की हालत ठीक करने के लिए काम में लाया जा सकता था। लेकिन बिजली की कटौती के कारण राज्य का लाखों रुपया गया है। बिजली का भी हजारों रुपया गया। यदि बीमार मिलों की बिजली इसी प्रकार कटती रही तो यह आगे चल कर बन्द हो जायेगी। आज मजदूरों में इसके कारण असंतोष है। जैसे मालिक मिल को बंद करके भाग गया, बार बार घाटा होता रहा तो मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा रहेगी या नहीं ? 13 महीने से लगातार यह सिलसिला चल रहा है, मजदूर नुकसान उठा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मिलें बीमार हो गई हैं, जिनको सरकार चला रही है उनको पूरी बिजली देकर उनका जो नुकसान हो रहा है और जो मजदूर नुकसान उठा रहे हैं, उसको रोकें। विद्युत् मंत्री यहां मौजूद हैं। आप ऐसी बीमार मिलों को पूरी बिजली दिलवायें। 13 महीनों से इन मिलों में नुकसान हो रहा है। आगे इस बात का ध्यान रख कर पूरी बिजली देकर मजदूरों में जो असंतोष है उसको मिटायें। उनको नुकसान से बचायें और जो मिलें इस कारण बंद होने वाली हैं उनको बचायें। मैं आशा करता हूं कि बिजली की कटौती को समाप्त करके बीमार मिलों को पूरी बिजली देने की व्यवस्था करेंगे।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : बीमार मिलों के मजदूरों के नेता भी तो बीमार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री समर्थ लाल।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको आपने मंजूर किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव गृह मंत्री से संबंधित है, वह

(श्री समर्थ लाल)
यहां मौजूद नहीं हैं तो मैं ध्यान किसका आकर्षित करूं ?

श्री अध्यक्ष : जो मंत्रीगण यहां बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करें।

श्री समर्थ लाल : ये मंत्री अपने विभागों की जिम्मेदारी ही नहीं निभा पाते, तो गृह विभाग की जिम्मेदारी को ये क्या निभायेंगे ? फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर कारागार के अन्दर 20–4–77 को 19 प्रहरियों की नियुक्ति की गई। इनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति की गई। अभी अभी इनको डी. आई. जी. कारागार की ओर से नोटिस मिला है कि इनको 9-4-78 से सेवाओं से पृथक् किया जाता है। इन कर्मचारियों में अधिकतर अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं। कुछ कर्मचारी अल्प संख्यक वर्ग के हैं। इन्हें सेवाओं से पृथक् करने का जो नोटिस दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि चूंकि उन लोगों ने नियोजन प्राप्त करते समय फर्जी अभिलेख पेश किए थे, इसलिए उनको सेवाओं से पृथक् किया जाता है। मेरा निवेदन है कि उन कर्मचारियों में एक साल बीतने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवर-एज हो गये हैं, दूसरी सेवाओं में जाने के काबिल नहीं रह गये हैं। बड़ी मुश्किल से तो सेवा प्राप्त की, उसके बाद उनको क्यों पृथक् किया जा रहा है ? जयपुर में सिविल लाइन्स के कारागार के इन्सपेक्टर जनरल के यहां वे बराबर जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई उपयुक्त आदेश प्रसारित करें और सदन में ऐसा आश्वासन दें।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं।

मेरा निवेदन है कि अजमेर नगर सुधार न्यास के अधिकारियों ने वहां की जनता के साथ ही नहीं बल्कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ कितना धोखा किया है, इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1972–73 में एक योजना का नक्शा बनाया गया आनासागर सक्यूंलर रोड व वैशाली नगर का। उनके अनुसार अलाटमेंट करके लोगों से व अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से उन भू-खण्ड के नाम से पैसा जमा कर लिया। इतना ही नहीं जिस जमीन का नक्शा बना, जो जमीन एक्वायर की गई उस जमीन का मालिकों को यू. आई. टी. ने कोई पैसा नहीं दिया। इसका मतलब जमीन एक्वायर नहीं की, सिर्फ कागजों पर दिखा दिया। 5 साल हो गए इस बात को आज तक इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला। साधारण आदमी भी अगर किसी से पैसा लेकर 5 साल बैठ जाता है तो वह कानूनी अपराध हो जाता है। मगर उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगर 5 साल पहले उनको भू-खण्ड मिल जाते तो उनके मकान सस्ते बन जाते। आज 5 साल बाद मिलेंगे तो सामान व लेबर का भाव बढ़ गया, उसका हर्जाना कौन देगा ? जिन अधिकारियों ने पोलमपोल मचाई है उनसे हर्जाना वसूल करके इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

दिलाया जाए, इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री मांगीलाल (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, म्हारा क्षेत्र मां पानी री कठिनाई है। जो साधन वाले आदमी हैं वो तो सतलज सों भी पाणी लाने रो प्रबंध करे है। बाकी घरां पर होद कुंड हैं पण जो शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स रा आदमी है वाके कने कोई साधन नहीं है। वां दो तो, तीन तीन मील सूं सर पर घड़ा रखकर पानी लावे है। अब वो पानी लावे या मजदूरी करके आपणो व आपरा परिवार रो पोषण करे? वो गरीब आदमी है। ई वास्ते म्हारी प्रार्थना है कि ईकी व्यवस्था करो। सरकार ने कह्यो है कि म्हाने गरीबी मिटानी है। गरीबी मिटानी है तो वांका काम काज भी करणो

(2.29 म.प.)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पीठासीन)

पड़सी। म्हारा क्षेत्र मां गरीब लोग बहुत हैं बठे पानी इसो है कि यदि पशु पीवे है तो मर जावे है। एक एक बैल 2–2, 3–3 हजार में आवे। यदि एक किसान रो बेल मर जाए तो बीकी सारी उम्र री कमाई खतम हो जावे।

माननीय सभापति महोदय, म्हारे क्षेत्र में पाणी बहुत खारो है। उण पानी ने पीवण सूं जानवर मर जावे। अवे गर्मी रो मोसम आ रह्यो है जद जानवर उण खारे पाणी ने जादा पीवे उणसे म्हारे अठे जानवर जादा मरण री गुन्जायश हो रही है, पाणी म्हारे अठे इसो है कि पीवता ही जानवर बीमार हो जावे। जानवर नहीं मरे उण सारु म्हारो राज्य सरकार सूं निवेदन करणो है कि पशुओं रे वास्ते पीवण रे पानी री व्यवस्था करावे। मीठे पाणी री व्यवस्था कराओ इणा रे अलावा कई वार तो वात आ व्हे जाय कि पशु खेत मां हल जोत्याड़ा ही मरी जावे जिण सूं काश्तकार ने बहुत तकलीफ और तीन चार हजार रो नुकसान एक पशु मरण सूं ही हो जावे है। सो आप काश्तकार रो ओ नुकसान मिटाओ। उण इलाके में पशुओं रे वास्ते पीवण रो पाणी री मुश्किल ने मिटावण सारु व्यवस्था कराओ। आ मीठे पानी री व्यवस्था जल्दी सूं जल्दी राज्य सरकार सू करावो इण रे अलावा म्हारे अठे एक ही नहीं बल्कि चालीस गांव इसा है जठे पानी खारो है। लोगां ने दूर दूर गावां सूं पाणी लावणो पड़े। मीठो पाणी उण गांवां री ढाणियां रे लोगां ने दूर दूर सूं लावणो पडे, इण वास्ते आप पीवण रे पाणी री व्यवस्था कराओ। अब गर्मी रे बाद चोमासा आवेला जद भी वाही तकलीफ होवेली। सभापति महोदय, इसा 40 गावं है जायल तहसील माँ उणमें खारो पाणी है उण में राजोद, धानणी, घटियाद, चुवाद, एटवाद, छापडा, सोनेली, कमेडिया कुण्डी, आवलियासर है।

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये।

श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी बात माननीय गृह मन्त्री जी से हो चुकी है इसलिये मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप बड़े त्यागी हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग की 15 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं। क्या इनको पढ़ूं, सभापति महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं हैं।

(सदन पटल पर रखी गई अधिसूचनायें)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3)(10) परि/70, दिनांक 28 मार्च, 1977

(2) अधिसूचना सं. प. 5(4)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 24 फरवरी, 1978

(3) अधिसूचना सं. प. 5(31) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 11 अक्टूबर, 1977

(4) अधिसूचना सं.प. 5(35) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 22 अक्टूबर, 1977

(5) अधिसूचना स.प. 5(36) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 23 सितम्बर, 1977

(6) अधिसूचना सं.प. 5(43) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 8 नवम्बर 1977

(7) अधिसूचना सं.प. 5(49) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 20 अक्टूबर, 1977

(8) अधिसूचना सं प 5 (50) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 20 अक्टूबर, 1977

(9) अधिसूचना सं.प. 5(61) गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977

(10) अधिसूचना सं.प. 5(62)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 26 अक्टूबर, 1977

(11) अधिसूचना सं.प. 5(70)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 5 नवम्बर, 1977

(12) अधिसूचना सं.प. 5(80)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977

(13) अधिसूचना सं.प. 1(22)गृह/ग्रुप-7/77, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977

(14) अधिसूचना सं.प. 1(3)(41) परि/72, दिनांक 5 नवम्बर, 1977

(15) अधिसूचना स.प. 1(8)गृह-7/77, दिनांक 12 मई, 1977

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री सभापति : विद्युत मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61 की धारा 75(1) एवं धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल के निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) आय व्ययक अनुमान, 1978-79

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1976–77 एवं

(3) लेखा विवरण 1976-77

आपत्ति

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक पर विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है, इस विद्युत् मण्डल के प्रतिवेदन पर हाउस में डिबेट होनी चाहिये। विद्युत मण्डल के अन्दर बहुत भारी गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों को छिपाने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने आज आखिरी दिन विद्युत् मण्डल के प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखा है और इस पर चर्चा से छुट्टी पाना चाहते हैं। सभापति महोदय, विद्युत् मण्डल के बारे में हमारे पास काफी शिकायतें हैं, कुछ जानकारी है जो कि हम हाउस को देना चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं जिनसे कि जनता को लाभ हो सकता है। मेरा निवेदन है कि या तो इसे आज लिया जाय या सदन में यह आश्वासन दिया जाय कि अगले सत्र में इस विद्युत् मण्डल की रिपोर्ट को सदन में जरूर डिस्कस किया जायेगा।

श्री सभापति : विपक्षी दल के माननीय सदस्य ने जो आब्जेक्शन उठाया है मैं समझता हूं कि काफी वजनी अब्जेक्शन उठाया है। चूंकि इस सत्र के आखिरी दिन इस प्रतिवेदन को रखा है इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस रिपोर्ट को अगले सत्र में हाउस में डिस्कस किया जायगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जरूर देंगे साहब

श्री सभापति : ठीक है आश्वासन हो गया।

श्री गृह मन्त्री।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मन्त्री महोदय को कागज नहीं मिल रहा है। वह घबरा गये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं घबराता नहीं हूं।

भोपालगढ़ काण्ड जांच आयोग का प्रतिवेदन

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय मैं भोपालगढ़ कान्ड जांच आयोग की रिपोर्ट एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया।

प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री हरिसिंह।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : सभापति महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 1977-78 का प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

(श्री सभापति)

आधे घन्टे की चर्चा श्री लाल शंकर डेंडोर।

आधा घण्टे की चर्चा

तारांकित प्रश्न संख्या 479

डूंगर जिले में अतिवृष्टि से क्षति

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं डूंगरपुर जिला में राहत कार्यों में घोटाले से संबंधित प्रश्न संख्या 479 (121/सा. नि.मं.) के उत्तर, जो दिनांक 23 मार्च, 1978 को इस सदन में दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 9 सितम्बर, 1973 को डूंगरपुर जिले में बाढ़ आने से कई लोगों के मकान ढह गये और हजारों लोगों का लाखों रुपये का नुकसान हो गया। बाढ़ से डूंगरपुर सागवाड़ा क्षेत्र के आसपास के करीब 90 प्रतिशत गांव प्रभावित हुए। सभापति महोदय, जो लोग वहां पर रहते हैं उनमें से 90 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। उस बाढ़ से सभी लोग प्रभावित हुए। तत्कालीन सरकार ने करीब 10–12 लाख रुपये डूंगरपुर जिले में जहां बाढ़ आयी थी वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये दिये गये थे। लेकिन सागवाड़ा के प्रधान और भीखा भाई, जो कि उस वक्त मन्त्री थे, तथा उस इलाके के कई कांग्रेसी नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने उस पैसे का दुरुपयोग किया। वह लोग हजारो रुपये फर्जी मस्टर रोल बना कर खा गये। सभापति महोदय, इस सारे गबन-घोटाले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें एक दो लाख नहीं कई लाख रुपये का घोटाला है। जनता को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो पैसा वहां दिया था उस पैसे को यह लोग खा गये। इतना ही नहीं इसके बारे में जब शिकायतें की गयीं तो पुलिस केस भी बना था। उस पुलिस केस में जहां 72 व्यक्तियों का चालान किया जाना चाहिए था भ्रष्टाचार और गबन घोटाले में वहां पर सिर्फ 17 व्यक्तियों का ही चालान किया गया और बाकी के लोगों का नाम रफा दफा कर दिया। सभापति महोदय, सन् 1971 में इस केस को पूरी तरह से रफा-दफा कांग्रेस सरकार ने पुलिस से मिल कर कर दिया। कोई एक्शन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं हुआ। हमने केन्द्रीय सरकार को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये और यह कहा कि स्थानीय पुलिस ने और भ्रष्टाचारी लोगों ने मिल कर सारे मामले को रफा दफा कर दिया है इसलिये इस केस की सी0 बी0 आई0 से जाच करायी जावे। पर उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने सागवाड़ा के प्रधान और भीखा भाई, जो कि कांग्रेस सरकार में मन्त्री थे, के केस को रफा दफा कर दिया। जब कि हमने कहा कि इसमें भीखा भाई, और सागवाड़ा के प्रधान तथा 70 व्यक्ति और शामिल हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी हैं, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। जिन आदिवासी लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ, जिनके मकान नष्ट हो गये वह बरबाद हो गये और जो पैसा राज्य सरकार ने उन लोगों के लिये दिया था उसको यह भ्रष्ट लोग खा गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सन् 74 में 55 लोगों को वहां के एस.डी.एम. साहब विश्वेश्वर पान्डे

(श्री लालशंकर डेंडोर)

ने दण्डित कर दिया पर पता नहीं क्या हुआ कि उस केस को खतम ही करा दिया। इसके बाद में इमर्जेन्सी लग गयी तो सिर्फ 17 व्यक्तियों का चालान मुलजिम बना कर किया जब कि चालान 72 लोगों का होना चाहिये था, भीखा भाई को भी मुलजिम बनाना चाहिये था। उन लोगों ने सारे केस को रफा-दफा करा दिया। अब मेरा निवेदन है कि इस सारे केस की दुबारा जांच होनी चाहिये। वह जांच सी.बी.आई. से करायी जानी चाहिये और इन लोगों को पकड़ कर जेल के सींकचों में बन्द किया जाना चाहिये। इन लोगों का केस चले तब तक जमानत नहीं होनी चाहिये। नहीं तो यह लोग और गड़बड़ी करेंगे। इसके अलावा मैं आंकड़े भी देना चाहूंगा कि किस किस मद में कितना कितना पैसा था और कितना यह लोग खा गये।

श्री सभापति : आप सूची सदन की मेज पर रख दें।

श्री लाल शंकर डेंडोर : तो, सभापति मोहदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस केस को दुबारा रीओपन करके इसकी जांच सी. बी. आई. के अधिकारियों के द्वारा करायी जानी चाहिये और जिन लोगों को नुकसान हो गया था उन लोगों को मुआवजा दिलाया जाना चाहिये ताकि उन लोगों को राहत मिले। इसके अलावा जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां पुलिस में कीं उनको भी सजा दिलायी जानी चाहिये। जो एस. डी. ओ. साहब ने फैसला किया था उसको वहां के एस. पी. और थानेदार ने मिल कर रफा-दफा कर दिया था इसलिये उन सभी को दण्डित किया जाना चाहिये।

श्रीमन, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह केस बड़ा गम्भीर है। यह केस बिल्कुल सत्य है। वहां के लोग अशिक्षित हैं, समझ नहीं सकते हैं उन लोगों को कह दिया कि पैसा वितरित कर दिया। यह सब गलत है। जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं थी आज उनके पास चार-चार सौ बीघा जमीन है, पांच-पांच सौ बीघा जमीन है, दो दो पैट्रोल पम्प है, उनके माउन्ट आबू में, जयपुर में बंगले बने हुए हैं। उन्होंने भाई भतीजावाद फैलाया और बेटे बेटियों को जमीन अलाट करायी। यह कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सितम्बर, 1973 में भयंकर वर्षा हुई, विशेषकर डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में अति वृष्टि हुई उसके फलस्वरूप 85 गांव प्रभावित हुए और 58340 की आबादी उससे प्रभावित हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस अतिवृष्टि में 846 पशु समाप्त हुए और 84 लाख 33 हजार की जो खड़ी हुई फसल कूंती गयी थी वह नष्ट हो गयी। उस समय भीखाभाई मंत्री थे। वे सागवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। मैं भी डूंगरपुर में एक राजनैतिक कार्यकर्ता था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने उस समय क्षति ग्रस्त मकानों के लिये 4 लाख 40 हजार रुपया स्वीकार किया था। राहत कार्यों के संचालन के लिये एक कमेटी बनायी गयी थी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना

(श्री कौशल किशोर जैन)

चाहूंगा कि श्रीमान भीखाभाई की देख रेख में जो कमेटी बनायी गयी उस कमेटी को जो रुपया सौंपा गया 4 लाख 40 हजार रुपया क्षतिग्रस्त मकानों के लिये, कहा जाता है कि उन 4 लाख 40 हजार रुपयों को लोगों को वितरित कर दिया। भोजन, आवास, केरोसिन और कपड़ा इन मदों में 40 हजार रुपया खर्च किया और 40 हजार का वितरण कर दिया। इस प्रकार का क्लेम इस कमेटी ने किया। बाढ़ पीड़ितों के लिये इमारती सामान और फवाड़ा लाया गया उसमें 1 लाख रुपया खर्च किया ऐसा कमेटी ने कहा। 1 लाख रुपयों में से 83350 रुपये वितरित कर दिये। दवाई के लिये वितरण किया 32 हजार रुपया। 32 हजार रुपया सर्फ किया उसमें से 25301 रुपया वितरित कर दिया। 6 लाख की राशि में से 5 लाख 384 रुपये वितरित कर दिये इस प्रकार की रिपोर्ट बनी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भ्रष्टाचार की मिसालें बहुत मिलती हैं। उस अतिवृष्टि के कारण जनमानस परेशान था, बाढ़ से मकान गिर गये थे, सरकार ने 6 लाख रुपये स्वीकृत किये किन्तु राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान भीखा भाई, जो सागवाड़ा के निवासी है, ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस राशि में से 2 लाख रुपये भी सही रूप में वितरित नहीं किये। उस से 2 लाख रुपये भी गरीबों को, अतिवृष्टि से पीड़ित लोगो को नहीं मिला। सभापति महोदय, आप वहां पधारें और एक एक व्यक्ति से पूछ लें, 1973 की अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों में उनको कितना पैसा वितरित किया गया। गलत एस्टीमेट बनाये गये। गलत बिल बनाये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान विमल प्रकाश, पंचायत समिति सागवाड़ा के प्रधान हैं, वे प्रधान थे वहां परन्तु श्रीमान विमल प्रकाश . . .

श्री सभापति : सदस्य महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें। रूल 273 के तहत आप प्रायर नोटिस देने के पहले कोई एलीगेशन हाउस में नहीं लगायें, कोई पर्सनल एलीगेशन किसी पर न लगायें, अगर आपने उसके लिये प्रायर नोटिस नहीं दिया है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री लालशंकर जी ने इस आशय की सूचना आपको दी है। प्रधान, पंचायत समिति, सीमलवाड़ा का इसमें हाथ है, नायब तहसीलदार, सागवाड़ा इस सारे काण्ड में लिप्त हैं। उस वक्त राज्य मंत्री अकाल राहत श्री गुलाबसिंहजी शक्तावत थे। प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, उसके साथ सूची दी गयी है उसका तो मैं स्वागत करता लेकिन वह सूची अधूरी है। उस सूची में बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिये गये हैं। जिन लोगों ने 4 लाख की राशि हड़प ली 6 लाख में से, गरीबों को मिलने वाली सहायता में से उन लोगों के मकान खड़े हो गये वे मगरमच्छ उस सूची में से निकल गये। माननीय मंत्रीजी, आपकी सज्जनता की सारे राजस्थान पर छाप है। यह, श्रीमन्, मंत्री महोदय, जो उस समय भीखाभाई थे, मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, लिखित आरोप लगा रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय जांच करें।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि रूल्स आफ प्रासीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस के तहत किसी पर्सन पर कोई चार्ज लगाना चाहते हैं तो उसके लिये प्रायर नोटिस स्पीकर को दें। स्पीकर को प्रायर नोटिस नहीं दिया है तो इल्जाम नहीं लगा सकते।

श्री कौशलकिशोर जैन : प्रश्न उठा है और सरकार ने उत्तर दिया है। स्वीकार किया है सरकार ने। इन्क्वायरी बिठाई है सरकार ने। आप अनुमति दे तो बोलूंगा।

श्री सभापति : पर्सन के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलीगेशन है उसके लिए स्पीकर को जब तक लिख कर न दें तब तक आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सन पर एलिगेशन न लगायें।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपने मुझे बताया उसके लिए धन्यवाद।

श्री माधोसिंह कछवाह : एलीगेशन्स के सम्बन्ध में ये नहीं बोल रहे हैं, चर्चा में नाम आ रहा है।

श्री सभापति : उस चर्चा का कहा है सवाल। पर्सन का नाम न लें।

एक माननीय सदस्य : बगैर पूर्व सूचना के आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : पर्सन के खिलाफ कोई एलीगेशन हो that is barred under rule 273।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस अतिवृष्टि के कारण जो सरकार से राशि मिली उसमें जो राशि गबन हुई उससे भीखाभाई की 500 बीघा जमीन खड़ी हो गई। पैट्रोल पंप खड़े हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री कौशलकिशोर जैन : पुलिस लाइन डूंगरपुर के पीछे, शंकर पुरी की दुकान के पीछे यह इस बात के प्रमाण हैं श्रीमान्, उन्होंने इस प्रकार से गरीबों को धोखा दिया। नयी आबादी में भीलों की कृषि की जमीन खरीद ली थी, कहां से पैसा आया?

श्री सभापति : आप कृपया मुझे सुनिये। आसन से यह व्यवस्था हो गई है कि आप बिना नोटिस के एलीगेशन नहीं लगायें फिर भी एलीगेशन लगा रहे हैं। अब यदि आपने एलीगेशन लगाये तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि अंकित न हो।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे काण्ड में जो जिम्मेदार हैं, जिनकी सूची दी उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिन लोगों ने मानवता के प्रति द्रोह किया है चाहे वह कोई भी व्यक्ति हों, उच्च से उच्च व्यक्ति हों और छोटे से छोटे हों, जिन्होंने सहायता की राशि में गबन किया है उनको सख्त दंड मिलना चाहिये। यह सवाल नहीं है कि अपराध कब किया। किये होंगे उस वक्त। लेकिन जनता सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये प्रयी है तो इस सारे काण्ड की जांच करे। केवल छोटे छोटे अफसरों को ही सजा देने से काम नहीं

(श्री कौशल किशोर जैन)

चलेगा जैसा कि दुनिया का नियम है, सिपाही को फंसा दिया, थानेदार बच गया, क्लर्क को फांस दिया इन्जीनियर बच गया, इससे काम नहीं चलेगा, मंत्री महोदय। मेरा निवेदन है कि जो भी प्रभावशाली व्यक्ति इसमें लिप्त हैं उनकी जांच की जाये। आप इसकी जांच करेंगे इसकी मुझे पूरी आशा है। आप जैसे व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग और राहत के कार्यों में शुद्धता आयेगी, इस प्रकार की आशा है।

श्री सभापति : श्री वृद्धि चन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति जी, इसमें मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : जो सूची मेरे पास है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने दस्तखत करके दिया है। केवल दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

आपने कहा कि एलीगेशन कहीं लगाने चाहिये, हमने नहीं लगाये यह तो जो प्रभारी अधिकारी जिलाधीश डूंगरपुर की लिस्ट है उसमें है। यह लिस्ट मैंने नहीं बनाई। इसमें 24 लोगों के नाम हैं। इसमें जो मुखिया है उनको अवश्य छोड़ दिया है। यह परिपाटी रही है कि नामी चोर निकल जाता है और छोटे मोटे को पकड़ कर सजा दी जाती है और ढिंढोरा पीटा जाता है चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। दो लिस्ट हैं पहली लिस्ट है उसमें जांच के दौरान दोषी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के 24 नाम हैं। दूसरी एक और सूची गैर सरकारी दोषी व्यक्तियों के नामों की उसमें 31 लोग हैं। एक और आश्चर्यजनक बात है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद इसका जवाब मिला। उसमें लिखा है कि इन 17 लोगों का चालान 7-4-78 को पेश कर रहे हैं। यह है हमारी काबलियत और योग्यता। जब बात सदन में उठा दी जाती है उसके बाद कहा जाता है कि हम चालान पेश कर रहे हैं। यह सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि हम बेईमान को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। जब विधान सभा में बवण्डर बनता है और जब उसको यहां उठाया जाता है तो हमारे सरकारी अधिकारियों के कान पर जूं रेंगती है। यह प्रमाण है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जिन अधिकारियों ने इन लोगों के खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं की कृपया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। बार बार सदन में आने के बाद हमारी आत्मा झकझोरती है। क्या ऐसे बेईमान और चोर लोगों को बचाने के लिए हमारा शासन लगा रहेगा? क्या हमारी काबलियत इसी में है कि हम उन लोगों को बचायें?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा हो रही है। आधे घण्टे की चर्चा उठने के बाद मन्त्री महोदय को उसका उत्तर देना चाहिए।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

था। उन्होंने उत्तर दिया नहीं और उसके पहले ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ले लिया। मैं कहूंगा कि पहले मन्त्री महोदय का उत्तर दिलाया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का एतराज सही है। मैंने ध्यान आकर्षण के लिये काल कर लिया था करतारसिंहजी को। मन्त्री महोदय जवाब देते मुझे नजर नहीं आये इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं गया। आपके बाद यदि मन्त्री महोदय जवाब देना चाहें तो बेशक जवाब दे दें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मन्त्री महोदय तैयार हैं। जवाब दिलाया जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि ऐसे घोटाले कठिनाइयों से निकाल कर लाते हैं इसलिये दोषी व्यक्तियों को सही दण्ड दिया जाये। अगर दन्ड नहीं दिया गया तो यही अधिकारी और अधिक हावी होंगे और बेईमानी करने वालों को हम प्रश्रय देंगे। इसी भावना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो 71 लोग हैं इन सब के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री जयनारायण पूनिया (राहत मन्त्री) सभापति महोदय, दिनांक 7–9–73 को माही नदी में बाढ़ आने के कारण राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये 4,40,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि बाढ़ पीड़ितों को भुगतान हेतु 3 किश्तों में राज्य ने भेजी। जिलाधीश, डूंगरपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 18–10–73 द्वारा एक कमेटी बनायी गई जिसमें तहसीलदार, सीमलवाड़ा संयोजक व विकास अधिकारी सागवाड़ा, प्रधान, पंचायत समिति सागवाड़ा और प्रधान, पंचायत समिति सीमलवाड़ा को सदस्य मनोनीत किया गया। साथ ही जिलाधीश डूंगरपुर ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 19–11–73 द्वारा ये निर्देश भी दिये कि कमेटी पूर्ण क्षति वाले मकान मालिकों को 150) रुपये एवं अपूर्ण क्षति वाले मकान मालिकों को 90)रु. का अनुदान वितरित करेगी।

इस वितरण कार्य के सम्बन्ध में जिलाधीश, डूंगरपुर को नगर कांग्रेस कमेटी सागवाड़ा की ओर से दिनांक 24–1–74 व 18–2–74 को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सहायतार्थ जो रकम वितरित की गई है उसमें की गई अनियमितताओं की जांच की जाये। इसके अतिरिक्त एक गुमनाम पोस्टकार्ड दिनांक 21-1-74 भी इस सम्बन्ध में जांच के लिए प्राप्त हुआ। इस पर दिनांक 18-3-74 को जिलाधीश, डूंगरपुर ने एस. डी. ओ. श्री नरपतसिंह द्वारा जांच की जाकर अपनी रिपोर्ट दिनांक 10-4-74 को जिलाधीश डूंगरपुर को प्रेषित की जिसमें यह बताया गया था कि चिवड़ा ग्राम में श्री गुलाबसिंह तहसीलदार एवं श्री गनपतलाल विकास अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण श्री रामप्रसाद, नायब तहसीलदार, श्री जाकिर हुसैन, ए. ई. ओ. एवं श्री विमल प्रकाश प्रधान ने 14 दिसम्बर, 1973 को चिवड़ा के ग्रामवासियों को ग्राम झूमजी में

(श्री जयनारायण पूनिया)

बुलाकर चुकारा किया। स्थानीय पटवारी श्री शाहमोहम्मद ने दिनांक 16-12-73 को इन लोगों से 50 प्रतिशत राशि वापस ले ली और इस पटवारी ने श्री विमल प्रकाश रोत प्रधान पंचायत समिति सागवाड़ा के साथ मिलकर इस प्रकार वसूल की गई राशि को आपस में बांट लिया। दिनांक 27 जून, 74 का जिलाधीश ने पुन: उपखण्ड अधिकारी श्री बी. एल. पाण्डे को समस्त गांवों में जांच करने के आदेश दिये। उप-खण्ड अधिकारी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 19-2-75 को जिलाधीश डूंगरपुर को प्रस्तुत की।

उपरोक्त जांच के आधार पर सहायता की राशि के वितरण में निम्न अनियमितताएं पाई गईं:–

(1) अधिशासी अभियंता कडाना ने केवल 15 गावों को ही बाढ़ से प्रभावित होना बताया जब कि तहसीलदार ने 86 गांवों को बाढ़ग्रस्त माना।

(2) तहसील की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति सागवाड़ा के 29 गांव और पंचायत समिति सीमलवाड़ा के 57 गांव प्रभावित हुए। इन ग्रामों में 995 पूर्ण मकान एवं 1795 अपूर्ण मकानों की क्षति हुई। इस प्रकार कुल 2790 मकान प्रभावित होना बतलाया है। जब कि जांच में 80 गांवों में 1654 व्यक्तियों को पूर्ण मकान क्षतिग्रस्त होने से व 4531 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त-होने के कारण चुकारा किया गया है।

(3) भुगतान ऐसे व्यक्तियों के नाम बताये गये हैं जो भुगतान के समय मौजूद नहीं थे।

(4) कुछ गांवों में जिन व्यक्तियों के नाम भुगतान की राशि दिखायी गई है, उस नाम के व्यक्ति गांवों में हैं ही नहीं।

(5) भुगतान ऐसे व्यक्तियों के नाम दिखाये गये हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये या अंगूठे लगाये ही नहीं फिर भी उनके नाम भुगतान है।

(6) कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये या अंगूठे नहीं लगाये फिर भी उन्हें ½ रकम का भुगतान किया गया।

(7) कुछ भुगतान ऐसे हैं जिनमें संबंधित व्यक्तियों के नाम के आगे कोई राशि अंकित नहीं की गई है और उन व्यक्तियों के एतराज के बावजूद उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान प्राप्त कर लिये गये और बाद में मनचाही रकम उनके नाम के आगे लिख दी गई।

(8) कुछ भुगतान इस शर्त पर किया गया कि तीसरे हिस्से की रकम वापस करनी होगी।

(9) कुछ भुगतान ऐसे हैं जिनमें संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा कर या अंगूठे लगवाकर रकम नहीं दी गई, या जिसे दीगर एजेन्टों ने वापस वसूल कर लिया।

दिनांक 19-3-75 को राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि मामला पुलिस में दर्ज करा दिया जाय और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच अभी शुरू न की जाये बल्कि पुलिस की जांच व अदालत के निर्णय के पश्चात् ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाये। तत्पश्चात् पुलिस स्टेशन

(श्री जयनारायण पूनिया)

सागवाड़ा में मुकदमा नं. 38/75 धारा 420, 409, 468 एवं 120 बी भा. दं. सं. के अन्तर्गत दिनांक 2-5-75 को एस. डी. ओ. डूंगरपुर की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। एस. डी. ओ. की जांच में लगभग एक लाख रुपये की राशि का दुरुपयोग होना पाया गया एवं इस दुरुपयोग के लिए 24 सरकारी कर्मचारी तथा 31 गैर सरकारी व्यक्ति दोषी पाये गये थे। एस. डी. ओ. की जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार है :—

सरकारी कर्मचारी जो दोषी पाये गये :

(1) श्री गुलाबसिंह तहसीलदार, सागवाड़ा

(2) श्री रामप्रसादराय, नायब तहसीलदार, सागवाड़ा

(3) श्री अमृतलाल, आफिस कानूनगो (भू-अभिलेख) सागवाड़ा

(4) श्री पुरुषोत्तम लाल द्विवेदी, भू-अभिलेख

(5) श्री दयाशंकर, गिरदावर भू-अभिलेख, सागवाड़ा

(6) श्री जीतमल जैन, डी. आर. ए.

(7) श्री रतनलाल व्यास, रीडर

(8) श्री प्रेमसूरी, पटवारी

(9) श्री बादरखां, पटवारी

(10) श्री कमला शंकर, पटवारी घोड़ापाला

(11) श्री शाह मोहम्मद, पटवारी चिबड़ा

(12) श्री गौतमलाल, पटवारी पादरड़ी बड़ी

(13) श्री फकीर मोहम्मद, पटवारी, कानपुर

(14) श्री सैदाअली पटवारी, चाखली

(15) श्री ईश्वरदास, पटवारी

(16) श्री इस्माइल खां, पटवारी, बड़गांवा

(17) श्री मकुबर अली, पटवारी, रातदिया,

(18) श्री अब्दुल मजीद, पटवारी,

(19) श्री हरिकृष्ण, पटवारी, नौलिया बड़ा

(20) श्री शमशेरखां, पटवारी, अंबाडा

(21) श्री दलपतसिंह, पटवारी, रामसौर

(22) श्री खण्डेलवाल, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सागवाड़ा (राजस्थान)

(23) श्री जाकिर हुसैन, ई. ओ. पंचायत समिति, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

(24) श्री प्रेमजी पाटीदार, कर्मचारी वन विभाग

गैर सरकारी व्यक्ति जो दोषी पाये गये

(1) श्री विमल प्रकाश रोत, प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा

(2) श्री हुरजी प्रधान, पं. स. सीमलवाड़ा

(3) श्री कचरा, सरपंच, दिवड़ा बड़ा

(4) श्री धनजी सरपंच सेमालिया पंड्या

(5) श्री पूजा कलाल, बगैरी

(6) श्री हिम्मतसिंह, राजपूत ग्राम बगैरी

(7) श्री पूर्णानाथ बाबा

(8) श्री दयाशंकर सरपंच

(श्री जयनारायण पूनिया)

(9) श्री भारतसिंह राजपूत, नि. बमासा
(10) श्री नाथू, मैम्बर पादरडी बड़ी
(11) श्री सज्जनसिंह राजपूत, पादरडी बड़ी
(12) श्री नारायणलाल पुरोहित, नि. पादरडी बड़ी
(13) श्री हीरा पिता नाथीया डेंडोर नि. पादरडी छोटी
(14) श्री प्रेमजीतसिंह सरपंच, दोवड़ा बड़ा
(15) श्री प्रेमजी सरपंच दोवा बड़ा
(16) श्री मणीलाल महाजन, निवासी दिवड़ा बड़ा
(17) श्री नाथू, दोबड़ा
(18) श्री कूरा सरपंच, साकोदरा
(19) श्री रामेंग सरपंच, चोतली
(20) श्री शंकर सरपंच, कोचरी
(21) श्री नानीया मेणा, गडा जसरापुर
(22) श्री ऊंकार, अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी त. बावड़ी
(23) श्री धूलजी सरपंच, बावड़ी
(24) श्री बाबूलाल सरपंच नौलिया बाड़ा
(25) श्री सेवालाल धनगांव
(26) श्री भूरजी उप सरपंच रातड़िया
(27) श्री पदमजी सरपंच, बड़गामा
(28) श्री मणीशंकर सरपंच जैसेला
(29) श्री लालूरामजी केसरपुरा
(30) श्री दुवल सरपंच तालेड़ा
(31) श्री शंकर सरपंच कोचरी

पुलिस अन्वेषण में तफतीश कुनिन्दा अधिकारी ने कुल 41 गवाहान के बयान धारा 161 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कलम बन्द किये जिसमें से 26 गवाहान का सम्बन्ध भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से है तथा 5 व्यक्तियों के बयान भुगतान करने वाले कर्मचारियों के हस्ताक्षर या लिखावट की जानकारी के सम्बन्ध में है। इनमें से 6 व्यक्तियों के बयान अन्तर्गत धारा 164 जाब्ता फौजदारी कलमबन्द कराये गए हैं और 7 व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट जांच हेतु भेजे गये हैं।

अन्वेषणकर्त्ता ने अपनी तफतीश के आधार पर 17 व्यक्तियों को दोषी पाया जिनके नाम निम्न प्रकार हैं तथा उन्हें अदालतों से जमानत पर छोड़ा हुआ है :—

1. श्री विमलप्रकाश रोत, प्रधान पंचायत समिति, सागवाड़ा
2. श्री गुलाबसिंह चौहान, तहसीलदार, सागवाड़ा
3. श्री कमलाशंकर पटवारी, तहसीलदार, सागवाड़ा
4. श्री अमृतलाल आफिस कानूनगो, तहसील सागवाड़ा
5. श्री जीतमल जैन, टी. आर. ए. तहसील सागवाड़ा

(श्री जयनारायण पूनिया)

6. श्री सैदाअली, पटवारी, पटवार मंडल चोखली तहसील सागवाड़ा
7. श्री हरजी आर्य, प्रधान पंचायत समिति सीमलवाड़ा
8. श्री इस्माल खां, पटवारी तहसील सागवाड़ा
9. श्री शंकर सरपंच विकास पंचायत कोचरी
10. श्री रतनलाल रीडर तहसील कार्यालय सागवाड़ा
11. श्री पुरुषोत्तम लाल गिरदावर तहसील सागवाड़ा
12. श्री दयाशंकर गिरदावर तहसील सागवाड़ा
13. श्री प्रेमपुरी पटवारी तहसील सागवाड़ा
14. श्री रामप्रसाद राय, नायब तहसीलदार, तहसील सागवाड़ा
15. श्री धूलजी, सरपंच, विकास पंचायत जावड़ी
16. श्री ओंकार भाई अध्यक्ष सहकारी समिति बावड़ी
17. श्री शाह मोहम्मद पटवारी तहसील सागवाड़ा

पुलिस की तफतीश के रिकार्ड के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए निम्न प्रकार से राशि स्वीकृत की गई :—

1. दिनांक 3-10-73	1,00,000 रुपये
2. दिनांक 8-10-73	2,00,000 रुपये
3. दिनांक 10-12-73	1,40,000 रुपये

उपरोक्त राशि तहसील सागवाड़ा बाढ सहायता रोकड बही में निम्न प्रकार जमा की गई :—

1. 12-11-73	2,00,000 रुपये
2. 3-12-73	1,00,000 रुपये
3. 21-1-74	1,40,000 रुपये

इस राशि में वितरण करने के लिये जिन व्यक्तियों को रकम दी गई उनके नाम रोकड़ बही में निम्न प्रकार लिखे गये हैं :—

1. दिनांक 14–11–73	तहसीलदार श्री गुलाबसिंह	1,00,000 रुपये
2. दिनांक 13–12–73	नायब तहसीलदार श्री रामप्रसाद	20,000 रुपये

(श्री जयनारायण पूनिया)

3. दिनांक	14-12-73	नायब तहसीलदार श्री रामप्रसाद	30,000	रुपये
4. दिनांक	4-1-74	तहसीलदार श्री गुलाबसिंह	15,000	रुपये
5. दिनांक	19-1-74	,, ,, ,,	10,000	रुपये
6. दिनांक	14-1-74	,, ,, ,,	1,00,000	रुपये
7. दिनांक	14-1-74	तहसीलदार श्री गुलाबसिंह	25,000	रुपये
8. दिनांक	23-1-74	,, ,, ,,	40,000	रुपये
9. दिनांक	25-1-74	,, ,, ,,	1,00,009	रुपये

उपरोक्त राशि में से 4,39,000 रुपये की राशि भिन्न भिन्न गांवों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को वितरण करने का पूरा हिसाब श्री गुलाबसिंह तहसीलदार द्वारा स्वहस्ताक्षरित पेश किया गया है तथा बाकी 10 रुपये को दिनांक 26-3-74 को बैंक में जमा कराना रोकड़ बही में अंकित है।

चूंकि विमल प्रकाश रोत, प्रधान पंचायत समिति सागवाडा श्री हरजी प्रधान पंचायत समिति सीमलवाडा, श्री शंकर सरपंच कोचरी, तथा भूरजी भाई सरपंच बावड़ी भी अपराधी पाये गये हैं इसलिए इनके खिलाफ चालान प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार से दिनांक 20-4-76 को स्वीकृति के लिये निवेदन किया जिस पर राज्य सरकार ने दिनांक 19-5-77 को इन व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश करने की स्वकृति दी है। तत्पश्चात् मुल्जिमान को गिरफ्तारी की कार्यवाही को जाकर तफ्तीश मुकम्मल की गई है।

चार्जशीट नं. 42/77 दिनांक 31-12-77 अन्तर्गत धारा 409,420,469, 468,120 बी.भा.द. सं. अदालत में पेश की गई जिस पर अदालत ने कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी खामियां निकालीं और दिनांक 7-4-78 को खामियों की पूर्ति करके चार्जशीट पुनः अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। ये चार्जशीट उपरोक्त वर्णित 17 मुल्जिमान के खिलाफ हैं।

श्री बी. एल. पांडे एस. डी. ओ. डूंगरपुर की विस्तृत रिपोर्ट दि. 19-2-75 तथा पुलिस तफ्तीश द्वारा कहीं भी किसी भी हालत में श्री भीखाभाई भूतभूर्व मंत्री का इन अनियमितता एवं इन गड़बड़ियों में कोई हाथ नहीं पाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

तिलोनिया जिला अजमेर में समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय श्री करतारसिंह

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत तिलोनिया जिला अजमेर में समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र द्वारा सरकारी धन के

(श्री करतारसिंह)

दुरुपयोग की ओर सामुदायिक विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (सामुदायिक विकास मन्त्री) : सभापति महोदय, ग्राम तिलोनिया जिला अजमेर में पहले एक ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा था जिसमें 100 ग्राम सेवक प्रशिक्षण प्राप्त करते आ रहे थे। यह केन्द्र सन् 1967 में बन्द कर दिया गया था। इस केन्द्र के आवास गृह एवं भूमि को सन् 1972 में समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था को नोमिनल रेट पर 1/– रु. मासिक के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था। तत्पश्चात् इस लीज की अवधि 5 वर्ष और बढ़ा दी गई थी। उपरोक्त लीज नोमिनल किराये पर इस आधार पर दी गई थी कि उपरोक्त संस्था तहसील किशनगढ़ के क्षेत्र का ग्राउण्ड वाटर सर्वे करके भूमि की तह के जल स्रोत में वृद्धि करने के लिए सिफारिश प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त संस्था द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई थी कि भूमि की सतह में जल भण्डार में वृद्धि करने के लिए तालाब के तल में छिद्र (होल) करके बरसात के पानी एवं तालाब में भरे रहने वाले पानी को भूमि के जल से यदि मिला दिया जावे तो तालाब के निकट के कुओं की जल क्षमता बढ़ सकती है। इस संस्था की उपरोक्त योजना के बारे में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं की राय लेकर 30 मार्च सन 1974 को इस केन्द्र को 1,30,000 रु. का अनुदान कुल 5 तालाबों (टैंकों) में 50 बोरिंग कार्य करने हेतु दिया गया था। जिसमें से 22 बोरिंग कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 97247 रु. व्यय होना बतलाया गया है। इस संस्था को अजमेर जिले की जवाजा पंचायत समिति से भी इस प्रकार के कार्य करने के लिए 40,000 रु. का अनुदान वर्ष 1976 में स्वीकृत कर के दे दिया गया है। इस संस्था को भारत सरकार द्वारा अथवा अन्यत्र से भी कोई धनराशि प्राप्त हुई है या नहीं इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी है, यह जानकारी एकत्रित की जा रही है। उपरोक्त योजना से वास्तव में कुओं के जल स्रोत में वृद्धि भी हुई है या नहीं इसकी मौके पर जाकर उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन के पूर्व व पश्चात् के सही आंकड़े लेकर एवं सम्बन्धित काश्तकारों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस संस्था को पंचायत समिति तिलोरा (किशनगढ़) की 3 प्राथमिक पाठशालाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने व ठीक प्रकार से संचालन की दृष्टि से 3 वर्ष के लिये सन् 1975 में दिया गया था। ग्रामवासियों एवं क्षेत्र के विधान सभा सदस्य की यह शिकायत प्राप्त हुई है कि पाठशालाओं का ठीक प्रकार से संचालन नहीं हो रहा है एवं बालकों के शिक्षा स्तर में गिरावट आई है।

इस सम्पूर्ण प्रकरण में मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति के अनुसार जांच करके यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री करतार सिंह : सभापति महोदय माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है–

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय का उत्तर काफी एक्सप्लेनेटरी था।

श्री करतार सिंह : सभापति महोदय, बहुत सी बातें छूट गई हैं।

माननीय सभापतिजी, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तिलोनिया ग्राम में 1973 में समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र नाम की संस्था आई। उसने 60–70 लाख रुपये की विदेशों से, राज्य सरकार से और केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त की है। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मुझे पूर्ण जानकारी है। उस संस्था ने कोई भी काम नहीं किया। उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। वास्तव में देखा जाये तो उसने कोई भी काम नहीं किया। 1973 में डवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट का रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 37 एकड़ जमीन थी, तीन कुए थे, वह 3।। हजार लीज के ऊपर दी गई। वह जमीन भी गलत तरीके से इनको दे दी गई। उस संस्था ने केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से लाखों रुपये की राशि प्राप्त की है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री मोहन मुकर्जी ने उनकी डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मदद की। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा बताया 1 लाख 30 हजार दिया। मैं निश्चित रूप से चार्ज लगाता हूं कि मनमाने तरीके से काम किया है। वास्तव में कोई काम नहीं हुआ। वास्तव में कुछ गांवों को सलेक्ट किया गया था एक्सपेरीमेंट के तौर पर। उन गांवों के अन्दर आज तक कुछ नहीं किया गया और 67 हजार रुपये हड़प कर गये। इसके साथ उन्होंने केन्द्र सरकार से और राज्य सरकार से 10 लाख रुपये की राशि संस्था के नाम से वसूल की। इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि तिलोनिया पंचायत समिति के स्कूलों को यह कह कर दिया गया कि वह संस्था का एक्सपेरीमेंट करेंगे। इसके पीछे प्लान था जो भूतपूर्व सरकार को भी नजर में आया। अभी भी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था कि किसकी वजह से, कौन से एग्रीमेंट के तहत वह जमीन उनको दी थी ? मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा।

मंत्री महोदय को बताऊं, उस संस्था द्वारा अधिकारियों को एन्टरटेन किया जाता है · · ·

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तत्काल केन्द्रीय सरकार को लिखा जाये और सी. बी. आई. से निश्चित रूप से जांच कराई जाये। वह संस्था क्या काम कर रही है। लाखों रुपया गांवों के विकास के लिए ले रही है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट विभिन्न संस्थाओं को भेजती है

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तीन जगह अलग अलग रिपोर्ट दे देती है और पैसा ले लेती है। कोई वैरीफिकेशन नहीं किया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, इतना बड़ा भवन इस संस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। 20 लाख रुपया एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन प्रोग्राम के लिए एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी से यह लेती है। एक भी पैसा · · · ·

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो गई।

श्री करतारसिंह : जिलाधीश को शिकायत लिखी उसका कुछ नतीजा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि इसी तरह से वह समाज अनुसन्धान कार्य कर रही है। मंत्री महोदय इसकी अवश्य जांच करें।

श्री सभापति : और भी कोई माननीय सदस्य पहले बोलना चाहेंगे ?

(विराम)

आपका इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नाम नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आधा मिनट लूंगा।

श्री सभापति : आधा मिनट लीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस तरह के राज्य में कितने स्थान हैं जहां अधिकारी लोग जाकर सरकारी पैसे के ऊपर आराम करते हैं ? इसकी कोई जानकारी हो तो बता दें। यह जानकारी संकलित कर लें। सी. आई. ए. का एजेन्ट होने का आरोप भी लगाया है। हमारी सरकार जांच करने में कमजोर है। तो क्या इस सारे मामले की जांच करवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : हम तो महसूस करते हैं।

श्री सभापति : श्री कल्याणसिंह सांखला। माननीय श्री चिरंजीलाल गर्ग।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, इस संस्था के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं कि सरकार बड़े बड़े चोरों को पकड़ने के लिये अपनी पुलिस फोर्स लगाती है, पैसा खर्च करती है और एक महा ठग, शासन का, सरकार का पैसा लगातार लूटता चला आ रहा है। क्या सरकार एक स्थान पर बैठे हुए इस ठग को, इस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती ? इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती ? क्या इसी प्रकार कार्य चलता रहेगा ? क्या इसी प्रकार लाखों रुपया घर भरने के लिए दिया जाता रहेगा ? 10 लाख रुपया रिसर्च के नाम पर ये व्यक्ति खा गये। इस प्रकार के व्यक्ति के कार्य कलापों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? एक व्यक्ति को 12।। लाख रुपये दिये, 32 हजार रुपये और दिये और चन्द दिनों बाद 30 हजार और दिये हैं। क्या सरकार का खजाना राजस्थान की गरीब जनता के लिये नहीं है ? क्या इस प्रकार के व्यक्तियों के घर भरने के लिये है ? दिल खोल कर लूट रहे हैं। सरकार का बार-बार ध्यान इस ओर दिलाये जाने के बाद आज तक क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाता ? क्यों नहीं उससे लाखों रुपया वसूल किया जाता ? इस प्रकार के व्यक्ति को इतना बड़ा भवन दिया गया। सरकार भवन निर्माण करती है तो अपना काम चलाने के लिये। एक व्यक्ति को इतना बडा भवन दिया जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पति पत्नी के रूप में वह वहां रहें, एशो-आराम का भोग करें, यह शर्म की बात है। यही मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। इतने बड़े बड़े घोटाले उनके सामने रखे गये हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति को चलने दिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जल्दी से जल्दी जांच बैठा कर इस प्रकार के व्यक्ति

(102)

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)
को राजस्थान से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री **सभापति** : श्री नवरंगसिंह।

श्री **नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : माननीय सभापति जी, आज जिस समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र का प्रसंग चल रहा है, उस के सिलसिले में, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक फर्जी संस्था है। इस फर्जी संस्था ने किसी तरह से कुछ बड़े आफिसरों से मिल कर बड़ी भारी रूप में रकम हासिल की है। समाज कार्य अनुसंधान के नाम से लाखों रुपये ले लिए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। इसके हिसाब की न जांच हुई है और न ही कभी ऑडिट हुआ है। सरकार के आई. ए. एस. आफिसरों और खास कर राजस्थान के कुछ आई. ए. एस. आफिसरों का यह विश्राम स्थल है, जहां वह गुलछर्रे उड़ाते हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करता चाहता हूं कि सारी स्थिति की जांच करवायें। जैसा मैंने कहा, मौके पर जांच करवाई जाये, मौके पर किसी आफिसर को भेजकर जांच करवाई जाय। यह जो फर्जी संस्था है इसकी जांच नहीं हो रही है। इस संस्था द्वारा जनता के पैसे का, करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। मेरा निवेदन है, इस संस्था को चलाने वाले व्यक्ति को न केवल राजस्थान से निकाला जाय बल्कि आई. जी. पी. को कह कर उसका चालान किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस मकान में यह संस्था चल रही है वह लाखों रुपयों का मकान है। उसमें पहले ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चलता था। उस मकान को केवल मात्र उसको एक रुपये लीज पर, मैं कहता हूं, जिस आफिसर ने दिया है चाहे वह राजस्थान का मुख्य सचिव ही ही क्यों न हो, मैं यह समझता हूं कि उसने राजस्थान की जनता के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस मकान को इस संस्था से मुक्त कराया जाय। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय योजना को इस राजस्थान में लागू किया है। उस योजना को सफल बनाया जाय। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि इस संस्था के पास जितनी जमीन है वह अन्त्योदय योजना के अन्दर किये गये परिवारों में बांट दी जाये ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं जो एक रुपये लीज पर मकान दिया गया है उसको आर्डिनेन्स जारी करके रद्द किया जाय। उसके स्थान पर किसी सरकारी दफ्तर या किसी उपयोगी संस्था, जैसे पहले ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र चलता था, उसी तरह के किसी प्रशिक्षण केन्द्र के लिये उसको दे दिया जाय ...

श्री **सभापति** : काफी ध्यान आकर्षण हो गया है, माननीय सदस्य। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय . . .

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है, आप संक्षेप में कह दें।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति जी, अजमेर में तिलोनिया समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र की जो बात सदन में चल रही है, उसके सिलसिले में जो अनुदान के आंकड़े मेरे पास हैं, उनको देखने से लगता है कि यह संस्था एक बहुत बड़ा फ्राड है और मेनिपुलेशन की एक बड़ी जगह है। कहा गया है कि यह संस्था कृषि में अनुसन्धान कर रही है और कुछ खेती के क्षेत्र में योगदान कर रही है। इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा कहा गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संस्था को काम करते हुए काफी अर्सा हो गया। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इस संस्था के किये हुए जितने कार्य हैं उनका अवलोकन किया जाय और साथ ही साथ जितना भी पैसा दिया गया है और जो खर्च किया है उसका मौके पर स्पाट वैरिफिकेशन किया जाना चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिये ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सके। इस संस्था ने 3-3, 4-4 जगह से एक ही पर्पज के लिये पैसा लेकर धन का बड़ा दुरुपयोग किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब इस तरह का मामला सदन में आ चुका है और वहां के स्थानीय माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान खींचा है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी है तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के मेनिपुलेटर्स को . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please आप फर्मायें।

श्री गोपाल सिंह : माननीय सभापति जी, मैं कह रहा हूं, जब यह इतनी हाई लाइट हो गई है तो माननीय मंत्री महोदय को जांच अवश्य करानी चाहिये कि वास्तव में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है और कहीं सारा हिसाब फर्जी तो नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को जांच के बाद यह करना होगा कि जो फर्जी हिसाब पेश करते रहे उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया जाय और जल्दी से जल्दी इस संस्था को बन्द कर दिया जाय।

श्री सभापति : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

(अनुपस्थित)

श्री भवरलाल ऐरन।

(अनुपस्थित)

अब जो एडिशनल इनफार्मेशन आई है, उस पर माननीय मंत्री महोदय कोई एश्योरेन्स देना चाहे तो दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति जी, जो कुछ मुद्दे उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मुद्दा पिछली बार भी उठा था। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत पेश की है और उसकी जांच भी करवाई गई है। उस जांच प्रतिवेदन से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और राज्य सरकार भी संतुष्ट नहीं है। जिस अधिकारी को जांच करने के आदेश दिये गये, अन्ततोगत्वा वह अधिकारी जांच करने गया तो उसको वहां के व्यवस्थापकों ने सहयोग नहीं दिया, इसलिये जो जांच रिपोर्ट आई है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने पहले भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन किया था कि एक वरिष्ठ अधिकारी को आदेश दिये गये हैं कि वह जांच करके पूरी रिपोर्ट दे। इस मामले में प्राइमाफेसी गड़बड़ लगती है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, No interruption. सुनिये, सुनिये। कृपया विराजिये, विराजिये। Please sit down, sit down. मेहरबानी कीजिये। माननीय सदस्य, आप तो बहुत अनुभवी हैं और आप खुद इन्ट्रप्शन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, वह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई है··

एक माननीय सदस्य : वह गड़बड़ कर रहे हैं, माननीय चौधरी जी, आप भी यही काम कर रहे हैं··

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, जहां तक जांच का प्रश्न है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सारी संस्था से सम्बन्धित सचिवालय में जो जो पत्रावलियां थीं वह 1974 से गायब हैं। यह तथ्य सामने आया है कि पत्रावलियां की पत्रावलियां गायब हैं। इसलिये इसकी भी जांच कराने का इरादा है कि किसने गायब कीं, कब गायब कीं और कैसे गायब हुई? एक वरिष्ठ अधिकारी के सम्बन्धी भी उस से सम्बन्धित रहे हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जिस तरह की रिपोर्ट आई है उससे प्राइमाफैसी यह लगता है कि यह संस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है और जो अनुदान दिया गया है उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य का आभार प्रदर्शित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रावलियां गायब हैं इसलिये पिछले सालों के हिसाब ले रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं राज्य सरकार की ओर से हर मुद्दे पर, जो सामने आयेंगे, विचार किया जायगा जो रिपोर्ट आई है, कि पत्रावली सचिवालय से गायब हुई हैं उसकी भी जांच की जायगी। दूसरी दूसरी जगहों से किस किस तरह का अनुदान मिल रहा है, जो पंचायत समिति द्वारा रुपया दिया गया है, और जो सूचना यहां दी है उनके बारे में मैं विभाग से जानकारी करूंगा। साथ ही यह विश्वास दिलाता हूं कि गड़बड़ियां ध्यान में आ जाने के बाद में आगे इस संस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा और जो कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, घोटाले हैं, उनको निश्चित रूप से बाहर लाया जायगा और दोषियों के साथ कानूनी सलूक किया जायगा।

श्री शिवचरण सिंह : इसका अनुदान काट कर तो नहीं दिया जा रहा है? अनुदान जो इसको मिलता था वह अनुदान मिल रहा है? 1974 में जो अनुदान दिया गया था उसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी शामिल है जिसने मिल कर रिकार्ड है उसको गायब कर दिया है। इसकी जांच करवाई जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : उस वक्त आप मंत्री तो नहीं थे? यह आपके ही संरक्षण में हुआ है।

श्री शिवचरण सिंह : मैं मंत्री होता तो ऐसी हरकत नहीं होती ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें । बैठिये । स्पष्टीकरण आ गया उसके बाद न बोलें ।

माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

व्यवस्था का प्रश्न

एक बैठक में एक ही अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षण

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर । मैं आपका ध्यान रूल 131 के सब रूल (3) की तरफ दिलाना चाहता हूं—

'A member may with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made.

(3) Not more than one such matter shall be raised at the same sitting"

श्री सभापति : कौन सा रूल पढ़ रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं पढ़ रहा हूं 131 का (3) :

"Not more than one such matter shall be raised at the same sitting,

यह आपका रूल है ।

श्री ईश्वरचन्द : 'shall' का मतलब 'will' नहीं है ।

श्री सभापति : आप कृपया शांत रहिये । आप जो फर्मा रहे हैं उसको सुनिये ।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें कहा गया है :

"Not more than one such matter shall be raised at the same sitting."

So so far as this rule is concerned only one matter can be raised and therefore no other second matter can be raised at this sitting.

श्री सभापति : डागा साहब, यह प्रोवीजन इसमें है, लेकिन आज सैशन का आखरी दिन था और मैटर इम्पार्टेन्ट था । इस लिस्ट में आने का मतलब यह है कि स्पीकर महोदय ने कंसीडर करने के बाद ही अनुमति दी है जिसका इसमें जिक्र नहीं किया गया है । तो माननीय डागाजी को इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिये कि आपको अलाउ कर रहा हूं ।

माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : धन्यवाद, डागाजी ने आपत्ति उठाई है...

श्री सभापति : आप अपनी बात बोलिये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1 अप्रेल 1978 से बसों के किराये में वृद्धि

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मैं दिनांक 1 अप्रेल, 78 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
द्वारा बसों के किरायों में वृद्धि के संबंध में परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री केदारनाथ (परिवहन मंत्री) : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–4–78 से राज्य में 'ए' श्रेणी के बस के मार्गों का किराया 0.4 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गत वृद्धि दिनांक 6–1–75 को हुई थी जब कि 0.5 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराया बढ़ाया गया था। उक्त दिनांक के पश्चात् वाहन परिचालन व्यय में काफी वृद्धि हुई है जिसका कारण न केवल डीजल, आयल, लुब्रिकेन्ट्स, स्पेयर पार्ट्स आदि की कीमतों में वृद्धि है वरन् स्टाफ के वेतन एवं भत्तों में भी वृद्धि हुई है वह लगभग 28.70 पैसा प्रति किलोमीटर है। राज्य में 'ए' श्रेणी के अधिकांश मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चल रही हैं एवं उपरोक्त व्यय में वृद्धि होने के बावजूद किराये में वृद्धि न होने से निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है और यह घाटा लगातार बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ही निगम द्वारा बस किराये में वृद्धि की मांग राज्य सरकार से की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा निगम की उक्त मांग पर विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि गत वर्ष में वस्तुओं के भाव बढ़ने से संचालन व्यय में वृद्धि हुई है जिसका विपरीत प्रभाव सभी मोटर मालिकों पर पड़ा है जिसमें निगम भी सम्मिलित है। चूंकि अधिकांश बसें 'ए' श्रेणी के मार्गों पर चलाई जाती हैं अतः उसे भारी घाटा सहन करना पड़ रहा है। अतः राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि वास्तव में वाहन संचालन व्यय में जो वृद्धि हुई है उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि किराये में किंचित वृद्धि की जाय। इस समय 'ए' श्रेणी के मार्गों पर प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराया 0.4 पैसा बढ़ाया गया है।

सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले किराया था हमारे यहां और दूसरी स्टेट्स में जो किराया है तो राजस्थान में किराया 4.50 और पैसन्जर टैक्स 1.40 टोटल 5.90 हुआ जब कि यू.पी. में 6.09, महाराष्ट्र में 6.10, एम. पी. में 5.70, बिहार में 6.87 और हरियाणा में 6.00 है। दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हमारा किराया कम था और इसके बढ़ने के बाद भी हमारा किराया कम है। भाव बढ़ने से किराये में बढ़ोत्तरी करना जरूरी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कम किराये पर क्यों चलाते हैं ? आपकी गाड़ियां भी खराब हैं ?

श्री केदार नाथ : माननीय चेयरमैन, डीजल तेल 7.20 रु., अतिरिक्त कल पुर्जे का 1.00 रु., वेतन और भत्ते 6.50 रु., ब्याज 3.00 रु., बसेज के डेप्रिसियेशन 3 00 रु., कर्मचारियों को बोनस एवं अन्य सुविधाएं जो 0.70 पैसे से बढ़कर 6.00 रु. हो गया, टोटल 28.70 रु. पर किलोमीटर यह आया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई फैसिलिटीज नहीं बढ़ी हैं।

श्री केदार नाथ : 130 बसें नई लगाई हैं। एक एक्सप्रेस डिपो कायम किया है उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एकेडेमी फ्रेश हैण्ड को ट्रेंड करने के लिए अजमेर में खोली है, दूर दूर जो डिपोज हैं जैसे बाड़मेर है, बीकानेर है वहां पर टेलिप्रिन्टर्स और टेलेक्स लगाये हैं ताकि कम्युनिकेशन्स की जब भी जरूरत पड़े यहां के डिपो से भेजें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ड्राइवरों और कण्डक्टरों की फैसिलिटीज के बारे में तो कुछ नहीं कहा।

श्री केदार नाथ : 50 लाख के स्पेयर पार्ट्स मंगाकर रखे हैं ताकि जब भी बस खराब हो तो उसको ठीक करने के लिये फौरन भेजें।

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय सभापति जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने 'ए' श्रेणी के बस मार्गों पर किराया बढ़ाया है तो क्या उन्हें यह मालूम है कि बसों की दशा कैसी है? क्या प्रापर्ली उनका मेन्टीनेन्स होता है? क्या आपरेशनल बसेज का इन्तजाम किया जा रहा है? मैं इस सम्बन्ध में भी पूछना चाहूंगा कि और रियासतों की तरह यहां भी बसों में एमेनिटीज देने का कोई उपाय किया है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर काफी सोलिड ग्राउण्ड्स और ठोस कारण बताते हुए दिया गया है। इस मामले में इस विभाग की डिमाण्ड पर कटमोशन्स के जरिये बहुत सफिशियन्ट डिस्कशन हुआ है। अगर आप थोड़ा सा सहयोग दे और कम वक्त में ही डिस्पोज कर दें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा आपके साथ में सदा सहयोग रहा है और रहेगा।

मेरा निवेदन करना यह है, सभापति जी, माननीय मंत्रीजी ने यह बात कही है कि हमारा किराया अन्य प्रान्तों की तुलना में कम है। मेरा निवेदन करना यह है कि क्या उन्होंने यह भी विचार किया है कि ट्रेन सस्ती है, रेलगाड़ी सस्ती है और रोडवेज महंगी हो गई है? रोडवेज यदि महंगी होगी तो लोग यात्रा ट्रेन से करना पसन्द करेंगे और रोडवेज से करना पसन्द नहीं करेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि रोडवेज और घाटे में जायगी। पिंक सिटी एक्सप्रेस का किराया जहां तक मेरी जानकारी है 17 रु. है और डीलक्स जो बस चलती है उसका किराया 29 या 30 रु. है। फिर कौन बैठेगा बस में? पिंक सिटी में जाना पसन्द करेंगे। रोडवेज में कोई नहीं बैठेगा। इसके अलावा रोडवेज में अनियमितता भी हैं। जयपुर शहर का मामला लीजिए, बसेज की क्या व्यवस्था है, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय सदस्य भी इसके शिकार होते हैं। जयपुर से दुर्गापुरा के लिए जो नगर वाहन की व्यवस्था है, वह नियमित नहीं है। निवेदन करना यह है कि प्रति दस मिनट में बस मिलने की बात कही गयी है, परन्तु वास्तव में नहीं मिलती है क्योंकि बसेज की संख्या कम है। इसी तरह से सांगानेर बसेज की व्यवस्था है। बस स्टाप पर बस नहीं खड़ी रहती है। हालत क्या है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय ने किराया बढ़ाने की जो बात कही है, उस पर प्रश्न कीजिए.. ..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही कह रहा हूं। आपके तो पाइल्स हो रहे हैं इसलिए बीच बीच में खड़े हो जाते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति जी, ये बसेज नियमित नहीं चल रही हैं। इनका समय निश्चित नहीं है। ये प्रत्येक स्टेन्ड पर नहीं ठहरती हैं। फिर ये बसेज ओवरलोडेड चलती हैं। लोग बसों की छत पर बैठते हैं बसेज की कमी के कारण। हालत यह है कि कन्डक्टर टिकट नहीं दे पाता है। उसको सस्पेन्ड कर देते हैं। आपातकाल में इस प्रकार से कई कन्डक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। जब बसों के अन्दर इतनी भीड़ होगी तो किस प्रकार वह टिकट काटेगा। कभी विधान सभा के सदस्य बनने का अवसर भगवान करे प्राप्त हो तो मालूम हो कि कन्डक्टर किस प्रकार काम करता है। कई बी. ए., एम. ए. कन्डक्टर बन जाते हैं। यह उनकी मजबूरी है। मेरा निवेदन करना यह है कि महिलाएं, बच्चे, अन्य प्रकार के बीमार लोग किस प्रकार इन बसेज में बैठ सकते हैं। इन बसेज की हालत खराब है। कन्डक्टर का व्यवहार ठीक हो। बस में शिकायत पुस्तिका रहनी चाहिए। कहा जाता है, कि शिकायत पुस्तिका रखी जाती है, परन्तु वह मिलती नहीं। वहां पर कोई शिकायत पुस्तिका नहीं होती। पिछली बार सदन में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था....

श्री ईश्वरचन्द्र : सभापति जी, असंगत बहस को रोकिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह संगत है। जो प्रश्न है, वह रख रहा हूं। माननीय सदस्य को बस में बैठने का मौका नहीं मिला होगा।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो बीच में श्री विश्नोई जी खड़े हो गये, उनके लिए माननीय सदस्य ने कहा पाइल्स की बीमारी है। यह असंसदीय है, इसको निकाला जाए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वर चन्द्र : सभापति महोदय, डा. हरिसिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जो इसकी जांच करे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति जी, माननीय श्री रघुनाथ जी ने मुझे कल ही कहा था, सवाई मानसिंह अस्पताल चलना है क्योंकि वे पाइल्स के बीमार ....

श्री सभपति : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समाप्त कर रहा हूँ। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बसेज की हालत बहुत खराब है। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बसेज स्टेन्ड पर खड़ी हों। आज हमारी बसेज की हालत सोचनीय है। मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो अन्य प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान की बस पर भी मेरा ध्यान पड़ेगा। मेरे प्रान्त की बसें अन्य प्रान्तों की बसेज के सामने ठीक हों, उनमें सहूलियत हों, कन्डक्टर का व्यवहार ठीक हो तो मुझे नतमस्तक नहीं होना पड़ेगा। चूंकि आपने बसेज की व्यवस्था ठीक नहीं की है, इस किराया वृद्धि का हमने विरोध किया

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

है। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोडा।

एक माननीय सदस्य : यह विभाग इनके किसी सदस्य को दे दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री सभापति : कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने शराब पर कर बढ़ाया और हमारे भाई केदारनाथजी ने बसेज के किराये में वृद्धि की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जो निरन्तर गलती की है, वही गलती हमारी सरकार कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो यात्री हैं, बसेज में सफर करते हैं यदि सरकार उनको सुविधा देती तो यह किराया-वृद्धि हमें अखरती नहीं। सभापति महोदय, 7 दिसम्बर को मैं नोहर गई थी। उस दिन पांच घंटे तक मुझे बस नहीं मिली। सुबह आने वाली बस शाम तक नहीं आई। सम्मेलन में जो प्रतिनिधि आने वाले थे, वे नहीं पहुंच सके। मैं यातायात मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी कि लोगों ने मुझे यह बताया है कि यहां पर बसेज की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगानगर, रायसिंह नगर, पदमपुरा, जैतसर, पिंजौरा, शेरपुरा चौकी तक मैं गई वहां पर सभी लोगों ने बसेज की व्यवस्था के बारे में शिकायत की। बसेज की बोडी खराब है। सड़क वहां पर खराब हैं। बसेज वहां पर नहीं चल सकती हैं। निश्चित रूप से यह सारी बात माननीय सदस्यों को मालूम है कि वहां की क्या दशा है। नोहर की हालत तो बहुत ही खराब है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। बस चलती है तो पेट में दर्द होने लगता है। कन्डक्टर बेचारे घबराए रहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप सुविधा दें तो यह किराया बढ़ाना वाजिब लगेगा। आपके बस स्टेन्ड पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। घाट गेट स्टेन्ड पर टिनशेड पड़ा हुआ है वह इस ढंग से पड़ा हुआ है कि उसका कोई उपयोग नहीं है। भरतपुर बस स्टेन्ड की दशा देख लीजिए। कितनी गंदगी पड़ी हुई है। बस स्टेन्ड पर रुकने की इच्छा नहीं होती है। यही हालत दौसा की है। जो 'ए' श्रेणी के मार्ग हैं उनकी दशा भी आप देख लीजिए। बस स्टेन्ड पर स्टाल दिए जाते हैं वह यात्रियों की सुविधा के लिए दिए जाते हैं ताकि यात्री को चाय आदि मिल सके किन्तु उनसे भी पैसा बढ़ा कर वसूल किया गया है। मैंने मंत्री जी को निवेदन किया था, एक हरिजन लड़का ठेले की अनुमति चाहता था, वहां पर ठेला लगाना चाहता था, इसलिए लगाना चाहता था कि यात्रियों को सुविधा हो परन्तु उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसे अनुमति नहीं मिल पा रही है। कम से कम रोडवेज को ही स्टाल बना कर देना चाहिए ताकि वह सुन्दर लगे। होता क्या है एक कोने में स्टाल लगा दिया जाता है। देश विदेश के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लोग यहां पर आते हैं। यह खोका कितना खराब लगता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि स्टाल रोडवेज बना कर दे और पांच साल के लिए दे। हमारे मंत्री महोदय यह बढ़ा हुआ किराया वापस लें और जहां से बस गुजरती है उनको व सुविधा सम्पन्न बसों की प्रक्रिया को ठीक करें।

मैंने मेरे क्षेत्र जमवा रामगढ़ में जान बूझ कर राजकीय बसें लगवाईं। हमें उत्तर मिला कि वहां बसों की सेवा है लेकिन वहां तीन-तीन सौ लोग खड़े रहते हैं। कभी तीन तीन बसें पहुंचती हैं और कभी कभी तीन तीन घण्टे नहीं पहुंचती हैं। वहां जो टीचर है, डाक्टर हैं, वे जयपुर आते है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो उनकी ड्यूटी में अन्तर आता है। मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मन्त्री महोदय बसों की हालत सुधारें और किराया कम करें...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, इन चीजों का उत्तर जरूर दें। और इन सुविधाओं को उपलब्ध करायें।

श्री सभापति ; माननीय श्री रामकिशोर मीणा।

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, मैं उत्तर दे दूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी, अभी दो व्यक्ति और हैं।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति जी, रोडवेज की बसों से जनता का सीधा सम्बन्ध है। जिस प्रकार किराया बढ़ा दिया गया है, उसी प्रकार से सुविधाएं भी बढ़ाई जातीं तो आम जनता को किराया देने में कठिनाई नहीं होती। रोडवेज में ज्यादा से ज्यादा अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। हमारा सीधा संबंध नेशल हाई वे नं. 11 से है इस पर किसी भी स्थान पर जायं हर बस स्टेन्ड पर 50 सवारियां मिलेंगी या फिर लोग ऐसी गाड़ियों से जायेंगे जो बगैर परमिट के चलती हैं। वह जनता से ज्यादा किराया वसूल करते हैं। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रोडवेज में ज्यादा सुविधाएं बढ़ाई जायें, कन्डक्टरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाये, जिससे कि उनका व्यवहार सुधरे। जैसा की पहले विधायक महोदय ने कहा है कि कुछ सुधार हुआ है लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि विधायक जो टिप्पणी करें, उस पर इमीजिएटली एक्शन लिया जाये।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : माननीय सभापति जी, परिवहन मन्त्री ने रोडवेज का किराया इसलिए बढ़ाया कि परिवहन निगम में घाटा हो रहा है इसको पूरा किया जाये। मन्त्री महोदय ने बताया है, डीजल आयल महंगा हो गया है और स्पेअर पार्ट्स होते हैं, वह बहुत महंगे हो गये है। पार्ट्स महंगे होने के कारण घाटा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि पार्ट्स महंगे हो गये हैं, इस कारण राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(श्री राम रघुनाथ)

निगम लाखों करोड़ों के घाटे में जा रहा है तो वह घाटा जनता पर बोझ डालकर पूरा करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप किराया नहीं बढ़ायें लेकिन आप घाटा पूरा करने के लिए किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सरकार के लिए उचित नहीं है। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि हिन्दुस्तान में जो और स्टेट्स हैं वह जो सिस्टम खतम करने जा रही हैं वह आप शुरू करने जा रहे हैं। आपने किसी टिकट प्रणाली की स्टडी नहीं की है। आप ने जो डिनोमिनेशन टिकट प्रणाली शुरू की है, वह दूसरी जगह बन्द हो रही है। आपके एक आफिसर को पैसे की जरूरत थी उसको कमीशन का पैसा मिल गया तो वह पैसा लेकर भाग गया। इस तरीके से एक चोरी की जगह दस चोरी शुरू करा दी हैं। अगर टिकट कन्डक्टर के पास पैसा है तो वह कहीं भी यूज कर सकता है। अमूमन हमने देखा है कि लॉट के टिकटों की चोरी होती है। अभी तो मशीन की खरीद कर 25 लाख का घाटा किया। अब एस्टेब्लिशमेन्ट पर और खर्चा करना पड़ेगा। 25 लाख वह घाटा होगा। इस प्रकार 50 लाख का घाटा हो जायगा। अब आप कहेंगे कि कोई मजदूर हड़ताल नहीं करेगा, कोई डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि एक करोड़ का घाटा तो पहले ही हो गया है जिसको पूरा करने के लिए आप जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं। आपने जो डिनोमिनेशन प्रणाली लागू की है, उससे कोई भी इन्सपैक्टर या अधिकारी जाता है तो वह चेक नहीं कर सकता। मान लीजिए 10 बिना टिकट जा रहे हैं, कण्डक्टर को चैकिंग का जैसे ही पता लगेगा वह तुरन्त टिकट काट देगा। उसको इन्सपैक्टर नहीं पकड़ सकेगा। यह प्रणाली लागू नहीं होती तो कण्डक्टर टिकट काटता तो वह एक मिनट में या दो चार मिनट में नहीं काट सकता था। अब मैं यह निवेदन करूंगा, आप टिकट देते हैं एक हजार, दो हजार रुपये के। आप के कण्डक्टर और ड्राइवर की सीट का कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां वह बदलते हैं, जैसे ही गाड़ी आकर खड़ी होती है, वह तुरन्त टिकट लेकर जाते हैं। इसका मतलब अलग अलग नम्बर जो एक आदमी के पास हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। कोई आदमी बस से अजमेर गया और वापस दूसरी बस से आ गया तो नम्बर देख कर चैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अजमेर जयपुर का टिकट लेकर जाता है। यह अमूमन देखा है कि इस प्रणाली को शुरू करने से लाखों रुपयों का घाटा होने लग गया है चोरी करने का तरीका बताया गया है। आपने मशीन खरीद कर 25 लाख रुपये का घाटा किया है। इन मशीनों की दूसरी जगह आवश्यकता है। अगर पैसा हमारे पास नहीं है और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो घाटा खाकर मशीन को बेच दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप टिकट की इस प्रणाली को बदल कर देखिये महीने भर या दो महीने भर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी आमदनी दुगनी नहीं हो जाय तो हमको बतायें। इस लिए मैं चाहूंगा, आप टैक्स बढ़ाकर जिन लोगों के पास कोई वाहन नहीं है, उन पर टैक्स का भार नहीं डालें।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो गई हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ : मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें कि यह कानून बना हुआ है, रोडवेज की बसें भी परिवहन का हिस्सा हैं, तो बसों में जो सीट टू सीट डिस्टेंस होना चाहिये वह 27 इन्च का होना चाहिये। यह डिस्टेंस भी ठीक नहीं है। इस डिस्टेंस में घुटने भी ठीक से नहीं रख सकते। आप मन्त्री हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जनता की सुविधा का ध्यान नहीं रखें। अगर कोई बैठ जायें तो ठीक तरह से नहीं बैठ सकता है। बाकी बसों की क्या हालत है वह आप जानते हैं। उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। जो चोरियां हो रही हैं उनको भी रोकने की कोशिश कीजिए ताकि घाटा पूरा हो जाय।

श्री सभापति : मननीय श्री रामदेवसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मन्त्री जी

श्री केदारनाथ (परिवहन मन्त्री) : माननीय सभापति जी, मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं कहनी है, डिमाण्ड पर हुई डिबेट में मैं कह चुका हूं। मशीन 25 लाख की खरीदी गई थी, यह हमारा दुर्भाग्य है कि अब इसका क्या करें। फिर भी इस प्रणाली में जो डिफेक्ट है उसके लिए एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है और उस डिफेक्ट को दूर किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मशीन डिस्पोज आफ नहीं की है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने सीटों के डिस्टेन्स की कही, अब जो 130 बसें ले रहे हैं उनमें डिस्टेन्स का ध्यान रखा जायगा।

सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में पहली बार रोडवेज के इलेक्शन्स करायें। एडवाइजरी कमेटी में 15 आदमी हैं, चार विरोधी पक्ष के और 11 इधर के, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें सब बातों पर विचार किया जायेगा। राजपत्र में नोटिफिकेशन भी निकलवा दिया गया है, और आब्जेक्शन मांगे गये हैं। सारी चीजों का एग्जामिन करने के बाद जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सेन्टर हम को सब्सिडी देती नहीं, स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है और कोई हमारे रिसोर्सेज नहीं इस घाटे को मीट आउट करने के लिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि पांच सात साल में सारे रूट्स को नेशनेलाइज करेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भी मेरा साथ दिया है।

कण्डक्टर को जो बात कही गई, माननीय सभापतिजी, इमर्जेन्सी में 745 कण्डक्टरों को निकाल दिया गया था। जिस रेस्पोन्स की मैं अपेक्षा करता था वह मुझे यूनियन के मार्फत नहीं मिला, कण्डक्टर्स का रेस्पान्स मुझे नहीं मिला फिर भी मैंने उनमें विश्वास किया है और स्टेट लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बना रहा हूं। एम.एल.एज. को भी चैकिंग की पावर दे दी जाय, यह भी 15 तारीख की मीटिंग में तय किया जायगा। यह भी देखा जायगा कि किस प्रकार से उनका इन्वाल्वमेन्ट हो ताकि उनकी गाइडेन्स और सलाह मिलती रहे और कण्डक्टर और ड्राइवर में एक तालमेल हो सके। एम. एल. एज. पचास साठ तो हमेशा ही बसों में चलते रहते हैं इसलिए

(श्री केदारनाथ)

उनको भय रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह किया है एक लाख रुपये की ज्यादा आमदनी हुई है।

अब रहा सवाल कि बसों की कण्डीशन ठीक नहीं है, सीटें मिलती नहीं, ओवरलोड चलती हैं, यह मैं भी मनता हूं। यह सब मुझे लीगेसी में मिला है। मैं इसको अपने से छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा हूं लेकिन कोई भी इसको लेने को तैयार नहीं है। माननीय सदस्य जो सामने बैठे हैं पहले मन्त्री थे। इन्होने यह नहीं देखा कि इसका प्रोमीनेन्ट फीचर क्या है, इकॉनोमिक फीचर क्या है, रूट्स किस प्रकार के हैं। अब इन सब बातों को कन्सोलिडेट किया जा रहा है, इसमें टाइम लगेगा। हर साल हम 6% रूट्स को नेशनलाइज करेंगे, 6% इसमें इन्क्रीज करेंगे क्योंकि कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि अब तक समय नहीं मिला। अब समय मिल रहा है, अब इसको कन्सोलिडेट कर रहे हैं।

किराया बढ़ाने की बात भी कही गई, किराया सिटी बसेज का नहीं, केवल 'ए' क्लास रूट्स का बढ़ाया है एक कण्डक्टर और ड्राइवर के लिए हमने एक ही बस देना तय किया है ताकि उसकी मेन्टीनेन्स, रिपेयर और अच्छी तरह से देखभाल हो सके। इसके अलावा इन्सेन्टिव स्कीम भी लागू कर दी है कि जितनी ज्यादा आमदनी देंगे उसमें उसका भी हिस्सा रखा जायगा। यह इसलिए रखा है कि नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है उससे उनमें एक सेन्स ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग आये।

पिछली जनरल डिबेट में माननीय सदस्य श्री विट्ठल प्रसाद जी ने एडीशनल जनरल मैनेजर के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मैने उनको निवेदन किया था कि वे लिखित में दे दें। इसकी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से जांच करवा दी जायगी। उन्होंने कहा है, लिखित में···

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : एक मिनट !

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री केदार नाथ : और भी कोई कम्पलेन्ट हो, मैं माननीय सदस्यों को मेम्बर बना रहा हूं, उनका इन्वाल्वमेन्ट इसमें होना चाहिए। कोई भी कम्पलेन्ट हो, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की शिकायत हो, कोई गड़बड़ हो, मिसबिहेवियर की शिकायत हो, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, जो विजिलेन्स सैल कायम किया गया है उसको रिपोर्ट करें। उनको भी बुलाया जायगा और पूरी तरह से जांच की जायगी।

श्री सभापति : हां अब कहिये, माननीय रामकृष्णदास जी, अगर कोई सुझाव देना चाहें तो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप लगाता है हाउस में तो वह रिकार्ड पर आ जाता है, प्रोसीडिंग्स में आ जाता है, फिर आप यह आशा क्यों करते हैं कि वह लिख कर दें।

श्री केदार नाथ : स्पेसिफिक एलीगेशन यह था कि फलां कण्डक्टर ने 400 रुपये रिइंस्टेटमेन्ट के लिये दिये, यह अभी तक लिख कर नहीं दिया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस हाउस के बाहर अगर किसी थाने में, कोर्ट में या और कहीं रिपोर्ट की हो तो बात अलग है लेकिन हाउस में कही हुई बात पर आप एक्शन क्यों नहीं ले सकते ?

श्री केदार नाथ : एक्शन तो लूंगा।

श्री सभापति : बस सुझाव आ गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, अन्तर्राज्यीय बसों में भी माननीय सदस्यों को सुविधायें दिये जाने के बारे में समझौता किया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों की बसों में टिकट लेकर बैठना पड़ता है क्योंकि अन्तर्राज्यीय समझौता नहीं है। हरियाणा और पंजाब की बसों में किराया देना पड़ता है, जब कि दिल्ली के लिए हमारी बस हो तो यह सुविधा प्राप्त है। इसलिए माननीय मन्त्री जी अन्तर्राज्यीय बसों के बारे में भी बातचीत करेंगे तो अच्छा होगा।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विश्व विद्यालय में अध्यापकों के चयन में असंगतियां

श्री सभापति : अब माननीय शिक्षा मन्त्रीजी राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों के चयन में असंगतियों के सम्बन्ध में, जिसके लिए 9 माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, एक स्टेटमेंट देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इस सम्बन्ध में कम से कम उत्तर की कापी तो देनी चाहिए और पहले सदन की मेज पर रखनी चाहिए। महरबानी करके उसको सदन की मेज पर रख देते तो अच्छा होता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन नहीं होता तो यह व्यवस्था करवाते। आयन्दा ध्यान रखा जायगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरार के स्थाई पद रिक्त हैं और यदाकदा चयन समितियां बुलाई गई हैं किन्तु लगभग 6-7 वर्षों से कई विभागों के वरिष्ठ पद रिक्त पड़े हैं जिन पर स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति इसलिए की जा रही है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। वर्तमान में स्थिति यह है कि पर्याप्त मात्रा में राजस्थान विश्व विद्यालय के स्थायी अध्यापक बीसों वर्ष की सेवा के उपरान्त भी कनिष्ठ पदों पर ही बने हुए हैं क्योंकि जो कुछ भी वरिष्ठ पद रिक्त हैं उन्हें किसी न किसी कारण से अभी तक नहीं भरा गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में जिन वरिष्ठ पदों के लिए चयन समितियां बुलाई जाती हैं और जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें किसी प्रकार का कानूनी दोष नहीं है और न ही किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया में ही असंगति है। दी राजस्थान युनिवर्सिटी टीचर्स एंड आफिसर्स (स्पेशल कंडीशन्स आॅफ सर्विस) एक्ट आफ 1974 के अन्तर्गत दी गई चयन प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का एक पैनल, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञों के नामों की सूची होती है, एकेडेमिक कौंसिल द्वारा तैयार किया जाता है। इस वर्ष इस प्रकार का पैनल एकेडेमिक कौसिल के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12 अक्टूबर,

(श्री भंवर लाल शर्मा)

1977 द्वारा पास किया गया। तदुपरांत एक्ट के शिड्यूल के अनुकूल निम्न तीन सदस्यों की एक समिति ने इस पेनल में से क्रमानुसार 6 या उससे अधिक नामों की सूची तैयार कर कुलपति महोदय को दी। यह सूची दिनांक 3 नवम्बर 1977 को निम्न तीन सदस्यों ने तैयार कर कुलपति को दी—

(1) श्री मुहम्मद याकूब, अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

(2) प्रो. बी. वी. जॉन, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री।

(3) श्री नवरतन मल कोठारी, राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत—सिंडीकेट के सदस्य।

प्रत्येक विषय के लिए 9 व्यक्तियों का चयन समिति उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

(1) कुलपति अध्यक्ष

(2) तीन उपरोक्त समिति द्वारा तैयार किये गये पनल में से क्रमानुसार लिये गये विशेषज्ञ।

(3) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री।

(4) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री।

(5) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सिंडीकेट सदस्य।

(6) विभागीय अध्यक्ष यदि वे प्रोफेसर हों अन्यथा विभाग के वरिष्ठतम प्रोफेसर।

(7) संबंधित संकाय के डीन यदि वे प्रोफेसर हों अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य हों।

चयन प्रक्रिया के लिये वर्ष भर में सबसे उपयुक्त समय मार्च, अप्रेल व मई ही माना जाता है क्योंकि इस समय विशेषज्ञ उपलब्ध हो पाते हैं अन्यथा वर्ष भर उन्हें उपलब्ध करना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त सत्र के प्रारम्भ से लेकर मार्च के महीने तक समस्त विश्वविद्यालयों में अनेक प्रकार के कार्यभार रहने के कारण भी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाते।

विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का पक्षपात अथवा अनियमितता नहीं बरती जा रही है और निष्पक्ष भावना से योग्यतम व्यक्तियों के चयन का ही प्रयत्न किया जा रहा है। किसी विभाग में उच्चतम पद, जिसमें किसी भी विशिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता बतलाई गई है वह सब यू जी. सी. द्वारा स्वीकृत पदों के लिए ही है। जिन्हें यू. जी. सी. टीम ने स्वयं विषय आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित किया है।

जहां तक चयन समिति में विभागों के प्रोफेसरों का पदेन सदस्य होने का संबंध है, यह प्रावधान दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स एण्ड ऑफिसर्स (स्पेशल कंडीशन्स ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट एक्ट नं. 9 ऑफ 1977 की धारा 3(2)(ii) के अन्तर्गत किया गया है जो पिछले सत्र में पास किया गया था।

चयन प्रक्रिया से छात्र-छात्राओं में असंतोष का कोई प्रश्न नहीं है। महाविद्यालयों में 8 अप्रेल के बाद छात्रों को प्रिपरेशन

(श्री भंवर लाल शर्मा)

नींव दे दी जायेगी। वे तत्पर होकर पढ़ाई में संलग्न हैं। अतः चयन प्रक्रिया, जो इतने समय से रुकी हुई थी, पूरी होने से शिक्षकों के असंतोष का निवारण होगा और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बन सकेगा।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री ने जो बयान पढ़ा उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। मैंने कल भी निवेदन किया था सदन में कि इस बयान में क्या पढ़ने वाले हैं। किस तरह का बयान पढ़ेंगे, यह मैं जानता था। मैं फिर तीन प्रश्न उनके सामने रख रहा हूं।

इस चीज को मानते हैं कि विशेषज्ञों की सूची सबसे पहले एकेडेमिक कौंसिल तैयार करती है। उसके बाद पी. एस. सी. का एक माननीय सदस्य और सरकार की तरफ से नियुक्त किये गए दो विशेषज्ञ, जिनके नाम लिए हैं, की समिति बनी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं करना है। उसके बाद में पैनल में 6 या अधिक नामों की सूची तैयार कर समिति ने कुलपति को दी। मैं बुनियादी चीज पर आता हूं, क्या आप कह सकते हैं कि आपको संतोष है कि एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग के अन्दर विशेषज्ञों को तैयार किया गया या नहीं ? तारीख आपने अभी बताई है 12 अक्टूबर 1977, आप उस समय सदन में नहीं थे, आपको दूसरे साथियों ने सूचना दी होगी या आपने मेरा स्टेटमेंट पढ़ा जरूर होगा। मैंने यह कहा था कि इस तारीख को पैनल का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मिनिट्स में यह लिख दिया गया है कि "पैनल एप्रूव्ड"। मैंने 3 बातें कही थीं, इमरजेंसी के दौरान वाइस चांसलर पांडे ने मिनिट्स के अन्दर कहा, लिस्ट जो है. मेरे पास है, मैं एप्रूव्ड समझता हूं। मैंने यह कहा था कि अजेन्डा के अन्दर लिस्ट सक्यूंलेट नहीं हुई है, आप चैक कीजिए। मैं एकेडेमिक कौंसिल के सदस्यों से बात करके फिर इस सदन के सामने रख रहा हूं। मेरी आदत नहीं कि गलत बात कहूं। पैनल जो विशेषज्ञों का बनता है और एकेडेमिक कौंसिल के सामने आता है वह अजेंडा में नहीं लिखा गया। इसके मायने यह हैं कि जो आपका वाइस चान्सलर पैनल तैयार करता है, वह सक्यूंलेट नहीं किया, it was not circulated. दूसरे, वह कहते हैं कान्फिडेन्शल है· · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत् मंत्री): जो निश्चय होते हैं उनका विवरण मिनिट्स में लिखा जाता है और कन्फर्म हो जाता है। इन दोनों के होने के बाद भी क्या कोई गुंजाइश संदेह की रहती है ? इस पर सन्देह करना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : रहती है। लिस्ट वाइस चांसलर की जेब में थी। उन्होंने कहा है इसको एप्रूव्ड समझ लिया जाए। इमर्जेंसी का पीरियड था। अब जो आपने स्टेटमेंट दिया, उसके पहले तो मैं आशा करता था कि आप इन्क्वायरी करेंगे कि एकेडेमिक कौंसिल के जितने सदस्य हैं उनको लिस्ट सक्यूंलेट हुई या नहीं। नहीं हुई है तो लिस्ट वाइस चान्सलर ने वहां पढ़ दी Either it was circulated or it was read या लिस्ट पढ़ी नहीं गई ? नाम न तो सक्यूंलेट हुए न उन लोगों ने उन पर चर्चा की। इसलिए Acedemic Council did not apply its mind. इसलिए जो मिनिट्स में चीज आ गई है वह डिसीजन के, एक्चुएल हालात के खिलाफ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे सवाल का जवाब बता दें, मिनिट्स एन्ड कन्फर्मेशन का।

श्री मथुरादास माथुर : आप बारीकी में जाने की कोशिश करें। 'एप्रूव्ड' मिनिट्स में लिखा है। आप कह सकते है कि लिस्ट वहां पर सक्यूलैट की गई।

श्री मूलचन्द डागा : आप अजेंडा बतायें।

श्री मथुरादास माथुर : लिस्ट सक्यूंलेट नहीं हुई। अगर बहुत ही कान्फिडेन्सल नेचर की थी तो जो डिसाइडिंग ऑथोरिटी थी उसके लिए कान्फिडेन्सल नहीं हो सकती। was the list read out. ? जो एकेडेमिक कौंसिल के सदस्य हैं क्या उन्होंने अपना माइन्ड एप्लाई किया ? No. लिस्ट वाइस चांसलर की जेब में थी और वे लोग चले गए। आज तक उस लिस्ट के बारे में किसी को पता नहीं सिवाय चांसलर के। आज भी एकेडेमिक कौंसिल के लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे लिस्ट हमारे सामने नहीं आई है। यह महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप ऐसी प्रक्रिया लॉ में ले डाउन नहीं करते। इसलिए इस लिस्ट का फैसला एकेडेमिक कौंसिल में नहीं हुआ। जो लिस्ट वाइस चांसलर के पास में थी वह लिस्ट एकेडेमिक कौंसिल की लिस्ट नहीं समझी जा सकती; इसलिए उस लिस्ट के आधार पर जो पैनल बनाया गया है 6 आदमियों का वह गलत है सही नहीं है, इल्लीगल है, अल्ट्रा वायर्स है, अकार्डिंग टू लॉ।

श्री अयूब खां : अगर माननीय सदस्य को आपत्ति है तो माननीय सदस्य ने शुक्रिया क्यों अदा किया था ? मन्त्री महोदय को धन्यवाद किस बात का दिया था।

(व्यवधान)

श्री मथुरा दास माथुर : धन्यवाद तो इस बात के लिये दिया था कि उन्होंने अपना वक्तव्य दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एकेडेमिक कौंसिल के पैनल पर विचार करने के लिए जो सलेक्शन कमेटी थी, उसमें आपने बाहर से तीन एक्सपर्ट्स को बुलाया था वह मेरे हिसाब से कमेटी में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि वह मेरे अनुसार ट्रेसपासर्स थे। वह बैठ ही नहीं सकते थे उस सलेक्शन कमेटी में। इसके अलावा, सभापति महोदय, उसमें जिस पेनल पर डिसीजन हुआ है वह पैनल ऐसा था जो सक्यूंलेट ही नहीं हुआ था। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार चाहे तो डाइरेक्शन दे सकती है: · · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : How many times it was done ? वह कौन करता है ? कितनी बार हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : आप शिक्षा मंत्री नहीं हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। मुझे शिकायत है आपके बारे में। वैसे भी आपके बारे में बहुत सी शिकायतें हमने सुनी थीं।

शिक्षा मन्त्रीजी जो नये हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप इसके लिये सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायें। वह कमेटी जिस एकेडेमिक कौंसिल ने डिसीजन लिया उसके सदस्यों के बयान ले, वह अपने सामने पाण्डे साहब को भी बुला ले। सारी जांच करने के

(श्री मथुरादास माथुर)

बाद आप देखेंगे तो पता लगेगा कि लिस्ट सक्यूलेट उन मेम्बर्स में नहीं हुई, और उन मेम्बर्स ने कोई अपना माइन्ड ही एप्लाई नहीं किया। आप चाहें तो पाण्डे साहब से पूछ लीजिये। यह तय शुदा बात है उस एकेडेमिक कौंसिल ने कोई माइन्ड एप्लाई नहीं किया। इसलिये जो सलेक्शन हुये वह सभी अल्ट्रा वायर्स हैं। वह फेअर सलेक्शन नहीं हुआ है और वह कोर्ट में चेलेन्जेबल है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, सभापति महोदय, इन्होंने यहां कहा कि मार्च, अप्रेल और मई तीन महीने ही उपयुक्त हैं सलेक्शन करने के लिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह महीने ही ऐसे हैं जो कि प्रोफेसर्स के सलेक्शन के लिये उपयुक्त नहीं हैं। आप चाहें तो सदन के सभी सदस्यों की राय ले लें, आपको पता लगेगा कि इन तीन महीनों में इम्तिहान होते हैं। इन तीन महीनों में आपके ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान होते हैं तो वह प्रोफेसर लोग कोर्स की पढ़ाई करावें अपने स्टूडेन्ट्स को या अपने इन्टरव्यू के लिए पढ़ाई करें। दूसरी बात यह है कि बाहर वाले जो प्रोफेसर्स हैं जिनको आप एज एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के रूप में बुलाते हैं वह भी इन तीन महीनों में बिजी होते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में। तो मेरा निवेदन यह है कि जो बैस्ट उपयुक्त महीने इन्टरव्यू के लिए रहते हैं वह हैं जून, जुलाई और अगस्त जब कि यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां होती हैं। उस वक्त आपको शिक्षाबिद् अवेलेबल हो सकते हैं।

इसके अलावा जो बात कही कि यू. जी.सी. में क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब होती है पोस्ट्स के लिये। मेरा निवेदन है कि यह तो ठीक है, मैं मानता हूं यू.जी.सी. से क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब होती है लेकिन वह तो यह कहती है एम.ए. फर्स्ट क्लास हो या पीएच डी. हो। उसके बाद पोस्ट्स के लिये दूसरी क्वालिफिकेशन एड कर देते हैं जो कि हमारे यहां के प्रोफेसर्स की नहीं होती है। क्योंकि वह सब्जेक्टस हमारी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती है तो वह क्वालिफिकेशन कहां से आये? जैसे इन्टरनेशनल लॉ में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अपने यहां जो दो आदमी काम कर रहे हैं इनके अलावा तीसरे को बाहर से लाना हो तो उसके लिए जो नीचे के लोग होते हैं वह एक क्वालिफिकेशन और एड कर देते हैं स्पेशलाइजेशन इन मर्केन्टाइल लॉ। अब मर्केन्टाइल लॉ का उनका आदमी है वह लखनऊ में बैठा है उसको लेना है तो उसके लिये स्पेशल क्वालिफिकेशन रख दी। तो इस प्रकार उसमें लिख दिया जाता है। Preference will be given to those who have done research work in mercantile work. इस प्रकार राजस्थान के दो आदमी चाहे उपयुक्त हों उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी काम नहीं आयी क्योंकि आपने तो अपने आदमी को बाहर से ले लिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपकी यूनिवर्सिटी में है कि प्रमोशन का कोई कोटा नहीं, कोई चान्स नहीं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं और प्रमोशन उनको देते हैं। यू.जी.सी. के द्वारा पोस्ट के लिये क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब करने की जहां तक बात है उसकी तो यह हालत है। इसलिये जो कमेटी आपने पहले बनायी वह गलत थी और it was not properly constituted.

बैस्ट सीजन की जो बात है वह जून, जुलाई और अगस्त के महीने ही हैं, इन्टरव्यू के

(श्री मथुरादास माथुर)

लिए, सलेक्शन के लिये । You will apply your mind on the objection raised. इसमें मेरा यही कहना है कि आप सभी चीजें देख कर ही फैसला करें तो उचित रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, 2-3 सवाल ही मैं शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा।

राजस्थान का सबसे ज्यादा बजट जो है वह शिक्षा की मद पर खर्च होता है। विश्वविद्यालय वगैरह मिला कर 80 प्रतिशत बजट खर्च होता है। उसके बाद में भी आपने जो रास्ते अपनाये हैं यूनिवर्सिटीज में प्रमोशन, सलेक्शन वगैरह के, आपने जो भी अपाइन्टमेंट किये हैं वह सभी बाहर के लोगों के किये हैं। आज हमारे राजस्थान के एम.ए., पीएच.डी. बेकार घूम रहे हैं और यहां पर बैठे-बैठे हमारे श्रम मन्त्रीजी बेरोजगारों की लिस्ट लम्बी कर रहे हैं। आज हमारे सन्स ऑफ दी सोइल की हालत क्या है। आज हमारे, सभापति महोदय, जो सन्स ऑफ दी सोइल हैं उनका फ्यूचर बिलकुल अन्धकारमय हो गया है। यहां पर जो भी प्रोफेसर या वाइस चान्सलर आता है अपने साथ में स्टेनो लेकर आता है। यहां पर मिस्टर माथुर आये वह अपने साथ में स्टेनो लेकर आये और मिस्टर पाण्डे वाइस चान्सलर आये तो प्रोफेसर लेकर आये। प्रोफेसर अपने साथ अपना स्टेनो और अपना पीओन लेकर आये। तो फिर हमारे शिक्षित युवक कहां जायें। आज यह समस्या बनी हुई है। जो भी पदेन अधिकारी होता है वह साथ में अपने स्टेनो और पीओन लेकर आता है।

शिक्षा मंत्री जी, आज जो विश्वविद्यालय में अपोइन्टमेंट होते हैं, उनमें राजस्थान के लोगों को नहीं लिया जाता। एक लॉबी बनी हुई है जिसके कारण यू.पी. और बिहार के लोगों को ही यहां पर प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार अपोइन्ट किया जाता है। हमारे राजस्थान के गोल्ड मेडलिस्ट हो, फर्स्ट क्लास एम.ए. हों, उनको बाहर यू.पी. में, बिहार में कहीं भी अपाइंटमेंट नहीं दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहर वाले को मत लो लेकिन हमारे गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को नहीं लिया जाता है और उन लोगों को ले लेते हैं तो सन्स आफ दी साइल का क्या होगा? इसलिए आज तक जो अपाइन्टमेंट्स हुए है, उन सभी की जांच की जाय। इसके लिए एक हाउस की कमेटी बनायी जाय जो कि इन सभी की जांच करे। नहीं तो यह स्थिति है कि यहां यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नोटिस निकाला गया, यहां इन्टरनेशनल लॉ पढ़ाने वाले हैं But you avaded one that is mercantile law. मार्केंटाइल लॉ में स्पेशलाइजेशन का रख दिया। जब यह सब्जेक्ट ही यहां नहीं पढ़ाया जाता तो यहां उस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति कहां मिलेगा। इसी तरह आपको हिन्दी और संस्कृत के प्रोफेसर लेने हो तो इस तरह की क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं जैसे इन्डियन फिलोसोफी लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति यहां कैसे उपलब्ध हो सकता है। मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से बाहर से यू. पी. और बिहार से लोगों को बुला लेते हैं और यहां के शिक्षित लोगों को आप डेप्राइव करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको मत लो लेकिन महरबानी करके आप ऐसे कदम उठायें कि हमारे यहां के लोगों को भी पोस्ट्स

(श्री मूलचन्द डागा)

मिलें। इसके लिये, सभापति महोदय, माननीय सदस्य मथुरादासजी कह रहे हैं कि सदन के सदस्यों की कमेटी बैठायी जाय लेकिन जो पहले एक चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने अपनी रिकमन्डेशन दी, उस रिकमन्डेशन्स का क्या हुआ? आपने क्या निर्णय लिया? वह रिपोर्ट आज तक सरकार के विचाराधीन है पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम चाहते हैं कि आप उन रिकमन्डेशन पर तेजी से निर्णय लें। मैं चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आप सदन में रखये। मानसून सत्र आ रहा है। उसमें आप उसको रखिये। आपने इसका भी उल्लेख नहीं किया।

एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग हो रही आपने महरबानी करके नोटिस निकाला उसका अजेंडा सक्यूलेट हुआ लेकिन साथ में आपने कोई उसकी लिस्ट नहीं दी। एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग के मिनट्स आप रखिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप स्वयम्, विद्यार्थी आदि लोग बैठ जाइये। हमारे सामने आप जजमेन्ट मत दीजिये। आप विश्वविद्यालय के सारे अध्यापक के साथ न्याय कीजिये, सब विद्यार्थियों के साथ न्याय कीजिये। चुनाव विधि आप कानून के खिलाफ मत करिये, न्याय के विरुद्ध मत कीजिये और उस कलंक को अपने सिर पर मत लगाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। इस पर 9 माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं और 9 के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं। पांच-पांच मिनट भी यदि लेंगे तो कितना समय चाहिए। अतः आप संक्षेप में ही बोले

श्री मथुरादास माथुर : कोई पोइन्ट रिपीट न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत थोड़े में बोलूंगा।

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह : प्रोन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, यह जीरो आवर तो खतम होता ही नहीं है इसको जीरो आवर की संज्ञा न देकर मुक्त आवर ही कह दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि एकेडेमिक कौंसिल की दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया को लेकर यहां बड़ा भारी असंतोष है और आन्दोलन चल रहा है। एक तरफ तो विद्यार्थियों की परीक्षा का समय आ रहा है और दूसरी तरफ लेक्चरार्स का सलेक्शन करने जा रहे हैं। यह आप ही स्वयं समझ सकते हैं कि कितना अनुपयुक्त समय है। जब प्रोफेसर्स को और रीडर्स, लेक्चरार्स को विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिये उस समय उनके वे लोग अपने चयन के प्रश्न को लेकर उसमें लगे हुए हैं। हमने पहले भी आपको आग्रह किया था, जब इस कानून में संशोधन किया था कि शिक्षकों में असतोष था, इसी कारण से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कानून में संशोधन किया गया था। लेकिन आपने आकर फिर दूसरा संशोधन कर दिया। आपने अपना पोर्टफोलियो दूसरे मंत्री महोदय को दे दिया है। आज असंतोष का सामना करना पड़ रहा है शिक्षण संस्थाओं में और शिक्षकों में इस प्रश्न को लेकर बड़ा भारी असंतोष है। जो पहले चीफ जस्टिस थे अब वे वाइस चान्सलर बन कर आ गये हैं। यहां की यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। राजधानी की यूनिवर्सिटी है यह सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहां एकेडेमिक और रिसर्च दोनों ही कार्य होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में चयन की प्रक्रिया में दोष पूर्ण तरीका अपनाया गया है। चयन में हैड आफ डिपार्टमेन्ट को पदेन सदस्य रखा गया है। चयन में कितना खर्चा होगा इस वक्त इसको भी नहीं देखा गया। प्रोफेसर लोगों को बाहर से लाया गया। यहां के लोगों के साथ पहले भी अन्याय हुआ और इन्साफ नहीं हुआ। पहले भी झगड़ा हुआ था। लड़कों में अनुशासनहीनता होने का यह भी एक कारण है। विद्यार्थियों का अस्तव्यस्त मूड रहता है। हाई कोर्ट की बहस सुनना और यूनिवर्सिटी के प्रशासन को चलाना दोनों अलग-अलग तरीके के काम हैं। वाइस चांसलर के आते ही यूनिवर्सिटी में हड़ताल हुई। इन्होंने लड़कों को धमकाया कि मैं चीफ जस्टिस रहा हूं। लड़कों ने कहा कि चीफ जस्टिस रहे होंगे। इस प्रकार से आप की यहां तानाशाही नहीं चल सकती। इन्होंने यूनिवर्सिटी बन्द कर दी। माननीय मंत्रीजी ने यूनिवर्सिटी खुलवायी। वाइस चान्सलर की अदूरदर्शिता के कारण और गलत स्टेप लेने के कारण यूनिवर्सिटी बन्द हुई और सरकार ने निर्देश देकर वापस खुलवायी। इसलिये मेरा आग्रह है नये मंत्रीजी से कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के मामले में आप सावधानी बरतें। मा. चतुर्वेदी ने जल्दबाजी में संशोधन बिल पास करवा करके जो चयन की सोची और अच्छी समझी हुई प्रक्रिया थी उसको बदल दिया। इसके कारण आज आपके गले में घंटी बंध गयी है। इसलिये आप शिक्षकों और प्रोफेसरों को बला कर उनसे बात करिये। वाजिब बात हो तो हल हो सकती है और कल आन्दोलन खतम हो सकता है। इस बीमारी को अभी यहीं नहीं मिटाया तो यह आगे बढ़ जावेगी। आपने सीनियर टीचर्स के मामले में बहुत ही साहसपूर्ण डिसीजन लिया। उसी प्रकार से इस मामले में भी जिस किसी को आप बुलाना चाहें बुलायें हम बीच में नहीं पड़ना चाहते। यूनिवर्सिटी की अलग प्रक्रिया है। यह ओटोनोमस बॉडी है। गलत तरीके से कानून पास कराने से यूनिवर्सिटी आन्दोलन व अखाड़ेबाजी का स्थान हो गयी है। वाजिब बात है उसको सुन कर फैसला करें, सही फैसला करें वरना यदि यह बीमारी बढ़ गयी तो आप इसका इलाज नहीं कर पायेंगे और यूनिवर्सिटी बन्द हो जावेगी। लड़कों में इनडिसिप्लिन बढ़ेगा।

माननीय सभापति जी, आप इम्पार्शियल हैं, आप उन लोगों का चयन करने जा रहे हैं तो आप इम्पार्शियल होकर चयन कीजिए। आप यहां बैठ कर कुलपति, प्रोफेसर आदि सबको बुलाकर यूनिवर्सिटी के मामले पर विचार करें। राजस्थान विश्वविद्यालय है यह हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है इसलिए आप इस मामले को सही रूप से सुलझायें। जिस प्रकार से, माननीय शिक्षा मन्त्री जी, आपने सीनियर टीचर्स के मामले

Page No 122

(122)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को हल किया और जो उनका आन्दोलन चल रहा था वह समाप्त हुआ उसी प्रकार से ईमानदारी से इसको हल करना चाहें तो यह हल हो सकेगा और इसमें आपकी शोभा बढ़ेगी। सिर्फ ये दो बातें हैं जो मुझे कहनी है।

श्री सभापति : Honourable leader of opposition.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, डीडवाना से आये माननीय सदस्य के कथनानुसार जो चयन समिति बनी, जो एक्सपर्ट्स का चयन एकेडेमिक कौंसिल द्वारा किया गया वह अवैधानिक है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जो बातें उन्होंने बताई और इमर्जेन्सी के वक्त जो वाइस चान्सलर थे उनसे दरियाफ्त कर लिया जाय। इस बात पर जो एम्फेसिस उन्होंने दिया उससे साफ जाहिर होता है कि एकेडेमिक कौंसिल ने एक्सपर्ट्स का नाम तय करने के लिए जो लिस्ट बनायी उसमें दखल दिया गया। शिक्षा मन्त्री जी, जो चयन समिति बैठी उसके द्वारा इस लिस्ट में से चयन किया गया रीडर्स और प्रोफेसर्स का, यह राजस्थान का दुर्भाग्य है। आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स रहे होंगे, विद्यार्थी रहे होंगे लेकिन हम पढ़ते थे उस समय कोई राजस्थान में विश्वविद्यालय नहीं था। हम या तो लखनऊ, या इलाहाबाद जाकर पढ़ते थे या नागपुर में जाकर पढ़ते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यहां एकेडेमिशियन्स हैं प्रोफेसर्स एण्ड रीडर्स, अब सलेक्शन होने जा रहा है इस सलेक्शन से जो इफेक्टेड हैं उनकी संख्या 700 के आसपास है। 700 के करीब प्रोफेसर्स और रीडर्स इफेक्टेड हैं और उनमें बड़ा असन्तोष है। इस सम्बन्ध में निवृत्तमान शिक्षा मन्त्री जी जो एक संशोधन कानून लेकर आये थे, इसके द्वारा विभाग के प्रोफेसर को एक्स-ऑफिशियो चयन समिति का सदस्य बनाया था। इसके पीछे भी एक इतिहास है। पूर्व में यही प्रक्रिया थी कि विभाग का प्रोफेसर एक्स-ऑफिशियो सलेक्शन कमेटी का मेम्बर होता था लेकिन उससे बहुत असन्तोष था एकेडेमिशियन्स में इसलिए राज्य सरकार ने विचार विमर्श के बाद प्रोफेसर को हटा दिया, उसे सलेक्शन कमेटी में नहीं रखा। उसके बाद में विधान सभा का पहला सत्र प्रारम्भ होने के 5 दिन के अन्दर-अन्दर जो अमेंडिंग बिल आया। जल्दी में निवृत्तमान शिक्षा मन्त्री जी ने संशोधन कानून बिना सोचे समझे लाकर जो स्थिति खड़ी की, उस समय भी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर चर्चा करने से पूर्व और वोट देने से पूर्व इस क्लाज के ऊपर आप ठंडे दिमाग से सोचें क्योंकि यह काम्पलीकेशन क्रियेट करेगा और सलेक्शन कमेटी की इम्पार्शलिटी के ऊपर सन्देह पैदा करेगा। वह आज स्थिति खड़ी हो गई है।

माननीय सभापति जी, एक्स-ऑफिशियो प्रोफेसर के सम्बन्ध में तो मैंने निवेदन किया बाकी जो मेम्बर रहते हैं वह और 4 हैं। वह कौन हैं? वाइस चान्सलर आफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्स-ऑफिशियो मेम्बर श्री वेदपाल-त्यागी। वेदपाल त्यागी आज वाइस चान्सलर हैं। यही चान्सलर थे और गवर्नर का काम करते थे राष्ट्रपति शासन में। उस समय जब यहां पर गवर्नर थे उन्होंने खुद ने चान्सलर के नॉमिनी के रूप में अपाइन्ट किया था। इसलिए चान्सलर का जो नॉमिनी है, यह चान्स-

(श्री परसराम मदेरणा)

लर थे या वाइस चान्सलर हैं वह वेदपाल त्यागी का नामिनी है। उसके बाद में तीसरा नॉमिनी आफ दी गवर्नमेंट हैं। जब राजस्थान राज्य में आम चुनावों में राष्ट्रपति का शासन था तब गवर्नर राष्ट्रपति के डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिव और चीफ मिनिस्टर दोनों के पावर्स आप एन्जाय कर रहे थे उस समय नामिनी आफ दी गवर्नमेंट को अपाइन्ट किया था इन वेदपाल जी त्यागी ने क्योंकि उस समय यह गवर्नर थे। उसके बाद में चौथा रिप्रेजेन्टेटिव नामिनी आफ दी गवर्नमेंट आउट आफ दी सिन्डीकेट . . . . .

श्री सभापति : Excuse me. मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पर्टीकूलर रेफरेन्स के बारे में जरूर सन्देह है।

श्री परसराम मदेरणा . . . . जो चौथा रिप्रेजेन्टेटिव नॉमिनी आफ दी गवर्नमेन्ट आउट आफ सिन्डीकेट है। उस वक्त में वह गवर्नर थे तो चौथा रिप्रेजेन्टेटिव वही है जो इनका बनाया हुआ और इनका अपाइन्ट किया हुआ है। इस प्रकार की सलेक्शन कमेटी है जिसमें 4 व्यक्ति तीन वेदपाल जी त्यागी, जो कि डिफरेन्ट टाइम में चान्सलर या गवर्नर रहे, द्वारा मनोनीत है। एक वह स्वयं हैं और एक्स-आफिशियो मेम्बर प्रोफेसर की बात तो कानून के जरिये मैंने बता दी। एकेडेमिक कौंसिल के लिस्ट को बिना सक्यूं लेट किये हुए एप्रूव कराया वह बहुत डिफेक्टिव है। तो उसमें शंकायें और सन्देह है कि इस प्रकार से कोई भी सलेक्शन ठीक होगा। शिक्षा मंत्री जी, आपने स्टेटमेन्ट तो दे दिया लेकिन इस प्रकार का कोई भी सलेक्शन, चयन समिति का गठन किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे देश में नहीं हुआ होगा। इसलिए, प्रोफेसर और रीडर का जो सन्देह है, उनका एप्रीहेन्शन है, उनके डाउट्स है वह निराधार नहीं हैं।

आपने जो यह वक्तव्य दिया इसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर पुर्नविचार कीजिए। और आपका यह कथन है कि वहां कोई असन्तोष नहीं है और असन्तोष नहीं होने के पक्ष में जो आपने दलील दी है, तो मैं आपको फिर वार्निंग देता हूं कि यह असन्तोष बढ़ेगा रुकने वाला नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के एकेडेमिक एटमास्फीयर को स्पाइल मत कीजिए। कहीं पर भी सलेक्शन कमेटी के बारे में शंकायें हैं, एप्रीहेन्शन्स हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है। आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को टाइम दो। एक्सपर्ट्स फ्री है। अगर एक्सपर्ट्स फ्री हैं तो प्रोफेसर्स और रीडर्स को एकेडेमिक ईयर के फैग एण्ड में बच्चों को पढ़ाने में मन लगाना चाहिए। उनकी पीस आफ माइन्ड डिस्टर्ब हुई है। इसलिए पीस आफ माइन्ड डिस्टर्ब हुई है कि उन्हें इस बात का सन्देह है कि सलेक्शन इम्पार्शियल नहीं होगा। इम्पार्शिलिटी के संबंध में मुझे और कहने की आवश्यकता नहीं है।

वाइस चान्सलर की इम्पार्शलिटी को जुडिशियल सर्विस का और कोई व्यक्ति आज चेलेन्ज करता है, खुल्लम-खुल्ला चेलेन्ज करता है और प्रेस को स्टेटमेंट देता है तो इससे ज्यादा, मैं समझता हूं उस आदमी के लिए कोई बात नहीं हो सकती जो कि जुडिशियरी में रहा हो। जुडिशियरी के व्यक्ति के ऊपर सन्देह करना तो अलग बात

(श्री परसराम मदेरणा)
रही, Caeser's wife should not only be chaste, she should be above suspicion जुडिशियरी के बड़े बड़े आफिस के डिसीजन को चैलेंज किया और हाई कोर्ट में फैसला हुआ है उसमें जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो भी किया उस पर बहुत बड़ा एस्पर्शन है। हमारी जुडिशियरी, जो कि डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है, के लिए निश्चित रूप से वातावरण प्रतिकूल बना है, वह फेयर नहीं है। वह फेयर लिटिगेन्ट के साथ तो है या नहीं लेकिन हायर जुडिशियल सर्विस के लिए भी फेयर नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी आप बहुत ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। आप बोलने में काफी ठंडे हैं और जितना बोलने में ठंडे हैं उतना ही मेन्टली ठंडे हो कर सोच लीजिए····

श्री प्रयूब खां : पाइन्ट ग्राफ आर्डर, सर। आपने एक बात कही श्री वेदपाल त्यागी जी के बारे में वह बात पहले भी आ चुकी है, शंका जाहिर की, उनके निर्णय के बारे में।

श्री परसराम मदेरणा : This is no point of order. It is a point of disorder. This is zero hour and your point of order is also zero.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, लीडर आफ अपोजीशन को बोलने दें।

श्री परस राम मदेरणा : इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी से नम्र निवेदन करूंगा कि इस सदन में वह अपने साथियों के साथ, मुख्य मंत्री जी के साथ परामर्श करके जो आज स्थिति है उस स्थिति को किसी तरह से टालने का कोई न कोई प्रयास करें। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो इसके परिणाम एकेडेमिक वर्ल्ड में होंगे, एकेडेमिक पैरा मीटर में होंगे और हर एकेडेमिशियन्स पर होंगे, वह काफी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे खतरनाक परिणामों से बचने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी प्रयास करें तो किया जा सकता है नहीं तो उनका जो भी फेट होगा वह होगा। हमारा कर्त्तव्य है कि जो हमारी बात समझ में आती है उसको रखें। उनके ग्रिवान्सेस में मेरेज हैं। उनके ग्रिवान्सेस का समाधान होने के बाद ही सलेक्शन होना चाहिए।

श्री सभापति : Will the hon. Minister also enlighten whether such constitution will not affect the democratic character of higher education institutions.

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की बैठक का समय आज की कार्य सूची में समाविष्ट कार्य की सम्पूर्णता तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि आज का बिजनेस खतम होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 8 बजे का उनको निमन्त्रण है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों के चयन में असंगतियां

श्री सभापति : Please listen to me.

मैं इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को अर्ज करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव रखने वाले 9 माननीय सदस्य थे उन्होंने जैसे बहुत जल्दी खतम कर दिया है, वैसे ही क्या आप मेरी इस रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे और आसन को कोआपरेट करेंगे। इस पर वाद-विवाद जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप मेरा नाम बोलेंगे तो मैं शुरू करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर) : माननीय सभापति जी, यह सारी ज्यादतियां और इसकी शुरुआत कांग्रेस के वक्त में जब आपात स्थिति लागू हुई तब हुई जो उधर लोग बैठे हैं...

श्री खेतसिंह राठौड : हम तो अच्छे कानून लाये थे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप अच्छी बात करते तो उधर जाकर नहीं बैठते।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, आप इनको रोकिये। हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। यदि ठीक काम नहीं करेंगे तो उधर बैठने में संकोच नहीं होगा। आप तीस साल तक अच्छा काम नहीं कर सके...

श्री सभापति : आपका टाइम जा रहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी आज्ञा हो तो एक बात कह दूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कांग्रेस के समय चयन समिति के बारे में ऐकेडेमिक कौंसिल में प्रश्न नहीं रखा गया। संविधान के अनुसार एकेडेमिक कौंसिल से स्वीकृति लेना आवश्यक था।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो अनियमितताये हो रही हैं उनकी जांच के लिये सरकार ने जो कमीशन अपाइंट किया था, उसे इस बात की जांच करनी थी कि नियुक्तियों में क्या-क्या गड़बड़ी होती हैं और क्या गड़बड़ियां हुई हैं। इसकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के अन्दर चयन के सन्दर्भ में और चयन में आवश्यक सुधार के बारे में, माननीय सभापति जी, कहा गया है। मेरा निवेदन करना यही है कि चयन करने के पहले सारी बातों पर विचार करा जाय। सारी रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाय, उसके बाद चयन कर लिया जाय। आखिर कमीशन क्यों बैठाया ? कमीशन की रिपोर्ट को नजरअन्दाज करके चलेंगे तो उपयुक्त नहीं होगा। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करने के

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
लिये जिस कमीशन को बैठाया उसका ध्यान रखना जरूरी है।

तीसरी बात आपातकाल में जो पदों का एलोकेशन विभिन्न विभागों में मनमाने ढंग से किया गया, जो असंगतियां हैं उनको दूर करना बहुत आवश्यक है।

चौथी मेरी बात यह है कि विभिन्न पदों के लिये विशेष योग्यता का निर्धारण स्टाफ कौंसिल के द्वारा एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा हुआ करता था परन्तु उस समय योग्यता का निर्धारण केवल वाइस चान्सलर के द्वारा हुआ। उसमें पक्षपात हुआ। कुछ लोगों को जानबूझ कर चयन से अलग रखा गया। सामान्यतः यह हर विभाग में हुआ है। इसकी पूर्ण जांच होना, माननीय सभापति जी, बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री देवनारायण जी ड्राइंग एवं पेन्टिंग विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके विभाग में लेक्चरार का पद था। साक्षातकार हुआ उसमें उनको नहीं बुलाया गया। इससे उनकी मानसिक वेदना की सहज ही कल्पना कर लीजिये। विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर चयन के लिये एक विशेष बोर्ड बनाया जाना चाहिये। यह मेरी मांग है। राज्य सरकार को मेरा सुझाव है कि वह बोर्ड सभी विश्वविद्यालयों में चयन का कार्य करे। इस बोर्ड में चयन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय का कोई व्यक्ति इसलिये होना जरूरी नहीं है कि उसके पर्सनल इन्ट्रेस्ट होंगे। चयन तभी निष्पक्ष हो सकेगा जब उसमें सम्बन्धित व्यक्ति नहीं होगा। दूसरी मेरी मांग है, यह भी आवश्यक है कि उच्च पदों पर प्रमोशन का प्रावधान किया जाये। पदोन्नति का प्रावधान शीघ्र ही होना चाहिये।

अंत में, माननीय सभापति जी, मेरी मांग है कि चयन तथा पदोन्नति के लिये नार्म तय नहीं किये गये हैं. वह निर्धारित किये जाने चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय में जो प्रक्रिया चल रही है वह स्थगित करें। इस संबंध में जांच करके जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर कार्यवाही करके फिर यदि चयन की प्रक्रिया करें तो सन्तोष होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। अगर नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स में, लेक्चरार्स में असंतोष होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षकों में असन्तोष नहीं हो. इस सबंध में शीघ्र कार्यवाही करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा नाम है। मैं दो तीन बातें कहूंगी।

मेरा निवेदन यह है, सभापति जी, पिछले समय में पदोन्नतियों में और चयन में काफी अनियमिततायें हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि चयन दोष भरा नहीं है, चयन में दोष नहीं है। दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने कही कि असंगतियां नहीं है। अगर इतनी असंगतियां न होतीं तो चयन कमीशन नहीं बैठा होता। जो स्थाई प्रोफेसर और लेक्चरार्स हैं, उनकी पदोन्नति

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

का पहले ध्यान रखा जाना चाहिये अन्यथा उन लोगों को असंतोष होगा और इसका प्रभाव हमारी शिक्षा पद्धति पर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आपातकाल के समय में कई विभागों को इस तरह के अधिकार दे दिये गये थे, उनका दुरुपयोग किया गया। पिछली जो अनियमिततायें हुई हैं, जांच कमीशन बैठाकर इन अनियमतताओं को ठीक करने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री ओंकार-लाल चौहान।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मंत्री महोदय।

माननीय श्री सुरेश कुमार जी।

(विराम)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहां रजिस्ट्रार के फन्दे में फंस रहे हो, आप तो अपना जवाब दो।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री भूरा।

माननीय मंत्री महोदय शुरू करें।

Let us start extempore for some time.

एक माननीय सदस्य : पहले भूमिका बांध लें तब तक आ जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो सलेक्शन हो रहा है उसको लेकर मेरा ध्यान सम्माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका नहीं, सरकार का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका ही है. आप तो बोलो।

श्री भंवर लाल शर्मा : सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिये तो धन्यवाद है लेकिन अब कृपया मेरा ध्यान न बंटायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब नहीं बंटायेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, सलेक्शन के लिये एक्सपर्ट्स का पेनल बनाया जाता है या बनता है उसके लिये तो हमारे वयोवृद्ध नेता माथुर साहब ने कह दिया है....

श्री मथुरा दास माथुर : मैं वयोवृद्ध नहीं हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वयोवृद्ध को 'वरिष्ठ' से रिप्लेस कर दें।

श्री भंवर लाल शर्मा : वयोवृद्ध का मतलब सम्मान से है। एक कद्र का शब्द है मैं उनकी कद्र करता हूं इसलिये मैंने कहा है, आपकी उम्र कम होगी ....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब मैं समझता हूं अपने विषय पर आ जायं तो ठीक रहेगा । सभापति जी, ये जो एक्सपर्ट के पैनल की बात करते हैं यह जिस समय की बात है, उस समय वाइस चान्सलर थे जी.सी. पाण्डे । उस समय यह अप्रूव कराया गया । यह तब की बात है, दो दिन पहले की बात नहीं है । यह सन् 77 की बात है तो उस समय मिनट्स अप्रूव हुई । फिर दुबारा पास किया गया है, फिर सिन्डीकेट में गया और सिन्डीकेट में फाइनल कर दिया गया । आज हम अप्रेल 78 में चल रहे हैं...

श्री मथुरा दास माथुर : सिन्डीकेट में जाने का कोई प्रावधान नहीं है । इसलिये जिसने कहा है वह गलत कहा है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : कृपया आप मेरी बात सुन लें । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि सिन्डीकेट में गया या नहीं गया । पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये...

(व्यवधान)

यह अभ्यास ठीक नहीं है वैसे आप बुजुर्ग हैं..

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कोई नये पाइन्ट आये हैं तो उनको एक्सप्लेन कर दीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि सिन्डीकेट के लिये जो मैंने बात कही है, वह इसलिये कही है कि यह मामला सिन्डीकेट में गया है, वहां मिनट्स अप्रूव की गई हैं । अब नियम जाने का है या नहीं है लेकिन हुआ यह है । जून, 77 में यह पैनल तैयार हो गया और एकेडेमिक कौन्सिल के सामने मिनट्स पेश हुई हैं, लिस्ट बताई नहीं है और पास करली तो कोई ग्राम पंचायत के मतदाता तो वहां हैं नहीं आखिर वे एकेडेमिक कौंसिल के सदस्य हैं...

श्री रतनलाल वर्मा : आप ग्राम पंचायत के मतदाताओं के लिए इस तरह नहीं कह सकते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्टरफियरेन्स न करें । Please sit down

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उन मतदाताओं ने तो सरकार बनाई है, साहब ।

श्री सभापति : आप बोलने दीजिये, साहब । कृपया बिराज जाइये ।

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरे भाव ये नहीं हैं कि वे कोई अज्ञानी होते हैं लेकिन कई बार उनको समझाना तो पड़ता है कि वोट ऐसे देने पड़ते हैं । वहां तो विद्वान लोगों को ही प्रवेश मिलता है । हाईली क्वालिफाइड होते हैं । मेरा मतलब है लिस्ट उनके सामने नहीं रखी गई तो कैसे पास करवा ली । आप कहते है बिना सामने रखे पास करवाई है तो जब मीटिंग चली उसके बाद तो कहते । यदि बिना पेश किये अप्रूव हुई तो अक्टूबर में कहते कि यह कैसे पास करा ली । उनको कहना चाहिये था कि जब तक लिस्ट सामने नहीं आये, हम नहीं करते लेकिन ऐसा भी नहीं किया । उसके बाद सिन्डीकेट में गई तब भी आवाज नहीं उठाई । माननीय सभापति जी, आपको ध्यान होगा 18 जुलाई को हम विधान सभा में मिले, तब भी नहीं बताया गया कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अन्याय हुआ है। आज जब सलेक्शन प्रारम्भ हो गया तब यकायक बात ध्यान मे आई है। अगर यह बात सही थी तो जो पढ़े-लिखे लोग हैं और राजनैतिक नेताओं के सम्पर्क में रहते हैं, उनको आज ध्यान में आई तो पहले भी आ सकती थी कि अन्याय हुआ है लेकिन पहले बताया नहीं गया। आज एक साल बाद इस बात को खड़ा करें तो क्या औचित्य माना जा सकता है? फिर जब एक बार किसी भी विधिवत् प्रोसीडिंग में बात अंकित हो जाती है उसको आप एप्रूव करते हैं और फिर आज आप कहते हैं कि यह तो गलत हुआ है तो यह मानने वाली बात नहीं है। यह दलील नहीं मानी जा सकती है, यह लचर दलील है और इसको आप भी स्वीकार नहीं करेंगे।

जिस समय यह हुआ कि मीटिंग कर ली, पैनल तैयार करा लिया और लिस्ट का पता नहीं है, तो यह बात 18 जुलाई में भी आ सकती थी। जुलाई में आ सकती थी, अगस्त मे आ सकती थी। जब हम विधान सभा में मिले तब कह सकते थे। सितम्बर में मिले तब कह सकते थे। जब यह कहते हैं कि सिन्डीकेट ने एप्रूव की है तो सिन्डीकेट में आपकी विधान सभा के सदस्य भी हैं। अभी हैं नहीं। डा. हरिसिंह जो, जो विधान सभा के सदस्य हैं वे भी उस मीटिंग में उपस्थित थे ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप खुद भी तो थे।

श्री भवर लाल शर्मा : मैं भी था, लेकिन आप मानती नहीं इसलिये मैंने उनका नाम लिया है। निश्चित रूप से हम भी थे। अगर यह बात सही थी तो तुरन्त आनी चाहिये थी। आप तो वकील हैं, एडवोकेट हैं। अगर मान लीजिये कोई घटना घटती है और कोई वारदात होती है और पुलिस में रिपोर्ट टाइम पर दर्ज नहीं कराते हैं तो बड़ा सन्देह होता है। केवल कुछ क्षणों की देर हो जाय तो मामला दूसरा हो जाता है और घंटों की देर हो जाय तो मामला फैटल माना जाता है। यहां तो महीनों की देर हो गई। आज जब यकायक सलेक्शन हो रहा है तो आप कह रहे हैं। आप कहें सलेक्शन नहीं होना चाहिये और इसमें रुकावट आनी चाहिये तो आप हुकुम दे दीजिये कुछ कर सकेंगे तो वह भी कोशिश कर ली जायगी। इस कारण, मैं समझता हूं, कोई कनविन्स नहीं होगा। आप तो खुद समझते हैं, सारे के सारे वकील बैठे हैं इतने दिनों बाद कहते हैं तो अब कौन मानेगा?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस पाइन्ट का क्लेरिफिकेशन कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर रहा हूं।

मेरा कोई इसमें दुराग्रह नहीं है, आप समझा देंगे कि यह बात ठीक नहीं है तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन आपको यह बात मेरे गले उतारनी पड़ेगी। आप जोर से बोल कर या कानून या नियम दिखाकर यह समझते हों कि मैं मान जाऊंगा तो इस तरह से नहीं होगा।

श्री मदनसिंह दाता : मंत्री महोदय यह कहते हैं कि तीन महीने के बाद हमें ज्ञान हुआ था, हम तो जानते थे कि अभी कुछ घंटों की बात है। Then you are right.

Page No 130

(130)

श्री भंवरलाल शर्मा: शिक्षा में कोई राजनीति नहीं है। मेरा हृदय और मस्तिष्क खुला हुआ है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा।

अब प्रश्न यह है कि आपने कहा कि अप्रेल, मई, और जून या मार्च, अप्रेल मई में सलेक्शन किया जाता है यह समय ठीक नहीं है। इसमें आपके मतभेद हो सकते हैं। आप कहते हैं कि यह समय ठीक नहीं है और मैं कहता हूं कि यह ठीक है। लेकिन मेरे कहने के पीछे तर्क है। छुट्टियां जब होती हैं जून, जुलाई मे, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वह एक्सपर्ट्स तो काफी बड़े लोग हैं वह छुट्टियों में बाहर चले जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं...

श्री खेतसिंह राठौड: हिल स्टेशन पर चले जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : Very correct. ठीक कहा आपने।

उस समय उनको बुलाकर लाना बडा कठिन है।

श्री खेतसिंह राठौड : मैं इनकी जून भुगता हुआ हूँ।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्योंकि आप सद्भाव मे बोल रहे हैं इसलिये जो आप कह रहे हैं वह सच है।

हिल स्टेशन पर चले जायेंगे तो एक्सपर्ट्स कमेटी में आने की चिन्ता नहीं करेंगे यह समय इसलिए उपयुक्त नहीं समझा गया क्योंकि इस समय एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं और आगे गर्मी होती है। सत्र प्रारम्भ होता है जुलाई से। अब आप जुलाई में एक्सपर्ट्स बुलायेंगे, कमेटी चयन करेगी अगस्त में और अपाइंटमेंट सितम्बर में होगा, जब कि सत्र चालू करेंगे जुलाई में तो पढ़ाई कैसे हो सकती है? अगर पढ़ाई नहीं करा सकें तो सलेक्शन के क्या मायने हैं? जुलाई से क्लासेज चलेंगी और अगस्त या सितम्बर में जाकर अपाइन्टमेंट होगा। एक्सपर्ट्स आयेंगे और फिर टीचर्स, अध्यापकों का चयन करेंगे उसके बाद वह अध्यापक पढ़ाने के लिये आ सकेंगे। यह सिलसिला दो-तीन महीनों तक चलेगा तब आप कहेंगे जैसा कि पिछली विधान सभा में कहा गया कि टीचर्स नहीं हैं, स्कूल खाली पड़े हैं तो जैसे पहले भी बदनाम करने की कोशिश की थी वैसा ही आज भी रास्ता अपना रहे हैं। कालेज खुले पड़े रहें, अव्यवस्था होती रहे और आप विधान सभा में कहें कि क्यों क्या बात है। तो यह समय ही उपयुक्त है। सितम्बर तक अपाइन्टमेंट होगा तो फिर आप कहेंगे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। विद्यार्थियों में पहले ही असन्तोष है, अब सलेक्शन हो टीचर्स का, उसमें टीचर सलेक्ट हों या नहीं हों, अगर सलेक्ट नहीं हों तो नुकसान टीचर्स का होगा। और असन्तोष विद्यार्थियों में होगा यह तो असन्तोष पैदा करने का तरीका है।

श्री खेतसिंह राठौड : पहले आप करते थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सलेक्शन होगा अध्यापकों का और असन्तोष होगा विद्यार्थियों में। कौन मानेगा इस बात को? आप उनसे मिलकर असन्तोष पैदा कर सकते हैं। उनमें गुरुओं के पक्ष में असन्तोष पैदा किया जा सकता है कि गुरुओं के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है

(श्री भंवरलाल शर्मा)]
इसको आप बरदाश्त कर सकते हैं क्या ? उत्तेजना आप देंगे या और कोई देगा तो असन्तोष हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसकी आप जानें कि कौन करेगा या नहीं करेगा। हमने तो आपको आगाह कर दिया।

श्री सभापति : अब जवाब भी पूरा हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप इसको पर्याप्त मानते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप प्रश्नों का तो जवाब दे नहीं रहे हैं साइड ट्रेक कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, समझदारी का जवाब दें। श्रीमन्, यह बतायें कि चीफ जस्टिस जगन्नारायण जी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट का क्या किया गया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी हो गया। आपके आब्जर्वेशन थे वह आ गये और जो जवाब वह दे सकते थे उन्होंने दे दिया। अगर जवाब देने को कुछ नहीं है या नहीं देना चाहते हैं तो वह कैसे आयेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : यह तकलीफ जो कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप पेशाब करने चले गये थे इसलिए सुना नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारा टालने का मतलब नहीं है कांग्रेस के लोगों का प्रयास है....

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर दें हमारी बातों का।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनते नहीं हैं। शोरगुल होता रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप उत्तर दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : × × × दे रहे हैं। क्या सुने।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या का यह कमेन्ट है कि × × × दे रहे हैं इसको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मंत्री महोदय का भाषण हाउस में हो रहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : इसको ××× कह रहे हैं।

श्री सभापति : आपने जो लफ्ज कहे Please hear me. Kindly hear me. वह इन्डिग्नीफाइड और अनपार्लियामेंट्री है। यह लफ्ज हैं इनका भाव इन्डिग्नीफाइड है। जिस कन्टेक्स्ट में यह कहे गये हैं, मंत्री महोदय सदन में भाषण दे रहे हैं इस कन्टेक्स्ट में इनको मैं डिग्नीफाइड नहीं समझता हूं। विचार की बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, चूंकि उन्होंने बीच में यह बात कही थी कि पिछली मीटिंग में भाषण देते थे तो डिस्टर्ब होते थे तो कहां

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
तक संतुलन नहीं होते थे। उस पर मैंने कहा कि × × × दे रहे हैं। इसमें क्या अनपार्लियामेन्ट्री की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मुझे आपके जज़बात से पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं एक्सपन्ज करने को कह चुका हूं इसलिए इस पर पुनर्विचार नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि मेरे बोलने में व्यवधान डालने पर माननीय सदस्या के कुछ शब्दों को आपने उचित नहीं समझा कि वह प्रोसीडिंग्स पर रहे। वैसे तो वह सीनियर सदस्या हैं..

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मंत्री जी, खुद इस तरह की बात करते हैं और कमेण्ट इन्वाइट करते हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, मैं मजबूर हूँ यह बात कहने के लिये कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहें कि उस पर कुछ कहने की नौबत आ जाय।

श्री ईश्वरचन्द्र : मन्त्री महोदय को आदेश दें कि वह गम्भीरता से कहें। एक्सपन्ज करने के आदेश बहुत रेयर हुआ करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर हम आ जाते हैं विश्वविद्यालय के ऊपर।

माननीय सभापति महोदय, अब एक आपत्ति की जगतनारायण जी के कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर। यह कमीशन जो बैठाया गया है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वह जांच कर रहा है पुराने घोटालों की और यह सलेक्शन अब होगा। तो जांच पुराने घोटालों की है। उसका इससे सम्बन्ध क्या है? यह सलेक्शन अब हो रहा है। जगतनारायणजी ने रिपोर्ट दे दी उससे इसका सम्बन्ध क्या है? क्या जांच का विषय है? जो पुराने घोटाले थे उनकी जांच कर रहे हैं। इससे उसका क्या सम्बन्ध है? आपने जगतनारायणजी का नाम लेकर कह दिया कि उनकी रिपोर्ट पढ़ ली। उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा आगे जाकर कि आपने क्या क्या गलतियां की। चूंकि आपको कुछ बात कहनी थी इसलिये यह कह दिया।

माननीय डागाजी, आपने एक दर्द और प्रकट किया कि हम राजस्थान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं लेकिन सन आफ दी साइल को लाभ नहीं मिलता है। यह बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया। बहुत बड़ा दुःख आपने प्रकट किया। क्या आप यह बताएंगे कि जनता पार्टी की सरकार को बने अभी दस महीने हुए हैं, सलेक्शन अब हो रहे हैं, आपने पक्षपात का अब आरोप लगाया है तो आपने अपने राज्य में सन आफ दी साइल के लिए दुःख क्यों नहीं प्रकट किया? जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे प्रान्त के नहीं हैं ऐसा कह कर आप प्रान्तीयता की भावना को उभारना चाहते हैं। उनका सलेक्शन किसने किया था? किसके जमाने में हुआ था यह सब? हमारे जमाने में सलेक्शन तो अब हो रहे हैं। जो सन आफ दी साइल की बात आप कह रहे हैं, यहां जिनका आपने जिक्र किया है, उनको किसने भर्ती नहीं किया? इसका दोष आप हम पर क्यों लगाना चाहते हैं...

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री खेतसिंह राठौड : हम अमेन्डमेंट लाए थे, यह तो आपको मालूम है। वह अमेन्डमेंट आपने नहीं माना है। जो प्रान्तीयता की भावना की बात आप कह रहे हैं, यह तो आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें राजस्थान के एक-दो व्यक्ति मुश्किल से मिल पायेंगे। इसी प्रकार से बिहार में बिहारी मिलेंगे। गुजरात में गुजराती मिलेंगे। अब राजस्थान के अन्दर मेरीटोरियल रिकार्ड वाले, गोल्ड मेडलिस्ट राजस्थानी मिल सकते हैं, अपने प्रान्त में मिल सकते हैं, तो क्या आप अपने प्रान्त के लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे? यह भावना आप में होनी चाहिये थी। आज तीनों यूनिवर्सिटीज को यह शिकायत है। आज जितने प्रोफेसर यहां पर हैं, इनमें बाहर के होने के कारण कितना डिस्सेटिसफेक्शन यहां के लोगों में है, वह आपको मालूम होगा। यहां पर चपरासी, स्टेनो से लेकर प्रोफेसर तक सारे के सारे बिहार से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। आपके पीछे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जब वे इधर बैठते थे, उन्होंने मुझ पर चार्ज लगाया था। तब उनकी बात को मानकर मैं अमेन्डमेंट यहां पर लाया था, आपने उस अमेन्डमेंट को नहीं माना। परन्तु आप यह ख्याल तो रखिये कि अपने लोगों का सलेक्शन होना चाहिये।

श्री केदारनाथ : माननीय खेतसिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, मैंने एक निवेदन किया था कि लोगों को यूनिवर्सिटीज में आटोमेटिक प्रमोशन मिलना चाहिये। लेक्चरार को रीडर और जो रीडर हो उसको प्रोफेसर का आटोमेटिक प्रमोशन मिलना चाहिये। मेरी यह बात रीजनेबल थी। लोकल जीनियस को प्रोत्साहन देने के लिए थी परन्तु आपने मेरी बात नहीं मानी।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह कहा जा रहा है श्री वेदपाल त्यागी जो आज वाइस चांसलर हैं, उन्होंने गवर्नर के नाते, चांसलर के नाते लोगों की नियुक्तियां की है। कहा जाता है कि वे उन्हीं के आदमी माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने नियुक्त किया है। यह परम्परा मान ली गई तो, सभापति महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, आप इस पद पर हैं, जब यहां पर बिराजते हैं तो आपका दृष्टिकोण दूसरा होता है और जब यहां पर विराजते हैं तो क्या आप यह समझते हैं, आप यह कह सकते हैं कि आपके मन में कोई भेदभाव है। आप यहां पर विराजते हैं तो आपके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। आपने मुझ को ताड़ना दी है, माननीय सदस्या को भी ताड़ना दी है। आपके लिए दोनों बराबर है...

श्रीमती सुमित्रा : मेरे को क्या ताड़ना दी है?

श्री सभापति : न तो माननीय सदस्या और न माननीय मंत्री महोदय को मैंने कोई ताड़ना दी है। आप अपना जवाब पूरा करें जल्दी से।

श्री मदनसिंह दांता : यह जो सत्याग्रह हो रहे हैं, इनको बंद करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे है? यह बताइये।

श्री रघुनन्दन व्यास : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा

(श्री रघुनन्दन व्यास)

है कि सत्याग्रह हो रहे हैं, उनको बंद कराने के सम्बन्ध में कुछ भी शिक्षा मंत्री जी कह दें

श्री सभापति : मंत्री महोदय, सम अप करिए।

श्री भवरलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप इस स्थान पर जिम्मेदारी के स्थान पर विराजते हैं तो आपके लिए सब बराबर है। अब अगर मान लिया जाये, जो नियुक्तियां की गई हैं वे उनके द्वारा की गई हैं तो उनमें किन-किन के नाम हैं, इस पर आप विचार करें कि किन-किन के नाम हैं? इनमें पक्षपातपूर्ण नाम कौन से हैं? एक वी. वी. जोन का नाम है। उनका क्या गलत मनोनयन किया है? उनके बारे में कोई अंगुली नहीं उठायेगा। मेरे को तो पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु आपके शासन ने भी उसको शिक्षाविद माना होगा। तब आपने क्या उनको शिक्षाविद् नहीं माना था? तो इस नाम में कहां पक्षपात है? दूसरे कोठयारी जो हैं। यह डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन हैं। जो हमारे कालेज चलाते हैं, उसके डाइरेक्टर हैं। सिन्डीकेट के सदस्य हैं। इसमें कहीं आपको यह लगता है कि उनको पक्षपातपूर्ण तरीके से रखा है? इनको डायरेक्टर आपने बनाया है। आपके जमाने के डाइरेक्टर हैं। तो डाइरेक्टर कालेज एजूकेशन को रखा गया तो कहां पर पक्षपात है? इसलिए अब तक मैं आपकी बातचीत से सहमत नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आमन्त्रण देता हूं, निमन्त्रित करता हूं। आज यहां से तो अपन बिछुड़ रहे हैं, यहां पर जो बातचीत हुई है, उससे आपको नाराजगी हुई है····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम को कोई नाराजगी नहीं है।

श्री भवरलाल शर्मा : बहुत खुशी की बात है। आपका आभारी हूँ। इसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ शिक्षा के आप बड़े मंत्री रहे हैं, आपका नाम रहा है। आप मुझको गाइड करें।

श्री खेतसिंह राठौड : क्या बात कही है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय से जैसा बन पड़ा वैसा जवाब दे दिया।

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978।

सर्व श्री मूलचन्द डागा, रामनारायण चौधरी, परसराम मदेरणा एवं खेतसिंह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मैं समझता हूं कि आप में से एक-दो माननीय सदस्य ही बोल लें और सहयोग करें।

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।

श्रीमन्, कथनी और करनी में अन्तर होता है, यह मैं देख चुका हूं। आज भी मैं यह देख रहा हूं। यह होना चाहिये कि अब राज पलटता है तो जितनी भी आटोनोमस बॉडीज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको खतम कर

(श्री मूलचन्द डागा)

देना चाहिए था। ये जितनी भी आटोनोमस इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इन इन्स्टीट्यूशन्स को खतम कर देना चाहिए। आप यह जो कदम उठा रहे हैं बार बार, कल आपने एक काम किय जो पहले पंचायत समितियां थीं उन पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। आज आपने क्या किया ? जो बोर्ड का काम कर रहा था, मार्केटिंग कमेटी का जो बोर्ड काम कर रहा था, तीन साल उस बोर्ड को मियाद थी उसको एक साल एक्सटैण्ड किया जा सकता था। आपने एक्सटैण्ड किया है। बोर्ड की कमेटी को भंग कर दिया। संविधान का आर्टिकल 213 है। उसके अन्दर ये वर्ड हैं—

"If at any time... the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

इनमें वर्ड हैं, इमिजियट। श्रीमान, एक बात समझाएं सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रीजन्स दे रहे हैं। वह रीजन्स हमें मालूम हैं। हमें इमीजिएट स्टेप लेना आवश्यक है यदि कोई बहुत बड़ा जरूरी मामला हो। आप क्या इमीजिएट कदम उठाना चाहते हैं ? जो कमेटी काम कर रही थीं, उन सारी कमेटीज को आपने भंग कर दिया। अब आपने समझ लिया कि जनता पार्टी की सरकार में जितना हो सके नौकरशाही के लोगों को रख दो। चयनित आदमी गलत काम करते हैं। पंचायतों के आपने किस प्रकार से चुनाव कराये हैं ? जितनी भी आटोनोमस बाडीज हैं उनमें लोकतंत्रशाही को हटाकर नौकरशाही को आज कायम करना चाहते हैं और जनतन्त्रशाही को खतम कराना चाहते हैं। एक बात आपने बार-बार कही थी हम जनतन्त्र के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कमेटीज को भंग करना चाहते हैं, बोर्ड को भंग करना चाहते हैं फिर कैसे जनतंत्र के मूल्यों की स्थापना करेंगे ? मैं आपका ध्यान सेक्शन 27 की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति जी, आप गौर फर्माएंगे।

"If, in the opinion of the State Government, a Market Committee is not competent to perform or persistently makes default in performing the duties imposed on it by or under this Act, or abuses its powers, the State Government may, by notification in the official Gazette, supersede such Market Committee."

तो आप सुपरसीड कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट में जो लॉ डिपार्टमेन्ट है, यह कुछ देखता है ? मार्केटिंग कमेटीज अपना काम कानूनी ढंग से नहीं कर रही हैं, कोई गड़बड़ी है तो आप उनको सुपरसीड कर सकते हैं। आपका सैक्शन 27 है उसमें प्रावीजन साफ है। सैक्शन 27 होते हुए आपने यह क्यों किया ? आपने उस को टर्मिनेट किया है। तो, श्रीमान् आपको पावर थी आपने पावर का इस्तेमाल नहीं करके, यह कदम उठाया। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आपका सेक्शन 23 है :

"The Government may, if it thinks fit, on the recommendation of the Market Committee, or on any complaint or for other sufficient reason and after giving him an opportunity of being heard and after such enquiry, as it deems

(श्री मूलचन्द डागा)

necessary, remove a member of the Market Committee, if such member, in the opinion of the Government has been guilty of misconduct in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct, or has become incapable of performing his duties as a member or does anything against the interest of the market committee."

जब आपके पास सारे प्रावीज़न्स हैं, तो जो सरकार ठीक समझे वैसे सरकार अपना काम कर सकती है। जो दूसरी जनरेशन आयेगी वह कहेगी कि जनता सरकार इस प्रकार के काम किया करती थी। अगर किसी ने कोई नियम भंग किया है तो उसको हटा सकते हैं। जितने अधिकारी आपके हैं, उनमें से किसी पर अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषारोपण किया है, तो आप उसकी जांच कीजिए। लेकिन जांच आप कराते नहीं हैं। आपने जो रीजन्स दिये हैं, मैं उनकी तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। जब सत्र चल रहा था तो बोर्ड का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया था। गवर्नमेन्ट की इच्छा से बढ़ाया गया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

छः महीने बोर्ड का काम करता रहा। छः महीने बाद क्या किया? यह क्या करवा दिया? श्रीमान, क्या आसमान गिर रहा था? यह राजनीति से प्रेरित कदम उठा रहे हैं। आने वाली सरकारें क्या इस बारे में सोचेंगी। आप तो कहते थे कि जनता पार्टी सरकार नये मूल्य स्थापित करेगी। आज आपके विभागों में भ्रष्टाचार पनप रहा है आप उसकी जांच कीजिए। आप भ्रष्ट लोगों को हटाइये। इन्होंने क्या किया, श्रीमान, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा:—

"Under the existing provisions of the Act, it is only the first Board which can be wholly constituted only of nominated members. Exigencies may arise which may render it difficult for the State Government to ensure the elections to the second Board. It was, therefore, considered necessary and expedient that there should be a provision in the Act enabling the State Government to constitute the second Board exclusively of the members nominated by it."

So they will have nominated Board for three years. Not one year, not two years, but three years.

अब श्रीमान्, एक बात पूछना चाहता हूं। आप यह चाहते हैं, तीन साल तक वह रह सकेंगे। यानी जैसा कि आप हम पर लांछन लगाते हैं कि पंचायतों के चुनाव 13 साल तक नहीं कराये उसी प्रकार आज यह जनता पार्टी की सरकार कहती है कि बोर्ड चार साल तक फंक्शन कर सकता है। राज्य सरकार तीन साल और अवधि बढ़ा सकती है। न वन ईयर है, न टू ईयर है, न थ्री ईयर है। यह आपने कहा है। आप ने कुछ भी गवर्नर महोदय को नोट में लिखा हो। गवर्नर महोदय ने बिना देखे कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मूलचन्द डागा)

तो कोई हाई कोर्ट का कर दिया। आप हमारी मर्यादा को खतम करके नौकरशाही को हावी करना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपके खयालात जाहिर हो गये हैं, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : खयालात तो जाहिर हो गये हैं।

लेकिन आपके संविधान का 213 आर्टिकल है उसके आधार पर आप बताइये कि जो चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड का हटाया है, क्या उनको कोई नोटिस दिया था? कोई लांछन लगाया था? किसी मेम्बर को सस्पेण्ड किया था? किसी मेम्बर की इन्क्वायरी हुई थी? किसी को नोटिस दिया गया था? इस कानून में यह प्रोवीजन है। इसमें सुपरसीड करने के प्रोवीजन हैं क्या? यह लॉ डिपार्टमेंट, जिसने इस प्रकार की राय दी है··

श्री सभापति : काफी लाइट आपने डाल दी है।

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह छः महीने के अन्दर आपने क्या कर दिया है?

क्या आपने सोचा है? आपने इमीजिएट एक्शन क्या लिया? आपका जो नोटिस निकला है उसमें कहीं यह वर्ड नहीं है कि it is very necessary to take immiediate action. और आर्टिकल 213 में word immediate is there श्रीमान्, इसमें 'इमीजिएट' वर्ड होने के बाद भी आपने 6 महीने तक कोई कदम नहीं उठाया। अब आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं जो लोकतान्त्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मेरा निवेदन है, इसके चुनाव कराये जायें। यह जो आप कर रहे हैं यह आपके घोषणा-पत्र के खिलाफ है और नौकरशाही आप पर हावी हो रही है।

श्री सभापति : अब लीडर ऑफ दी अपोजीशन बोल लें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो स्टेच्यूटरी रिजोल्यूशन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसकी ताईद करने में सदन में खड़ा हुआ हूं, मेरा भी इसी प्रकार का रिजोल्यूशन है। यह रिजोल्यूशन इसलिए पेश किया है सदन में कि कल जब कृषि मन्त्रीजी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट (अमेण्डमेंट) आर्डिनेन्स, 1978 को जारी करने के रीजन्स सदन की मेज पर रख रहे थे उस वक्त मैंने एतराज किया था और ऐतराज यह किया कि वे इसको देरी से रख रहे हैं। आज मैंने बहुत ध्यान से प्रातःकाल इसको पढ़ा कि इसको जारी करने के रीजन्स क्या हैं, मुझे यह सुबह उपलब्ध हुए। इनको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे जो प्रतीत हुआ, वह यह प्रतीत हुआ कि पहले जितने भी आर्डिनेन्स आये उनमें पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात कही गई है, उसमें लोक हित और जनहित की बात थी लेकिन यह आर्डिनेन्स जो लाया गया है यह एक्पीडेन्सी के नाम से है। उसकी आवश्यकता थी लेकिन पब्लिक हित का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक्सपीडेन्सी और क्या हो सकती है सिवाय पोलिटिकल एक्सपीडेन्सी के? अगर मैं पोलिटिकल एक्सपीडेन्सी का चार्ज लगा रहा हूं तो कृषि-

(श्री परसराम मदेरणा)

मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट एक्ट को पढ़ लीजिये, इसमें पहला बोर्ड सरकार द्वारा मनोनीत है, उसकी अवधि तीन साल है और एक साल तक एक्सटेण्ड किया जा सकता है और इसके बाद निर्वाचित बोर्ड होगा। माननीय सभापति जी, जनता पार्टी की सरकार जनतंत्र की दुहाई दे रही है जनतांत्रिक मूल्यों की डींग हांक रही है और जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए परम्पराओं को प्रतिष्ठित करने के लिए जनतान्त्रिक परम्पराओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए हमको बड़े-बड़े सरमन प्रीच कर रही है। लेकिन, सभापति महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है। इनकी प्रीचिंग कुछ और है और प्रैक्टिस कुछ और है। यह स्वत: इस बात से सिद्ध होता है कि बोर्ड को, नोमिनेटेड बोर्ड को, तीन साल तक और रखना चाहते हैं, और इलेक्शन के एलीमेंट को अपने यहां पर कम्प्लीटली समाप्त कर देना चाहते हैं। अपने लेजिस्लेचर की मन्शा थी, उस लेजिस्लेचर की मन्शा के ऊपर दूसरी मन्शा लाये हैं, मैं उसका कोई औचित्य तो नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा करने क्यों जा रहे हैं? इसलिए मेरा पहला निवेदन इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने के लिए सदन को है वह यह है कि सैकिण्ड बोर्ड का गठन सरकार इस आर्डिनेन्स के जरिये करने जा रही है यह जनतन्त्र के खिलाफ है, यह जनतन्त्र को कमजोर करने वाला सरकार का कदम है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कमेटियों का टर्म तीन साल का है, एक्सटेण्डेड टर्म है उस टर्म को भी टर्मिनेट कर दें यह कहां तक उचित है? आर्डिनेन्स के रीजन्स में दिया है—

"....it was considered necessary and expedient that the State Government should have power to terminate the normal term or the extended term of such committees wherever it was found necessary and expedient to do so,"

माननीय सभापति जी, आप स्वयं विधिवेत्ता है 'wherevtr-' वर्ड जो यूज किया है उसका मतलब है pick and choose। या तो आप समझ जाओ, अक्लमन्द को इशारा काफी है, इधर आ जाओ जनता पार्टी में डिफेक्ट करके और अगर दूसरी पार्टीज में रहे तो ऊपर तलवार लटकी हुई है "wherever they deem necessary को। इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो इमर्जेन्सी में भी नहीं लिया।

श्री परसराम मदेरणा : और, सभापति महोदय, इन्होंने जो आर्डिनेन्स निकाला है प्रोमलगेटेड आर्डिनेन्स में यह क्लाज 2. (I) है।

"Provided that in case of a Committee constituted under sub-section (2) (b), it shall be competent for the State Government at any time to terminate the term of office of all the members of such

(श्री परसराम मदेरणा)

committee and appoint an Administrator under section 27A."

यहां तक कि प्रशासक को नियुक्त करने का अधिकार भी होगा। कमेटीज के मेम्बर्स की टर्म टर्मिनेट करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जायगा। बोर्ड के लिये एडमिनिस्ट्रेटर का उल्लेख नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेटर का उल्लेख नहीं है तो आपने 9 जनवरी, 1978 को जब इस बोर्ड को डिजोल्व किया और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट किया तो किस कानून के अन्तर्गत किया? इस कानून के अन्तर्गत किया है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स ली हैं, वह कमेटीज के एडमिनिस्ट्रेटर के लिये हैं न कि बोर्ड के लिए।

फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट (अमेण्डमेन्ट) बिल, जो इस आर्डिनेन्स से सब्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं उसका क्लाज 5 है "Repeal and Savings.' उसका सब-सैक्शन (2) है।

"Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed respectively to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act."

"रैस्पेक्टिवली" वर्ड, सभापति महोदय, किस रेफरेन्स में है, किस कोलोबरेशन में है किसके साथ 'रैस्पेक्टिवली' वर्ड यूज किया गया है, यह कम से कम मैं समझ नहीं सका हूं।

मेरे यह तीन एतराजात हैं, माननीय कृषि मन्त्रीजी इनका स्पष्टीकरण करेंगे। इन तीन एतराजात के साथ मैं, सभापतिजी, यही निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मन्त्रीजी, आप अनिश्चित काल के लिए इन कमेटियों के चुनाव स्थगित मत रखिये। राजस्थान में यह जो मूवमेन्ट है मार्केट्स के रेग्यूलेशन का काफी लम्बे संघर्ष के बाद में यह मूवमेन्ट थोड़ा बहुत टैम्पो पकड़ पाया है। इसके इतिहास में अगर जाय तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जो मार्केट पर कब्जा किये हुए बैठे हैं उनके द्वारा सैकड़ों रिटें हुई हैं। रिटों का फैसला होने के बाद में ये मामले हमारे सामने आये हैं। जितनी मंडियां हैं और उनमें से दो तीन मंडियां जोधपुर व सुमेरपुर में तो ऐसी मंडियां हैं कि राजस्थान में तो क्या, हरियाणा व पंजाब में, जहां रेग्यूलेटेड मंडीज हैं, ब्रिटिश राज से चल रही हैं, भी इतनी अच्छी मंडियां नहीं हैं। पूरा संघर्ष का इतिहास रहा है। जो लोग किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते थे, उन्होंने बराबर इस मामले में, आन्दोलन को आगे ले जाने में शोषण करने वाले लोगों को कमजोर करने के अन्दर काफी योगदान दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ओरिजिनल स्कीम जनतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने की थी, जनता के रिप्रेजेन्टेशन की थी, जन प्रतिनिधियों को इन कमेटियों में बिठाने की थी, किसानों को उनके प्रोड्यूस का पूरा दाम दिलाने की थी। आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान की दूसरी जगह आढ़त का कमीशन प्रोड्यूसर पर लगाते हैं, हमने इस बात का प्रावधान किया था कि आढ़त का कमीशन प्रोड्यूसर पर नहीं लगेगा, उस पर सिर्फ एक ही फीस

(श्री परसराम मदेरणा)

लगेगी। मार्केट में धर्मादा वगैरह बीसों तरह के सेस लगते थे यह पर्चेजर को देने होंगे न कि प्रोड्यूसर को क्योंकि प्रोड्यूसर का कम से कम 10 प्रतिशत प्रोड्यूस का मूल्य बिचौलिया शोषण करके हड़प लेते हैं। इसलिए आज आप नामीनेट करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी श्रद्धा है, जैसा जनता पार्टी का स्वरूप है, जनता पार्टी नेक इरादों के बलबूते पर सत्ता में आई है, मेरा निवेदन है कि उन लोगों का अगर प्रतिनिधित्व आज रह गया, जो किसानों का शोषण करते रहे हैं तो मुझे संदेह है कि किसानों का शोषण पुनः प्रारम्भ हो जाएगा।

इसलिए जो अध्यादेश लाया गया है, यह लोक हित में नहीं, बल्कि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट को अध्यादेश के जरिए पूरा करना चाहते हैं। मैं इमैजिन कर सकता हूं आपकी तरफ से क्या जवाब आने वाला है आप कहेंगे आपने टर्म एक्सटेन्ड कर दिया, जैसे आवासन मंडल के सम्बन्ध में कह रहे थे तो मेरा यही आरोप है कि कुम्भकरण की नींद सो रहे थे क्या? जब 30 जून को आप सत्ता में आ गए तो इतने महीने क्या कर रहे थे? जब देख रहे थे कि बोर्ड ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अगर आपने देखा कि भ्रष्टाचार है तो चार्ज लगाकर डिजोल्व कर सकते थे बोर्ड को या कमेटी को। वह न करके शार्टकट अख्तियार किया है। भारतीय संस्कृति में मूलभूत बात यह है कि शार्ट-कट अख्तियार नहीं करना चाहिए, सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। किन्तु आप शार्ट-कट अख्तियार कर रहे हैं और बेकडोर से चहेते लोगों को डालना चाहते हैं। मुझे इसलिए संदेह हो रहा है कि एक्सटेंडेड पीरियड एक साल का था, उसमें से करीब 9 महीने निकल गए थे सिर्फ तीन महीने बाकी थे, फिर तीन साल का और समय लिया है। तीन साल टाइम लेने के अन्दर आपने दलील दी है:

"Under the existing provisions of the Act, it is only the first Board which can be wholly constituted only of nominated members. Exigencies may arise which may render it difficult for the State Government to ensure the elections to the second Board."

एक्सीजेंसी कौनसी? कोई वार होने वाली थी, चंगेज खां आ रहा था, लक्ष द्वीप से फौज आ रही थी, लार्ड क्लाइव की कम्पनी आ रही थी? मामूली इलेक्शन था। सिम्पल प्रोसीजर को अख्तियार न करके आपने बहाना लिया है एक्सीजेंसी का। जैसा उन्होंने कहा पंचायतों के चुनाव में देरी हुई और उस देरी की बजह से हमको नीचा देखना पड़ा, तो पूरी जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हर-कत मत करें। आप चुनाव जल्दी करा लें तो मैं समझूंगा कि आपके इरादे में कोई दूसरी तरह की बात नहीं है। तीन साल का टर्म लिया है, यह एप्रीहेन्शन ही नहीं लेकिन आपके इन्टेन्शन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक साल का एक्सटेन्डेड पीरियड था उसके बजाय आप तीन साल ले रहे हैं ताकि बोर्ड में तीन साल तक चुनाव न हों। इसलिए यह अध्यादेश कृषि उपज करने वाले किसान के हित में नहीं है लेकिन अन्य लोगों के हित में है। इसलिए मेरा निवेदन

(श्री परसराम मदेरणा)
है माननीय सदस्यों से इस ओर, उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कि वह सदन इस अध्यादेश को आउटराइट डिस-एप्रूव करे या रिजेक्ट करे अन्डर आर्टीकल 213। कृषि मंत्री मुस्करा रहे हैं शायद वह मेरी दलीलों से कन्विंस हुए होंगे।

श्री सभापति : आप अच्छे वकील हैं, आप जानते हैं इतना तो कान्फिडेंस रखें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे 50–60 बिलों का प्रभारी मंत्री होने का अवसर मिला है। मैं मुस्कराने से समझता हूं कि आप प्रभावित हो गए हैं। यदि आपकी मुस्कराहट में डिसेप्शन है तो मैं कहूंगा कि कृषि मंत्री डेंजरस आदमी हैं इसलिए··

श्री मदनसिंह दांता : आप भी तो सीरियस नहीं हैं, आप भी मुस्करा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं रैसीप्रोकेट कर रहा हूं उनको देखकर इसलिए उनके विवेक पर छोड़ रहा हूं कि वह क्या निर्णय लेते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय मूलचंद डागा ने और विरोधी दल के माननीय नेता ने कुछ बातें कहीं। माननीय विरोधी दल के नेता जो बात कह रहे हैं, वह उस समय मंत्रि–मंडल के सदस्य भी रहे है। सबसे पहले राजस्थान में मार्केट कमेटियों के नाम से कमेटियां बनीं। 1967 में एक कमेटी का निर्माण हुआ जो मार्केट कमेटी के नाम से जानी गई। इस संदर्भ में बाद में काफी बहस के बाद एक कमेटी राज्य सरकार ने नियुक्त की कि वह इस बात की जांच करे कि मार्केटिंग समितियों के संबंध में मार्केटिंग बोर्ड का कार्य होना चाहिए। यह कमेटी श्री यशवंत सिंह नाहर भूतपूर्व विधायक की अध्यक्षता में गठित की गई। विरोधी दल के नेता जानते हैं कि इसका क्यों गठन किया गया और क्या इसका उद्देश्य था? श्री यशवंत सिंह नाहर ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि राज्य में सुचारु रूप से व्यवस्था करने के लिए एक एपेक्स बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। उस एपेक्स बोर्ड का उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड नाम रखा। राज्य सरकार ने उस कमेटी के चेयरमैन को ही बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। आप नैतिकता की दुहाई देते हैं तो आप स्वयं इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि आपने उनको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया इस काम के लिए कि राज्य सरकार को बताये कि क्या कमियां हैं और उन्हीं को आपने बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। इससे साफ जाहिर है कि आपको कहीं न कहीं उनको एडजस्ट करना था। आपके काल में क्योंकि मंत्रि-परिषद् में केवल 10 ही सदस्य थे, उस समय क्या परि–स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो सदन का सदस्य भी नहीं था, लेकिन आपकी आपस में चल रही थी। विरोधी दल के नेता महोदय ने जो फर्माया है उससे मैं सहमत हूं लेकिन उस वक्त विरोधी दल के नेता महोदय, जो कि मन्त्री थे, की कहां तक चली? हो सकता है इस प्रश्न पर विचार किया गया हो, आपकी केबीनेट में यह प्रश्न आया हो, लेकिन, सभापति महोदय, जो टर्म तीन साल के लिये चेयरमैन की थी वह 6–6–74 को शुरू हुई और वह तीन साल की टर्म 5-6-77 को समाप्त होने

(श्री दिग्विजयसिंह)
वाला था। हो सकता है कि इस मामले को केबीनेट में नहीं लाया गया हो या मुनासिब नहीं समझा गया हो कि केबीनेट की एप्रूवल उनके एक्सटेन्शन के लिये ली जाय और यों हो अपने लेवल पर टर्म एक्सटेन्ड कर दी हो। लेकिन इसमें, सभापति महोदय, यह बात जरूर है कि जब राज्य सरकार को मालूम हुआ कि अप्रेल के अन्दर विधान सभायें भंग होने जा रही हैं तो राज्य सरकार ने श्री यशवन्तसिंह जी नाहर, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे, की टर्म, जो जून में समाप्त होने वाली थी तारीख, 25–4–77 को ही एक साल के लिये बढ़ा दी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूछता हूं कि केबीनेट का निर्णय हुआ था ? क्या रेगुलर टर्म एक्सटेण्ड करने के लिये कोई निर्णय केबीनेट ने लिया या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने लिया ?

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय यह तो मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं तो उस वक्त मंत्री था नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप उस वक्त का रिकार्ड देख सकते हैं। रिकार्ड तो आपके पास ही है।

श्री दिग्विजयसिंह : उसका भी मुझे अभी तक पता नहीं। मैंने देखने की कोशिश नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इतना मंत्री महोदय को बता सकता हूं कि केबीनेट का निर्णय नहीं हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आर्डर किये थे।

श्री दिग्विजयसिंह : हो सकता है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया हो लेकिन उसका टर्म एक्सटेण्ड जो किया गया वह 25–4–77 को किया गया। एक साल के लिये टर्म एक्सटेंड कर दिया। जब उनकी आलरेडी टर्म 5–6–77 तक था तो उसको बीच में 25–4–77 को एक्सटेण्ड करने का क्या तुक था ? यहीं पर मैलाफाइड कांग्रेस गवर्नमेंट की दिखायी देती है। जो प्रजातन्त्र की यहां पर बैठकर दुहाई देते हैं, नैतिकता की बातें करते हैं उन्हीं की कांग्रेस की सरकार ने बीच में ही टर्म एक्सटेण्ड श्री नाहर का कर दिया जो कि गलत किया। यहीं पर मैलाफाइड इन्टेन्शन शो हो जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें क्या अवैधानिकता की बात हुई ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो आप सोच लें कि क्या थी ?

श्री मदनसिंह दांता : इसमें बात यह थी कि राज्य था और आपने अपने आदमियों की टर्म खतम होने के पहले ही टर्म एक साल एक्सटेन्ड कर दी। उनको फायदा पहुंचाने के लिये यह की जो की नहीं करनी चाहिये थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यय नहीं करें। मन्त्री जी को जवाब देने दें।

श्री दिग्विजयसिंह : विरोधी दल के माननीय नेता और माननीय सदस्य श्री डागाजी ने फर्माया कि आर्डिनेन्स लाने की क्या आवश्यकता थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता थी कि श्री नाहर का कार्य काल, जो कि 5–6–77 को

(श्री दिग्विजयसिंह)
खतम होने वाला था, आपने 25-4-77 को ही एक साल के लिये आगे बढ़ा दिया ? अगर आप उनका एक साल का एक्सटेंशन बीच में ही नहीं करते तो हो सकता है कि कोई भी दूसरी सरकार आती या कांग्रेस की ही आती तो उनको बाद में चाहती तो एक साल का एक्सटेन्शन और दे देती। पर चूंकि आपका तो इन्टेन्शन ही मैलाफाइड था और आपको उम्मीद थी की कांग्रेस तो अब आनी नहीं है इसलिये आपने एक साल का एक्सटेन्शन उनको दे दिया। अब आप हमें कह रहे हैं कि आप आर्डिनेन्स क्यों लाये ? इसके उत्तर में मेरा निवेदन है कि जो आपने गलत काम किये थे उनको सही करने के लिये हम यह आर्डिनेन्स लाये हैं। इसमें हमने कोई विशेष फेर बदल नहीं किये हैं। इसमें राज्य सरकार ने जुरिसप्रूडेन्स की नीति को अपनाते हुए जो टर्मिनेशन की पावर्स हैं वह राज्य सरकार ने ली है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सुपरसीड तो किया ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जितनी भी मार्केटिंग कमेटीज थीं उनका भी टर्म जो था उसको टर्मिनेट कर दिया, उनका भी टर्म खतम कर दिया। इसमें 17 मार्केटिंग सोसाइटीज ऐसी थीं जिनके ऊपर प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं। अब यह, सभापति महोदय, 17 मार्केटिंग सोसाइटीज ऐसी थीं जिनका कि टर्म या तो समाप्त होने वाला था या तीन चार महीने ही बाकी थे, या 2-4-79 तक उनका टर्म समाप्त होने वाला था। इसलिये इन 17 मार्केटिंग कमेटीज का भी टर्म इस आर्डिनेन्स के जरिये समाप्त कर दिया है और वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं।

यहां पर माननीय सदस्यों ने 27 ए में सुपरसीड करने का जो कहा है वह नहीं, उसके लिये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसके अनुसार ही काम किया है। इसमें सुपरसेशन की जो बात आप फर्मा रहे हैं वह लागू नहीं होती है। उस रूल को हटाया नहीं गया है। वह आज भी लागू है। सभापति महोदय, इसमें 27 बी (2) जो है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहें तो पढ़ लें, इसमें लिखा है कि अगर कोई मिसकन्डक्ट पाया जावे तो उसके लिये प्रोसीजर दिया है, नोटिस देकर किसी भी कन्सर्निंग अधिकारी के खिलाफ में एक्शन अभी भी लिया जा सकता है। आपने उसमें अवैधानिकता की थी। हमने कोई अवैधानिकता नहीं की है।

तो, सभापति महोदय, अगर हमारा इन्टेंशन मेलाफाइड होता तो हम ऐसा क्यों करते। अगर किसी पर भ्रष्टाचार के चार्ज हैं तो आज भी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान हमने बरकरार रखा है। तो मेरा निवेदन है कि जो गलती आपने श्री नाहर का टर्म 25-4-77 को ही एक साल के लिये बढ़ा कर की, आपने तो उनकी एक्स्ट्रा आर्डिनरी तरीके से बीच में ही एक साल के लिये लाइफ बढ़ा दी। अब इसमें ऐसा है कि अगर किसी के खिलाफ में कोई शिकायत है तो उसके लिये उसको पैनेलाइज किया जा सकता है।

सभापति महोदय, यहां पर यह बात भी फर्मायी गयी कि जनता पार्टी की सरकार

(श्री दिग्विजयसिंह)
में नैतिकता नहीं रही, जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा काम किया। तो मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य, सभी मानते होंगे चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों कि जो जनता पार्टी की सरकार ने आर्डिनेन्स के जरिये जो टर्म खतम की वह तो पहले ही खतम हो जानी चाहिये थी। श्री नाहर की टर्म तो 25-6-77 को ही समाप्त हो जानी चाहिये, हमने तो उनको और आगे चलने दिया।

श्री मदनसिंह दांता : वह तीन साल के लिए होगा या दूसरे के लिये ?

श्री दिग्विजय सिंह : हमारी मन्शा यह नहीं।

बस इतना ही कह कर, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो परिनियत संकल्प माननीय विरोधी दल के नेता और श्री रामनारायण चौधरी ने रखा है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1978) को अस्वीकार करता है उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो परिनियत संकल्प माननीय विरोधी दल के नेता महोदय व मूलचन्द डागा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव कर दूं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

व्यवस्था

एस.डी. देवल, आर.ए.एस अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 162 के अन्तर्गत श्री एस.डी.देवल. आर.ए.एस. अधिकारी के विरुद्ध माननीय श्री हनवन्तसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

कई माननीय सदस्य: पास करो, साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इसको विचारार्थ लेने के पक्ष जो हों ..

श्री परसराम मदेरणा : संशोधन वितरित कराने के बाद।

Page No 145

(145)

श्री सभापति : I was submitting to that process आपने फर्माया कि पास करो।

श्री परसराम मदेरणा : जो संशोधन हैं उन्हें क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री मथुरादास माथुर, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री रामरघुनाथ चौधरी, श्री नवरंगसिंह, श्री रघुनन्दन व्यास, श्री कौशलकिशोर जैन, श्री जगदीशचन्द्र शर्मा, श्री शंकरलाल, श्री प्रजोतसिंह, श्री करतारसिंह, श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर, श्री रामप्रसाद लड्ढा, श्री उगमराज मेहता, श्री बाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री आलमअली खां, श्री निर्मलकुमार, श्री रतनलाल वर्मा उपरोक्त माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री बंशीलाल सारस्वत, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री मूलचन्द डागा : कोई नहीं कर रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का प्रश्न है। आज के बाद कब मिलेंगे ? मैं निवेदन करना चाहूंगी..

श्री सभापति : प्रस्ताव रख रही हैं आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन कमेटियों में इतने घोटाले हुए हैं यदि उनका उल्लेख नहीं किया जावेगा तो कैसे पता लगेगा कि किस किस प्रकार के घोटाले पिछली सरकार ने किए हैं। राजनैतिक दृष्टि से क्या-क्या घोटाले किए हैं यह कैसे बिना रखे पता चलेगा ?

श्री सभापति : आप प्रस्ताव रख रही हैं क्या ?

श्री रघुनन्दन व्यास : संशोधन पर बोलना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने जनमत के लिये किया था।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : माननीय सदस्या ने वैसे ही ख्याल जाहिर किये हैं। वे कोई प्रस्ताव नहीं रख रही हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2

श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 3।

(श्री सभापति)

श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3....

(6.18 सायं)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : ना पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य : A yes have it, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : कोई हां बोला ही नहीं।

कई माननीय सदस्य : बोले हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5।

कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किए जांय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, दो मिनट का समय लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत।

श्री परसराम मदेरणा : संस्कृत की प्रकांड विद्वान महोदया के श्लोक को सुनने के बाद समझ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने मन्त्री जी को सम्बोधित किया है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृषि मन्त्री जी कृपया यह बतायें कि इस राज-

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थान एग्रीकल्चर प्राड्यूस मार्केट एक्ट की जो होल स्कीम है उसमें डवलपमेंट के काम मण्डी समितियों को दिये हुए हैं लेकिन मुझे एक जानकारी मिली है कि मण्डियों के यार्ड के कन्सट्रक्शन का काम आपने मण्डियों से ले लिया है और यह काम बोर्ड के इन्जीनियरिंग सैल को दिया है। ऐसा निर्णय लेकर आपने समितियों को पंगु बनाने का प्रयास किया है। यह किसी भी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है।

इसी प्रकार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने रोड्स के सम्बन्ध में भी एक दिन बात कही थी कि जो लिंक रोड्स हैं इन यार्ड के एरिया में वह पी. डब्ल्यू. डी. को दी जा रही हैं। पी. डब्ल्यू. डी. को इसलिए दी जा रही हैं कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत जो भारत सरकार से अनुदान मिलता है उसका 20 पर्सेन्ट पूरा करने के लिए कन्सोलीडेटेड फण्ड से खर्च नहीं करके इन कृषि उपज मण्डियों का जो धन है आप उसको खर्च करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मण्डी कमेटीज को कमजोर मत कीजिए। अगर इनकी माली हालत खराब होगी, कमजोर होगी और फाइनेन्शल स्थिति खराब होगी तो ये कमेटीज काम नहीं कर सकेंगी और अपने क्षेत्र के अन्दर काश्तकारों को जो मिलने वाली सुविधायें हैं उनको देने से वंचित रह जायेंगी।

सभापति महोदय, आपने अभी यह कहा कि बोर्ड का एक्सटेन्डेड टर्म, रेगुलर टर्म खतम होने के पूर्व ही सरकार ने एक्सटेण्ड कर दिया था, यह नैतिकता की कसौटी पर नहीं उतरता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर रेगुलर टर्म जिन कमेटीज का था उनको टर्मिनेट करने का क्या औचित्य है? आपकी नैतिकता कहां चली गयी? उनकी टर्म को क्यों टर्मिनेट किया गया?

इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा, आप यह कह रहे हैं जिस कमेटी के द्वारा इन मार्केट को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में सभी आस्पेक्ट्स की जांच करके बोर्ड गठन करने की बात कही गयी थी उसके चेयरमैन नाहर साहब थे उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्होंने इसका अध्ययन भी किया और अध्ययन करने के बाद में हिन्दुस्तान के दूसरे बोर्ड के तुलनात्मक दृष्टि से इस बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। इसलिये चेयरमैन उनको बनाया था। आवासन बोर्ड में तो कह रहे थे कि इन्जीनियर को लगा रहे हैं। हमारे पास में एक्सपर्ट हैं, अगर एक्सपर्ट्स को ही काम नहीं देकर किसी नामिनी को काम दें तो आप ही बतायें कि कहां तक उचित होगा? मैं समझता हूं कि इसके दूसरे सदस्य सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य थे और किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव थे। इसने अच्छा काम किया था। जो सिफारिशें की थीं उन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया। एग्रीकल्चर प्राड्यूस एक्ट, जो स्टेच्यूट बुक में हैं, में वह इनकार्पोरेट नहीं की गयी है। यह बिल पूरा नहीं है और टेन्टेटिव बिल है। इसको पक्का बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए इसको नहीं लाये हैं। इसलिये आपने जो प्रस्ताव पारित करने का रखा है उसमें अपने आपको सम्मिलित नहीं कर सकता।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके बता दीजिए कि आप मार्केटिंग कमेटी का और बोर्ड का चुनाव कब करा देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमें भी फिर मौका दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा: मार्केटिंग कमेटी का चुनाव कब तक हो जायेगा ? दूसरा यह बता दें कि बोर्ड कब गठित हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे निवेदन करना है। जयपुर शहर की, सभापति महोदय, विशेष परिस्थिति है। यहां पर अनाज मंडी भी है और फल और सब्जी मंडी भी है। यहां फल सब्जी मण्डी का अलग से टैक्स लगा रखा है। पोदिना, धनियां, मेथी और पालक पर टैक्स लगा रखा है। उसके कारण से उपभोक्ताओं को मंहगी सब्जी और फल मिलते हैं। यह टैक्स पिछली सरकार ने लगाया था। जयपुर शहर में एक दो जगह को छोड़कर कहीं भी मण्डी नहीं है। पहले मैं सब्जी मण्डी का निवेदन करना चाहता हूं। कि उसमें टैक्स है और, माननीय सभापतिजी, पड़ौस के राज्यों में यह टैक्स नहीं है इसलिये हमारे राजस्थान के किसान अपनी सारी चीजों को पड़ौस के राज्य में बेचने को ले जाते हैं और यहां के जो उपभोक्ता हैं उनको इस टैक्स के कारण से चीजें नहीं मिल रही हैं और मिलती भी हैं तो मंहगी। क्या राज्य सरकार विचार कर रही है? यहां पर दो मण्डियां रहेंगी या एक मण्डी रहेगी और फल सब्जी मण्डी में जो पिछली सरकार ने टैक्स लगाया था उसको समाप्त कर रही है ?

जयपुर शहर में अलग से अनाज मण्डी कहां बनेगी, सब्जी मण्डी कहां बनेगी यह बात वर्षों से तय नहीं हो पा रही है। वर्तमान में सांगानेरी गेट और अजमेरी गेट पर सब्जी मण्डी अपर्याप्त है। वहां न उठने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है और न कोई टिन शेड्स हैं। जौहरी बाजार और रामगंज बाजार में अनाज मण्डी भी जयपुर शहर के लिये अपर्याप्त है। तो कहां अलग अलग मण्डियां बनेंगी, मन्त्री जी जब उत्तर दें तो इसका भी उत्तर अवश्य दें।

मेरी मांग यह है कि पिछली सरकार ने मल्टी टैक्स लगाया था। एक मण्डी में टैक्स, उससे दूसरी मण्डी में माल जाये तो उस पर टैक्स, दूसरी से तीसरी में जाये तो फिर टैक्स....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि आप बिल के स्कोप के बाहर बोल रहे हैं। आप संक्षेप में कह दें अगर कहना चाहें तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कितने दिनों से बोल रहे हैं। बिल पर कब बोले हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं हमेशा बिल पर बोला हूँ और खेतसिंह जी यह बिल पढ़कर नहीं आते हैं। यह मण्डियों के बारे में बिल है। सब व्यक्ति जाने की जल्दी में है इसलिये ज्यादा समय नहीं लूंगा।

• कांग्रेस की सरकार ने जो मल्टी टैक्स लगाया था, मेरा निवेदन करना यह है कि इससे चीजें महंगी हो जाती हैं। क्या जनता सरकार इस मल्टी टैक्स को माफ करने के बारे में घोषणा करेगी ? यह टैक्स माफ होना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि राजस्थान राज्य से बाहर यदि हम चीजें भेजते हैं...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, मण्डी में जो फीस लगती है वह नोटीफिकेशन से लगती है। वह नोटीफिकेशन इस सदन की मेज पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्यों को 14 दिन का अवसर मिलता है। जब नोटीफिकेशन के बारे में चर्चा करना चाहें तो सदन में कर सकते हैं। इस बिल पर जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह इसके बाहर ही बाहर जा रहे हैं और मीलों दूर भाग रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं दूर नहीं भाग रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वर चन्द्र : फीस और टैक्स में बहुत फर्क है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिल के सम्बन्ध में ही कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सत्र के समापन के बाद भी इस हाउस में माननीय श्री भार्गव साहब को इजाजत दे दी जाये कि वह कभी भी आकर भाषण दे जाया करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं कहता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ और आज भी बोलूंगा। यह विधानसभा मेरे क्षेत्र में है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के बाहर सामान भेजते हैं यदि हम राज्य में उपयोग करते हैं तो 4 पर्सेन्ट टैक्स देते हैं। यदि कोई टैक्स नहीं देता है तो क्रिमिनल लॉ के अन्तर्गत उससे रकम वसूल की जाती है। और नहीं दे तो 6 साल की सजा और 500 रुपया जुर्माना है। यह व्यापारियों पर अन्याय है। इन सारी बातों का माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री रतनाराम : हमारे क्षेत्र में समस्यायें हैं। मण्डियों पर चर्चा हो रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास : बिल का तृतीय वाचन चल रहा है और यह बिल पारित होने जा रहा है। मैं दो तीन बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया, वह तो पूरा हो जाये। उसके साथ-साथ जो कृषि मण्डियां बनाई गई और उसमें प्रोड्यूसर का हित रखा गया उस प्रोड्यूसर के हित का पालन सुमेरपुर, शिवगंज, भीनमाल मण्डियों में बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज भी 40 किलो के बजाय 42 किलो तोला जाता है और 40 किलो लिखा जाता है। इसकी जांच, होनी चाहिये। जब 40 किलो है तो 40 किलो ही तोला जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रश्न ही नहीं है सामने। It does not come in the orbit of this Bill.

श्री रघुनन्दन व्यास : It is very correct, Sir.

मेरा दूसरा निवेदन है कि शिवगंज मण्डी और सुमेरपुर मण्डी में एक फर्लांग का अंतर है। जो मल्टी टैक्स लग रहा है। उसके कारण सुमेरपुर और शिवगंज मण्डी के अन्दर जो डबल टैक्स लग रहा है, वह नहीं लगना चाहिए। गांवों में रहने वाले टैक्स नहीं देंगे, हजारों मुकदमों में बरबाद हो जायेंगे। मण्डी बरबाद हो जायेंगी। इसलिए एक फर्लांग पर जो दो मण्डियां हैं, उसमें मल्टी टैक्स को किसी विशेष आर्डिनेन्स के द्वारा नोटीफिकेशन के द्वारा हटाकर उन मण्डियों

Page No 150

(150)

(श्री रघुनन्दन व्यास)
और किसानों की रक्षा के लिये कोई व्यवस्था की जाये।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज बोर्ड का गठन होने जा रहा है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि किसान वर्ग और जो भी इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उनके प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाये।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की राजधानी में मण्डी टैक्स नहीं लगता। उसी प्रकार जयपुर को मण्डी टैक्स से मुक्त किया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपसे निवेदन करूं, मण्डी टैक्स का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो मण्डियों में.....

श्री सभापति : कृपया बैठिये। आप एक सैकण्ड बैठिये। यह बात मंत्री महोदय से आप अलग से कह सकती हैं। प्रिवांसेस को रिड्रेस कर सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी कि उनको पूरी सुविधायें दी जायें ताकि उनका व्यापार बढ़ सके, उनका उत्पादन बढ़ सके। केवल टैक्स वसूल करने के लिए विभाग न खोला जाये। उनको सुविधायें दिलवाने के लिए भी ध्यान दिया जाये। जैसे बम्पर क्राप गंगानगर में माल्टा की होती है लेकिन वहां मण्डी नहीं है। चौमूं में बोर होते हैं, टोंक में खरबूजा होता है लेकिन वहां मण्डियां नहीं हैं। एक ही मण्डी से सारी वसूली की जाती है। जयपुर में दो मण्डियां बनाई गई हैं। एक नगर में दो तरह की मण्डियां बनें, यह कदापि उचित नहीं है। मंत्री महोदय, इस पर विचार करें।

अलग से भी सुझाव दूंगी। आपने समय दिया, उसके लिए आभारी हूं। इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री लड्ढाजी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति जी, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। किसी भी प्रकार की योजना बना लीजिए, मगर काश्तकार को सहूलियतें दी जायें। जब तक उसके माल को बेचने की व्यवस्था नहीं होगी, काश्तकार····

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सदन में शान्ति रखें

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़े ताज्जुब की बात है। हमने आपकी बात सुनी है, आप दो मिनट हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। बोलने का अधिकार सबको है।

श्री सभापति : आप कहें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : देश का दुर्भाग्य रहा कि जिस बात पर सरकार को जोर देना चाहिए, काश्तकार को फसल के सही पैसे मिलने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे। आज देश के अन्दर विकास नहीं हुआ है।···

श्री सभापति : माननीय लड्ढ़ा जी, आप विषयान्तर होते जा रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर रहा था कि आज गांव का पढ़ा-लिखा लड़का, गांव का पढ़ा–लिखा आदमी शहर की तरफ इसलिये जाना चाहता है क्योंकि जिस चीज को वह पैदा करता है, जिसके अन्दर रात दिन मेहनत करता है, उसका पूरा पैसा नहीं मिल रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता सरकार की मण्डी विकास की योजना है, इसके लिये मेरा यही सुझाव है कि विगत सरकार का थोपा हुआ टैक्स जो प्रत्येक मंडी में लिया जाता है एक चीज का कई जगह लिया जाता है उसके बजाय एक चीज का टैक्स एक ही जगह लिया जाये चाहे राजस्थान में कहीं बिकने के लिये जाये । आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री ईश्वरचन्द्र : पाइंट आफ आर्डर, सर । मूलचन्द जी डागा फ्लोर आफ दी हाउस को क्रास करके आये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बधाई देने आया था ।

श्री मथुरादास माथुर : डागा जी को हमारी ओर से खुद भेजा है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भवनों पर जो पैसा खर्च कर रही है, वह खर्च नहीं किया जाना चाहिये । सड़कों पर पैसा खर्च किया जाये । जब तक काश्तकार का माल मण्डी तक नहीं पहुंचेगा, सही पैसा नहीं मिलेगा तब तक काश्तकार का उत्थान नहीं बढ़ेगा । आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी से माण्डल को अलग रखा जाये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत तीन–चार सालों का पंचायत समिति माण्डल का पैसा भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी में जमा है, वह माण्डल को दिलाया जाये । यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी दे देंगे समय ।

श्री रतना राम (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि विधेयक पर माननीय सदस्यों ने राय दी है कृषि उपज मण्डी के बारे में उनके साथ में भी मंत्री महोदय का ध्यान रानीवाड़ा में जो कृषि मण्डी है और जो भीनमाल में आती है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि गुजरात की सीमा लगने के कारण जो काश्तकारों का माल रोका जाता है उससे काश्तकारों का समय नष्ट होता है....

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, वे सो रहे हैं ।

श्री रतनाराम : इसलिए कृपा करके इस मण्डी में से हटा दें ताकि काश्तकारों को माल ले जाने में आसानी हो ।

श्री दिग्विजय सिंह : कुछ सुना ही नहीं, आपने क्या कहा ।

श्री परसराम मदेरणा : रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रानी–

(श्री परसराम मदेरणा)

वाड़ा कृषि मण्डी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूज सरसों, रायला, जीरा, धनिया, गेहूं में यदि सिंगल स्टेट जोन की स्थिति है और असेन्सियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है लेकिन गेहूं के बारे में पूरा देश एक जोन हो गया है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कहीं पर दन्दिश नहीं है। फिर मण्डी जो है यह आपकी आमदनी बढ़ाने का साधन है। रानीवाड़ा कृषि मण्डी में, सुमेरपुर है या बालोतरा है यह तो नहीं कह सकते है कि काश्तकार को उसकी प्रोड्यूज का उचित दाम नहीं मिले। मैं समझता हूं यह वाजिब नहीं होगा। आप इसको देख लीजिये। केवल चावल के सम्बन्ध में सिंगल स्टेट जोन है इसलिए आप चावल को रोक सकते हैं, दूसरी चीजों को नहीं। दूसरी प्राड्यूज को आप क्यों रोकते हैं, दूसरी चीजों को नहीं ? दूसरी प्रोड्यूज आपकी चौकी पर रोक ली जाती हैं।

श्री **रतनलाल वर्मा** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी भिनाय है, भिनाय पंचायत समिति विजयनगर में है लेकिन उसको केकड़ी में मिला रखा है। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के प्रतिनिधि मण्डल आकर मिले हैं लेकिन उनको कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह डबल टैक्स लेने वाली नीति है। आप कहते हैं कि प्रावधान ही ऐसा है तो उस प्रावधान को बदलिये। किसानों को एक जगह टैक्स देना होगा और व्यापारी को भी एक ही जगह टैक्स देना होगा। राजस्थान से बाहर जाता है तो आपको टैक्स एक ही जगह वसूल करना चाहिए, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। पूरे क्षेत्र में इस बात का असन्तोष है। मेरा सुझाव यह है कि भिनाय को विजय नगर में मिला दीजिये। वह पूरी की पूरी पंचायत समिति में लगती है इसलिए केकड़ी में नही मिलानी चाहिये। जो किशनगढ़ के पास है उसको उसमें मिला दीजिये। दुःख की बात है मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी दो-तीन तहसीलों में बंटी हुई है और एक भी कृषि उपज मण्डी काम नहीं करती है। मेरे यहां कोई निर्माण का कार्य नहीं करते हैं और पैसे बराबर वसूल हो रहे हैं। वहां छोटे छोटे गांव हैं। कृषि मण्डी के कार्यकर्ता पैसा ले जाते हैं आप उनके बही पानड़े देख सकते हैं। 20–20 30–30 रुपया ले जाते हैं और इस तरह चोट्टाई करके पैसा लिया जाता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय कटिबद्ध होकर कार्यवाही करें और एक ही जगह किसानों को टैक्स देना पड़े, ऐसा उपचार आप शीघ्र करें।

श्री **ईश्वर चन्द्र** : सभापति महोदय, मैं खास तौर से कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। भवानी कृषि मण्डी का विस्तार करके रायपुर तक एक्सटेण्ड कर दिया गया है! उसमें पिड़ावा, सुमेरपुर भी आते हैं लेकिन वहां दो के आदेश पारित हो गए। उसमें मेरे क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि नामिनेट नहीं किया गया है। अभी भवानी कृषि उपज

(श्री ईश्वर चन्द्र)
उपज मण्डी में प्रतिनिधि नहीं है, इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है भवानी मण्डी का प्लेटफार्म आधा मध्य प्रदेश में लगता है और आधा राजस्थान में लगता है। पिछला गेट मध्य प्रदेश में खुलता है और एक गेट राजस्थान में खुलता है तो पिछले गेट को बन्द करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भवानी कृषि मण्डी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही वहां के दलालों और बिचौलियों को भी समाप्त करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें। वैसे मैं समझता हूं सभी का दृष्टिकोण सामने आ गया है। इस तरह तो कोई सीमा भी नहीं रहेगी। कृपया बैठिये। इस तरह एक एक को लेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति जी, सबका व्यू पाइण्ट नहीं आया है। कृषि मण्डी किसानों के फायदे के लिये है। मेरे क्षेत्र में कृषि उपज ज्यादा होती नहीं है। मेरा जिला पूरी चीजें बाहर से मंगा कर खाता है। जब तक उपज नहीं हो तब तक के लिये मेरा निवेदन है कि सारे जिले के किसान भी कृषि उपज मण्डी के खिलाफ हैं लिहाजा तब तक कृषि उपज मण्डी को समाप्त कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जो दोहरे टैक्स की नीति है वह समाप्त होनी चाहिये। वहां भी टैक्स लगकर आता है और यहां और लगता है, इसे समाप्त कीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बोल चुकी हैं। कृपया आसन को सहयोग दें।

श्री थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कृषि मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहां कृषि मण्डी टैक्स लग रहा है जब कि हमारे यहां कृषि उपज मण्डी की उपज है ही नहीं इसलिये यह टैक्स हटा देना चाहिये। जैसा अभी माननीय किशनसिंहजी ने कहा, जैसलमेर और सिवाना ऐसे क्षेत्र हैं जहां सब चीजें बाहर से लानी पड़ती है खाने की लेकिन टैक्स वहां भी लागू है। ऐसे और भी स्थान हैं इसलिये वहां से टैक्स हटा देना चाहिये यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मन्त्री जी।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मन्त्री) : सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कृषि उपज मण्डियों को सक्षम बनाये रखने के लिए कहा है कि जो कन्स्ट्रक्शन वर्क है वह भी उन्हीं के पास रहना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं केवल कन्स्ट्रक्शन वर्क से कृषि मण्डी सक्षम नहीं रहती है। उनका और भी कार्य है, वे करें। वैसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो यार्ड वर्क है इसके लिये आर. एफ. सी.

(श्री दिग्विजय सिंह)

के थ्रू लोन आते हैं और कृषि मण्डी का जो इन्जीनियरिंग सेल है उनके द्वारा निर्माण कराया जाता है। जो सदस्यगण होते हैं, उनका उस पर पूरा नियन्त्रण होता है। वे देख सकते हैं कि कार्य ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसमें उचित सलाह दे सकते हैं। इसलिये इस कन्स्ट्रक्शन वर्क को राज्य सरकार ले, यह बात ठीक नहीं है। कृषि उपज मण्डी देख सकती है, इन्जीनियरिंग सैल होता है उसके थ्रू यह काम होता है। वहां पी. डब्ल्यू. डी. से डेपूटेशन पर आये हुए इन्जीनियर्स हैं। उनके डाइरेक्शन्स के नीचे काम होता है। पर, सभापति महोदय, कुछ शिकायतें सामने आई हैं कि कन्स्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूं लोन दे दिया गया था इन्डिविजुअल मैम्बर को नदियां, पुल आदि के लिये। कई साथियों ने कहा मेरे यहां नाला पड़ता है कइयों ने कुछ और तरह की दिक्कत बताई तो इस तरह का प्रस्ताव पास कर दिया था लेकिन कोई कन्स्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ। इस तरह की बातों के कारण ही यह निर्णय लिया गया है।

माननीय सदस्यों ने कहा, अमुक मण्डी के पास जिले की बड़ी मण्डी में आती है और उनकी मण्डी उस मण्डी में नहीं लगती है। तो यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान स्टेट का मास्टर प्लान बना लिया जाय और उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत सारे मामलों को टेक-अप करें ताकि सब जगह सन्तुलित हिसाब से मण्डियां चल सकें और रोड आदि भी बन सकें। इसलिये यह निर्णय लिया कि पी. डब्ल्यू. डी. को हम फन्ड्स ट्रान्सफर कर देंगे।

मण्डी समितियां वहां से सजेशन देंगी कि अमुक अमुक रोड लेनी चाहिये। प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं रोड्स के लिये निर्णय किया जायगा और उन्हीं का कार्य कराया जायगा। सिर्फ वर्किंग एजेन्सी में डिफरेन्स हुआ है बाकी और कोई बात नहीं है।

इसके साथ साथ, सभापतिजी, जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने 17 नोमिनेटेड कमेटियां थी उनके टर्मिनेशन के बारे में कहा तो उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 109 कृषि उपज मंडी समितियां थीं, अधिकतर की टर्म्स खतम हो चुकी थी और 17 ऐसी थी जिनकी टर्म खतम नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि इनमें भी एडमिनिस्ट्रेटर्स एपाइन्ट कर दिये जायें ताकि सब के चुनाव एक साथ हो सकें, वरना उनके पहले हो जाते और यह रह जातीं। इसलिए इनको भी टर्मिनेट कर दिया.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम सेटिस्फाइड हैं। आप बिराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इतना ही निवेदन करूंगा और ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता। पूरी रिपोर्ट पेश की है। समय आयेगा तो अपने आप मालूम पड़ जायगा।

माननीय सदस्यों ने मंडी टैक्स के संबंध में अपनी अपनी मण्डियों के सम्बन्ध में बात कही है उन पर अलग अलग विचार करके उनको मैं मंजूर कर दूंगा।

Page No 155

155

(श्री दिग्विजय सिंह)

अब मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री महोदय ने सत्रावसान करने की बात कही है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर दो मिनिट के लिए ईश प्रार्थना करें।

श्रीमती कमला अरोड़ा : ओउम् द्यौः शान्तिः

पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः

शान्ति : . .

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.53 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

156

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 782 की सूची)

राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों का जिलेवार विवरण

क. सं.	नाम जिला	चालू कार्य	श्रमिक संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	10	264
2.	अलवर	1	35
3.	भरतपुर	प्रस्ताव प्राप्त नहीं	
4.	जयपुर	11	384
5.	झुन्झुनू	2	92
6	सवाई माधोपुर	4	412
7.	सीकर	4	334
8.	टोंक	18	561
9.	बाड़मेर	4	293
10	जैसलमेर	1	86
11.	नागौर	6	269
12.	पाली	6	97
13.	सिरोही	निल	निल
14.	चूरू	8	733
15.	उदयपुर	45	12279
16.	बांसवाड़ा	28	3986
17.	भीलवाड़ा	4	166
18.	चित्तौड़गढ़	15	1142
19.	डूंगरपुर	18	2470
	योग	185	23603

सूची नं: 2

उदयपुर जिले में राहत कार्यों पर कार्य कर रहे श्रमिकों की तहसीलवाइज संख्या की सूची

	नाम तहसील	श्रमिक संख्या
1.	गिर्वा	1626
2.	गोगुन्दा	1977
3.	कुम्भलगढ़	593
4.	भीम	394
5.	देवगढ़	798
6.	सलूम्बर	608
7.	सराड़ा	1437
8.	खेरवाड़ा	1974
9.	झांडोल	540
10.	कोटड़ा	1050
11.	धरियावद	1282

सूची नं. 3

नाम तहसील	क्रम संख्या	नाम कार्य	श्रमिक संख्या
1.	2	3	4
1. देवगढ़	1.	राष्ट्रीय राज मार्ग से लसानी वाया ताल	201
	2.	काला भाटा कैनाल	283
	3.	सांगावास	264
	4.	गुणियां	50
2. भीम	1.	एप्रोच रोड काछबली	130
	2.	टांगी कुण्डा तालाब	28
	3.	राघ का तालाब	160
	4	बरनाल	40
	5.	बगड़	36

सूची-नं. 4

सूची तहसील भीम एवं देवगढ़ के ग्रामों की जो सम्वत्. 2034 में अभावग्रस्त घोषित हुए

नाम तहसील	नाम गांव	नाम तहसील	नाम गांव
भीम	1. कालियाणा		26. बेता
	2. टेलड़ा		27. सबागना चैतपुरा
	3. बग्गड़		28 मुठया
	4. काछबली		29. माना नंगला
	5. पीपागुड़ा		30. केशरकुड़ा
	6. बायमर		31. कधार
	7. बीरवा		32 मिलकियावास
	8. बरमाल		33. नया गांव
	9. माखागुड़ा		
	10. काला गुमान	देवगढ़	1. देवगढ़
	11. भूतरा		2. अर्जुनगढ़
	12. बवाला खुर्द		3. चक काला गुढ
	13. पीपली		4. रलायता
	14. खिमा गुड़ा		5. बाडिया
	15. भबाला कला		6. सूरतपुरा
	16. गुड़ा घाट		7. बटेरी
	17. सेलावास		8. मालकमालिया
	18. गुटागुड़ा		9. लक्ष्मीपुरा
	19. मावरी		10. मालकोट
	20. खेड़ी का खेड़ा		11. पुनियामा
	21. भेरागुड़ा		12. बरनीया
	22. पंडावो		13. सुमा खेड़ा
	23. बागाना		14. ताल
	24. भुटिया		15. सांगवास बी
	25. उमर बावड़ी		

160

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 787 का विवरण)

सूची बाकीदार जिनमें पंचायत समिति तारानगर की ऋण बकाया है।

क्रमांक	नाम बाकीदार मय ग्राम	ऋण देने का दिनांक	कार्य	बकाया राशि
1	2	3	4	5
	वर्ष 1960—61			
1.	श्री मदनमोहन पुत्र रामजीलाल शर्मा किरसाणी ब्राह्मण	6—8—60	पशुपालन	1800
2.	डूंगरराम पुत्र गणेशाराम जाट मिखाला	29—8—60	,,	3000
3.	करणीसिंह पुत्र महताबसिंह राजपूत भलायला	9—8—60	,,	2612
4.	मानसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत भलायला	,,	,,	1944
5.	गणपतनाथ पुत्र मोमननाथ जोगी पुनरास	13—1—61	,,	3000
6.	अर्जुनसिंह पुत्र जालमसिंह राजपूत भगोय कालास	27—8—60	कूप निर्माण	1000
			योग	13356
	1961—62			
1.	श्री बहादुरसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत कीलास	4—5—61	डेयरी फार्म	1100
2.	तेजदान पुत्र रघुदान चारण लोगास	11—5—61	,,	2000
3.	मनु पुत्र हरजी चमार नेठवा	3—7—61	ऊंट क्रय	100
4.	जगमालसिंह पुत्र पन्नजी राजपूत रामपुर	24—7—61	पशुपालन	510
5.	रिडमलसिंह पुत्र श्योवक्ससिंह राजपूत कोहीना	16—11—61	सिंचनकूप	2000
			योग	5710

Page No 161

1	2	3	4	5
	1962–63			
1.	श्री उम्मेदसिंह पुत्र मालमसिंह राजपूत, कोहीना	3–7–62	सिंचनकूप	2000
2.	जेसाराम पुत्र दुलाराम सुनार टुवावास	6–7–62	ऊंट क्रय	100
3.	बनाराम पुत्र दुलाराम सुनार, बुवावास	30–7–62	,,	100
4.	श्री लेखराम पुत्र गंगावसराम यादव बाय	3–7–62	ऊंट क्रय	200
5.	,, धनाराम पुत्र आशाराम जाट पण्डरक ताल	4–7–62	,,	200
6.	,, सरदारराम पुत्र बमनाराम ब्राम्हण, रैडी	11–7–63	,,	200
7.	,, गणपतसिंह पुत्र जैसराजसिंह राजपूत, रैडी	,,	,,	200
			योग	3000
	1963–64			
1.	श्री राजुखां पुत्र ज्यानीखां कसाई, साल्यू	30–8–63	भेड़ फार्म	600
2.	श्री रामसिंह पुत्र चाम्डदान चारण करणसिंह	9–12–63	पशुपालन	900
3.	श्री रावतराम पुत्र खदमीराम जाट, धीरवास बड़ा	19–12–63	,,	480
4.	श्री आशाराम पुत्र चन्दूराम जाट, देवगढ़	30–1–63	,,	240
5.	श्री चिमनाराम पुत्र लेखराम चमार झाझनी धीरवास	6–1–64	,,	800
			योग	3020

1	2	3	4	5
	1964-65			
1.	श्री गंगाराम पुत्र रामसुख जाट, धीरवास बड़ा	22-3-65	भेड़ फार्म	1000
2.	श्री गणपतराम पुत्र चेनाराम जाट, धीरवास बड़ा	23-3-65	पशुपालन	1400
3.	श्री हेतराम पुत्र धन्नाराम जाट, भलाउताल	27-3-65	,,	900
4.	श्री लाधूराम पुत्र हेतराम जाट, भलाउताल	,,	,,	1800
5.	श्री रामलाल पुत्र रेडाराम जाट, भलाउताल	,,	,,	1800
6.	श्री अलीमोहम्मद पुत्र दीनेखाँ लीलगर, सात्यू	31-3-65	,,	1000
7.	श्री बालूखाँ पुत्र दीनेखाँ लीलगर, सात्यू	,,	,,	1000
8.	श्री भीमसिंह पुत्र रामकुमार सिंह राजपूत, मिखाला	,,	,,	1060
9.	श्री बनेसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत, तोगाम	,,	,,	700
10.	श्री रिडमलसिंह पुत्र वेगाराम जाट, भामरा	,,	,,	1000
11.	श्री धानीराम पुत्र उदमीराम जाट, धीरवास बड़ा	31-3-65	पशुपालन	1000
12.	,, अर्जुनराम पुत्र चन्दाराम शर्मा, बनडा	,,	सिंचन कूप	2000
13.	,, कुम्भाराम पुत्र सदासुख जाट, बनियाला	,,	,,	1000
			योग	15600

1	2	3	4	5
	1965-66			
1.	श्री रिडमलसिंह पुत्र वेगाराम जाट, भामसा	6-8-65	पशुपालन	500
2.	,, सुगनसिंह पुत्र स्योवक्स सिंह राजपूत, कोडीना	30-9-65	,,	2400
3.	,, मानमसिंह पुत्र शिववक्स सिंह राजपूत, कोडीना	,,	,,	2400
4.	,, दीपाराम पुत्र मंगारा जाट, घीरवास बड़ा	15-10-65	पोल्ट्री	600
5.	,, गोविन्दराम पुत्र मामराज जाट, घीरवास बड़ा	28-10-65	सिंचन कूप	2500
6.	,, भंवरसिंह पुत्र भोमसिंह राजपूत, मटावास	24-9-65	,,	2500
7.	,, मकूरा पुत्र सेवा व्यापारी घीरवास	27-11-65	भेड़ फार्म	1000
8.	,, गोपीराम पुत्र कालूराम, माहवा	,,	पशुपालन	1500
9.	,, अमरसिंह पुत्र भू. पू. सरपंच कालवास	1-12-65	पशुपालन	1200
10.	,, ममाराम पुत्र बन राम, चंगोई	3-2-66	भेड़फार्म	1000
11.	,, भूरसिंह पुत्र पदमसिंह राजपूत, चंगोई	4-2-66	पशुपालन	600
12.	,, भूराराम पुत्र अर्जुनराम चमार, सात्यू	,,	,,	1440
13.	,, कुशलाराम पुत्र वीभाराम, कालवास	8-2-66	,,	900
14.	,, पन्नाराम पुत्र खंगाराम सिंगसाना ताल	9-2-66	भेड़ फार्म	1000
15.	,, धूलाराम पुत्र गंगाराम, घीरवास बड़ा	19-2-66	,,	1000
16.	,, सेला पुत्र नबु व्यापारी, घीरवास	,,	,,	1000
17.	,, हरलाल सिंह पुत्र पूर्णसिंह, घीरवास	22-2-66	पशुपालन	900
18.	,, हेतराम पुत्र बीरराम, घीरवास	29-2-66	,,	900
19.	,, केशदास पुत्र बीरुदास कालवास	9-3-66	,,	1200
20.	,, बग्रोकरणाराम पुत्र चुनाराम, कालवास	11-3-66	,,	900

164

1	2	3	4	5
21.	श्री रतीराम पुत्र रेडाराम भलाऊ ताल	11-3-66	भेड़पालन	2000
22:	श्री भवानीसिंह पुत्र मोमसिंह मेघसर	22-3-66	सिंचाई कूप	2000
23.	बीरबल पुत्र हेमाराम, जिनसाना टोबा	24-3-66	पशुपालन	800
24.	न्यामत पुत्र छबीलासिंह रेडी	25-3-66	,,	900
25.	पतराम पुत्र गुगनराम धानका कालवास	28-3-66	भेड़पालन	1000
26.	श्री गोपालसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत, ढोगी	,,	पशुपालन	1000
			योग—	32140
	1966-67			
1.	श्री पुराराम पुत्र बालाराम साहवा	19-6-66	पशुपालन	3000
2.	,, साहबदीन पुत्र गुलजारी, नीलगर साहवा	20-9-66	,,	3000
3.	,, सिरामदीन पुत्र नानूखा कुमार, साहवा	,,	,,	3000
4.	,, लक्ष्मीनारायण पुत्र मामचन्द जाट साहवा	,,	,,	3000
5.	,, छबीलाल पुत्र मुन्ना माली, साहवा	,,	,,	3000
6.	,, लाभूखां पुत्र बस्तीराम नीलगर	,,	,,	3000
7.	,, कुम्भाराम पुत्र रेड़ाराम भाट, भलाऊताल	12-10-66	,,	1500
8.	,, दयालीराम पुत्र मामचन्द जाट धीरवासबड़ा	26-10-66	,,	1100
9.	रामकुमार पुत्र लछीराम ब्राह्मण, साहवा	2-11-66	,,	1800
10.	,, कानाराम पुत्र कालीराम बांग	4-11-66	भेड़पालन	1800
11.	,, [illegible]शनाथ पुत्र भोरनाथ [illegible]गी, सारायण	10-1-67	,,	1000
12.	,, सुगनाथ पुत्र जसनाथ जोगी, सारायण	10-1-67	,,	700
13.	,, हेमाराम पुत्र जुजाराम हरिजन, भलाऊताल	29-10-66	सिंचन कूप	2400
14.	,, जगन्नाथ पुत्र उमाराम ब्राह्मण, साहवा	8-11-66	,,	2400
15.	,, गोरीशंकर पुत्र बद्रीप्रसाद बांग	9-11-66	,,	2400
16.	,, टीकूराम पुत्र भावरराम चमार पण्डरेऊ टोबा	10-11-69	,,	2400
			योग	35500

1	2	3	4	5
	वर्ष 1967-68			
1.	श्री रतूराम पुत्र उदाराम जाट घीरवा बड़ा	17-7-67	सिचन कूप	1500
2.	,, मामचन्द पुत्र गणपत हरिजन घीरवा बडा	,,	,,	2000
3.	,, दयोचन्द पुत्र नाथूराम हरिजन, नेटवा	14-7-67	पशुपालन	2100
4.	,, बिडधाराम पुत्र मामराज चमार मलाऊताल	15-7-67	,,	1500
5.	,, रावताराम पुत्र गोरखाराम मेघवंशी साहवा	26-10-67	,,	2400
			योग	9500
	वर्ष 1969–70			
1.	श्री सुरजमल पुत्र रामनारायण ब्राह्मण, बाय	18-6-69	सिंचन कूप	1600
2.	श्री कामीराम पुत्र जीवाराम, कान्वास	19-6-69	तकाबी	200
3.	श्री सुरजाराम पुत्र गोधूराम चमार, घीरवास बड़ा	18-6-69	कूप निर्माण	2000
4.	श्री मोटाराम पुत्र बालाराम चमार, घीरवास बड़ा	,,	,,	2400
5.	श्री रामरिख पुत्र वस्तीराम चमार, घीरवास बड़ा	,,	सिंचन कूप	2000
6.	श्री मनफूलसिह पुत्र पूर्णसिह, घीरवास बड़ा	,,	तकावी	700
7.	श्री बालचन्द पुत्र चन्दूराम शर्मा, बनडा	19-6-69	सिचन कूप	1200
8.	श्री शेरखलराम पुत्र चुन्नीराम शर्मा, घीरवास बड़ा	18-6-69	,,	2400
9.	श्री मोतीराम पुत्र गंगाराम कुम्हार, भाड़ग	,,	,,	1500
10.	श्री मोहनराम पुत्र राजूराम हरिजन, बूचावास	20-6-69	तकावी	500
11.	श्री जुहारराम पुत्र नथूराम हरिजन, तारानगर	21-6-69	सिंचन कूप	3000
			योग	17,500,00

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम सेवा सहकारी समिति, रजोंपा के गोदाम हेतु भवन

790. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, रजोंपा में गोदाम हेतु भवन का कार्य चालू है ? वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है ?

(2) इस भवन निर्माण हेतु किन किन संस्थाओं से कितना कितना रुपया मिला है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भवन निर्माण हेतु पंचायत समिति से प्राप्त अनुदान की राशि इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि पंचायत समिति कार्यालय से कई फाइलें गायब हैं ?

(4) पंचायत समिति, इटावा से इस प्रकार सहकारी समिति की फाइलें गायब होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस की जांच करा के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। गोदाम निर्माण का कार्य चालू है जिसमें छत आदि डालना बाकी है जिसके लिए गर्डर एवं पट्टियां आदि मंगवाली गई हैं।

(2) इस भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्यारह हजार रुपये ऋण व ग्यारह हजार रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है।

(3) इस सहकारी समिति को दिनांक 26-9-69 को पंचायत समिति इटावा से 6000 रुपये का अनुदान दिया जा चुका है जहां तक फाइलें गायब होने का प्रश्न है विकास अधिकारी, पंचायत समिति, इटावा ने यह सूचित किया है कि उनके कार्यालय की फाइलें अवश्य गायब हैं जिनके लिए जांच कराई जाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(4) फाइलें गायब होने के कारण जांच पूर्ण होने के बाद ही मालूम हो सकेगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह तय किया जावेगा कि क्या कार्यवाही उचित है।

सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सीकर का आडिट

791. श्री रामदेव सिंह (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सीकर का आखिरी ऑडिट कब हुआ ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस समिति का किन 2 व्यक्तियों में कितना 2 रुपया कब से बकाया है इस बकाया रकम को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सीकर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 का ऑडिट वर्ष 75—76 तक का हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है राशियों की वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिमेज जारी किये जा चुके हैं तथा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आदिवासी विकास क्षेत्र में जन-जाति के लोगों के आरक्षण का प्रतिशत

792. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी विकास क्षेत्र की आबादी 70% से 85% तक जनजाति निवासियों की है ?

(2) राज्य सेवा में इनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए केवल 11% स्थान सुरक्षित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीति जनजाति के लोगों के शिक्षा प्रसार के माध्यम से उन्नत करने की है ? उसी भावना के अनुरूप आदिवासी विकास क्षेत्र में विभिन्न विभागों में समस्त अराज-पत्रित पदों पर न्यूनतम योग्यता रखने वाले आशार्थियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए 50% स्थान सुरक्षित किये जाने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक आदेश प्रसारित होंगे ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(4) क्या न्यूनतम अनुभव के वर्षों की अनिवार्यता समाप्त कर न्यूनतम योग्यता रखने वाले आशार्थियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय उप योजना क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के निवासियों की आबादी 65.23% है।

(2) राज्य सेवा में जनजाति के सदस्यों के लिये नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिये 12% स्थान सुरक्षित हैं।

(3) आदिवासी विकास क्षेत्र के विभिन्न विभागों में समस्त अराजपत्रित पदों पर न्यूनतम योग्यता रखने वाले आशार्थियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिये प्रतिशत बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचारा-धीन नहीं है।

(4) अनुभव एवं वर्षों की निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले आशार्थियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये नियमों में संशोधन करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

'राजस्व मण्डल' में विचाराधीन मामले

793. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्व मण्डल, अजमेर में फरवरी, 1978 तक कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, और जयपुर डिवीजन में कितने मुकदमे मण्डल में चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल की जयपुर में बैंच चल रही है ? यदि हां, तो मण्डल की बैठक कब कब होती है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में मण्डल की बैंच में मुकदमें पेश करने एवं स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं होती है ? यदि हां, तो सस्ता न्याय प्रदान करने की सरकारी नीति क्या इससे प्रभावित नहीं होती ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर में बैंच को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह जनहित में उचित है ?

(5) क्या जयपुर डिविजन के मुकदमों की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार के पास जयपुर में स्थायी बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित करने जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल में फरवरी, 1978 तक 8821 वाद विचाराधीन हैं। इनमें से जयपुर डिवीजन से संबन्धित 3705 वाद हैं।

(2) यह सही है कि राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच जयपुर में चल रही है। यह प्रति माह के द्वितीय तथा चतुर्थ सप्ताहों के लिये बैठती है यह सही है कि मण्डल की सर्किट बैंच जो जयपुर में बैठती है उनमें मुकदमे पेश करने एवं स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं होती। किन्तु इससे सस्ता न्याय प्रदान करने की सरकारी नीति प्रभावित नहीं होती। प्रचलित नियमों के अन्तर्गत राजस्व वाद क्षेत्रीय राजस्व अपील अधिकारी के माध्यम से एवं वाणिज्य कर वाद डाक द्वारा राजस्व मण्डल में सीधे पेश किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जयपुर डिवीजन में मुकदमों की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए राजस्व मंडल की सर्किट बैंच प्रति माह दो बार जयपुर में लगती है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अभी स्थाई बैंच स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

ग्राम बासड़ी की भूमि

794. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम बासड़ी कटपूतली के खसरा नं. 521, 525, 529, 530, 593, 594, 595, 611, 612, 655 की भूमि की 1950 से पहले क्या किस्म थी तथा यह किस काम में आ रही थी और किसको कब अलॉट हुई ?

(श्री रामकरण सिंह)

(2) अलॉटमेन्ट के समय उक्त भूमि की क्या किस्म थी ? उसे किसने कब अलॉट की ?

(3) क्या इस तरह की भूमि नियमानुसार अलॉट करने के योग्य समझी जाती है ? यदि हां, तो कोटपूतली तहसील की कौन कान सी किस किस को कब-कब भूमि अलॉट हुई ?

(4) क्या राज्य सरकार इस तरह की धार्मिक व अल्प संख्यकों की भूमि आज भी छोड़ने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या तहसील की मस्जिद को भी भूमि अलॉट करेगी ?

उत्तर

(1) बासड़ी कोटपूतली ग्राम ठीकाना खेतड़ी का था, जो जून सन् 1954 में रिज्यू हुआ था। इस ग्राम का सैटलमेंन्ट सम्वत् 2005 में हुआ था। सैटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार इन खसरा नम्बरान की किस्म जमीन निम्न प्रकार थी:—

ख. नं.	रकबा बीघों में	किस्म जमीन
521	3–15	बारानी अव्वल
525	0–4	गै. मु. बावड़ी
529	2–5	बारानी अव्वल
530	2–3	गै. मु. मरघट
593	0–4	गै. मु. चाह
594	0–5	गै. मु. चाह
595	3–2	गै. मु. आबादी
611	1–5	गै. मु. मरघट
612	0–6	गै मु मरघट
655	1–13	गै. मु. जोहड़

खसरा नं. 521 और 529 की भूमि खसरा गिरदावरी के अनुसार काश्त होती थी। बाकी भूमि सम्वत् 2010 तक पड़त थी। इस भूमि में से कोई आवंटन नहीं हुआ।

(2) उक्त भूमि में से कोई आवंटन नहीं हुआ।

(3) गैर मुमकिन मरघट, गैर मुमकिन आबादी एवं गैर मुमकिन जोहड़ भूमियों का आवंटन नहीं किया जाता। किस्म परिवर्तन के बाद ही आवंटन किया जाता है। उपरोक्त भूमि में से कोई आवंटन नहीं हुआ।

(4) यदि अल्प संख्यकों अथवा अन्य वर्गों के किन्हीं धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि के आवंटन के प्रस्ताव आयेंगे तो उन पर विचार कर आवंटन हेतु कार्यवाही की जावेगी।

सरदार शहर तहसील के गांवों के आबादी विस्तार के प्रस्ताव

7.95 श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में सरदार शहर तहसील के कुल कितने गांवों के आबादी विस्तार के प्रस्ताव राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं और अब तक कितने गांवों के आबादी विस्तार की स्वीकृति दी गई तथा कितने गांवों के ऐसे मामले विचाराधीन हैं ? गांवों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(170)

(श्री हजारीमल सारण)

(2) राजस्व अभियान के दौरान कितने व कौन कौन से गांवों के आबादी विस्तार के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया ?

(3) उक्त तहसील के जिन गांवों के आबादी विस्तार के प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों के विचाराधीन हैं उनका निटापरा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील सरदार शहर में गत पांच वर्षों में 98 ग्रामों की आबादी विस्तार के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 45 मामलों में आबादी विस्तार की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष 53 मामले विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) राजस्व अभियान के दौरान 9 ग्रामों की आबादी के विस्तार के प्रस्ताव स्वीकार किए गए। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) इनका निपटारा शीघ्र करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिलाधीश को लिखा जा रहा है।

गत पांच वर्षों में सरदार शहर तहसील में आबादी विस्तार के प्राप्त मामलों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	कामासर	267	0)3	गोचर	आबादी
2.	मालसर	570	)9	,,	स्वीकृत
		43	15)	,,	,,
3.	पूनसर	157	॥।)	,,	,,
4.	राजासर बिकान	395	॥)	,,	,,
		557	9)4	,,	,,
		558	0)3	,,	,,
5.	घड़सीसर	671/646	7॥।)	,,	,,
6.	राणासर	95	9)	,,	,,
		157	9)	,,	,,
7.	अजीतसर	109	9)	,,	,,
8.	बादड़िया	798/199	।)1	,,	,,
9.	आसपालसर	174	9)।	,,	,,
		203/2	।)4	,,	,,
10.	जैतसीसर	496			
		265	।)2	,,	,,

1	2	3	4	5	6
11.	खेमड़ा	450	450 व.ग.	गोचर	आबादी स्वीकृत
12.	भोजरावर	50	1)	,,	,,
13.	सारसंगा	26,52	7111) 2	पायतन	,,
14.	दूनरासर	152	2)	अंगोर	,,
15.	राजलवाड़ा	72/133	0) 1	सि. चक	,,
16.	चारणावासी	232/21	0) 2	गोचर	,,
			0) 1		
17.	कल्याणपुरा	4	9)	पायतन	,,
18.	आनन्दवासी	69	31) 2	गोचर	,,
19.	सारसर	323	0) 4	,,	,,
20.	जैतासर	582/194	0) 2	,,	,,
21.	रावासर	113	0) 1	पायतन	,,
		746/218	0) 1		
		717	0) 1		
22.	भोजासर बड़ा	320/516	0) 1	अ. राज	,,
23.	नाहूरसरा	231	0) 2	अंगोर	,,
24.	,,	253	0) 2	गोचर	,,
25.	मालकसर	206/190	0) 1	,,	,,
26.	सवाई साकलान	29	0) 3	,,	,,
27.	विक्रमसरा	255	911) 2	,,	,,
28.	चाडवाला	134,126	11) 2	अ. राज	,,
29.	रोधासर	298	0) 1	गोचर	,,
30.	जयसंगसर	370	11) 1	ओरण	,,
		676	0) 1	गोचर	,,
		371	0) 3	,,	,,
31.	मनापासर	365/104	0) 3	,,	,,
32.	गाजूसर	90	2)	,,	,,
		103	3)		
33.	ढाणी पांचेरा	70	2)	गोचर	,,
		13	3)	,,	,,
34.	रूपलीसर	164	10)	गोचर	,,
		181	3)	,,	,,
		183	8)	,,	,,

1	2	3	4	5	6
		211	5)	गोचर	
		219	8)	,,	
		295	8)	,,	
		291	2)	,,	
		281	10)	,,	
35.	मालसर	637	16)	,,	
		638	13)	,,	–
		788	3)	,,	
		570	9)	,,	
		574	15)	,,	
		189	21) 3	,,	
		434	10)	,,	
		301	8)	,,	
		74	6)	,,	
		94	2)	,,	
36.	मलसीसर	182	71)	गै.मु.	
		190	81) 4	,,	
		196	2)	,,	
		218	6)	,,	
		292	14111) 1	,,	
		109	9111) 2	,,	
37.	पिचकराई ताल	198	19)	गोचर	–
38.	रामसीसर	220	0) 1	,,	स्वीकृत
39.	रामसीसर तेजलिया	222	4) 4	गै.मु.	,,
40.	भोजासर छोटा	99	981)	गोचर	
		316	29)	,,	
		319	9)	,,	–
		90	6) 4	,,	
		317	9) 4	,,	
		380	36) 3	,,	
		94	19)	,,	
		380	611)	,,	
		372	10)	,,	
41.	रातुसर	167	29111)	खातेदारी	–
		523	981) 4	,,	

1	2	3	4	5	6
42.	आसपालसर	174	2)4	गोचर	–
43.	मेहगासर	198	।।।)1	गं.मु.	–
44.	त्रिल्पू	32	13)	ग्रा.राज.	–
		53	99।।)		
45.	सहजूसर	97	21)4	,,	स्वीकृत
		128	5।।)2		
46.	गिडगिदिया	13	0)1	अंगोर	,,
		293	2।।)2		
		310	।।)3		
47.	काकलासर	101	10)	गोचर	
		111	5)	,,	
		114	10)	,,	
		132	10)	,,	
		134	5)	,,	
48.	छाजूसर	143	40)	,,	
		139	9।।।)	अंगोर	
		142	5)	,,	
49.	उदासर बिदावलान	146	4।)3	गोचर	
		231	20)	,,	
50.	फोगावास पासलवास	45	।।)	ग्रा.राज.	
		50	।।।)1	,,	
		96	8)1	,,	
51.	मनापसवर	220	19)	गोचर	
		6	29)	अंगोर	
52.	वलूसर	2	7)1	गोचर	
		64	9)	,,	
		7	8)	,,	
		52	5)1	,,	
		118	99)	,,	
		6	4।।)	,,	
		120	27)1	,,	
53.	रोलासर	41	5)।	पायतन	
		38	7)	गोचर	

Page No 174

(174)

1	2	3	4	5	6
		294	22)	गोचर	
		295	211) 3	,,	
		297	11)	,,	
		298	29) 3	,,	
54.	फोगावास	51	4)	श्मशान	
		239	3111)	गोचर	
55.	भोजरन	242	21)	खातेदारी	
56.	पिरैर	63	171) 1	आ. राज.	
		1	2311)	गोचर	
57.	तुकनसर छोटा	332/115	16)	गोचर	
58.	पुनसीसर	28	911) 2	,,	
59.	देराउसर	207	911)	पायतन	
59.	भीतासर	239	221) 2	श्मशान	
		292	19111) 1	,,	
		294	32) 4	गोचर	
60.	चाहुडसर	107	11) 1	,,	
		121	2) 4	,,	
		91	90)	,,	
		123	31) 2	खुण्ड	
		90	2)	श्मशान	
61.	दलूसर	118	6111) 4	गोचर	
62.	अजीतसर	464	44)	,,	
		109	20)	,,	
		314	18) 3	,,	
		352	31)	,,	
		257	37)	,,	
		354	9111)	,,	

1	2	2	3	5	6
63.	त्रिक्रमसरा	254	43।)	गोचर	
64.	गोमटिया	129	50)	,,	
65.	तुलरासर	151	4।।।)।	रास्ता	
		152	5।।)	अंगोर	
		310	2।।) 1	श्मशान	
66.	कालूसर	72	22)	गोचर	
		186	10) 2	,,	
		189	7)	,,	
		193	5।।)	,,	
		86	15।) 1	,,	
		76	2।)	,,	
67.	जयसंगसर	371	17।।।) 2	गोचर	
		370	15।।।) 2	,,	
		684	8।) 2	,,	
		674	9।।) 2	,,	
		679	9।।)	,,	
		395	98।।।) 1	,,	
		548	29)	,,	
		550	98।।।) 2	,,	
68.	पाटमदेसर	181	7।)	,,	
		183	8।) 4	,,	
		190	2)	,,	
		218	6)	,,	
		292	4।।) 1	,,	
		109	9।।।) 1	,,	
69.	काकनासर	53	8।) 3	,,	
70.	ग्रासलसर	409	90)	,,	
71.	कल्याणपुर	305	95)	अंगोर	
72.	राणासार विकान	174	96)	गोचर	
		173	4)	श्मशान	

Page No 176

(176)

1	2	3	4	5	6
73.	साड़ासर	409/276	20॥)2	आ.राज.	
		372/32	5)4	,,	
		385/76	23॥)3	,,	
		104	13)	,,	
		401/256	8)	खातेदारी	
74.	तोलासर	231/143	18॥।)	गोचर	
		144	15॥।)	,,	
		239/148	34)1	,,	
		163/37/(–)	5)	,,	
		9	10)	,,	
		7	23)	,,	
		140	4)	,,	
		148/217	3)	,,	
75.	रंगाईसर	302	11॥)	गोचर	
		322	7)	,,	
		269	4)	,,	
		294	14)	,,	
		343	6)	,,	
		340	12)	,,	
		346	8)	,,	
		249	12)	,,	
76.	सोनपालसर	122/3	9)4	गोचर	
		365	98।)3	,,	
		354	20)	,,	
		375	35॥)3	,,	
		378	2)	,,	
		473	29)4	,,	
		395	2॥)2	,,	
		380	5)2	,,	
77.	गाजूसर	35	9॥)4	,,	
		203	4)	,,	
		201/97	2॥।)3	,,	

Page No 177

177

1	2	3	4	5	6
78.	भाडयाला	146	5)	गोचर	
		140	6111)	,,	
		139	211)	,,	
		137	2)	,,	
		152	20)	,,	
		114	8)	,,	
		246	6)	,,	
		126	11111)	,,	
		117	911)	,,	
79.	भैयासर	215	111)	,,	
		270/195	211)	,,	
80.	सुमेरिया	80	111)	,,	
		54	51)	,,	
		110	15)	,,	
81.	खनियासर	18	10)	,,	
		14	15)	षा. राज.	
		50	2) 4	,,	
		52	11) 1	,,	
		132	7)	,,	
		135	6)	,,	
82.	संवाई	33	31) 3	गोचर	
		34	2) 3	,,	
		29	10)	,,	
83.	कानठवास	71	901)	,,	
		310	5)	,,	
84.	कानठवास	246	36111) 3	,,	
		71	10) 1	,,	
		310	5) 1	,,	
85.	कानठवास	683	3511)	,,	
		679	8111) 1	,,	

1	2	3	4	5	6
86.	घिरियासर	70	9)	गोचर	
		138	95)	,,	
87.	हरदेसर	166	6 3॥)4	,,	
88.	धीगा भरवरी	222	॥॥)3	,,	
89.	उदासर चारणान	7	।॥)	ओरण	
		11	5)	,,	
90.	खादडिया	374/299	98॥)4	गोचर	
91.	जैतसीसर	108/1	98।॥)।	गोचर	
		490	10)2	ग्रा.राज.	
		205	18)।	,,	
		263	3॥)।	,,	
		319	10।॥)।	,,	
		659	22)	,,	
92.	बांधनाऊ दिखनावा	350	19)	गोचर	
		251	7।॥)3	,,	
		114	20॥)2	,,	
93.	राजास	349।157	6॥)।	गोचर	
		159	।॥)3	,,	
		202	4)2	,,	
		217	8॥)	,,	
		243	2॥)	,,	
		244	4)	,,	
		257	6।॥)।	,,	
		277	।)2	,,	
		279	॥)2	,,	
		306	8)	,,	
94.	देराजसर	284	12)3	अंगोर	
95.	धनसर	155	18॥)3	गोचर	

1	2	3	4	5	6
		363।157	13.)	गोचर	
		158	8॥)।	,,	
		161।350	19)4	,,	
96.	फिकासर	216	9॥)	श्मसान	
97.	मलाव	085	14॥)	भा. राज	
98.	रेल छोटासर	22	13)	सिवाय चक	
		53	24॥)	,,	

सूची (ख)

गत पांच वर्षों में सरदारशहर तहसील में आबादी विस्तार के मामले स्वीकृत हुए की सूची

क्रम सं. 1	नाम ग्राम 2	खसरा नं. 3	रकबा 4	किस्म जमीन 5	वि.वि. 6
1.	कामासर	267	0)3	गोचर	आबादी स्वीकृत
2.	मालसर	570	3)	,,	,,
		43	15)		
3.	पुनसर	157	।।।)	,,	,,
4.	राजासर बिकान	395	।।).	,,	,,
		557	9)4	,,	,,
		558	0)3	,,	,,
5.	मलसीसर	671/646	7।।।)	,,	,,
6.	राणासर	95	9)	,,	,,
		157	9)	,,	,,
7.	अजीतसर	109	।)	,,	,,
8.	बादडिया	298/199	।)।	,,	,,
9.	आसपालसर	174	9)।	,,	,,

1	2	3	4	5	6
		203/2	1)4	गोचर	आबादी
		246			स्वीकृत
10.	जेतसीसर	496			
		265	1)1	,,	,,
11.	खेजड़ा	450	450 व.ग.	,,	,,
12.	सांगासर	50	1)	,,	,,
13.	जयसमंसर	26/52	7(11)2	पायतन	,,
14.	बूलगासर	152	2)	अंगोर	,,
15.	रासलवाड़ा	72/133	0)1	सि.चक	,,
16.	चारणवासी	232/21	0)2	गोचर	,,
			0)1		
17.	कल्याणपुरा	4	1)	पायतन	,,
18.	आदवासी	69	31)2	गोचर	,,
19.	सारसर	323	0)4	,,	,,
20.	जेतासर	582/194	0)2	,,	,,
		113	0)1	,,	,,
21.	राजासर	746/218	0)1	पायतन	,,
		616	0)1	,,	
22.	खोजासर बड़ा	320/516	1)	अ.राज.	,,
23.	नाहरसरा	231	0)2	अंगोर	,,
24.	,,	253	0)2	गोचर	,,
25.	मालकसर	206/190	0)1	,,	,,
26.	सवाई सायलान	29	0)3	,,	,,
27.	बिकामसरा	255	11)2	,,	,,
28.	वाडवाला	134/126	11)2	अ.राज.	,,
29.	खोजासर	298	0)1	गोचर	,,
30.	जयसंगसर	370	11)1		,,
		676	0)3	गोचर	,,
		371	0)3	,,	

1	2	3	4	5	6
31.	मनापासर	365/104	0)3	गोचर	
32.	माजूसर	90	2)	,,	
		103	3)	,,	
33.	ढाणी पांवरा	70	2)	,,	
		18	3)	,,	
34.	राजसीसर	20	0)1	,,	
35.	सरजूसर	97	21)4	,,	
		128	511)2	,,	
36.	गिडगिसिया	13	0)1	अंगोर	
		293	211)2		
		310	11)3		
37.	कवलासर	94/439	01)2	सिवाय चक	
		295	20)	,,	
		597/459	10)	,,	
38.	कानबासीया	109	5)	कुंआ	
		126	4)	रिपकी साय	
39.	सवाइबसवानिया	22/3	9111)1	सिवाय चक	
40.	सांवर	31	13)4	आ. राज	
		33	51)4	सि. चक	
		72/454	2)	,,	
41.	भोजासर छोटा	377/496	5)	आ. राज	
42.	घालासर	397	30)	सिवाय चक	
43.	बीकासर	379/282	221)4	अ. राज	
44.	अमाख	005	1411)	,,	
45.	रेखसिरासर	22	13)	सिवाय चक	
		53	2411)	,,	

सूची (ग)
आबादी विस्तार के विचाराधीन मामलों की सूची

क्र. सं	नाम गांव	ख. नं.	रकबा	किस्म जमीन	वि.वि.
1.	काकलासर	101	10)	गोचर	^
		111	5)	,,	

182

1	2	3	4	5	6
		114	10)	गोचर	
		132	10)	,,	
		134	5)	,,	
2.	छाडूसर	143	40)	,,	
		139	9।।।)	अंगोर	
		142	5)	,,	
3.	उदासर विशावतान	146	4।)3	गोचर	
		231	20)	,,	
4.	फोगा वास ग्रासलवास	45	।।)	ग्रा. राज.	
		50	।।।)1	,,	
		96	8)1	,,	
5	मनापारसर	220	19)	गोचर	
		6	29)	अंगोर	
6.	पलूसर	2	7)।	,,	
		64	9)	,,	
		7	8)	,,	
		52	5।)	,,	
		118	11)	,,	
		6	4।।)	,,	
		120	27)।	,,	
7.	रोसासर	41	5)।	पायतन	
		38	7)	गोचर	
		294	22)	,,	
		295	2।।)3	,,	
		297	।।)	,,	
		298	29)3	,,	
8.	फोगावास मोजान	61	4)	श्मशान	
		239	3।।।)	गोचर	
		242	2।)	खातेदारी	
9.	पिटेर	63	17।)।	ग्रा. राज	
		1	23।।)	गोचर	
10.	मुकनसर	332/116	16)	,,	
11.	पुणासीसर	28	9।।)	,,	

1	2	3	4	5	6
12.	देराजसर	207	8।।)	पायतन	
13.	मीतासर	239	22।)2	श्मशान	
		292	19।।।)1	,,	
		294	32)4	,,	
14.	सादुलसर	107	।।)1	गोचर	
		121	2)4	,,	
		91	10)	,,	
		123	4।)2	कुण्ड	
		90	2)	श्मशान	
15.	दलूसर	118	6।।।)4	गोचर	
16.	अजीतसर	464	44)	,,	
		109	20)	,,	
		314	18)3	,,	
		252	3।)	,,	
		257	37)	,,	
		354	1।।।)	,,	
17.	मिकासरा	254	43।)	,,	
18.	गोमटिया	129	50)	गोचर	
19.	दूलरासर	151	4।।।)1	रास्ता	
20.	कालूसर	72	22)	गोचर	
		186	10)2	,,	
		189	7)	,,	
		86	15।।)1	,,	
		76	21)	,,	
		193	15।)1	,,	
21.	बयसंगसर	359	17।।)2	,,	
		360	15।।।)2	,,	
		674	8।।)2	,,	
		676	1।।)2	,,	
		395	18।।।)1	,,	
		548	21)	,,	
		550	18।।।)2	,,	

184

1	2	3	4	5	6
22.	पाटमदेसर	181	7।)	गोचर	
		183	8।)4	,,	
		190	2)	,,	
		218	6)	,,	
		292	4।।।)1	,,	
		109	1।।।)1	,,	
23.	मालसर	30	6)	,,	
		34	6)	,,	
		94	3)	,,	
		596	9)	,,	
		637	17)	,,	
		638	13)	,,	
		688	3)	,,	
		555	7)	,,	
		574	9)।	,,	
		509	8)	,,	
		108	2।)3	,,	
24.	काकलासर	53	8।)3	,,	
25.	ग्रासलसर	409	10)	,,	
26.	कल्याणपुरा	305	15)	ग्रंगोर	
27.	राणासर बिकान	174	16)	गोचर	
		173	4)	श्मशान	
28.	पिचकराई ताल	198	19।।)4	गोचर	
29.	साड़ासर	409/206	20।।)2	ग्रा.राज	
		372/32	5)4	,,	
		385/76	25।।)3	,,	
		104	13)	,,	
		401/256	8)	खातेदारी	
30.	तोलासर	231/143	18।।।)	गोचर	
		144	15।।।)	,,	
		239/148	34)1	,,	
		163	5)	,,	
		37	19।)	,,	
		9	10)	,,	

1	2	3	4	5	6
		140	4)	गोचर	
		148/217	3)	,,	
31.	रंमाईसर	302	9।।)	,,	
		322	7)	,,	
		269	4)	,,	
		294	14)	,,	
		343	6)	,,	
		340	12)	,,	
		346	8)	,,	
		249	12)	,,	
32.	सोनपालसर	122।3	9) 4	,,	
		369	18।) 3	,,	
		354	20)	,,	
		375	35।।) 3	,,	
		378	2)	,,	
		395	2।।) 2	,,	
		380	5) 2	,,	
		473	21) 1	,,	
33.	गाजूसर	35	9।।) 4	,,	
		203	4)	,,	
		201।97	2।।) 3	,,	
34.	लाटबाका	146	5)		
		140	6।।।)	,,	
		139	2।।)	,,	
		137	2)	,,	
		152	20)	,,	
		114	8)	,,	
		246	6)	,,	
		126	99।।।)	,,	
		117	9।।)	,,	
35.	नेगासर	215	99)	,,	
		270।195	2।।)	,,	

1	2	3	4	5	6
36.	समेरिया	80	99II)	गोचर	
		54	51)	,,	
		110	15)	,,	
37.	बनियासर	18	10)	,,	
		14	15)	अ. राज	
		50	2)4	,,	
		52	II)1	,,	
		131	7)	,,	
		135	6)	,,	
38.	संवाई	33	3I)3	गोचर	
		34	2)3	,,	
		29	10)	,,	
39.	कानडवास	71	90I)	,,	
		310	5)	,,	
40.	,,	246	30III)3	,,	
		71	90I)	,,	
		310	5)1	,,	
41	,,	683	35II)	,,	
		679	8III)1	,,	
42.	धरियासर	79	9)	,,	
		138	95)	,,	
43.	हरदेसर	166	63II)3	,,	
44.	फीगावास भरथरी	222	99III)4	,,	
45.	उदासर चारणान	7	9II)	ओरण	
46.	बादड़िया	374I299	98II)4	गोचर	
47.	जेतसीसर	108/1	18III)1	गोचर	
		490	10)2	आ. राज	
		205	18)1	,,	
		273	8II)1	,,	
		319	90III)1	,,	
		659	22)	,,	

Page No 187

187

1	2	3	4	5	6
48.	बन्धनाऊ दिखनादा	350	19)	गोचर	
		251	7।।।) 3	,,	
		114	20।।) 2	,,	
49.	राजास	349/159	6।।)।	,,	
		159	।।।) 3	,,	
		202	4) 2	,,	
		217	8।।)	,,	
		243	2।।) 2	,,	
		244	4)	,,	
		257	6।।)।	,,	
		277	।) 2	,,	
		279	।।)।	,,	
		306	8)	,,	
50.	देराजसर	284	92) 3	अंगोर	
51.	दुनसर	155	18।।) 3	गोचर	
		363/157	13।)	,,	
		158	8।।)।	,,	
		161/350	19) 4	,,	
52.	बिकासर	216	9।।)	श्मशान	
53.	रामसीसर तोज	222	4) 4	मैना	

सूची घ

राजस्व अभियान के तहत आबादी विस्तार के मामले स्वीकृत हुए जिनकी सूची तह. सरदारशहर

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मेकसासर	54/439	8।) 2	सिवाय चक	
		217	20)	,,	
		297/459	10)	,,	
2.	कालवासीया	109	5)	कुआं	
		126	4)		

1	2	3	4	5	6
3.	सवाई बमवानिया	22/3	9।।।)।	सिवाय चक	
4.	रागसुसर	7	2।)4	,,	
		128	5।।)2	,,	
5.	सांवर	31	13)4	आ. राज	
		33	5।)4	सिवाय चक	
		721454	2)	,,	
		462			
6.	भीनासर छोटा	3771496	5)	आ. राज	
7.	सालासर	387	30)	सिवाय चक	
8.	भीवासर	3791282	22।)4	आ. राज	
9.	मलास	085	14।।)	अलोट भूमि	

अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी

796. श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों में बेलदार (पुरुष) को 3 रु., कुली (स्त्री) को दो रुपये पचास पैसे तथा बच्चों को दैनिक मजदूरी 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है? अगर हां, तो क्या यह वेतन राज्य सरकार की निगाह में उचित है?

(2) क्या उक्त वेतन अकाल से पीड़ित जनता का शोषण नहीं है? क्या इस प्रकार के कार्यों पर कार्यरत कर्मचारियों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू नहीं होता है? अगर नहीं, तो किन कारणों से लागू नहीं किया गया है?

(3) क्या उक्त वेतनमान में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी करने का विचार राज्य सरकार रखती है? अगर हां, तो किस दर से?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य सरकार ने राहत कार्यों पर स्त्री पुरुष एवं 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मजदूरी के भुगतान के भेद को समाप्त कर दिया है और अब राहत कार्यों पर बी. एस. आर. में निर्धारित टास्क में 20% की कमी कर दिये गये कार्य के आधार पर 2 किलो गेहूं व एक रुपया नकदी के रूप में अधिकतम मजदूरी दिये जाने के आदेश कर दिये गये हैं। अगर सम्पूर्ण मजदूरी गेहूं के रूप में दी जाती है तो 3 किलो गेहूं प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम मजदूरी दी जा सकती है। टास्क में ऋणों व गेहूं के मूल्य तथा राहत कार्यों पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं और राज्य के किन्हीं साधनों को देखते हुए

(अकाल राहत मंत्री)
राहत कार्यों पर दी जाने वाली मजदूरी उचित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए कार्यों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाना सम्भव नहीं है। इसके पूर्व की तरह इस वर्ष भी इन कार्यों को इस अधिनियम के प्रभाव से छूट दी गई है। राहत कार्यों को चलाये जाने के मुख्य उद्देश्य अकाल राहत क्षेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मुहैया कराना है।

(3) राज्य सरकार ने टास्क में कमी कर, मजदूरी का काफी भाग गेहूं के रूप में देकर और राहत कार्यों अन्य सुविधायें उपलब्ध करा कर राहत कार्यों पर दी जाने वाली मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया है।

राज्य में शीत लहर से हुई फसलों को क्षति

797. श्री रामकिशोर मीना (सिकराय),
श्री कुंजीलाल (बामनवास),
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दिनों राज्य में आई शीत लहर से कृषि की पैदावार की कितनी क्षति हुई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने क्षति से राहत देने हेतु किसानों को कोई सहायता दी है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत दिनों राज्य में आयी शीत लहर से कृषि की पैदावार को हुई हानी की सूचना जो जिलाधीशों से प्राप्त हुई है उसकी सूची सदन की मेज पद रख दी गयी है। (परिशिष्ट 'क')

(2) कृषि विभाग से कोई सहायता नहीं दी जाती है बल्कि राजस्व विभाग ही राहत की कार्यवाही करने में सक्षम है। केवल ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को जिनकी फसल में 75 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान हुआ हो उन्हें सहायता के रूप में एक क्विंटल गेहूँ का वितरण प्रति परिवार किया गया है।

परिशिष्ट क

जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में गत दिनों आयी शीत लहर से कृषि की पैदावार को हुई हानि की जिलेवार सूचना।

जिले का नाम	जिन्स का नाम		नुकसान प्रतिशत में
1. अजमेर	गेहूं	ब्यावर	20
		केकड़ी	25
		सरवाड़	30
	जौ	ब्यावर	20

Page No 190

(190)

जिले का नाम	जिन्स का नाम		नुकसान प्रतिशत में
		केकड़ी	25
		सरवाड़	30
	चना	ब्यावर	60
		केकड़ी	25
		सरवाड़	60
2. अलवर		कोई नुकसान नहीं	
3. भरतपुर		,, ,,	
4. चूरू		,, ,,	
5. बून्दी	गेहूं		10 से 15
	धनिया		30 से 40
	गन्ना		10
6. श्री गंगानगर		कोई नुकसान नहीं	
7. झुंझुनूं	चना		10 से 25
	सरसों		60 से 75
8. जयपुर	अरहर	बसवा, लालसोट व दौसा में 50 प्रतिशत	
	सरसों	कोटपूतली –	25 से 75
9. जोधपुर	चना	बिलाड़ा	10
	जीरा	,,	20
10. जालोर	सरसों	सांचोर	20 से 25
11. नागोर	गेहूं	नागोर	परवतसर
		25	–
	जौ	25	–
	चना	25	40
	सरसों	75	–

12. सवाई माधोपुर		बोंली	गंगापुर	बामनवास	हिन्डौन	सपोटरा
	चना	30	20	25 से 50	25	60
	सरसों	50	20	50 से 75	30	60
	अन्य	–	–	75 से 100	25	25 से 80

13. सीकर	चना	25
	सरसों	40 से 50

जिले का नाम	जिन्स का नाम	नुकसान प्रतिशत में			
		कुम्भलगढ़	राजसमन्द	खेरवाड़ा	गोगुन्दा
14. उदयपुर	गेहुं	40	15	25	–
	जौ	50	–	–	–
	चना	30	–	–	35

अन्य जिलों में शीत लहर से कोई नुकसान नहीं हुआ है।

मत्स्य आखेट का ठेका

798. श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जलाशयों में मत्स्य आखेट का ठेका किस पद्धति के द्वारा दिया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार को निर्धारित मूल्य रखने की वजह से बंधा मोरेल, बंधा रावत भाटा व बंधा गम्भीरी डेम का ठेका नहीं होने से करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है ?

(3) क्या बंध मेजा और बंध गुड्डा का जलाशय का ठेका निर्धारित मूल्य से कम में दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या डेड रेंट कम-रायल्टी पर मत्स्य आखेट का ठेका देने का नियम में प्रावधान है ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण देने का कष्ट करें।

(5) क्या जयसमंद झील, उदयपुर का मछलियों का ठेका दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस मूल्य पर दिया गया और कब दिया गया ?

(6) क्या नियमानुसार ठेके की मूलधन राशि एवं धरोहर राशि विभाग में जमा करवादी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(7) क्या ठेके का अनुबंध कर लाइसेंस दे दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

(8) क्या उक्त झील में मछली निकालने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो किस तारीख से ?

उत्तर

(1) मत्स्य नियम 1958 के नियम 5 के अनुसार ठेके नीलामी पद्धति द्वारा दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मत्स्य आखेट का ठेका राजस्थान मीन नियम के रूल 5 (क) जो कि निम्न प्रकार वर्णित है, के अनुसार निर्धारित विधि (एक मुश्त/डैड रेन्ट कम रायल्टी) पर दिया जाता है:—"5 (क) प्रति वर्ष अगस्त की या इसके पश्चात संचालक, पशुपालन विभाग, या उसके द्वारा तत्प्रयोजनार्थ विशिष्ठतः नियुक्त कोई भी अन्य अधिकारी, ऐसे जलाशयों जिनके बारे में वह ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे, में मछली पकड़ने के अधिकार का नीलाम कर सकेगा। संचालक, पशुपालन

(पशु पालन मंत्री)
विभाग द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उन जलाशयों में जिनके सम्बन्ध में नीलाम किया गया हो, प्रपत्र 3 में इस विषय में उसे मंजूर किये गये अनुज्ञा-पत्र के अनुसार मछली पकड़ने का एकाधिकार होगा।"

(5) जयसमन्द झील का ठेका राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय जनजाति विकास सहकारी निगम लि., उदयपुर को आदिवासी मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा मत्स्याखेट हेतु तीन लाख रुपये में डैड रेन्ट कम रायल्टी आधार पर स्वीकृति दिनांक 17-11-77 के द्वारा दिया गया है।

राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार निगम को ठेका राशि तीन किस्तों में जमा करानी है। इसमें से प्रथम किस्त के डेढ़ लाख रुपये निगम द्वारा दिनांक 15 3-78 को जमा करवा दिये गये द्वितीय किश्त व धरोहर राशि जमा होनी है।

(6) जी नहीं।

(7) अनुबन्ध कर अनुज्ञा-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(8) इस झील में मत्स्याखेट दिनांक 7-12-77 से निगम द्वारा आदिवासी जनजाति सहकारी समिति के सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा है।

आई.ए.एस. व आर.एच.जे.एस. के वेतनमान

799 श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आई.ए.एस. व आर.एच.जे.एस. के वेतनमान क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि आर.एच.जे.एस. को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इन दोनों के वेतनमानों को प्रत्येक दृष्टि से समकक्ष करने का इरादा रखती है या नहीं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) आई.ए.एस. व आर.एच.जे.एस. के निम्नलिखित वेतनमान हैं:—

(i) आई.ए.एस.

(1) सुपर टाइम स्केल :—

(i) 3500/—(नियत) मुख्य सचिव के लिए

(ii) 3000/—(नियत) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के लिए

(iii) 2500-125/2-2750

2. चयनित ग्रेड:—2000-125/2-2250 (14 वर्षीय सेवा काल पूर्ण करने पर)

3. वरिष्ठ श्रृंखला :— 1200 (6 वर्ष अथवा कम)—50-1300-60-1600-इ.बी.-60-1900—100—2000

4. कनिष्ठ श्रृंखला:—700-40—900—ई—बी —40—1100—50—1300

(वित्त मंत्री)
(ii) आर.एच.जे.एस.

1. चयनित वेतन शृंखला 2500/- नियत

2. साधारण वेतन शृंखला 1350-50-1600-60-2200

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। आई. ए. एस. अखिल भारतीय सेवा है एवं उनके वेतनमान केन्द्र सरकार निर्धारित करती है जब कि आर. एच.जे.एस. राज्य सेवा है और इसके वेतनमान निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

राज्य में मण्डियों का नियमन

800. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कितनी मण्डियां नियमन में आ चुकी हैं, उनमें किन-किन में नामजद बोर्ड हैं तथा किन-किन में प्रशासक हैं तथा किस कारण से हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मण्डी समितियों की चुनाव प्रक्रिया को बदल कर इसके मतदाता ग्राम पंचायत के सदस्य ही रखे गये हैं? क्या यह सही है कि इसके पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य व कृषक समाज के सदस्य भी मतदाता होते थे? यदि हां, तो इनको मत देने से किस आधार पर वंचित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के मतदाता होने से यह पंचायतों का ही एक भाग नहीं हो गई है। यदि हां, तो राज्य सरकार किसानों, हरिजनों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिये हर किसान, जो कि खातेदारी अधिकार रखता है, को मतदाता क्यों नहीं बनाती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में अभी तक 110 समितियां नियमन के अन्तर्गत आ चुकी हैं। इनमें से एक मण्डी समिति नामजद है, 107 में प्रशासक हैं तथा दो निर्वाचित मण्डी समितियां हैं। इनमें से 17 मण्डी समितियों में नामजद समितियों को भंग कर राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। मण्डी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर एवम् दूसरी निर्वाचित मण्डी समिति के बनने तक प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।

(2) जी हां। पुरानी चुनाव प्रक्रिया के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र की समस्त सहकार खास तथा बहुउद्देशीय समितियों के सदस्य तथा कृषक समाज के सदस्य भी मतदाता होते थे। राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को काफी पेचीदा व मण्डी समितियों के लिए खर्चीला मानकर सरल करने की दृष्टि से अब केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों को मतदाता माना गया है।

(3) जी नहीं।

(194)

राजस्थान की नियमित मण्डियां
(1-4-78 तक)

क्र.सं.	जिला	मण्डी समिति	नामजद बोर्ड/प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड
1	2	3	4
1.	अलवर	1. अलवर	प्रशासक
		2. खैरथल	,,
		3. खेडली	,,
2.	भरतपुर	4. भरतपुर	,,
		5. कामां	,,
		6. डीग	,,
		7. नदबई	,,
		8. धौलपुर	,,
		9. बाड़ी	,,
		10. बयाना	,,
		11. नगर	,,
		12. भुसावर	,,
3.	जयपुर	13. जयपुर (अनाज) रामगंज बाजार	,,
		14. जयपुर (फल व सब्जी)	,,
		15. दौसा	,,
		16. कोटपूतली	,,
		17. बान्दीकुई	,,
		18. चाकसू	,,
		19. नरेना	,,
		20. चौमू	,,
4.	अजमेर	21. अजमेर	,,
		22. मदनगंज	,,
		23. विजयनगर	,,
		24. ब्यावर	,,
		25. केकड़ी	,,
5.	सीकर	26. सीकर	,,
		27. नीमकाथाना	,,
		28. श्रीमाधोपुर	,,
		29. फतेहपुर	निर्वाचित मण्डी समिति

Page No 195

(195)

1	2	3	4
6.	झुंझुनूं	30. सूरजगढ़	प्रशासक
		31. चिड़ावा	,,
		32. झुंझुनूं	,,
		33. नवलगढ़	नामजद मंडी समिति
7.	सवाई माधोपुर	34. सवाईमाधोपुर	प्रशासक
		35. हिण्डौन	,,
		36. महुआमण्डावर	,,
		37. गंगापुर	,,
		38. कोटा	,,
		39. बारां	,,
		40. सुमेरगंज	,,
		41. अन्ता	,,
		42. इटावा	,,
		43. रामगंजमण्डी	,,
		44. छाबड़ा	,,
9.	बूंदी	45. बून्दी	,,
		46. केश्वरायपाटन	,,
10.	झालावाड़	47. भवानीमण्डी	निर्वाचित मण्डी समिति
		48. चोमेला	प्रशासक
		49. खानपुर	,,
		50. झालरापाटन	,,
11.	टोंक	51. टोंक	,,
		52. मालपुरा	,,
		53. निवाई	,,
		54. देवली	,,
12.	उदयपुर	55. उदयपुर	,,
		56. नाथद्वारा	,,
		57 भीण्डर	,,
		58. फतेहनगर	,,
13.	चित्तौड़गढ़	59. चित्तौड़गढ़	,,
		60. कपासन	,,
		61. निम्बाहेड़ा	,,
		62. बेगूं	,,
		63 प्रतापगढ़	,,

Page No 196

(196)

1.	2	3	4
14.	भीलवाड़ा	64. भीलवाड़ा	प्रशासक
		65. गुलाबपुरा	,,
		66 माण्डलगढ़	,,
		67. आसीन्द	,,
		68. शाहपुरा	,,
		69. जहाजपुर	,,
15.	बांसवाड़ा	70. बांसवाडा	,,
16.	डूंगरपुर	71. डूंगरपुर	,,
17.	जोधपुर	72. जोधपुर	,,
		73. बिलाड़ा	,,
		74. पिपाड़सिटी	,,
18.	पाली	75. पाली	,,
		76. सोजतरोड़	,,
		77. जेतारण	,,
		78. रानी	,,
		79. सुमेरपुर	,,
19.	सिरोही	80. शिवगंज	,,
		81. आबूरोड़	,,
20.	नागौर	82. नागौर	,,
		83. मेडतासिटी	,,
		84. कुचामनसिटी	,,
		85. डीडवाना	,,
21.	जालौर	86. भीनमाल	,,
22.	बाड़मेर	87. बाड़मेर	,,
		88. बालोतरा	,,
23.	जैसलमेर	89. जैसलमेर	,,
24.	बीकानेर	90. बीकानेर	,,
		91. नोखा	,,
25.	चूरू	92. सादुलपुर	,,
		93. तारानगर	,,
		94. चूरू	,,
		95. डूंगरगढ़	,,
		96. सरदारशहर	,,
		97. सुजानगढ़	,,

1	2	3	4
26.	श्री गंगानगर	98. श्रीगंगानगर	प्रशासक
		99. रायसिंहनगर	,,
		100. श्री विजयनगर	,,
		101 श्रीकरणपुर	,,
		102. हनुमानगढ़ (जं.)	,,
		103. सांगरिया	,,
		104. पदमपुर	,,
		105. गजसिंहपुर	,,
		106. केसरीसिंहपुर	,,
		107. सादुलशहर	,,
		108. पीलीबंगा	,,
		109. नोहर	,,
		110. भादरा	,,

वाणिज्य कर निरीक्षकों के पदों की राजपत्रीय अधिसूचना

801. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में आयुक्त ने 16-8-73 के राजस्थान राज-पत्र में वाणिज्य कर निरीक्षकों की 44 पदों पर भर्ती हेतु कोई विज्ञापन निकाला था? यदि हां, तो क्या उसमें अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा पास करने के अलावा साक्षात्कार किये जाने का भी प्रावधान था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों की भर्ती हेतु एक परीक्षा का आयोजन 18-1-74 को निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की देखरेख में किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षा का नतीजा 29-3-74 के समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों के रोल नं. के क्रमानुसार प्रकाशित न करवाकर अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये अंकों की मेरिट के आधार पर प्रकाशित करवाया गया? यदि हां, तो क्या यह प्रकाशन नियमानुसार था?

(4) लिखित परीक्षा के नतीजों का मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रकाशित करने के ऐसे कौन से नियम हैं जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षा का नतीजा प्रकाशित किया जाता है?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें आशार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में ठीक पाये जाने पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने की भी शर्त रखी गई थी।

(वित्त मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त परीक्षा का नतीजा 29-3-1974 के स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था। आशार्थियों के रोल नम्बर के क्रमानुसार उक्त परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया था बल्कि अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की योग्यता क्रम में प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में विज्ञप्ति में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) लिखित परीक्षा के नतीजों को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से जिन क्रमानुसार परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ उसी क्रम में परीक्षा परिणाम को प्रकाशित किया गया था।

बीकानेर में रेल्वे क्रासिंग गेट पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य

802. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में हास्पिटल रोड पर स्थित रैल्वे क्रासिंग गेट पर ओवर ब्रिज निर्माण करने हेतु प्लान तैयार किया गया है और रेल्वे ने भी अपनी स्वीकृति इसके लिये दे दी है? यदि हां, तो निर्माण कार्य चालू करने का मामला कितने समय से राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ा है और उसके क्या कारण हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इस कार्य को प्राथमिकता का दर्जा देगी?

उत्तर

(1) जी हां। प्लान बनाया गया है। रेल्वे विभाग से इसके लोकेशन के बारे में विचार विमर्श चालू है। अभी प्लान फाइनेलाइज नहीं हुआ है, अतः प्लान को फाइनल करने के बाद ही स्वीकृत किया जावेगा। निर्माण चालू करने की कार्यवाही प्लान फाइनेलाइज होने व स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जावेगा।

(2) जी हां। राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है।

सूरतगढ़ एवं पीलीबंगा में देशी शराब की ठेकों पर खुली बिक्री

803. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सूरतगढ़ में एवं पीलीबंगा में देशी शराब ठेकों पर खुली बिकने की अनुमति दी गई है?

(2) यदि खुली शराब बेचना गैर कानूनी है तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र में कितने केस नाजायज शराब बनाने के पकड़े गये?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) देशी शराब की दूकानों के लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार खुली शराब बेचना गैर कानूनी है। खुली शराब बेचने वाले के खिलाफ लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार केस बनाये जाते हैं।

(आबकारी मंत्री)

(3) सूरतगढ़ तहसील में वर्ष 77-78 में 35 केसेस बनाये गये।

राज्य के कृषि सहायक अधिकारी

804. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने कृषि सहायक अधिकारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में हैं तथा कब से हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पद स्थापन की प्रतीक्षा में बैठे इन सहायक कृषि अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सिर्फ एक सहायक कृषि अधिकारी श्री रणजीत सिंह दिनांक 20-3-78 से मुख्यालय कृषि जयपुर में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में हैं।

(2) श्री रणजीत सिंह 20-3-78 से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में हैं। इनके सम्बन्ध में पद स्थापन आदेश शीघ्र प्रसारित किए जा रहे हैं तब इनको नियमित वेतन मिलता रहेगा।

अजमेर में निःशुल्क कानूनी सहायता

805. श्री नवल राय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर में निःशुल्क कानूनी सहायता कमेटी के संयोजक पिछले वर्षों में कौन ये और सदस्य कौन कौन थे? इनके नाम व पते सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अजमेर में ऐसे निर्धनों के मामले लड़ने के लिये कितनी राशि सरकारी स्तर पर मन्जूर की गई थी?

उत्तर

(1) जिला, उप खण्ड व तहसील स्तर पर विधिक सहायता समितियां बनाते समय यह नीति निर्धारित की गई थी कि प्रत्येक समिति के एक अध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे। अतः अजमेर विधिक सहायता समिति में कोई संयोजक नहीं थे। दिनांक 5-6-76 को गठित अजमेर विधिक सहायता समिति में अध्यक्ष व सदस्यगण निम्नप्रकार से थे:—

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर — अध्यक्ष
2. श्री देवदत्त शर्मा, एडवोकेट, अजमेर — सदस्य
3. श्री एस. एन. अग्रवाल, एडवोकेट, अजमेर — सदस्य
4. श्री गजेन्द्र कुमार जैन, सामाजिक कार्यकर्ता, अजमेर — सदस्य।

(2) सन्, 1975-76, 76-77, 77-78 में हर साल 2-2 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई।

राज्य में लगान की दरों में भिन्नता

806. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में लगान की दरों में भिन्नता

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है ? यदि हां, तो भिन्नता का क्या आधार है और किस-किस जिले में किस-किस दर से लगान वसूल किया जाता है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में लगान की दर गंगानगर के मुकाबले अधिक है। यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार जयपुर में लगान की दर कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। भूतपूर्व स्टेटों के समय में उस समय प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार तथा उस क्षेत्र की जलवायु भूमि की उर्वरकता व उत्पादन क्षमता के आधार पर उस समय के बाजार भावों के अनुसार भू-कर दरें निर्धारित की गई थीं। पूरे प्रदेश की असेसमेंट सर्किलवार तहसीलवार व जिलेवार भूमि दरों की सूची विस्तृत है। एक प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। यह सही है। गंगानगर क्षेत्र जयपुर के मुकाबले काफी रेतीला व कम उपजाऊ क्षेत्र है। वहां की बारानी भूमि जयपुर के मुकाबले काफी कमजोर है। केवल नहरी भूमि में ही पैदावार होती है जो भू-राजस्व के अतिरिक्त सिंचाई शुल्क अलग से वसूल होता है, जबकि जयपुर जिले में चाही भूमि दरों में केवल भूमिदर ही होती है। इस प्रकार जयपुर की चाही भूमि की दर के मुकाबले गंगानगर की नहरी भूमि की दर मय सिंचाई शुल्क अधिक है। फिर भी राज्य सरकार भूमि की दरों के एकीकरण समानीकरण की योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा झुन्झुनूं जिला

807. **श्री मालाराम (खेतड़ी)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिला उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है ? यदि हां, तो जिले के किस क्षेत्र को और वहां पर उद्योग लगाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

जी हां।

सम्पूर्ण झुन्झुनूं जिला वर्ष 1970 से पिछड़ा घोषित किया गया है। जिले में उद्योग लगाने के लिए पिलानी, चिड़ावा में औद्योगिक क्षेत्र कायम किये जा चुके हैं। खेतड़ी में मिनि औद्योगिक क्षेत्र कायम करने की योजना राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. के पास है एवं झुन्झुनूं में भी औद्योगिक क्षेत्र कायम करने की योजना है। खेतड़ी ताम्बा परियोजना में सहायक उद्योग स्थापित कराये जाने के लिए प्रयास जारी हैं। पूरे जिले में विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाने के लिए 118 अस्थाई पंजीकरण जारी किये गये हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सहायताएं उपलब्ध कराकर, उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहायता व सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न है।

राजस्थान में लघु उद्योग इकाइयों को दी जाने वाली सहायताएं एवं सुविधायें:–

(1) **लघु उद्योग इकाइयों का पंजीयन :—**

लघु उद्योग इकाइयां वे कहलाती हैं जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी पर 10 लाख रुपये तक पूंजी विनियोजन किया हुआ हो। इसी प्रकार सहायक इकाइयां (एनसिलरी-उद्योग) वे हैं जिनमें 15 लाख रुपये तक का पूंजी निवेश हो। इन इकाइयों का पंजीयन क्रमशः जिला अधिकारियों एवं निदेशक, उद्योग विभाग के कार्यालय में किया जाता है। जिन लघु उद्योगों में संयंत्र एवं मशीनों पर पूंजी विनियोजन 2 लाख रुपये से अधिक का होता है। उनके पंजीयन के लिए पिछड़े जिलों में 25 रु. तथा अन्य विकसित जिलों में 50 रु. शुल्क देना होता है। उद्यमं, अपनी इकाइ का पंजीयन कराने के बाद रियायतें एवं सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(2) **भू-आवंटन :–**

राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम औद्योगिक क्षमता वाले स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की जाती है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन) नियम, 1961 के अधीन जिलाधीशों को कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन करने के अधिकार है।

(3) **औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं का विकास :—**

(क) **राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास**

राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम ने निम्नलिखित जिलों में 42 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया है :— (प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कोष्ठक में दी गई है)

अजमेर (4)	अलवर (2)
	बाड़मेर (1)
भरतपुर (1)	बीकानेर (3)
	चूरू (2)
गंगानगर (3)	जयपुर (3)
	जोधपुर (2)
कोटा (4)	झुन्झुनू (2)
	पाली (3)
सिरोही (2)	सवाई माधोपुर (1)
	टौंक (2)
उदयपुर (1)	भीलवाड़ा (1)
	चित्तौड़गढ़ (1)
डूंगरपुर (1)	सीकर (1)
	झालावाड़ (1)
नागौर (1)	

विकास की दरें निम्न है :—

श्रेणी		प्रति वर्ग मीटर दर (रुपये)	
श्रेणी (ए)	:–	जयपुर नगर के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	10.00
श्रेणी (बी)	:–	कोटा शहर, सूरतगढ़ के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	9.00
श्रेणी (सी)	:–	अलवर एवं जोधपुर नगरों के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	7.50
श्रेणी (डी)	:–	उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, किशनगढ़, गंगापुर के औद्योगिक क्षेत्र	5.50

श्रेणी (ई) :– मकराना एवं भीवाड़ी (अलवर) नगरों के औद्योगिक क्षेत्र 5.50

श्रेणी (एफ) :– सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, निवाई, पिलानी, श्योगंज (सिरोही) सीकर तथा आबूरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र 4.00

श्रेणी (एफ) :– सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक भिवाई, पिलानी, श्योगंज (सिरोही) सीकर तथा आबूरोड के औद्योगिक क्षेत्र 4.00

श्रेणी (जी) :– डूंगरपुर बालोतरा, (बाड़मेर) जालोर, चिड़ावा (झुन्झुनू) डूंगरगढ़ (चूरू) सोजतसिटी (पाली) शहरों के औद्योगिक क्षेत्र 3.50

वार्षिक किराया तीन लाख एवं अधिक की आबादी वाले नगरों में 50.00 रुपये प्रति 4000 वर्ग मीटर, व 10000 की एवं 3 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 25.00 रु. प्रति 4000 वर्ग मीटर व 1000 से कम की आबादी वालों नगरों में 15.00 रुपये प्रति 4000 वर्ग मीटर निर्धारित है।

(ख) हायर परचेज पर शेड्स:–

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने अपने अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से शेड्स बनाए हैं जिन्हें सुविधाजनक शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है।

(4) उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्र:–

उद्योग विभाग ने भी 15 स्थानों पर, अर्थात् बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर (झोटवाड़ा एवं सुदर्शनपुरा) झालावाड़, जालोर, कोटा एवं पाली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है।

(5) उद्योग विभाग की औद्योगिक सम्पदायें :–

उद्योग विभाग ने 11 स्थानों पर अर्थात् भाखूपुरा (अजमेर) भरतपुर, भीलवाड़ा बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा पाली (2) और उदयपुर, औद्योगिक सम्पदाओं का विकास किया है।

(6) सहायता प्राप्त औद्योगिक सम्पदायें:–

उद्योग विभाग प्राइवेट एजेन्सियों को भी औद्योगिक सम्पदाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार सहायता प्राप्त औद्योगिक सम्पदायें रानी एवं फालना (पाली) और ब्यावर (अजमेर) में कार्यरत है।

(7) क्षारीय क्षेत्र:–

नमक बनाने के लिए क्षारीय क्षेत्रों का आवंटन निदेशक, उद्योग विभाग की सिफारिश पर सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। क्षारीय क्षेत्र जैसलमेर, नागौर, चूरू एवं जोधपुर जिले में है।

(8) वित्तीय सुविधायें:–

(क) उद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधायें:–

(I) उद्योग विभाग लघु उद्योग इकाइयों को उद्योगों की स्थापना के लिए

उदार शर्तों पर 20,000) रुपये तक के ऋण देता है। इस ऋण पर ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाता है। तथा समयानुसार भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय अधिकारी 15,000 रुपये तक का ऋण स्वीकृत कर सकते हैं तथा 15,000 से 20,000 रुपये तक का ऋण निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

(II) बिक्री कर के बराबर ब्याज रहित ऋण:–

उद्योग विभाग तथा राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिए नए ऋणों एवं उस पर ब्याज की अदायगी के लिए औद्योगिक इकाई द्वारा चुकाए गए राजस्थान बिक्री कर या केन्द्रीय बिक्री कर की राशि के बराबर का ब्याज रहित ऋण देते हैं। यह ब्याज रहित ऋण स्थित परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य 8 प्रतिशत तक दिया जाता है। यह सुविधा 1-4-76 से 31-3-81 तक स्थापित होने वाली समस्त नई उद्योग इकाइयों को उपलब्ध है। पुरानी इकाइयां यदि दिनांक 31-3-76 को अपनी संस्थापित क्षमता में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि करती है तो उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(III) शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी ऋण:–

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षित बेरोजगार जो अपना नया लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको 10 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण कार्यशील पूंजी एवं पूंजी विनियोजन के लिए ब्याज की उदार शर्तों पर दिया जावेगा।

(ख) राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधायें:–

(I) दीर्घ कालीन ऋण:–

राजस्थान वित्त निगम, स्थित परिसम्पत्तियों के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकरण एवं नवीनीकरण के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करता है। सामान्य निगम एक औद्योगिक इकाई को 10,000 रु. से लेकर 30 लाख रु. तक के ऋण स्वीकृत करता है। ब्याज की दर 8 प्रतिशत से लेकर 13-5 प्रतिशत तक ली जाती है।

(II) सुलभ ऋण योजना:–

राजस्थान वित्त निगम इस योजना के अधीन लघु उद्योगों को भूमि क्रय करने, कारखाना भवन बनाने, मशीनों को खरीद करने के लिए 10,000 रु. से लेकर 1-5 लाख रु. तक ऋण देता है। मार्जिन ऋण नई भूमि, भवन एवं मशीनरी के लिए 25 प्रतिशत और पुराने रिहायशी भवन, एवं मशीनरी के लिए 50 प्रतिशत दिया जाता है।

(III) तकनीकी की सहायता योजना:-

इस योजना के अधीन बिना किसी मार्जिन के, किसी भी एक एक परियोजना के लिए अधिकतम 2 लाख रु. तक की सहायता दी जा सकती है। आवेदनक योग्य इंजीनियर (डिग्री धारक) इंजीनियरिंग में पोलोटेकनिक डिप्लोमा धारक या किसी तकनीकी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त होना चाहिये।

(ग) राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता:—

राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम पैमाने के उद्योग को 30 लख रु. तक ऋण देता है ।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता :—

(i) मध्यावर्गीय ऋण :—

यह ऋण फैक्ट्री भवन/शेडों के निर्माण हेतु तथा मशीनों एवं उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है । इसमें लगभग 25 प्रतिशत मार्जिन मनी रहती है। तथा 5 से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि में इसकी अदायगी करनी होती है । इन बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण भी दिया जाता है ।

(ii) निर्यात हेतु वित्तीय सहायता:—

बैंक निर्यात हेतु माल लदे जाने से पूर्व/पश्चात् वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है ।

(iii) तकनीकी उद्यमियों को ऋण:—

कुछ बैंकों तकनीकी उद्यमियों को बिना किसी प्रतिपूर्ति के 2.00 लाख रुपये तक का तथा एक ही इकाई में एक से अधिक तकनीकी उद्यमियों के सहयोग होने पर 3 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत करती है ।

(iv) ब्याज की विभेदक दर योजना, 1977

यह योजना अब सभी जिलों में लागू की जा चुकी है । इस योजना के अन्तर्गत कुछ बैंकों मशीनें एवं उपकरणों के लिए 5,000) रुपये तक तथा कार्यशील पूंजी के लिए 1500 रुपये तक का ऋण उन्हीं आवश्यकता मन्द शिल्पकारों को स्वीकार करती है जिनके परिवारों की ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपये प्रतिवर्ष तथा नगरीय क्षेत्रों में 3000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत ब्याज दर सिर्फ 4 प्रतिशत है । ये ऋण बिना किसी प्रतिभूति के स्वीकृत किये जा सकते हैं ।

(ङ) इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधायें:—

(I) औद्योगिक ऋणों का पुनर्वितकरण (रिफाईनेन्सिंग)

राजस्थान वित्त निगम एवं राज्य के अन्य वाणिज्यिक बैंक लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को स्थिर परिसम्पत्तियां के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं एवं इसके बदले में वे अपनी पूर्ति इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया को पुनर्वित योजना के अन्तर्गत करते हैं । लघु उद्योग इकाइयों के मामले में कम से कम 10,000 रु. की राशि के ऋण का पुनर्वित (रिफाइनेन्स) किया जा सकता है ।

इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया भी भारत सरकार की क्रेडिट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों को विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को दिए गए ऋण शत प्रतिशत पुनर्वित की सुविधा प्रदान करता है ।

(II) उद्यमियों को सीड कैपिटल सहायता:—

इस योजना के अधीन लघु उद्योग इकाइयों को सहायता एवं इक्विटी

या सुलभ ऋण (सोफ्ट लोन) के रूप में दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी। इस योजना के अन्तर्गत नये तकनीकी उद्यमियों को तथा विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की परियोजना को प्राथमिकता दी जाती है।

(III) विश्व बैंक ऋण:—

लघु उद्योग इकाइयां आई.डी.बी.आई. से विश्व बैंक ऋण प्राप्त कर अब मशीनों का आयात कर सकती हैं। विदेशों से संयंत्र एवं मशीनें खरीदने के लिए सहायता राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से की जा रही है। मार्गदर्शन हेतु इस संबन्ध में अधिक विस्तृत सूचना इस निगम से प्राप्त की जा सकती है।

(IV) रिडिस्काउन्टिंग सहायता:—

इकाइयों को आस्थगित भुगतान आधार पर मशीनें खरीदने के लिए आई. डी. बी. आई. स्वदेशी मशीनों की बिक्री के बिलों/प्रोमीसरी नोटों पर डिस्काउन्ट देती है। इससे लघु उद्योग इकाइयों को आस्थगित भुगतान के आधार पर आधुनीकरण/नवीनीकरण में सहायता मिल सकती है।

(9) पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाएं:—

(क) राज्य के 16 जिले अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, सिरोही, टौंक एवं उदयपुर पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं। इन जिलों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋणों पर ब्याज (रिफाइनेन्सिग के बाद) की प्रभावी दर 8-1/2 प्रतिशत है। इन जिलों में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण की न्यूनतम सीमा 5000 रु. कर दी गई है।

(ख) 15 प्रतिशत केन्द्रीय सबसिडी योजना:—

भारत सरकार, विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों अर्थात् अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर और चूरू जिलों में निदेशक, उद्योग विभाग/राजस्थान वित्त निगम/जिला अधिकारी उद्योग विभाग के मार्फत नई इकाइयों को, प्रति औद्योगिक इकाई अधिकतम 15 लाख रुपये की स्थिर पूंजी पर 15 प्रतिशत की दर पर सबसिडी प्रदान करती है। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाकी के 10 विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों अर्थात् जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर टौंक, झुंझुनूं, सिरोही, झालावाड़, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी अपने वित्तीय साधनों से 15 प्रतिशत केपिटल सबसिडी लघु उद्योग इकाइयों को दी जावेगी।

(ग) ग्रामीण उद्योग परियोजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पांच पिछड़े जिलों नागौर, चूरू, टौंक, बांसवाड़ा, एवं झालावाड़ जिलों का चयन किया गया, है। इस योजना के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के अनुसार 25,000 तक की आबादी वाले समस्त गांव एवं कस्बों को ले लिया गया है। ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समितियों द्वारा संचालित इकाइयों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज की वर्तमान दर साढ़े पांच प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपकरणों के लिए ऋण एवं सबसिडी, सहकारी समि-

206

तियों द्वारा संचालित इकाइयों को प्रबन्धकीय सबसिडी, कच्चामाल एवं परिष्कृत उत्पादों की जांच पर सबसिडी एवं इन-प्लांट ट्रेनिंग के लिए सबसिडी दी जाती है।

(10) हायर परचेज के आधार पर मशीनों की सप्लाई:–

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली, या विस्तारशील इकाइयों को हायर परचेज योजना के अन्तर्गत नये संयंत्र एवं मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसके अन्तर्गत निगम वितरक को पहले वस्तु की पूर्ण राशि का भुगतान कर देता है तथा बाद में वह उसकी क्रेता से वसूली किस्तों में करता है।

(11) विद्युत् प्रसार में रियायतें :–

विद्युत् प्रसार में निम्न रियायतें दी गई हैं:–

(1) इलैक्ट्रिक केमीकल एवं इलैक्ट्री थर्मल उद्योगों को विद्युत् ड्यूटी के भुगतान से मुक्त रखा गया है। (2) उपर्युक्त (T) में वर्णित उद्योगों के अलावा विनिर्माण, उत्पादन, संसाधन या माल की मरम्मत आदि से सम्बन्धित उद्योगों में बिजली की खपत पर प्रति यूनिट एक पैसे की दर से ड्यूटी लगाई जाती है।

(3) दिनांक 1-4-68 से 31-3-79 की अवधि में स्थापित/विस्तृत उद्योगों को भी 7 वर्ष के लिए विद्युत् ड्यूटी से मुक्त रखा गया है।

(4) एच. टी. एवं मध्यम उद्योगों के मामले में सर्विस लाइनों की लागत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा वहन की जाती है, हालांकि प्रारम्भ में यह राशि ऋण के तौर पर उपभोक्ता से ले ली जाती है, तथा बाद में इसका समायोजन विद्युत् सप्लाई बिलों में कर लिया जाता है।

(5) लघु उद्योगों को जिला अधिकारियों द्वारा विद्युत समायोजन सबसिडी स्वीकृत की जाती है। जिन उद्योगों में विद्युत् टेरिफ 12–5 पैसे प्रति यूनिट से अधिक हो वहां अधिक टेरिफ की सबसिडी अधिकतम 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है।

(6) उद्योग विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दि. 1–3–70 और 31–3–79 के बीच स्थापित लघु इकाइयों को उत्पादन के उद्देश्य के लिए उपभोग में लाई गई विद्युत् के लिये विद्युत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। यह सहायता राजस्थान-राज्य विद्युत् मंडल के विद्युत् बिलों के वास्तविक भुगतान के पश्चात् ही 25 प्रतिशत की सीमा तक है। यह सुविधा 5 वर्ष तक प्रदान की गई है।

(12) चुंगी कर से छूट :–

राज्य सरकार ने दिनांक 1–4–68 से 31–3–79 के दौरान स्थापित नए उद्योगों द्वारा उपभोग किए गए कच्चे माल पर या पुराने उद्योगों के मामलों में अतिरिक्त उत्पादन कर चुंगी कर से छूट दी है। यह छूट औद्योगिक इकाइयों द्वारा खरीदे गए संयंत्र एवं मशीनरी पर और नई औद्योगिक इकाइयों के निर्माण और विरचना, या विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए प्रयुक्त सामग्री पर भी लागू है।

(13) बिक्री कर में रियायत:–

वस्त्र, मृतिका सिरेमिक कोच, सीमेंट अभियांत्रिकी, शक्कर, धातु और खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए खरीदी गई सभी मशीनों पर बिक्री कर में छूट दी गई है। राजस्थान में अधिसूचित उद्योगों के बेचे जाने वाले कच्चे माल पर नाम मात्र का 1 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता है।

(14) अधिमान मूल्य (प्राइस प्रिफ़ेन्स):–

सरकारी विभाग और निगम बड़े पैमाने और मध्यम पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योग के उत्पादनों की सरकारी खरीद के लिये 15 प्रतिशत मूल्य में अधिमान देते हैं और बाहर के उद्योगों की अपेक्षा राजस्थान के बड़े पैमाने एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों को 3 प्रतिशत मूल्य की प्राथमिकता देते हैं।

(15) इक्विटी सहभागिता:–

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए ई. टी. सहभागिता और अधिमान शेयर पूंजी की सुविधा प्रदान करता है।

(16) परीक्षण सुविधायें:–

मानकीकरण के लिए नाम मात्र की दर पर परीक्षण सुविधायें उद्योग विभाग, जयपुर की रसायन प्रयोगशाला, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर और जोधपुर एवं सेंन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान, पिलानी में उपलब्ध है।

(17) परीक्षण उपस्कर आर्थिक सहायता:–

उद्योग विभाग परीक्षण उपस्कर की कीमत के 50 प्रतिशत की सीमा तक या प्रति प्रार्थी प्रतिवर्ष 500 रु. की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, परीक्षण उपस्कर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह योजना दिनांक 1–4–74 से लागू की गई और दिनांक 31–3–79 तक जारी रहेगी।

(18) आई. एस. आई. प्रमाणान चिन्ह योजना :–

भारतीय मानकीकरण संस्थान, नई दिल्ली से (आई.एस.आई) मानक चिन्ह प्राप्त किया जा सकता है। उनका एक कार्यालय जयपुर में भी स्थापित किया गया है।

(19) तकनीकी सहायता:–

राज्य का उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान (आई.एस.आई.) और राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लघु उद्योगों को उत्पादन की जानकारी दिशाओं को चुनने एवं अन्य प्रक्रियाओं के जानने हेतु तकनीकी सहायता-परामर्श प्रदान करता है।

(20) निर्यात संवर्धन :–

राजस्थान में निर्यात संवर्धन के लिए नामत: राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम दो निर्यात केन्द्र हैं जो कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादनों के निर्यात का संवर्धन करते हैं।

(21) कच्चा माल:—

लोहा और इस्पात, कोयला, मोम, फैटी-एडि. आदि जैसे दुर्लभ कच्चेमाल का वितरण राजसिकों के 15 डिपो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर और उदयपुर द्वारा किया जाता है।

(22) अभियान्त्रिकी उद्यमियों को ब्याज में आर्थिक सहायता:—

उद्योग विभाग, तकनीकी तंत्री उद्यमियों के मामले में पिछड़े जिलों में 5 वर्ष और अन्य जिलों में 3 वर्ष के लिये वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋणों पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज एवं सामान्य दर के ब्याज के बीच के अन्तर के लिए आर्थिक सहायता देता है।

(23) औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण/परिच्छेदिका (प्रोफाइस)

जिलेवार औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट, योजना-परिच्छेदिका उद्योग निदेशालय, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, एस.आई.एस.आई. आई.डी.बी.आई., आर एम.आई.सी., आर. एफ.सी. में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(24) हाथकर्घा विकास योजनाओं के अधीन सुविधाएं:—

(क) राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल:—

गैर सरकारी खंड में विभिन्न हाथकर्घा विकास गतिविधियों में समन्वय एवं उनके कार्यान्वियन के लिए सन् 1975 में राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल का गठन किया गया है। वर्तमान में, मंडल की गतिविधियां निम्नलिखित 11 जिलों तक सीमित हैं। इन जिलों के नाम जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जालौर, कोटा, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक और पाली हैं। मंडलकर्घा और उनके सहायता उपकरणों की खरीद के लिए व्यक्तिगत बुनकरों को 50—75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देता है। और बाकी राशि के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण सहायता देता है। मंडल ब्याज की सस्ती दरों पर बैंकों की मार्फत कार्यशील पूंजी ऋण (वर्किंग केपीटल लघु लोन) भी दिलवा देता है। मंडल राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से अपनी निर्यात अभिव्यस्त (एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड) उत्पादन योजना को निष्पादित करता है।

(ख) राजस्थान राज्य बुनकर, सहकारी संघ लि., जयपुर:—

इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में सम्बद्ध सहकारी बुनकर समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके उत्पादन के विपणन की व्यवस्था करना है। यह व्यवस्था इनके बिक्री केन्द्र जयपुर व अलवर द्वारा की गई है।

(ग) उद्योग विभाग की योजना:—

नई डिजाइन एवं तकनीकी प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक/डिजाइनर है। डी.आर.आई. योजना के अधीन बैंकों के जरिए व्यक्तिगत बुनकरों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। आर.बी.आई. योजना के अधीन केन्द्रीय सहकारी बैंक के जरिए समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल के पेटर्न पर एक योजना के विचाराधीन जिसके अन्तर्गत मंडल द्वारा शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों में हाथकर्घा और उनके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता और ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। विभाग भी अनुमोदित हाथकर्घा सहकारी समितियों को उनकी बिक्री पर 5 प्रतिशत दर से छूट देता है।

25. विपणन सहायता:

राजस्थान लघु उद्योग निगम ने व्यापारिक केन्द्र एवं औद्योगिक म्यूजियम जयपुर में प्रतिष्ठापित किया है जहां वे लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादनों का प्रदर्शन एवं व्यापार करते हैं। निगम सामग्री प्राप्ति पर इकाइयों को 90 प्रतिशत अग्रिम देता है एवं बाकी 10 प्रतिशत का भुगतान बिक्री होने के बाद किया जाता है। व्यापार केन्द्र भी 15 प्रतिशत अभिमान्य मूल्य (प्राइसप्रिफ़ेन्स) का हकदार है।

26. हस्तशिल्प का विकास:

राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम राजस्थान के हस्तशिल्प के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन करता है तथा शिल्पियों को सामान्य सुविधायें एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। हस्तशिल्प डिजाइन, विकास अनुसंधान केन्द्र संचालित करता है और अपने एम्पोरियम के जरिये विपणन की व्यवस्था करता है। निगम अपने डिजाइन केन्द्र जयपुर और हस्तशिल्प के कच्चा माल डिपो नाथद्वारा के जरिये कच्चे माल की सप्लाई करता है। निगम शिल्पियों को उनके द्वारा की जाने वाली सप्लाई के सम्बन्ध में ऋण भी देता है निगम के जरिये हस्तशिल्प सामग्री का निर्यात भी किया जाता है।

27. खादी एवं ग्रामोद्योग:

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर द्वारा विशिष्ट खादी एवं ग्रामोद्योग तथा खादी सूती, ऊनी एवं जटपट्टी धान्य एवं दलहन के संशोधन, ग्राम्य चर्म उद्योग, ग्राम्य तेल उद्योग, घरेलू माचिस उद्योग, गुड़ एवं खाण्डसारी, अखाद्य तेल और साबुन, हस्तनिर्मित कागज, मधु मक्खी पालन, तंतु फाइबर मृदभांड (पोटरी), बढ़ईगिरी, चूना, विनिर्माण, ताड़गुड़, गोंद, राल, फल संसाधन तथा गोबर गैस संयंत्र के संरक्षण एवं विकास के कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ऐसे उद्योगों में लगे संस्थानों, समितियों और व्यक्तियों को सचिव/राजस्थान खादी ग्रामोद्योग मंडल से खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित पेटर्न के अनुसार ऋण, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए संपर्क करना पड़ता है। इसका उद्देश्य परम्परागत उद्योगों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी को दूर करना और ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में विस्थापित होने से रोकना है। अब ग्रामोद्योगों को भी जिला अधिकारियों द्वारा पंजीयन करने के आदेश दिये हैं ताकि अन्य उद्योगों को दी जाने वाली रियायतें, सुविधायें इनको भी उपलब्ध हो सकें।

Page No 210

(218)

लवण क्षेत्र डीडवाना के अनुसूचित जाति के उत्पादकों एवं अन्य व्यक्ति की शिकायतों पर विचार

808. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लवण क्षेत्र डीडवाना में सोडियम सल्फेट प्रबन्धक देशवाली उत्पादकों को 3/– रुपया प्रति क्वि. तथा अनुसूचित जाति व उत्पादकों को पूर्व में तो 1/–रुपया प्रति क्वि. तथा अब 2/– रुपया प्रति क्वि. भुगतान करती है ?

(2) क्या इसी तरह नमक ढुलाई के देशवालियों को तो प्रति क्वि. 0.75 पैसे तथा अन्य को 0.25 पैसे से 0.46 पैसे प्रति क्वि. दिये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबध में अनुसूचित जाति के उत्पादकों एवं अन्य लोगों ने राज्य सरकार को अनेक शिकायतें पेश की हैं ?

(4) राज्य सरकार इस असमानता को मिटाने के लिए क्या कर रही है ?

(5) राज्य सरकार का इस भारी असमानता के बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

(1) पीढ़ियों से कार्यरत देशवाली उत्पादकों को नमक के उत्पादन की दरें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रु. 1.50 प्रति क्विंटल तय की गई थी। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में हुए समझौते के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि भविष्य में नमक उत्पादन की दर निर्धारण हेतु एक समिति बनाई जावे जिसमें देशवालों के चार प्रतिनिधि व राज्य सरकार के चार प्रतिनिधि होंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता राजकीय उपक्रम मंत्री या किसी सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसे राज्य सरकार मनोनीत करे।

उक्त निर्णयानुसार अब तक दो बैठकें हुई जिनमें निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई :—

		रु.
1.	एक सितम्बर, 76 से जून, 77 तक	1.75 प्रति क्विंटल
2.	1-7-77 से 30-6-78 तक	2.50 प्रति क्विंटल

उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि दरों का निर्धारण प्रबन्धक, सोडियम सल्फेट, डीडवाना के द्वारा नहीं किया जाता है।

उपरोक्त उत्पादकों के अतिरिक्त विभाग ने कुछ विभागीय क्यारियां दस वर्ष के लिए पट्टे पर कुछ उत्पादकों को आवंटित की हैं जिन्हें पट्टे की शर्तों के अनुसार रु. 1/– प्रति क्विंटल की दर से नमक उत्पादन की मजदूरी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त फैक्टरी क्षेत्र में भी कुछ क्यारियां उत्पादकों को एक वर्ष के लिए पट्टे पर दी हैं जिन्हें भी एक रुपया प्रति क्विंटल की दर से नमक उत्पादन की मजदूरी दी जाती थी। इन उत्पादकों में सभी जाति के पट्टे धारक हैं जैसे देशवाल, माली, जाट, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति के व्यक्ति आदि। मानवीय दृष्टिकोण को मद्दे नजर रखते हुए एवं इनसे प्राप्त आवेदनों पर

(राजकीय उपक्रम मंत्री)
विचार कर इन्हें नमक उत्पादन दर रु. 1/- प्रति क्विंटल के स्थान पर दिनांक 1-7-77 से 2/-प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने वर्ष 76–77 में पीढ़ियों से कार्यरत देशवाली उत्पादकों को ढुलाई की दरें 0.75 पैसे प्रति क्विंटल देना निश्चय किया था जिसके अनुसार उन्हें भुगतान किया जा रहा है। पट्टेधारकों को 0.41 पैसे से 0.46 पैसे तक ढुलाई की दरें दूरी के अनुसार निर्धारित की हुई है। जिसके अनुसार उन्हें भुगतान किया जाता है। देशवालों की दरें रु. 0.75 पैसे जो निश्चित की गई हैं व न्यायालय में हुए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मनोनीत समिति के द्वारा निश्चित की गई है।

(3) पट्टेधारकों से जिनमें सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं, आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे उन पर विचार कर एवं मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखकर नमक उत्पादन की दरों में रु. 1/–प्रति क्विंटल से रु. 2/–प्रति क्विंटल की दरें दिनांक 1–7–77 से निर्धारित कर दी गई है जिसके अनुकूल उन्हें भुगतान किया जा रहा है।

(4) पीढ़ियों से कार्यरत देशवाली उत्पादकों को नमक के उत्पादन की दरें सर्वोच्च न्यायालय में हुए समझौते की शर्तों के आधार पर समिति के द्वारा निर्धारित दरों पर दी जानी है क्योंकि इन्हें नमक बनाने का अधिकार प्राप्त है। अतः उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया अलग है। जबकि पट्टेधारकों को नमक बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है और वे केवल पट्टे की शर्तों के अनुसार ही नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। अतः दोनों को वर्तमान में समान स्तर पर लगाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) पट्टेधारकों के द्वारा विभागीय क्यारियों को दस वर्ष के लिये पट्टे पर लेते समय नमक उत्पादन की दरें रु. 1/–प्रति क्विंटल लेना निश्चित किया गया था जिसका विभाग के द्वारा पूर्णतया पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टेधारकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श कर एवं मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए इन दरों में दिनांक 1–7–77 से बढ़ोत्तरी कर दी गई हैं जिससे उत्पादकों को अपने काम का सही मुआवजा मिले जिसके लिये पट्टे की शर्तों के अनुसार विभाग बाध्य नहीं था।

जवाजा क्षेत्र के हस्तकला एवं गृह उद्योगों को ऋण की योजना

309. श्री नूरा (मसूदा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अहमदाबाद के किन्हीं आर्थिक औद्योगिक विशेषज्ञों की योजना बैंक ऑफ बड़ौदा से जवाजा जिला अजमेर में बड़े पैमाने पर हस्तकला और गृह उद्योगों के लिये ऋण दिलाया गया है?

(2) ऐसे कितने उद्योग हैं और उनमें से कितनी इकाइयां पंजीकृत हुई हैं व कितनी राशि ऋण और अनुदान के रूप में प्राप्त की जा चुकी है?

(श्री नूरा)

(3) इन इकाइयों से क्या माल उत्पादित हुआ है और उसकी खपत की क्या स्थिति है ?

(4) इन इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया है और उन्हें प्रति व्यक्ति क्या मजदूरी प्राप्त होती है ?

(5) उक्त योजना किस उद्योग समूह की है और विशेषज्ञ का क्या नाम है तथा इन हस्त और गृह उद्योगों से उनका क्या संबंध है उसमें उनको क्या लाभ मिल रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अहमदाबाद के आर्थिक औद्योगिक विशेषज्ञों द्वारा कोई योजना ग्राम जवाजा जिला अजमेर में नहीं चल रही है। लेकिन इण्डियन कौंसिल ऑफ सोसियल साइन्स रिसर्च के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट है जो वर्ष 1975 से इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ मेनेजमेन्ट, अहमदाबाद द्वारा इस गांव में चलाई जा रही है। तथा इस गांव में बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 81 शिल्पियों व दस्तकारों को 2,35,000) रु. का ऋण दिया गया है।

(2) ग्राम जवाजा में जिन घरेलू व कुटीर उद्योगों के लिए बैंक से ऋण दिया गया है उनकी संख्या 81 है। इनमें से किसी भी उद्योग ने विभाग में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इन उद्योगों को बैंक आफ बड़ौदा द्वारा 2,35,000) रुपये का ऋण दिया गया है तथा मार्जिनल फार्मर्स एण्ड एग्रीकल्चर लेबर्स योजना के तहत 8000) का अनुदान दिया गया है।

(3) इन कुटीर व घरेलू उद्योगों द्वारा उन्नत तरीकों से चमड़ा रंगना व दरियां, चद्दरें व पर्दे आदि बनाना है। पकाये हुए चमड़े से बेग्स व बेल्ट भी बनाये जाते हैं। उत्पादित माल की बिक्री में कठिनाई महसूस होती है।

(4) ये ग्रामीण एवं घरेलू उद्योग स्वयं ग्रामीण शिल्पियों व दस्तकारों द्वारा चलाये जाते हैं। जिसमें इनके परिवार के सदस्य सहित करीब 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है। तथा प्रत्येक शिल्पी/दस्तकारों को करीबन रुपये 15 से 18 तक प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती है।

(5) उक्त योजना किसी उद्योग समूह की नहीं है। बल्कि इण्डियन काउंसिल आफ सोसियल साइन्स रिसर्च के अन्तर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट है। जिसको इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद के प्रोफेसर रवि. जे. मथाई चला रहे हैं। श्री मथाई का किसी भी प्रकार का वित्तीय सम्पर्क इन कुटीर एवं घरेलू उद्योगों के कामगारों से होना नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 566 की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत उद्योग की अनुसूची

खादी

सूती, ऊनी एवं रेशमी खादी

ग्रामोद्योग

1. ग्रामीण घाणी तेल
2. गुड़ खण्डसारी उद्योग
3. ग्रामीण चर्मोद्योग
4. ग्रामीण कुम्हारी
5. अनाज दाल प्रसाधन
6. लुहारी सुथारी उद्योग
7. अखाद्य तेल साबुन
8. हाथ कागज उद्योग
9. बांस बेंत उद्योग
10. रेशा उद्योग
11. कलई चूना
12. ताड़ गुड़ उद्योग
13. मधुमक्खी
14. कुटीर दियासलाई
15. फल प्रसाधन
16. लाख उद्योग
17. वनोषधि संग्रह
18. गोंद संग्रह, कत्था संग्रह
19. गोबर गैस
20. एल्यूमीनियम बर्तन
21. फटाखा उद्योग
22. मोमबत्ती निर्माण
23. अगरबत्ती निर्माण

राजस्थान को आवंटित तकुओं की सूची

क्र. सं.	नाम इकाई	तकुए	दिनांक स्वीकृति
1.	मैसर्स गणपति वूलन मिल्स, बीकानेर	600	16-10-75
2.	,, भारत वूलन मिल्स, बीकानेर	1200	21-6-75
3.	,, एच. के. वूलन मिल्स, बीकानेर	600	24-9-77
4.	,, चालानी वूलन मिल्स, बीकानेर	200	20-8-77
5.	,, राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पो. लि. जयपुर (जालौर)	600	22-10-77
6.	,, दी मैनेजिंग डाइरेक्टर, आर.आई.एम. डी.सी., जयपुर	1200	20-1-77
		1200	11-8-77
		1200	11-8-77
		1200	12-8-77
7.	,, अग्रवाल वूलन मिल्स, बीकानेर	600	22-6-77
8.	,, प्लाइडीफीगर्स एण्ड टैक्सटाइल कार्पो. बम्बई–8, बीकानेर	600	22-6-77
9.	,, स्वास्तिक वूलन मिल्स, बम्बई (अलवर के लिए)	600	19-7-77
10.	,, वूल स्पिनर्स, बम्बई (अलवर के लिए)	1200	20-8-77
11.	,, इण्डिया कारपेट्स एण्ड फर्निशिंग कं., जयपुर	600	20-8-77
12.	,, मकूल इण्डिया, भीलवाड़ा	600	25-8-77
13.	,, कमल कारपेट्स, बीकानेर	600	20-8-77
14.	,, परमेश्वरी वूलन मिल्स, बीकानेर	300	22-10-77
15.	,, जनता कार्डिंग एण्ड स्पिनिंग इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	200	22-10-77
16.	,, त्रिलोक स्पिनिंग मिल्स, सीकर	300	22-10-77
17.	,, जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर	720	18-4-77
18.	,, महावीर वूल इण्डस्ट्रीज	300	18-4-77
19.	,, जगदम्बा वूल मिल्स, मेड़तासिटी, नागौर	300	22-10-77
20.	,, बजाज वूलन मिल्स, केकड़ी, (अजमेर)	600	18-10-75
21.	,, राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, लि. गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	1200	22-9-77
		16720	

उपरोक्त 16720 तकुओं में से 9820 तकुए शहरों में 1200 तकुए कस्बों में तथा 5700 तकुए गांवों में स्थापित किये गये/जाने हैं।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 567 की सूची)

राजस्थान में मोमबत्ती बनाने वाली इकाइयों की सूची जिनको मोम का कोटा दिया जा रहा है

क्रम. संख्या	इकाई का नाम
1	2
1.	मेसर्स कृष्णा प्रोडक्ट्स, जयपुर
2.	,, राज केण्डल वर्क्स, जयपुर
3.	,, शंकर मोमबत्ती उद्योग, जयपुर
4.	,, इण्डियन वर्क्स प्रोडक्ट्स, जयपुर
5.	,, बिमल कोटेज इण्डस्ट्रीज, जयपुर
6.	,, राजस्थान इण्डस्ट्री (वैक्स प्रोडक्ट्स) जयपुर
7.	,, महेश गृह उद्योग संस्थान, जयपुर
8.	,, गर्ग ट्रेडर्स, जयपुर
9.	,, लिबर्टी केण्डल वर्क्स, जयपुर
10.	,, विनीत उद्योग, जयपुर
11.	,, अग्रवाल केमिकल वर्क्स, जयपुर
12.	,, कुंज बिहारी सारड, रेनवाल, जयपुर
13.	,, सोहन एण्ड कम्पनी, जयपुर
14.	,, राजस्थान वैक्स प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्री, जयपुर
15.	,, आदर्श इण्डस्ट्री, जयपुर
16.	,, ज्योती उद्योग, जयपुर
17.	,, जेरमल ट्रेडर्स, जयपुर
18.	,, महेश मोमबत्ती उद्योग, जयपुर
19.	,, गीता लघु उद्योग, जयपुर
20.	,, आभा लघु उद्योग, जयपुर
21.	,, खण्डेलवाल केमिकल इण्डस्ट्रीज, जयपुर
22.	,, एम.जी. इण्डस्ट्रीज, जयपुर
23.	,, राज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, जयपुर
24.	,, शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, जयपुर
25.	,, एगसन्स केण्डल्स, जयपुर
26.	,, जयपुर वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर
27.	,, चिमाको केमिकल्स, जयपुर

Page No 216

216

1	2
28.	मैसर्स उषा ट्रेडर्स, जयपुर
29.	,, शिवकोटेज इण्डस्ट्रीज, जयपुर
30.	,, कला वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर
31	,, ईश्वर मोमबत्ती भण्डार, जयपुर
32.	,, श्री भगवती उद्योग, जयपुर
33.	,, मधुबाला केमिकल्स, जयपुर
34.	,, श्री श्याम उद्योग, जयपुर
35.	,, गोविन्द केण्डल इन्डस्ट्री, जयपुर
36.	,, अग्रवाल परफ्यूमरी वर्क्स, जयपुर
37.	,, लिटवेल प्रोडक्ट्स (इण्डिया) जयपुर
38.	,, श्री राम केण्डल वर्क्स, जयपुर
39.	,, दुर्गा मोमबत्ती उद्योग, जयपुर
40.	,, प्रेम गृह उद्योग, जयपुर
41.	,, स्नेह उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर
42.	,, वैस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जयपुर
43.	,, प्रताप (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज, जयपुर
44.	,, कलात्मक मोमबत्ती उद्योग, जयपुर
45.	,, जैन उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर
46.	,, गुप्ता इन्डस्ट्रीज, जयपुर
47.	,, राजस्थान केमिकल सप्लायर्स, जयपुर
48.	,, विक्ट्री केण्डल्स, जयपुर
49.	,, गुप्ता मोमबत्ती उद्योग, जयपुर
50.	,, रतन मोमबत्ती वर्क्स, जयपुर
51.	,, जयकिशन माहेश्वरी, जोधपुर
52.	,, बिरला उद्योग, जोधपुर
53.	,, अम्बिका ट्रेडर्स, जोधपुर
54.	,, महेश स्नफ फैक्ट्री, जोधपुर
55.	,, प्रकाश इन्डस्ट्रीज, जोधपुर
56.	,, नवीन गृह उद्योग, जोधपुर
57.	,, तापड़िया प्रोडक्टस (इण्डिया) जोधपुर
58.	,, उषा केण्डल्स, अलवर
59.	,, हिन्दुस्तान प्रोडक्ट्स, अलवर
60.	,, व्यास सिलिंग वैक्स एण्ड केण्डल वर्क्स, अलवर

1	2
61.	मैसर्स मिलन ट्रेडर्स, अलवर
62.	,, सुभाष केण्डल वर्क्स, अलवर
63.	,, स्वास्तिक केमिकल इन्डस्ट्रीज, अलवर
64.	,, गुप्ता केमिकल वर्क्स, अलवर
65.	,, प्रिन्स केलेण्डर कारपोरेशन, अलवर
66.	,, तनसुखलाल कन्हैया लाल जैन, अलवर
67.	,, महावीर मोमबत्ती वर्क्स किशनगढ़ गंज (अलवर)
68.	,, जे. के. एस. इन्डस्ट्रीज, अलवर
69.	,, कैलाश मोमबत्ती उद्योग, अलवर
70.	,, गिरराज प्रसाद वेद प्रकाश खण्डेलवाल, अलवर
71.	,, राज सोप फैक्ट्री खेरथल मंडी (अलवर)
72.	,, ईनानी गृह उद्योग, भीलवाड़ा
73.	,, मदनलाल परसराम पुरिया, भीलवाड़ा
74.	,, वास्का इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा
75.	,, लक्ष्मी केण्डल मैन्यू. कम्पनी, भीलवाड़ा
76.	,, महावीर वैक्स प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा
77.	,, विजय कुमार जयप्रकाश नारायण, भीलवाड़ा
78.	,, श्री नाथ सोप एण्ड केण्डल वर्क्स भीलवाड़ा
79.	,, कृष्णा केण्डल वर्क्स, भीलवाड़ा
80.	,, सुशील कुटीर उद्योग, भीलवाड़ा
81.	,, महावीर केण्डल वर्क्स, अजमेर
82.	,, मोहिनी केण्डल एण्ड दीपक मेकर्स, अजमेर
83.	,, जय रामदास हसमत राय, अजमेर
84.	,, शंकर अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर
85.	,, सरस्वती केण्डल वर्क्स, अजमेर
86.	,, अजय इन्डस्ट्रीज, अजमेर
87.	,, शिवाजी अगरबत्ती एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर
88.	,, किशोर कुमार दोषी, ब्यावर (अजमेर)
89.	,, पुष्पा केमिकल्स, पीसांगन (अजमेर)
90.	,, गुरुनानक आयल एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर
91.	,, मूनलाईट केण्डल्स, दादा भाई क्वाटर्स, अजमेर
95.	,, लक्ष्मी गृह उद्योग, अजमेर
93.	,, मलहोत्रा इन्डस्ट्रीज, अजमेर

1	2
94.	मैसर्स शर्मा वर्क्स उद्योग, अजमेर
95.	,, मून राईट केण्डल्स, मोती कटला, अजमेर
96.	,, अजय पाल केमिकल इन्डस्ट्रीज, अजमेर
97.	,, देवी केण्डल वर्क्स, किशनगढ़ (अजमेर)
98.	,, बाबा मोमबत्ती उद्योग, ब्यावर (अजमेर)
99.	,, सूर्य अगरबत्ती मोमबत्ती वर्क्स, अजमेर
100.	,, श्रीनाथ मोमबत्ती उद्योग, किशनगढ़ (अजमेर)
101.	,, भाटिया इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, अजमेर
102.	,, रायल केण्डल एण्ड अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर
103.	,, राजेन्द्र केण्डल वर्क्स, बीकानेर
104.	,, राजस्थान केण्डल वर्क्स, बीकानेर
105.	,, बंशीवाला कोटेज एम्पोरियम, बीकानेर
106.	,, राष्ट्रीय उद्योग भवन, बीकानेर
107.	,, सुषमा मोमबत्ती उद्योग, बीकानेर
108.	,, गिरधरलाल गोपाल दास, बीकानेर
109.	,, शंकर इन्डस्ट्रीज एण्ड केण्डल वर्क्स, उदयपुर
110.	,, ऐंकी फेंकी एण्ड कम्पनी, उदयपुर
111.	,, पंडित केमिकल वर्क्स, उदयपुर
112.	,, मन्सुरी इन्डस्ट्रीज, उदयपुर
113.	,, नोरतन केमिकल इन्डस्ट्रीज, उदयपुर
114.	,, मधु मैन्यू, उदयपुर
115.	,, सिराज केमिकल इन्डस्ट्रीज, कांकरोली (उदयपुर)
116.	,, राजस्थान केण्डल्स एण्ड तारपोलिन वर्क्स, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
117.	,, जय भारत सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
118.	,, श्री गोपाल सोप एण्ड केमिकल एण्ड स्माल कोटेज इन्डस्ट्रीज, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)
119.	,, राजू एण्ड ब्रदर्स हिण्डोन सिटी (सवाई माधोपुर)
120.	,, आदर्श गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (सवाई माधोपुर)
121.	,, जैम्स एजेन्सी, सवाई माधोपुर
122.	,, जसवाल गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (सवाई माधोपुर)
123.	,, नवीन गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (सवाई माधोपुर)
124.	,, बनवारीलाल संतोषकुमार, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)
125.	,, श्री मोमबत्ती उद्योग, खण्डेला (सीकर)

Page No 219

219

1	2

126. मैसर्स स्वास्तिक इन्डस्ट्रीयल वर्क्स, सीकर
127. ,, शर्मा मोमबत्ती उद्योग, पो. वि. कुर्ली (सीकर)
128. ,, प्रकाश इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, सीकर
129. ,, विनोद परफ्यूमरी एण्ड केमिकल वर्क्स, रींगस (सीकर)
130. ,, तंवर मोम इन्डस्ट्रीज, खण्डेला (सीकर)
131. ,, शंकर इन्डस्ट्रीज, कोटा
132. ,, प्रकाश ब्रदर्स, कोटा
133. ,, चेतन एण्ड मुकेश इन्टरप्राईजेज, कोटा
134. ,, श्री राम मोमबत्ती वर्क्स, कोटा
135. ,, डिक्की एन्टरप्राईजेज, कोटा
136. ,, गणेश मैन्यू. कम्पनी, श्रीगंगानगर
137. ,, गोल्डन गणेश मैन्यू. कम्पनी, श्रीगंगानगर
138. ,, जैन केमिकल वर्क्स, रायसिंहनगर (गंगानगर)
139. ,, सुभाष केमिकल वर्क्स, हनुमानगढ़ (गंगानगर)
140. ,, जैन रबर एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, श्री गंगानगर
141. ,, आनन्द यज्ञशाल फैक्ट्री, श्रीगंगानगर
142. ,, बालाजी मैन्यू. कम्पनी, श्रीगंगानगर
143. ,, सेठी धूप फैक्ट्री, श्रीगंगानगर
144. ,, जगदीश केण्डल वर्क्स, हनुमानगढ़ टाउन (श्री गंगानगर)
145. ,, गोयल उद्योग, भरतपुर
146. ,, प्रकाश केण्डल इन्डस्ट्री, धौलपुर (भरतपुर)
147. ,, गीता गृह उद्योग रुदावल (भरतपुर)
148. ,, कनक सोप फैक्ट्री, भरतपुर
149. ,, श्री मोमबत्ती उद्योग, भरतपुर
150. ,, नीलम केमिकल्स, भरतपुर
151. ,, सरस्वती सेफ्टी फायर वर्क्स, भरतपुर
152. ,, राजस्थान केण्डल इन्डस्ट्रीज, धौलपुर (भरतपुर)
153. ,, भारत केण्डल वर्क्स, बून्दी
154. ,, एम. एम. लालवानी बाड़मेर
155. ,, जनता उद्योग वर्क्स, बाड़मेर
156. ,, दिनेश अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर
157. ,, लक्ष्मी महासुगन्धित अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर
158. ,, लालचन्द लक्ष्मण दास, बाड़मेर

Page No 220

(220)

1	2
159.	मैसर्स सरस्वती कैण्डल वर्क्स, जालौर
160.	,, पाटोदिया मोमबत्ती वर्क्स, झुन्झुनूं
161.	,, महेश इन्डस्ट्री, उदयपुर शेखावाटी (झुन्झुनूं)
162.	,, जैन केण्डल वर्क्स सादुलपुर (चूरू)
163.	,, बी. पी. केण्डल वर्क्स, सुजानगढ़ (चूरू)
164.	,, सारडा इन्डस्ट्रीज, सुजानगढ़ (चूरू)
165.	,, शंकर वर्क्स प्रोडक्टस, नागौर
166.	,, चमक इन्डस्ट्रीज, कपासन (चित्तौड़गढ़)
167.	,, पी. के. केमिकल्स, चित्तौडगढ़
168.	,, लक्ष्मी केण्डल वर्क्स, बांसवाड़ा
169.	,, नरेन्द्र केण्डल वर्क्स, आबूरोड, सिरोही
170.	,, शिव केण्डल वर्क्स, डूंगरपुर

सूची 'ख'

राजस्थान में मोम की खपत करने वाली इकाइयों की सूची जिनको वर्ष 1977 व प्रथम तिमाही वर्ष 1978 के वास्ते नियमित रूप से मोम का आवंटन किया गया।

क्र.सं.	इकाई का नाम	वर्ष 1977 के वास्ते आवंटित किये गये मोम की मात्रा (बोरी में)	प्रथम तिमाही वर्ष 1978 के वास्ते आवंटित किये गये मोम की मात्रा (बोरी में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स कृष्णा प्रोडक्ट्स, जयपुर	53	13
2.	,, राज कैण्डल वर्क्स, जयपुर	22	5
3.	,, इण्डियन प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर	28	विचाराधीन
4.	,, शंकर मोमबत्ती उद्योग, जयपुर	134	33
5.	,, इण्डियन वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर	102	37
6.	,, बिमल कॉटेज इन्डस्ट्रीज, जयपुर	137	45
7.	,, राजस्थान इन्डस्ट्री (वैक्स प्रोडक्ट्स), जयपुर	22	9
8.	,, महेश गृह उद्योग संस्थान, जयपुर	63	13
9.	,, गर्ग ट्रेडर्स, जयपुर	61	15
10.	,, लिबर्टी केण्डल वर्क्स, जयपुर	22	5
11.	,, विनीत उद्योग, जयपुर	22	5
12.	,, अग्रवाल केमिकल वर्क्स, जयपुर	22	5
13.	,, कुंज बिहारी पारडा, रेनवाल, जयपुर	22	5
14.	,, मोहन एण्ड कम्पनी, जयपुर	23	6
15.	,, राजस्थान वैक्स प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्री, जयपुर	237	76
16.	,, आदर्श इण्डस्ट्रीज, जयपुर	22	5
17.	,, स्टाईलो क्रॉफ्ट, जयपुर	125	38
18.	,, ज्योति उद्योग, जयपुर	122	52
19.	,, जेरमल ट्रेडर्स, जयपुर	122	5
20.	,, महेश मोमबत्ती उद्योग, जयपुर	122	5
21.	,, गीता लघु उद्योग, जयपुर	22	5
22.	,, प्रोमा लघु उद्योग, जयपुर	22	5
23.	,, जय उमा शंकर डाइंग एण्ड ब्लॉक प्रिंटिंग वर्क्स सांगानेर (जयपुर)	18	5

1	2	3	4
24.	मैसर्स खण्डेलवाल केमिकल इन्डस्ट्रीज, जयपुर	22	5
25.	,, एम.जी. इण्डस्ट्रीज, जयपुर	60	62
26.	,, आर्केम लेबोरेट्रीज, जयपुर	19	5
27.	,, राज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, जयपुर	22	38
28.	,, शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, जयपुर	22	5
29.	,, एम सन्स केण्डल्स, जयपुर	7	6
30.	,, सोना प्रिन्टर्स, जयपुर	18	5
31.	,, जयपुर वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर	20	5
32.	,, जिमको केमिकल्स, जयपुर	22	5
33.	,, ऊषा ट्रेडर्स जयपुर	22	5
34.	,, अजय इन्टर प्राईजेज, जयपुर	18	5
35.	,, शिव कोटेज इन्डस्ट्रीज, जयपुर	22	5
36.	,, कला वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर	22	5
37.	,, ईश्वर मोमबत्ती भण्डार, जयपुर	22	5
38.	,, भारत पेपर प्रोडक्ट्स, जयपुर	16	विचाराधीन
39.	,, श्री भगवती उद्योग, जयपुर	22	5
40.	,, मधुबाला केमिकल्स, जयपुर	22	5
41.	,, श्री श्याम उद्योग, जयपुर	22	5
42.	,, महावीर रबर वर्क्स, जयपुर	36	14
43.	,, पी.पी. एन्टरप्राइजेज, जयपुर	8	5
44.	,, गोविन्द केण्डल इन्डस्ट्रीज, जयपुर	38	10
45.	,, अग्रवाल परफ्यूमरी वर्क्स, जयपुर	22	5
46.	,, गनेश उत्पादन उद्योग, जयपुर	18	5
47.	,, लिटवेल प्रोडक्ट्स, (इण्डिया) जयपुर	20	5
48.	,, श्रीराम कैण्डल वर्क्स, जयपुर	22	5
49.	,, हंसा केमिकल फार्मेसी, नरायना (जयपुर)	19	5
50.	,, राजस्थान वैक्सेस इन्डस्ट्रीज, जयपुर	445	285
51.	,, दुर्गा मोमबत्ती उद्योग, जयपुर	22	5
52.	,, प्रेम गृह उद्योग, जयपुर	22	5
53.	,, डेन्टोकम लेबोरेट्रीज, जयपुर	18	5
54.	,, स्नेह उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर	22	5
55.	,, अशोक साईजिंग फैक्ट्री, जयपुर	10	5
56.	,, नामदेव डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर	1	5
57.	,, वैस्टर्न इन्डस्ट्रीज, जयपुर	14	5

1	2	3	4
58.	मैसर्स प्रताप (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज, जयपुर	14	5
59.	,, कलात्मक मोमबत्ती उद्योग, जयपुर	16	5
60	,, जैन उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर	16	5
61.	,, गुप्ता इण्डस्ट्रीज, जयपुर	11	5
62.	,, राजस्थान केमिकल सप्लायर्स, जयपुर	14	5
63.	,, महालक्ष्मी केमिकल्स, जयपुर	7	5
64.	,, विक्ट्री केण्डल्स, जयपुर	9	5
65.	,, गुप्ता मोमबत्ती उद्योग, जयपुर-	7	5
66.	,, परनामी रबर इण्डस्ट्रीज, जयपुर	4	5
67.	,, रतन मोमबत्ती वर्क्स, जयपुर	—	5
68.	,, ईगल केमिकल्स जयपुर	2504	396 (इनको 886 बोरी बनती है बकाया 400 बोरी माल आने पर आवंटित किया जावेगा)
69	,, मोती केमिकल्स, जयपुर	1329	576
70.	,, रेजिन्स एण्ड केमिकल्स, जोधपुर	1519	172 (इनको 344 बोरी बनती है बकाया माल आने पर दिया जावेगा)
71.	,, जे. के. इन्डस्ट्रीज, कांकरोली (उदयपुर)	150	16
72.	,, जय किशन माहेश्वरी, जोधपुर	22	5
73.	,, किरला उद्योग, जोधपुर	23	5
74.	,, अम्बिका ट्रेडर्स, जोधपुर	22	5
75.	,, महेश स्नफ फैक्ट्री जोधपुर	116	42
76.	,, प्रकाश इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	22	5

1	2	3	4
77.	मैसर्स राजस्थान पेपर प्रोडक्ट्स, जोधपुर	18	5
78.	,, नवीन गृह उद्योग, जोधपुर	20	5
79.	,, राजस्थान प्रोसेसं, जोधपुर	6	5
80.	,, तापड़िया प्रोडक्ट्स (इण्डिया) जोधपुर . .	—	5
81.	,, अजय टेक्सटाइल्स, जोधपुर	—	16
82.	,, ऊषा केण्डल्स, अलवर	22	5
83.	,, हिन्दुस्तान प्रोडक्ट्स, अलवर	22	5
84.	,, व्यास सिलिंग वर्क्स, एण्ड केण्डल वर्क्स, अलवर	22	5
85.	,, मिलन ट्रेडर्स, अलवर	22	5
86.	,, सुभाष केण्डल वर्क्स, अलवर	22	5
87.	,, स्वास्तिक केमिकल इन्डस्ट्रीज, अलवर	22	5
88.	,, गुप्ता केमिकल वर्क्स, अलवर	22	5
89.	,, प्रिन्स केलेण्डर कार्पोरेशन, अलवर	22	5
90.	,, तनसुखलाल कन्हैयालाल जैन, अलवर	22	5
91.	,, महावीर मोमबत्ती वर्क्स, किशनगढ़ गंज (अलवर)	22	5
92.	,, जे. के. एम. इन्डस्ट्रीज, अलवर	22	5
93.	,, कैलाश मोमबत्ती उद्योग, अलवर	22	5
94.	,, गिरिराज प्रसाद वैद्यप्रकाश खण्डेलवाल, अलवर	22	5
95.	,, राज सोप फैक्ट्री, खैरथल मण्डी, अलवर	16	5
96.	,, ईनानी गृह उद्योग, भीलवाड़ा	24	6
97.	,, मदनलाल परसराम पुरिया, भीलवाड़ा	106	39
98.	,, दारुका इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	13	5
99.	,, लक्ष्मी टेण्डल मैन्यू. कम्पनी, भीलवाड़ा	61	15
100.	,, महावीर वैक्स प्रोडक्टस, भीलवाड़ा	22	5
101.	,, तोषनीवाल लघु उद्योग, भीलवाड़ा	18	5
102.	,, विजयकुमार जय प्रकाशनारायण, भीलवाड़ा	22	5
103.	,, गोखरू केमीकल्स भीलवाड़ा	18	5
104.	,, श्रीनाथ सोप एण्ड केण्डल वर्क्स, भीलवाड़ा	22	5
105.	,, कृष्णा केण्डल वर्क्स, भीलवाड़ा	22	5
106.	,, सुशील कुटीर उद्योग, भीलवाड़ा	22	5
107.	,, ईगल त्रिपाल उद्योग, भीलवाड़ा	7	5
108.	,, महावीर केण्डल वर्क्स, अजमेर	63	16
109.	,, मोहिनी केण्डल एण्ड दीपक मेकर्स, अजमेर	22	5

1	2	3	4
110.	मैसर्स अयराजप्रताप हनमत राय, अजमेर	22	5
111.	,, शंकर-अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर	22	5
112.	,, सरस्वती केण्डल वर्क्स, अजमेर	22	5
113.	,, अजय इन्डस्ट्रीज, अजमेर	22	5
114.	,, शिराजी अगरबत्ती एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर	54	13
115.	,, किशोर कुमार दाधी, ब्यावर (अजमेर)	22	5
116.	,, पुष्पा केमिकल, पीसांगन (अजमेर)	22	5
117.	,, गुरुनानक रायल एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर	61	15
118.	,, मूनलाइट केण्डल्प, दादाम ई क्वार्टर्स, अजमेर	22	5
119.	,, लक्ष्मी गृह उद्योग, अजमेर	6	विचाराधीन
120.	,, मलहोत्रा इण्डस्ट्रीज, अजमेर	21	5
121.	,, शर्मा वैक्स उद्योग, अजमेर	22	5
122.	,, मून लाइट केण्डल्स मोती कटला, अजमेर	22	5
123.	,, अजय पाल केमिकल इण्डस्ट्रीज, अजमेर	22	5
124.	,, केवी केण्डल वर्क्स, किशनगढ़ (अजमेर)	22	5
125.	,, बागा मोमबत्ती वर्क्स, ब्यावर (अजमेर)	22	5
126.	,, गुप्ता वैक्सर्स, अजमेर	18	5
127.	,, सूर्य अगरबत्ता मोमबत्ती वर्क्स, अजमेर	22	5
128.	,, श्रीनाथ मोमबती उद्योग, किशनगढ़ (अजमेर)	22	5
129.	,, कमल पेपर कनवर्स, ब्यावर (अजमेर)	18	5
130.	,, कल्पना पेपर प्रोडक्ट्स, ब्यावर (अजमेर)	18	5
131.	,, भाटिया इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, अजमेर	11	विचाराधीन
132.	,, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, ब्यावर (अजमेर)	3	2
133.	,, रायल कैण्डल्स एण्ड अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर	19	5
134.	,, कमल वैक्सिग वर्क्स, अजमेर	12	5
135.	,, राजेन्द्र कैण्डल्स वर्क्स, बीकानेर	22	5
136.	,, राजस्थान कैण्डल वर्क्स, बीकानेर	242	66
137.	,, बंशीवाला कोटेज एम्पोरियम, बीकानेर	22	5
138.	,, राष्ट्रीय उद्योग भवन, बीकानेर	42	5
139.	,, सुषमा मोमबत्ती उद्योग, बीकानेर	22	5
140.	,, जय श्री महाप्रेस, बीकानेर	7	2
141.	,, गिरधरलाल गोपालदास, बीकानेर	—	5
142.	,, शंकर इन्डस्ट्रीज एण्ड कैण्डल वर्क्स, उदयपुर	22	5

1		2	3	4
143.	मैसर्स	ऐंकी फेंकी एण्ड कम्पनी, उदयपुर	42	10
144.	,,	पण्डित कैमिकल वर्क्स, उदयपुर	22	5
145.	,,	मन्सूरी इन्डस्ट्रीज, उदयपुर	10	2
146.	,,	नोरटन केमिकल इन्डस्ट्रीज, उदयपुर	22	5
147.	,,	मधु मैन्यु., उदयपुर	22	5
148.	,,	शिराज केमिकल इन्डस्ट्रीज, कांकरोली (उदयपुर)	22	5
149.	,,	राजस्थान केण्डल्स एण्ड तारपोलिन वर्क्स गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)	22	5
150.	,,	जयभारत सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, गंगापुरसिटी, सवाई माधोपुर	22	5
151.	,,	श्री गोपाल सोप एण्ड केमिकल एण्ड स्माल कोटेज इण्डस्ट्रीज, गंगापुरसिटी (स. माधोपुर)	22	5
152.	,,	राजू एण्ड ब्रदर्स, हिण्डौनसिटी (स. माधोपुर)	22	5
153.	,,	आदर्श गृह उद्योग, हिण्डौनसिटी (स. माधोपुर)	23	6
154.	,,	जेम्स एजेन्सी, स. माधोपुर	22	विचाराधीन
155.	,,	जसवाल गृह उद्योग, हिण्डौनसिटी (स. माधोपुर)	22	5
156.	,,	नवीन गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (स. माधोपुर)	16	5
157.	,,	बनवारीलाल सन्तोष कुमार, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर)	22	5
158.	,,	देवड़ा डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, फतहपुर शेखावाटी (सीकर)	16	5
159.	,,	श्री मोमबत्ती उद्योग, खण्डेला (सीकर)	22	5
160.	,,	स्वास्तिक इण्डस्ट्रियल वर्क्स, सीकर	22	5
161.	,,	शर्मा मोमबत्ती उद्योग, पी. बी. कुर्ली (सीकर)	22	5
162.	,,	प्रकाश इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, सीकर	22	5
163.	,,	विनोद परफ्यूमरी एण्ड केमिकल वर्क्स, रींगस (सीकर)	22	5
164.	,,	तंवर मोम इण्डस्ट्री, खण्डेला (सीकर)	18	5
165.	,,	शंकर इण्डस्ट्रीज, कोटा	69	25
166.	,,	प्रकाश ब्रदर्स, कोटा	316	97
167.	,,	चेतन एण्ड मुकेश एन्टरप्राइजेज, छबड़ा (कोटा)	10	5
168.	,,	श्रीराम मोमबत्ती वर्क्स, कोटा	22	विचाराधीन
169.	,,	डिक्की एंटरप्राइजेज, कोटा	22	5

1	2	3	4
170.	मैसर्स मिल्की वे इन्डस्ट्रीज, कोटा	18	5
171.	,, आनन्द प्रिंटर्स एण्ड वैक्सर्स, कोटा	18	5
172.	,, गनेश मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर	63	16
173.	,, गोल्डन गणेश मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर	22	5
174.	,, जैन केमिकल वर्क्स, रायसिंहनगर (गंगानगर)	37	9
175.	,, सुभाष केमिकल्स वर्क्स, हनुमानगढ़ (गंगानगर)	24	6
176.	,, जैन रबर एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, श्री गंगानगर	22	5
177.	,, आनन्द ग्रेडबाल फैक्ट्री, श्री गंगानगर	22	5
178.	,, बालाजी मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर	22	5
179.	,, सेठी धूप फैक्ट्री, श्री गंगानगर	22	5
180.	,, जगदीश केण्डल वर्क्स, हनुमानगढ़ टाउन (श्रीगंगानगर)	14	5
181.	,, गोयल उद्योग, भरतपुर	22	13
182.	,, प्रकाश केण्डल इन्डस्ट्रीज, धौलपुर (भरतपुर)	150	57
183.	,, गीता गृह उद्योग रुदावल (भरतपुर)	22	5
184.	,, कनक सोप फैक्ट्री, भरतपुर	22	12
185.	,, श्री मोमबत्ती उद्योग, भरतपुर	22	12
186.	,, नीलम केमिकल, भरतपुर	16	5
187.	,, सरस्वती सैफ्टी फायर वर्क्स, भरतपुर	30	12
188.	,, राजस्थान केण्डल इन्डस्ट्रीज, धौलपुर (भरतपुर)	—	5
189.	,, भारत केण्डल वर्क्स, बूंदी	22	5
190.	,, एम. एम. लालवाणी, बाड़मेर	22	5
191.	,, जनता उद्योग वर्क्स, बाड़मेर	22	5
192.	,, दिनेश अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर	22	5
193.	,, लक्ष्मी महा सुगन्धित अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर	22	5
194.	,, लालचन्द लक्ष्मनदास, बाड़मेर	22	5
195.	,, सरस्वती केण्डल वर्क्स, जालौर	19	विचाराधीन
196.	,, कृष्णा इन्डस्ट्रीज, जालौर	8	5
197.	,, पाटोदिया मोमबत्ती वर्क्स, झुन्झुनू	22	5
198.	,, महेश इन्डस्ट्रीज, उदयपुर शेखावाटी (झुन्झुनू)	22	5
199.	,, जैन केण्डल वर्क्स, सादुलपुर (चूरू)	42	10
200.	,, पी. वी. केण्डल वर्क्स, सुजानगढ़ (चूरू)	22	5
201.	,, सारड़ा इन्डस्ट्रीज, सुजानगढ़ (चूरू)	22	5

1	2	3	4
202.	मैसर्स शकर वैक्स प्रोडक्ट्स, नागौर	20	5
203.	,, चमक इन्डस्ट्रीज, कपासन (चित्तौड़गढ़)	22	5
204.	,, पी. के. केमिकल्स (चित्तौड़गढ़)	6	विचाराधीन
205.	,, लक्ष्मी केण्डल वर्क्स, बांसवाड़ा	22	5
206.	,, नरेन्द्र केण्डल वर्क्स, आबूरोड (सिरोही)	22	5
207.	,, शिव केण्डल वर्क्स, डूंगरपुर	22	5

परिशिष्ट 6

(पता. प्र. सं. 568 की सूची)

जिलेवार कराये गये औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षणों की वर्षवार प्रगति

क्रमांक 1	जिला 2	एस.आई.एस.आई. द्वारा 3	उद्योग विभाग द्वारा 4	आर.एम.आई.डी.सी. द्वारा 5	राजसिको द्वारा 6	टिप्पणी 7
1.	अजमेर	—	—	1976-77 (सी.एट)	—	—
2.	अलवर	1961 •	—	1972 1976–77(सी.एट.)	—	
3.	बांसवाड़ा	1969	1972-73	—	—	—
4.	बाड़मेर	1970/77-78	—	—	—	—
5.	भरतपुर	1960 ❋ 1973-74	1969	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	1959 ❋ 1973-74	—	—	—	—
7.	बीकानेर	1969 ❋ 1975 डी. पी.	—	कमांड एरिया के लिये आर.सी.पी. रिपोर्ट का भाग	—	—
8.	बूंदी	— (एम.एस.आई. द्वारा)	—	1976-77	—	मै. प्रनव कंसलटेंट बंबई द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
9.	चित्तौड़गढ़	1976-77	–	–	–	–
10.	चूरू	1970-71	1973(टी.ई.एस.)	–	–	–
11.	डूंगरपुर	–	–	1972	–	–
12.	गंगानगर	1975-76	–	कमांड एरिया आर.सी.पी. की रिपोर्ट का एक भाग	–	–
13.	जयपुर	1971-72 (आर.एम.डी.सी.) द्वारा प्रकाशित	–	1977-78	–	सी.एट ट्रेनीज द्वारा भ 1972 में तैयार की और आर.एम.आई.डी.सी. ने प्रकाशित की
14.	जैसलमेर	–	1976-77	कमांड एरिया के लिए आर.सी.पी. एरिया का भाग	–	–
15.	जालोर	❀ 1974-75	–	–	–	–
16.	झालावाड़	1968	1976-77	–	–	–
17.	झुंझुनू	1967/72-73	–	–	–	–
18.	जोधपुर	1976	–	1971	–	आलसी. वाई. आई.डी.बी आई. इन 1972 ऑफ विच रिपोर्ट पब्लिश बाई आर.एम.आई.डी.सी.

1 2	3	4	5	6	7
19. कोटा	1969	–	अन्तसरीज के लिये 1976-77❀❀❀	1975-76 (सी.एट)	–
20. नागौर	1962	1974(टी.ई.एस.)	? 1971	–	–
21. पाली	1959	–	? 1971	1977-78	–
22. सीकर	1960 ❀ 1972-73	–	–	–	–
23. सिरोही	1971-72	1977-78	–	–	–
24. सवाईमाधोपुर	•1976-77	–	? 1971	–	–
25. टौंक	–	1972-73	–	–	–
26. उदयपुर	1962 1977-78	–	? 1971	–	–

नोट : टी. ई. एस.—टेक्नो इकानामिक सर्वे (आर. आई. पी.) ? किर्लोस्कर कन्सलटेन्ट के मार्फत
❀ राजसिको द्वारा प्रकाशित ❀❀❀ और चम्बल कमांड एरिया

औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण के आधार पर जिलों में संभावित उद्योगों की सूची
(केन्डीडेट इण्डस्ट्रीज)

जिला अजमेर

क्र.सं.	कन्डीडेट इण्डस्ट्रीज

(आर.एम.आई.डी.सी. / 1975–76)
रिसोर्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. अब्जोरबेन्ट कोटन
2. कोटन जिनिंग एण्ड बेलिंग
3 आयल मिल्स
4. पालवेन्ट एक्स्ट्रेक्सन आफ आयल केक
5. सेमी मेकेनाइज्ड बेकरी

मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. पोर्टलेण्ड सीमेन्ट
2. व्हाइट सीमेन्ट
3. क्वार्टर्स एण्ड फैल्सपार ग्राईन्डिग
4. एसबेसटीज बेनिफिकेशन यूनिट
5. इण्डस्ट्रीज बेस्ड आन माइका
6. गारमेन्ट इण्ड
7. सिरामिक मेटेरियल प्रोसेसिंग

होरटीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. टमेटो केनिंग

लाइव स्टोक बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. केटल एण्ड पोल्ट्री फीड
2. वूलन इण्डस्ट्रीज
3. कारपेट मैन्यू. यूनिट

डिमान्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. मशीन टूल्स असेसरीज
2. इलेक्ट्रिक फैन्स
3. ट्रांजिस्टर रेडियो
4. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक्स
5. अप्लाइन्सेज
6. इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट
7. हैंड आपरेटेड नम्बरिंग मशीन
8. बेटरी आपरेटेड टाय मोटर्स
9. सिन्थेटिक डिटरजेन्ट

जिला अलवर

1. प्रिन्टिग मशीनरी
2. रबर मशीनरी
3. सिरामिक इण्ड.
4. लेदर गुड्स इण्ड.
5. पावर टिल्लरर्स एण्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट

केमिकल बेस्ड इण्ड.

1. बेरियम कम्पाउन्ड मैन्यू.
2 लिथोफीन मैन्यू.
3. वरनिश, रबर एण्ड टैंक इण्ड.
4 ड्रिलिंग मड्स
5. कम्पाउन्डिग विद एसबोस्टोज फाईबर्स
6. रेट पायजन
7. फोटो ग्राफिक सोल्यूशन

एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. टेनरी

बोन क्रशिंग मिल्स
रिसोर्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. रोलर फ्लोर मिल
2. साल्ट एक्स्ट्रेक्शन
3. साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट
4. ग्वार गम

जिला बाड़मेर

(एस.आई. एस. आई. / 1970)

1. वेस्टर्न टाइप शूज
2. बोन क्रसिंग
3. लेदर टेनरी

4. वूलन कारपेटस एण्ड होजरी
5. गोट हैयर टैन्ट

जिला बांसवाड़ा

(डी. आई. 1972-73)

रिसोर्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज

क्र. सं. कन्डीडेट इण्डस्ट्रीज

1. राइप वेस्ड इण्डस्ट्रीज
2. कोटेज टाइप शुगर ब्रिस्टल प्लांट
3. वेस्ट ग्रान ग्राऊड नट एण्ड महुआ सीड
4. पिकलेस चटनी, मसाला, मेन्गो, मुरब्बा, पापड़ जेम एण्ड जेली

काटन बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. जिनिग एण्ड कशिग
2. ग्रबजोरबेन्ट कोटन
3. हैण्डलूम
4. रेडीमेड गारमेन्ट्स
5. यार्न वेस्ड इण्डस्ट्रीज

फोरेस्ट वेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. बेम्बू वेस्ड इण्डस्ट्रीज
2. टिम्बर वेस्ड इण्डस्ट्रीज
3. फोटो फ्रेम एण्ड केसिंग केपिंग
4. मैन्यू. ग्रॉफ वूडन टायज
5. वुड वूल
6. बीड़ी इण्डस्ट्रीज

मिनरल वेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. मैगनीज
2. सोप स्टोन
3. लाइम स्टोन
4. ग्रेफाइट
5. रोक फास्फेट

एनिमल हसबेन्ड्री वेस्ड इण्ड.

1 स्माल यूनिट फार मैन्यू. ग्राफ शूज
2 लेदर ट्रेनिंग
3 बोन क्रशिंग प्लान्ट
4 फिश

डिमान्ड वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. ग्राइस फैक्ट्री
2. केटल फीड
3 बिसकिट एण्ड बेकरी एण्ड कनफैक्शनरी
4 नट्स बोल्ट्स, नेल्स, एण्ड जे. हुक्स
5 वायर नेटिंग एण्ड बारब्ड वायर
6 ग्राटो रिपेयर्स एण्ड सर्विसिंग वर्क्स सोप
7 रोलिंग सटर्स
8. सीमेन्ट एसबेस्टोज, ग्रार. सी. सी. पाइप एण्ड सायल पाइप
9. लाइम सुर्खी सीमेन्ट
10. लार्ज स्केल सेक्टर

सजेसन फार ए स्पिनिग मिल

1. मिनी प्लांट फोर मैन्यू. ग्राफ सीमेन्ट

जिला भरतपुर

(एस. ग्राई. एच. ग्राई. 1975)

1. खस सेन्ट परफ्यूम्स
2. बाईसिकल टायर
3. केटल फीड
4. सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस
5 कोयल स्प्रिंगिग
6. मेलियबल ग्राइरन फाऊन्ड्री
7 मिक्सड फरटिलाइजर
8 सालवेन्ट एक्सट्रैक्सन ग्राफ ग्रायल
9 कोल्ड स्टोरेज
10. मोजाइक फ्लोर टाइल्स, डोग्रर फ्रेम्स

(234)

11. फोर्जिंग यूनिट्स
12. नान फेरस फाउन्ड्री
13. ग्लास सेल फोर इलेक्ट्रीक्स बल्बस
14 इण्डस्ट्रीयल थर्मामीटर
15 लिक्विड गोल्ड, ब्रस्टर एण्ड शिरामिक स्टेन्स
16 बोन मिल्स

जिला भीलवाड़ा

(एस.आई एस.आई 1975)

क्र.सं.	कन्डीडेट इण्डस्ट्रीज
1.	सोप स्टोन ग्रिक्स
2.	वेस्ट माइका ग्राइंडिंग
3.	केटल फीड
4.	कोटन सीड ग्रायल
5.	पेपर कोन्स
6.	सो. ग्राइ. फाउन्ड्री
7.	पोरसिलन इनसूलेटर्स एण्ड कोमन क्रोकरी
8.	कार्ड बोर्ड बोक्सेज
9.	सर्जिकल कोटन
10.	स्क्रीन प्रिन्टिंग
11.	साल्वेन्ट एक्सट्रेक्सन ग्राफ ग्रायल
12.	सैन्ट्रीफ्यूगल पम्पस
13.	एग्रो इंजीनियरिंग (सर्विस यूनिट वर्क्स सोप)
14.	बेकेलाइट इलेक्ट्रिक ग्रसेसरीज
15.	एक्सरसाइज बुक एण्ड ग्रलाइड प्रोडक्ट्स
16.	वूलन फेल्टस एंड नमदा
17.	सेमी क्राम टेनरी
18.	मोजाइक टाइल्स.

जिला चित्तौड़गढ़

(एस.ग्राई.एस.ग्राई. 1975–76)

एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. स्ट्रा बोर्ड
2. बेलेन्सड कैटल फीड
3. खांडसारी मैन्यू
4. सोलवेन्ट एक्सट्रेक्सन प्लान्ट
5. कोटन सीड ग्रायल
6. स्टार्च फैक्ट्री
7. दाल मिल
8. रोप फ्रोम सन हम्प
9. हैयर ग्रायल एण्ड कासमेटिक
10. ग्राइस प्लान्ट एण्ड कोल्ड स्टोरेज
11. किचन स्पासेज
12. नीम एण्ड महुग्रा ग्रायल
13. सर्जिकल काटन

डिमान्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. पेपर एण्ड बेस्ड ग्रान बम्बु
2. बुगन केसिंग केबिन
3. लेदर टैनरी
4. पी.वी.सी. शूज एण्ड चप्पल
5. बिल्डिंग हार्ड वेयर्स
6. रेडीमेड गारमेन्ट्स
7. केटेलोन्स
8. साईसिकल ग्रसेसरीज
9. सीमेन्ट जालीज एण्ड टंकी
10. एसबीसटोज सीमेन्ट पाइप
11. पोलिथिन पाइप्स (नाट टू बी एक्केज)
12 एक्सरसाइज बुक
13. रेग्जीन बोक्स, बेग्स एण्ड स्कूल बेग्स
14. रोलिंग शटर्स
15. टायर रिट्रेडिंग (सेमी मैकेनाइज्ड)
16. डिटरजेन्ट एंड वासिंग सोप

17. केन्डलस
18. अगरबत्तीज
19. सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस
20. कास्ट्रींग्स
21. आटो रिपेयर सोप
22. एग्रो सर्विस सेन्टर (माडर्न)
23. कोटन होजरी
24. ट्रैक्टर ट्रोलीज एण्ड एग्रीकल्चर एम्पलीमेन्ट्स
25. ट्रक बोडी बिल्डर्स

जिला बीकानेर

(डी.सी. (एस. एस. ई.) 1975)

डिमाण्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. बिल्डिंग हार्ड वेयर्स
2. पेन्ट प्रोसेज
3. रैडीमेड गारमेन्ट्स
4. स्वाइस एंड कुर्री पाउडर प्रोसेसिंग
5. राइटिंग इन्क
6. एक्सरसाइज नोट बुक आदि
7. केटल टिक्स
8. जनरल मेकेनिकल वर्क्स सोप
9. केटल फीड
10. आटो सर्विस एण्ड रिपेयरिंग वर्क्स सोप
11. बूट पालिश
12. सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स
13. एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स (इम्प्रूव्ड टाइप्स)
14. स्पेक्टीकल लेन्सेज एण्ड सनग्लासेज
15. बोल्ट्स एण्ड नट्स (होड फार फोर्ज्ड)
16. एरिएटेड वाटर/कारबोनेटेड ब्रिवरेजेज
17. शू-लेसेज
18. गेट्स एण्ड ग्रल्स
19. टायर रिट्रेडिंग
20. रिकन्डीशनिंग आफ आटोमेटिक बेटरीज

21. डेजरड कूलर
22. केनिंग आफ रसगुल्लाज।
23. पोलिथिन फिल्म्स एण्ड बेग्स (नाट टू बी एक्स्क्लूड)
24. वी. बेल्ट्स
25. लुब्रीकेटिंग ग्रीज
26. बेटेलाइट इलेक्ट्रिक असेसरीज
27. आर. सी. सी. पाइप्स
2 . आइपोडेरैमिक निडल्स
29. बाइसिकल असेसरीज–स्टेण्ड, केरियर, आदि
30. मेकेनिकल टायज
31. स्टील फर्नीचर

रिसोर्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. री–फैक्ट्री फायर ब्रिक्स
2. सिरामिक टरमिनल स्ट्रीप्स एण्ड वाल्व होल्डर्स
3. एब्जोरबेन्ट कोटन
4. सर्जीकल बेन्डेज
5. वीन मोस
6. ग्वार गम
7. आइल सोड क्रेसिंग
8. केस्टर आइल
9. क्रोकरी
10. ग्लास वेयर
11. डिटेम्पर (फ्लो प्रोसेस)
12. वूलन होजरी
13. कारपेट मेकिंग
14. प्लास्टर आफ पेरिस
15. चाक क्रेयोन्स
16. जिप्सम पाउडर
17. प्लास्टर ऑफ बोर्डस्
18. लाइम किन
19. अक्टीवेटेड फलर्स अर्थ
20. ग्लास बोटल्स
21. लो टेन्शन इन्सूलेटर्स

(आर.आई.एस.डी.पी., आर.सी.पी. रिपोर्ट 1972) एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1 टैक्सटाइल मिल
2. डिस्टीलरीज (बीयर एण्ड इन एस.एस.आई. सेक्टर माट टू बी एन्केज्ड
3. ग्राम दाल मिल
4. आयल मिल्स
5. केटल फीड इण्डस्ट्रीज

लाइव स्टीक बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. मिल्क
2. वूल
3. होजरी आरटिकल्स
4. हाइडस स्कीनस
5. बोन क्रशिंग मिल
6. मीट

मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. जिप्सम
2. जिप्सम पाउडर
3. चाक क्रि योन्स
4. क्ले
5. टेबल एण्ड प्रेस्ड ग्लास वेयर्स एण्ड ग्लास बोटल
6. प्लास्टर बोर्डस
7. स्वीट लाइम मोरटर
8. डेकोरेटिव ग्लास आइटम
9. कूलर्स अर्थ
10. यलोओ चेस

डिमाण्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स
2. लाइम बिक्स फोम डेजर्ट सेन्ड एण्ड सेन्डी सायल
3. नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स

जिला : बून्दी

(निदेशक उद्योग विभाग द्वारा 1972)

मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. प्रसीपिटेड कैलसियम कारबोनेट
2. हाईड्रेटेड लाइम
3. ग्लास एण्ड ग्लासवेयर
4. मारबल चिप्स एण्ड मासिक टाईल्स

एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. एरटेड वाटर्स । कारबोनेटेड फ्रूट बेवेरेजेस्
2. बेकरी
3. चिली एण्ड धनियां पाउडर
4. स्ट्रा बोर्ड्स्
5. माल्ट एक्सट्रक्ट
6. विजेटेबिल केनिंग

लाइम स्टाक बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. काटेज स्केल लेदर टैनरी
2. टैनिंग एक्सट्रक्ट

फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. कत्था प्रासेसिंग
2. रफ सेड ंग आफललेग्स

डिमान्ड बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. कैटिल एण्ड पोल्ट्री फीड
2. आटो एण्ड ट्रैक्टर सर्विस स्टेशन
3. सैलो वैल हैण्ड पम्प्स
4. फार्म हैण्ड टूल्स
5. पोल्ट्री एप्लाइनेस
6. राईस पैडीकल्टीवेटर्स
7. एग्रीकल्चर टाईलेज डिस्ट्र

जिला—चूरू

(लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा 1972)
रिसोर्सेज बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. प्लास्टर बोर्ड एण्ड बिल्डिंग चिप्स प्लास्टर
2. ग्वारगम
3. वूलन नम्दा
4. लेदर टनिंग
5. सरकन्डा फर्नीचर एण्ड गुड्डास
6. बोन क्रसिंग

डिमान्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. लेदर फुटवियर
2. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स

जिला डूंगरपुर

(राजस्थान इण्डस्ट्रीयल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन 1972)

रिसोर्सेज बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. फलार्स फार फल्कस
2. हाइड्रोफलोरिक एसिड प्लान्ट
3. एलमोनियम फ्लोराइट
4. फ्लोरिक कैमिकल्स
5. सिन्थेटिक क्रियोलाइट
6. फ्लोरो कार्बन्स
7. मिनरल्स पलवेराईजिंग यूनिट्स

एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स
2. राईस मिल्स
3. जिंजर पाऊडर प्लान्ट

एनसिलेरी एण्ड सबसिडरी इण्डस्ट्रीज

1. सट्ल्स
2. पिकिंग्स आर्मस्
3. पिकिंग स्लाइट्स
4. वाईन्डिग कनेशे पेपर और ट्यूब
5. सिलूबिंग बोबिन्स
6. सटल आयल
7. सटल जावाज
8. पिरन्स
9. कास्टिंग कॉटन हैल्ड्स आदर्स

1. फर्नीचर
2. वीड़ी फैक्ट्री
3. टैनरी

जिला गंगानगर

केन्डीडेट इण्डस्ट्रीज

(लघु उद्योग सेवा संस्थान 1975-76)
जनरल :

1. सेलवेन्ट एक्सटैक्शन प्लान्ट
2. सर्जीकल कोटन
3. ब्लेन्ड केटिल फीड
4. स्ट्रो बोर्ड
5. आयल मिल
6. बेकरीज (सेमी मेकिनाइज्ड)
7. मसाला ग्राइन्डिंग
8. माल्टा एण्ड कटर फ्रूड प्रोसेसिंग
9. मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ मिल्क प्रोडेक्ट्स आई. ई. काटेज घी. कन्डेन्स्ड मिल्क एण्ड मिल्क पाउडर
10. कोटन टेप्स एण्ड रोप्स (टेक्सटाइल मिल्स)
11. वूलन कार्पेट्स
12. वूलन ब्लेंकेटस
13. डिटरजेंट
14. पेपर कर्टन्स/कार्ड बोर्ड बोक्सेज
15. सेमी मेकेनाइज्ड टायर रिट्रेडिंग
16. रबड़ गुड्स
17. एक्सरसाइज. नोट बुक

18. पेपर बैग्स एण्ड एनवलप्स्
19 बाईसिकिल ट्यूब्स

इलैक्ट्रिकल्स

1. ट्रांजिस्टर एसेम्बलिंग
2. इलैक्ट्रिकल मोटर रिवाइण्डिंग एण्ड रिपेयरिंग

मैकेनिकल

1. कोटन निवार (टैक्सटाइल मिल)
2. वूलन हौजरी
3. बाईसिकल पार्ट्स एण्ड एसेसरी
4. पी. पी. केप्स
5. स्टील फर्नीचर एण्ड एलमिरा
6. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक कलटिवेटर्स डिस्क हेरो प्लो ऑफ कटर ट्रैक्टर ट्रोलीज
7. कोटन होजरी (टैक्सटाइल मिल)
8. बिल्डर हार्डवेयर
9. वुडन केसिंग एण्ड केपिंग
10. मोर्डन ट्रैक्टर एण्ड एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स रिपेयर्स सोप
11. वुडन फर्नीचर
12. कोल्ड स्टोरेज
13. एस. बी. आई. एण्ड डी. बी. एल. गन्स
14. एयर गन्स

सिरेमिक्स

1. प्लास्टर ऑफ पेरिस
2. चोक केरमोन्स
3. सीमेंट बेस्ड प्रोडेक्ट्स लाइक जालीज टकीज कोवर पोर्ट्स. डोर एण्ड विन्डोज फ्रेम्स आदि
4. मासिक टाटूल्स
5. एबेस्टस सीमेंट पाइप फिटिंग्स

पेटालेजरी

1. कॉस्ट आयरन फाउण्ड्री

लेदर

1. बोन क्रशिंग
2. सेमी मेकेनाइज्ड टैनेरी (बोथ बाई चर्म एण्ड वेजीटेबिल प्रोसेस)
3 रगजिन मेड शोल बेग्स, अटेची केश ब्रीफकेश, लेदर शूटकेश आदि
4. क्रोम लेदर वर्क्स फोर जिनिंग मशीन्स
5. वेस्टर्न टाइप लेदर फुटवियर

(आर. आई. एम. डी. सी., आर. सी. पी. रिपोर्ट 1972)

डिमाण्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. कोटन जिनिंग एण्ड बैलिंग प्रेसेज
2. सर्जिकल कोटन
3. रिकवरी आफ लिन्टर्स, डिस कोर्टिकल सीड्स एण्ड ओयल एक्सटेन्शन
4. दोडाई हाडेडेवेजो टेबिल आयल मिल, दाल मिल
5. दाल मिल्स
6. कैटिल फीड प्रोडेक्ट्स यूनिट्स
7. ओयल मिल्स
8. शुगर मिल एण्ड स्ट्रा बोर्ड फक्ट्री
9. माल्टा जूश एक्सटेन्सन
10. सन फ्लोर ऑयल
11. स्लोटर हाउस
12. हाईवुड एण्ड स्किन्स
13. बोर्न क्रशिंग
14. क्रोम लेदर वर्क्स

डिमान्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. मिक्सड फर्टीलाइजर्स

2. पार्ट्स फोर आयल मिल्स एण्ड स्पीनिंग फैक्टरीज
3. कॅफ कटिंग मशीन्स ब्लेड
4. बल्डर्स हार्डवेयर
5. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स
6. आटोमोबाइल पार्ट्स एण्ड एसेसरीज

जिला जयपुर

(लघु उद्योग सेवा संस्थान 1972-73)

डिमाण्ड बेस्ड इण्डस्ट्रीज :

1. ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर
2. क्राउन कोर्क्स
3. इलेक्ट्रिक फैन्स
4. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज
5. सिरैमिक केपिसिटर्स
6. इलेक्ट्रोलेटिक केपेसिटर्स
7. कार्बन्स रजिस्टर्स
8. वायर काउण्ड रजिस्टर्स
9. रोमी मेकेनिस्ड लेदर फुटवियर
10. ब्लो प्रोल्डेड प्लास्टिक वायर
11. डिटरजेन्ट्स
12. कोस्मेटिक्स

रिसोरसेज बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. ग्लास कन्टेनर्स
2. सोप स्टोन ग्राईडिंग
3. एस. टी. इन्सुलेटर्स एण्ड अदर आइटम्स
4. किचन स्पेसिज
5. आयल मिल्स
6. दाल मिल्स

जिला जालौर

(लघु उद्योग सेवा संस्थान 1974)

1. आयल मिल्स
2. इसबगोल
3. सेमी मैकेनाइज्ड टेनरी
4. वूलन-कार्पेट्स
5. सिनेटरी लैम्प्स
6. ए.सी. पाइप्स एण्ड फिटिंग
7. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स
8. मोर्डन एग्रो सर्विस सेन्टर
9. केटिल फीड
10. दाल मिल
11. गारगम
12. वूलन ब्लेन्किट्स
13. ड्रेसिंग एण्ड पोलिशिंग आफ स्टोन
14. कोस्ट आयरन फाउण्ड्री
15. मासिक टायर्ल्स
16. इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग

जिला झालावाड़

(लघु उद्योग सेवा संस्थान 1968)

1. फुट ऐप्रिजरकेसन
2. वेस्टर्न टाइप शूज
3. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट
4. रैडीमेड गारमेंट्स
5. कोरेपेन्टरी
6. कोटन होजरी

(निदेशक उद्योग 1975)

1. माडर्न बेकरी
2. मेट फाम राईस हस्क
3. पोया परमल
4. दाल मिल
5. केटल फीड

6. खाण्डसारी एण्ड वुड इण्डस्ट्रीज
7. मसाला ग्राईंडिंग इण्डस्ट्रीज
8. आयल एण्ड आयल केक
9. रोप मैन्यूफेक्चरिंग
10. बीड़ी उद्योग
11. केसिंग एण्ट केपिंग
12. वुडन टायर्स
13. वुडन फर्नीचर
14. लेदर ट्रेनिंग
15. वूलन कपेंट्स
16. बोन क्रीसिंग
17. हार्न टायज
18. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंटस्
19. एग्रो इंजीनियरिंग सर्विस
20. रालिंग शटर
21. ए.सी. पाइप
22. मार्डन ईज हैण्डलूम
23. आटोमोबाइल सर्विसिंग सेन्टर
24. फूट बेस्ड इण्डस्ट्रीज
25. बान्ड वायर
26. स्टोन कटिंग

जिला : जैसलमेर

(निदेशक उद्योग विभाग 1975)

1. मिल्क प्लान्ट
2. वूल ग्राइडिंग एण्ड बिनिंग यूनिट्स
3. टेनेरी यूनिट्स
4. मोर्डन शूज एण्ड चप्पल्स
5. बोन क्रसिंग यूनिट्स
6. मटन केनिंग
7. मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्रीज
   1—यूनिट बेस्ड ओन जिप्सम
   2—यूनिट बेस्ड ओन मारबल
8. रिपेयर एण्ड सर्विसिंग वर्क-शोप
9. सीमेन्ट जाली एण्ड टंकीज

10. विल्डिंग फर्नीचर्स
11. इण्डस्ट्रीज टायर रि-ट्रेडिंग
12. फाउण्टेन पेन
13. धूप, अगरबत्ती एण्ड हैयर आयल
14. वक्स कैन्डिल्स
15. एक्सरसाइज बुक्स, नोट बुक्स, एकाउण्ट बुक्स
16. रैडीमेड् गारमेन्ट्स होजरी एण्ड अनाईड प्रोडक्ट्स
17. आटो मोबाइल पार्टस्
18. कारबोनेटेड ड्रिंक्स, स्क्वाईसेज एण्ड सिरप्स
19. आइस मैन्यूफेक्चरिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज
20. सूट केसेज, ब्रीफ केसेज
21. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स एण्ड प्लाउस, होल्ड. गुड्स, चीफ कटरस, एग्रीकल्चरल हैण्ड टूल्स
22. रोप एण्ड बाण मैनीफेक्चरिंग
23. पैकिंग केसेज एण्ड हैण्डलूम एससेरिज
24. मिसलेनियस लाइट इन्जिनियरिंग प्रोडक्टस्, स्टील विन्डोज, फ्रेम्स एण्ड फिटिंग्स् कन्ड्यूट पाईप, जाली शटर्स

(आर.आई.एम. डो. सी. आर. सी. पी. रिपोर्ट 1972)

एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. कोटन; जीनिग एन्ड बेलिंग प्रेसेज
2. शुगर केन बेस्ड इण्डस्ट्रीज
3. आइल सीड्स प्रोसेसिंग

लाइव स्टाक बेस्ड इण्डस्ट्रीज

1. मिल्क
2. वूल
3. हाईड्स एण्ड स्कीन्स्

4. बोन्स
5. मीट

डिमाण्ड बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. टायर रो-ट्रेडिंग
2. रिपेयर एण्ड सर्विसिंग वर्क शाप
3. सीमेंट ट्रायलर्स
4. स्टोन क्रेसिंग फिक्चर्स इन्डस्ट्रीज
5. बिल्डरस हार्डवेयर आदि
6. वूडन फर्नीचर एण्ड फिक्चर इण्डस्ट्रीज

मिनिरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1 पेपर वेट
2. खरलस, चिप्स एण्ड टायलर्स
3. लाइम स्टोन, मारबल, क्रशर्स अर्थ
4 पेन्टोनाइट एण्ड रेलेबाईट

जिला : जोधपुर

रिसोर्सेज बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. प्रोनियर्स पाउडर प्लान्ट
2. डेरी एण्ड बेरी प्रोडेक्टस
3. लेदर ट्रेनिंग यूनिट्स
4. बैन्डोपेबार एक्ट्रीकेशन प्लान्ट
5. सीमेंट (व्हाइट)
6. मेगनाइज्ड शोप मैनिफेक्चरिंग यूनिट्स

डिमाण्ड बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. टायर री ट्रेडिंग यूनिट

एन्सीलरी फीडर इन्डस्ट्रीज

1. टूल रूम टू हैल्प एन्सीलेरी यूनिट्स एण्ड आयल फार प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरिंग
2. फोरजिंग एण्ड मैटल कम्पोनेन्ट्स
3. ट्रेक्टर कम्पोनेन्ट्स फार दी प्रपोज्ड प्लान्ट

डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू

(एस. आई. एस. आई. 1974–75)।

1. फायर ब्रिक्स
2. कास्ट आइरन फाउन्डरी
3. वूलन फेल्टर्स
4. काटन होजरी
5. बेकलाइट प्रोडक्टस
6. वूडन इलेक्ट्रिकल ऐसेसरीज
7. पम्पिंग सेट्स
8. गुवार गम
9. आटोमोबाइलिंग सर्विसिंग
10. मेन्टीनेन्स शोप फार इलेक्ट्रीक अपलिन्सेज
11. डीटरजेन्ट
12. बेकरी
13. रेफरीजरेशन एण्ड ऐयर कन्डीशन इक्यूपमेन्ट रिपेयर शोप
14. एक्सरसाइज बुक्स
15. प्लास्टिक मोल्डेड गुड्स
16. ट्रान्जीस्टर सेड एसम्बलींग
17. वेस्टर्न टाइप लेदर फुट वीयर
18. फीवरस जिप्सम प्लास्टर बोर्ड

डिस्ट्रिक्ट नागौर

(आर. आई. एम. डी. सी. 1971)

रिसोर्स बेस्ड इन्ड.

1. प्लास्टर आफ पेरिस
2. एक क्रेयोन्स
3. मारल कटिंग एण्ड एनग्रेविंग
4. प्रेसिमीटेटेड चाल्क
5. कास्टिक सोडा

(242)

अन्सीलरी।फीडर इन्ड.

1. कोमन फसेलिटी सेन्टर फरहारडनिग आफ हैण्ड टूलस एण्ड फोर्जिग प्लान्ट डिमान्ड बेसड इन्ड.
2. केटल फीड मिक्सिंग प्लान्ट

डिस्ट्रिक्ट पाली

(आर. आई. एम.डी सी. 1971)

इन्डस्ट्रीज बेसड ओन रॉ मेटेरियल ऐवेलेबल इन दी एरिया

1. चिली पाउडर प्लान्ट
2. रैसा ग्रास आयल एक्सट्रकशन प्लान्ट
3. स्टून कॉकरी व सीमेन्ट पाइप्स एनसीलरी, पम्प्रोइन्डस्ट्रीज
1. एमबरेला क्लोथ डाईंग यूनिट

डिमान्ड बेसड इन्डस्ट्रीज

1. एग्रीकलचरल इम्पलीमेन्ट्स
2. ट्रान्समीशन हार्ड वेयर
3. कटलरी इन्डस्ट्रीज

डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर

(आर. आई. एम. डी.सी. 1971)

रिसोर्सेज बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. धानिया ड्राईंग पाउडरिंग प्लान्ट
2. खस एक्स्ट्रेट
3. सपेलबेन्ट एक्स ट्रेक्शन प्लान्ट
4. वेनीफीकेशन प्लान्ट
5. सिलका सेन्ड वेनीफीकेशन प्लान्ट
8. ग्लासस्लोटर फार बल्ब फैक्टी
9. सीमेन्ट टाईल्स
10. रीफेक्ट्रीज

डिमान्ड बेसड इन्डस्ट्रीज

1. ब्रेड एण्ड बीसक्टुरा
2. स्लोटर हाउस
3. बोन क्रसिंग मिल्स
4. कनिंग आफ मीट
5. सिरेनिकोटेरियल प्रोसिसिंग प्लान्ट
6. वंटरी आईटकले फ्लोरिंग टाइल्स
7. साल्ट ग्लेज्ड स्टोन-वेयर पाईप, एण्ड फीटींग्स

डिस्ट्रीक्ट सीकर

(एस.आई.एस.आई. 1974-75)

रिर्सोसिज बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. कोकरी
2. लो टेन्सन पोसेलन इन्सोलेटर
3. वूलन टेक्सटाइल्स
4. कीकर एण्ड बाबूल वार्क डिसिन्ट्रेशन
5. रोप एण्ड वान मेकिंग एण्ड सरकडा-फरनीचर
6. लेदर ट्रेनिंग

डिमान्ड बेसड इन्डस्ट्रीज

1. काटन होजरी
2. पेपर बेज
3. रेडीमेडगारमेन्ट्स

डिस्ट्रिक्ट : सिरोही

(एस.आई.एस.आई. 1972)

रिर्सोसिज बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. लेदर ट्रेनिंग
2. टोमेटो जूस।केचअप एण्ड सास
3. स्ट्रा बोर्डस

4. ईसबगोल पाउडर
5. बम्बू प्रोडक्ट्स
6. लाइम स्टोन एण्ड मारबल क्रासिंग एण्ड प्रोसेसिंग
7. केलसाइट पाउडर
8. क्वार्टस गलवेराईजिंग मील
9. काटन जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग

डिमान्ड बेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. कार्ड बोर्ड बोक्सेज

डिस्ट्रिक्ट : उदयपुर

(आर.आई.एम.डी.सी. 1971)

रिसोर्सेज वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. स्पनू कंकरीट सीमेन्ट पाइप्स
2. रोक फासफेट गलवराईजिंग
3. सोप स्टोर पलवराईजिंग
4. वेरीयम कम्पाउंड
5. टेयरी

एनसीलरी/निडर इन्डस्ट्रीज

1. कोटन वेस्ट प्रोडक्ट्स

डिमाण्ड वेस्ट इन्डस्ट्रीज

1. सिन्थेटिक क्रोयलाइट एण्ड एल्मूनियम फ्लोरइड
2. आटोमोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स

डिस्ट्रीक : कोटा

(राजसिको/एस. आई. इ.टी — 1976)

एग्रो वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. रेडी लसक बिल्डिग ब्लोक्स
2. सुगर केन्स केस
3. क्लोरोसाइड क्रोस पोलीज
4. चिली धनिया साडडर
5. फरफ्यूरल क्रोस एग्रो इन्डस्ट्रील वेस्ट
6. वीजेटेबल मिल्क कर्ड फ्रोम ग्राउन्ड नट
7. एन्जोरनेट काटन
8. कार्न फलेक

लाईव स्टॉक वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. बोल मिल
2. लेवर टेनरीज
3. पोलट्री फुड

मिनरल वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. लीम्बो
2. प्रेसिपीटेड केलसियम कारबोनेट

डिमान्डड वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. वेन्ट एण्ड डिस्ट्रम्बरल
2. स्वरीच फयूज यूनिट्स
3. अगरबत्तीज
4. टोमेटो कोचूम
5. रेडीमेड गारमेन्टस
6. सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स
7. वुडस् स्क्रयूज
8. आल ड्रोप्स
9. एक्सरसाईज बोट बुक
10. एस. एस. बोल्ट किन्जेज
11. जी. आई. पाइप
12. हैन्ड पेंड पेपरस
13. एमब्रेला एसम्बलिंग यूनिट्स

फोरेस्ट वेस्ड इन्डस्ट्रीज

1. कथा क्रोसेसिंग
2. फ्यूवर कटेचियन फ्रोर्स नेयरट्रीज
3. प्रोनसेलिक ऐसिड फ्रार सा डस्ट
4. साडस्ट क्रीकींकेट्स

सर्विस इन्डस्ट्रीज

1. एग्रो साविस सेन्टर
2. रेडियो सर्विस एण्ड रिपेयरींग सेन्टर
3. रिपेयरींग एण्ड सर्विस आफ इलेक्ट्रीक एक्यूपमेंन्टस्

4. आटो सर्विस सेन्टर
5. पावर लान्डरी
6. बीजनेस एन्टर प्राइजेज

एन्सलरी इन्डस्ट्रीज

1. पेपर कोन्स एण्ड टयूब्स
2. क्लोरीनेटैड पेराफीन वेक्स
3. इलेक्ट्रिकल प्रिन्टेड सरकिट्स
4. ट्रान्सफारमर
5 स्टीरेयट्स आफ केलसियम, केरियम एण्ड लैड
6. एम. एस. नट्स, वार्सस एण्ड बोल्ट्स
7. जनरल इन्जीनियरिंग
8. फेरस फाउन्ड्री
9. नान केमिकल कास्टिंग
10. इलेक्ट्री प्लेटिंग
11. पोलीथिन लिटर्स
12. फेब्रिकेशन

इन्डस्ट्रीज बेस्ड ओन प्रोडक्ट्स

1. एलमुनियम क्लोराईज्ड (ओनली ड्रयस)
2. कीम्क क्लोराइट्स
3. कलसियम क्लोराईड
4. एनीलाइन हाईड्राक्लोराइड
5. रेजनरेशन आफ यूज्ड एन्जीन आयल

डिस्ट्रिक्ट : टोंक

(डी. आई. 1972–1973)

1. इन्डस्ट्रीज बेसड ओल एग्रीकलचरल रीसोरचेज
1. बाल मिल
2. स्टार्च आउट आफ गेन एण्ड जवार
3. आयल मिल्स
4. सोलवेन्ट एक्सट्रेकशन प्लान्ट
5. प्रोटिन आईसोलेशन ग्रेस आयल
6. मेन्यूफेक्चर आफ एडीबल कुवालीटी ग्राउन्ड नट कोर
7. केटल फीड
8. पोलट्री फीड
9. काटन जिनिंग
10. फ्रूट एण्ड वेजेटेबल प्रोसेसिंग यूनिट्स
11. खडसारी शुगर मिल
12. चीलीज एण्डर अदर मसाला प्रोडक्ट्स
13. कोल्ड स्टोरेज
14. डीसाईटेड वेजेटेबल्स
15. ग्राम फ्लोर (बेसन)

इन्डस्ट्रीज बेस्ड ओल लाइन स्टोक रेसो

1. कन्डन्स मिल्क
2. कासड वोन मिल्स
3. लेदर टेनरी
4. फीसकेनिंग
5. मीट पेकिंग यूनिट
6. लाईग वूलन यार्न (हैण्ड ओपरेट)
7. ऐग पाउडर
8. ब्लेकेट्स एण्ड टवीड क्लोथ
9. कार्डिग यूनिट्स
10. वूल स्पिनिग इन्डस्ट्रीज

इन्डस्ट्रीज बेस्ड ओन मिनरल रीसोर्सेज

1. स्टोन क्रेसिंग
2. फायर ब्रीक्स
3. रूफ ब्रीक्स
4. गारमेट बेस्ड इन्डस्ट्रीज
5. एब्रेसिव इन्डस्ट्रीज
6. ग्लास बल्ब सेल्स
7. माइका

245

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 576 की सूची)

क्रमांक 1	खेत मालिक का नाम 2	खसरा नम्बर 3
1.	श्री मंगला पुत्र श्री रामू/हनुमान लाल पूसा पुत्र श्री जीवन श्री वेंकटीसिंह पुत्र श्री वालसिंह	16
2.	श्री इब्राहीम जुम्मा, शोकत पुत्र श्री नूर जी रादड़	38
3.	बनाम डोली मंदिर की चार भुजा महाराज वास्ते देहत तमाम पुजारी श्री नानूराम पुत्र जगन्नाथ, द्वारका प्रसाद बल्द भूंदासव नारायण दास बल्द जमन दास कोम सादू पुजारी	39
4.	श्री हनुमान, लाला, पूसा पुत्र श्री जीवन श्री रुघा पुत्र अमरा	45
5.	श्री चन्द्रा पुत्र सल्ला, कालू पुत्र मांगू, श्री हुक्मा पुत्र हनूता, अमरा, उगमा किशना पुत्र बीजा	46
6.	श्री कल्याण सिंह व श्री चन्द्रा वल्द डालू	47
7.	श्री अमरा, उगमा, किशना, मगना पुत्र श्री बीजा	48
8.	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी खत्री	31
9.	श्री बहादूर सिंह खोले, हनुमानसिंह, उम्मेदी सिंह, खाले डूंगासिंह हिम्मती सिंह पुत्र श्री सांवता सिंह हुसैन बक्ष मोहम्मद अली पिता नूरा, फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद, शोकतअली, कासम, जुम्मा, नानू रजाक, गेंदा पिता खुदाबख्श	55
10.	श्री मुश्ताक अहमद, इनायतुल्ला पिता मो. रमजान अली	163
11.	रेल्वे विभाग	23/2
12.	श्री ईद कवंर पत्नी श्री भेरू सिंह, खेतसिंह पुत्र रूप सिंह	229
13.	श्री खेराराम पुत्र प्रभू राम, श्री बक्षाराम पुत्र बुद्धाराम	82
14.	श्री चारभुजा डोली मन्दिर	161
15.	श्री घीसालाल, शिवराम आदि	162
16.	श्री तिलोकराम, तुमाराम, बाबूलाल पुत्र नारायण बावरी	165
17.	श्री दानसिंह पुत्र हरिसिंह	96

246

1	2	3
18.	श्री मदनलाल पुत्र भंवरी	95
19.	,, ,,	68
20.	,, ,,	70
21.	श्री भोलूराम पुत्र गंगाराम	680
22.	श्री मोती सिंह पुत्र गोरुसिंह	673
23.	श्री छोटूसिंह, हनुमानसिंह, शेरसिंह पुत्र माधोसिंह	671
24.	श्री छगनसिंह, बालसिंह पुत्र चन्द्रसिंह	682
25.	श्री जमालू पुत्र रहीमबख्श	670
26.	श्री मानसिंह पुत्र कानसिंह आदि	696
27.	श्री गणपतसिंह, हेमसिंह पुत्र सादुलसिंह	222
28.	श्री लादू, नेनू आदि	14
29.	श्री कल्याणसिंह पुत्र मदनसिंह आदि	12
30.	श्री बेंकटसिंह पुत्र बालसिंह	15
31.	श्री अमरू पुत्र मोका आदि	18
32.	श्री बेंकटसिंह पुत्र बालसिंह	32
33.	श्री लादू पुत्र नानू आदि	20
34.	श्री धोकलसिंह पुत्र हनुमंतसिंह	40

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 581 का विवरण)

अवधि पार एरियर बिलों की सूची––पंचायत समिति इटावा (कोटा)

क. सं.	नाम अध्यापक	एरियर की राशि	एरियर की तिथि
1.	श्री ब्रजगोपाल	24–16	जुलाई, 74
2.	,, धनराज पारीक	5–00	अक्टू., 74
3.	,, नन्द बिहारी	50–00	सित., 75 से मार्च, 76
4.	,, जीतमल जैन	2536–23	2-7-63 से 31-7-74
5.	,, चौथमल शर्मा	1514–46	27-10-74 से 22-12-74 तक
6.	,, रामपाल शर्मा	617–70	1-9-71 से 1-10-73
7.	,, ब्रजमोहन शर्मा	25–80	जुलाई, 75
8.	,, जीतमल जैन	16–00	अग., सित., 75
9.	,, बाबूलाल शर्मा	535–00	1-9-71 से 1-9-72
10.	,, हरिशंकर वर्मा	341–87	2-8-64 से 65 तक
11.	,, गणपति लाल	18–00	फरवरी, 77
12.	,, पारस लाल जैन	298–00	सित. 71 से अक्टू., 74
13.	,, चौथमल दाधीच	180–15	1-2-61 से 31-8-68
14.	,, विमला भटनागर	609–00	1-9-68 से 28-2-73
15.	,, सांवत सिंह	298–00	1-9-71 से 31-10-73
16.	,, द्वारका लाल	275–00	1-9-61 से 31-3-66
17.	,, सूरजमल शर्मा	416–00	1-9-68 से 1-8-69
18.	,, दुलीचन्द नागर	456–58	12-9-71 से 30-6-73
19.	,, केदार लाल शर्मा	238–84	सित., 75 से दिस., 76
20.	,, मांगीलाल	2213–00	अग., 65 से अप्रेल, 66
21.	,, हजारी लाल वर्मा	57–60	1-9-75 से 1-4-76
22.	,, भैरूलाल वर्मा	574–00	1-4-66 से 31-3-72
23.	,, कृष्ण गोपाल शर्मा	10–00	1-2-75 से 31-8-75
24.	,, रामस्वरूप शर्मा	298–00	1-9-71 से 1-10-73
25.	,, रामकृष्ण शर्मा	663–00	अप्रेल, 66 से अग., 71
26.	,, अल्लारख सद्बाना	430–00	अप्रेल, 59 से जून, 79
27.	,, बजरंग लाल शर्मा	298–00)	पत्रांक 653 दि. 2-3-78 को
28.	,, रामदयाल वर्मा	3377–60)	श्रीयुत प्रति. जिला विकास
29.	,, मोहन लाल नायक	19–68)	अधिकारी, कोटा को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

कुल रु. 16592–67

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 582 की सूची)

सूची ऋण, अवधिवार ऋण अमानतें व सिक्यूरिटीज वाले सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक

अन्तिम शुक्रवार मार्च की स्थिति (लाखों में)

क.	विवरण	1973	1974	1975	1976	1977
1.	कुल ऋण	75.50	144.82	152.33	211.21	246.31
2.	कुल अवधिवार ऋण	58.69	37.75	6[illegible].82	92.24	103.64
3.	अमानतें	21.82	326.35	43.80	49.14	84.05
4.	सिक्यूरिटीज	0.48	—	—	—	—

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 590 की सूची)

राज्य सरकार द्वारा महंगाई रोकने हेतु उठाये गये कदमों की सूची

1. अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं। इस समय 8995 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

2. 12 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से गेहूं वितरण कराया जा रहा है।

3. माह दिसम्बर में 27,948 टन एवं माह जनवरी में 40,000 टन गेहूं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया। फरवरी में 55 टन गेहूं वितरण कराया गया तथा मार्च में 93,290 टन गेहूं आवंटित किया गया।

4. माह दिसम्बर में 2436 टन एवं जनवरी 1978 में 29,00 टन मोटा अनाज उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित कराया गया।

5. राज्य में स्थापित रोलर फ्लोर मिलों को अधिक से अधिक गेहूं भारत सरकार से प्राप्त कर आवंटित किया गया तथा उनको निर्धारित मिलिंग क्षमता से उनको 25 प्रतिशत अधिक क्षमता बढ़ाये जाने के लिये जिलाधीशों को निर्देश दिये गये हैं।

6. खाद्य तेलों की मूल्य वृद्धि रोकने हेतु अधिक से अधिक मात्रा में आयातित रेपसीड तेल भारत सरकार से प्राप्त कर 7.50 पैसे प्रति किलो की दर पर वितरण कराने की व्यवस्था की गई तथा जिलों को उनकी मांग के अनुसार आवंटन किया गया।

7. दालों की मूल्य वृद्धि रोकने हेतु दाल के व्यापारियों के लिये राजस्थान दाल व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1977 जारी किया गया है जिसके तहत थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिये दालों की अधिकतम सीमा क्रमशः 500 क्वि. एवं 25 क्वि. निर्धारित की गई है। जिससे जमाखोरी पर नियन्त्रण किया जाकर मूल्य वृद्धि को रोका जा सके।

8. खाद्य तेलों की मूल्य वृद्धि रोकने हेतु खाद्य तेलों एवं तिलहन तेल व्यापारियों के लिये राजस्थान खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1977 जारी किया गया है। जिसके तहत थोक एवं खुदरा व्यापारियों के लिये तेल एवं तिलहनों की अधिकतम संग्रह सीमायें तेल में क्रमशः 350 क्विं. एवं 10 क्वि. तथा तिलहनों में 500 क्वि. और 50 क्वि. निर्धारित की गई है। जिससे तेल और तिलहनों की जमाखोरी पर नियन्त्रण किया जाकर मूल्य वृद्धि को रोका जा सके।

9. आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकने हेतु बड़े-बड़े व्यापारियों के यहां छापे मारे गये जिनमें काफी मात्रा में अघोषित माल जब्त

किया गया तथा दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही से मूल्य पर काफी प्रभाव पड़ा है।

10. भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु गेहूं, चावल, चीनी के अन्तर राज्यीय आवागमन प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया है। जिससे इन वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने में व्याप्त तस्करी एवं रिश्वतखोरी पर अंकुश लगा है। और मूल्य वृद्धि रोकने में सहायता मिली है जैसा कि देखने में आया है कि चावल एवं चीनी के भाव पूर्व की अपेक्षा काफी गिरे हैं।

11. **साफ्ट कोक**:– भारत सरकार द्वारा राज्य को 350 वैगन प्रति माह स्थानीय उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित है।

हार्ड कोक:–भारत सरकार द्वारा स्थानीय उपभोक्ताओं हेतु 150 वैगन प्रति माह निर्धारित है। कोयले का वितरण जिलों की मांग के आधार पर विभाग द्वारा त्रैमासिक प्रोग्राम जारी करने पर कोल इन्डिया लि., व राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा मंगाकर सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी के माध्यम से वितरित किया जाता है। राज्य में निर्धारित कोटे के अनुसार मांग कम है। कीमत पर नियन्त्रण भी जिला रसद अधिकारी द्वारा ही रखा जाता है।

12. **केरोसिन तेल**:–केरोसिन तेल का आवंटन भारत सरकार द्वारा प्रति माह किया जाता है जो औसतन लगभग 8000 मै. टन है करीब (10,000 किलोलीटर) केरोसीन राज्य में आसानी से उपलब्ध हो रहा है तथा सरकार द्वारा कीमत पर पूरा नियंत्रण है।

13. **नियंत्रित कपड़ा**:––नियंत्रित कपड़ा भारत सरकार द्वारा 1044 गांठे निर्धारित कर रखा है इस आवंटन से गरीब तबके की मांग पूरी नहीं हो पाती है इसका कोटा बढ़ाने हेतु तथा 3000 गांठे प्रति माह करने हेतु टैक्सटाइल कमिश्नर को लिखा गया है।

परिशिष्ट 11

(अ. ता. प्र. सं. 597 की सूची)

क्र.सं.	नाम जिला	धारा 91 के तहत विचाराधीन मामलों की संख्या	गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	1323	111
2.	अलवर	270	183
3.	बांसवाड़ा	निल	निल
4.	बाड़मेर	2050	81
5.	भरतपुर	1580	777
6.	भीलवाड़ा	2350	354
7.	बीकानेर	180	23
8.	बून्दी	7057	1034
9.	चित्तौड़गढ़	762	130
10.	चूरू	58	9
11.	डूंगरपुर	419	69
12.	गंगानगर	995	18
13.	जयपुर	1908	691
14.	जैसलमेर	538	12
15.	जालोर	1158	396
16.	झालावाड़	4493	527
17.	झुंझुनू	1194	684
18.	जोधपुर	5592	255
19.	कोटा	4385	600
20.	नागौर	1074	95
21.	पाली	959	41
22.	सवाई माधोपुर	1103	223
23.	सीकर	106	93
24.	सिरोही	340	37
25.	टौंक	5111	1257
26.	उदयपुर	5026	464
	कुल योग :–	50031	8164

252

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	तहसील 3	राशि 4
1.	अजमेर	(1) अजमेर	2,14,213
		(2) ब्यावर	63,594
		(3) किशनगढ़	2,22,366
		(4) केकड़ी	2,30,329
		(5) सरवाड़	2,47,677
		कुल योग:–	9,78,179
2.	अलवर	(1) अलवर	1,50,818
		(2) रामगढ़	71,503
		(3) बहरोड	63,111
		(4) बानसूर	42,227
		(5) राजगढ़	1,79,519
		(6) लक्ष्मनगढ़	3,17,736
		(7) थानागाजी	2,09,573
		(8) किशनगढ़	21,124
		(9) मुण्डावर	25,119
		(10) तिजारा	26,641
		कुल योग:–	11,07,371
3.	बांसवाड़ा	(1) बांसवाड़ा	2,08,271
		(2) कुशलगढ़	72,350
		(3) गड़ी	87,725
		कुल योग:–	3,68,346
4.	बाड़मेर	(1) बाड़मेर	4,68,830
		(2) शिव	3,04,964

1	2	3	4
		(3) चौहटन	6,73,570
		(4) सिवाना	3,81,549
		कुल योग:–	18,28,813
5.	भरतपुर	(1) भरतपुर	4,673
		(2) नदबई	6,819
		(3) डीग	98,751
		(4) नगर	20,655
		(5) कामां	19,920
		(6) बयाना	61,394
		(7) बैर	1,54,347
		(8) रूपवास	48,698
		(9) धौलपुर	19,954
		(10) बाड़ी	50,850
		(11) बसेड़ी	46,347
		(12) राजाखेड़ा	41,167
		कुल योग:–	5,73,575
6.	भीलवाड़ा	(1) भीलवाड़ा	71,977
		(2) माण्डल	1,21,060
		(3) सहाड़ा	19,535
		(4) रायपुर	3,634
		(5) बनेड़ा	66,260
		(6) प्रासीन्द	83,249
		(7) हुरड़ा	1,24,803
		(8) शाहपुरा	1,20,765
		(9) जहाजपुर	1,32,980
		(10) माण्डलगढ़	1,42,251
		(11) कोटड़ी	26,386
		कुल योग:–	9,12,900

1	2	3	4
7.	बून्दी	(1) बून्दी	5,48,305
		(2) केशोराय पाटन	93,567
		(3) नैनवा	5,28,359
		(4) हिण्डोली	1,13,000
		कुल योग :—	12,82,231
8.	चूरू	(1) चूरू	2,901
		(2) रतनगढ़	2,328
		(3) तारानगर	7,765
		(4) राजगढ़	29,655
		(5) डूंगरगढ़	–
		(6) सुजानगढ़	55,003
		(7) सरदार शहर	17,074
		कुल योग :—	1,14,726
9.	डूंगरपुर	(1) डूंगरपुर	35,151
		(2) आसपुर	30,608
		(3) सागवाड़ा	1,69,818
		कुल योग :—	2,35,577
10.	गंगानगर	(1) गंगानगर	9,87,95
		(2) करनपुर	19,318
		(3) पदमपुर	–
		(4) रायसिंह नगर	2,32,475
		(5) अनूपगढ़	86,452
		(6) हनुमानगढ़	1,20,962
		(7) सूरतगढ़	3,52,347
		(8) सादुलशहर	1,85,315
		(9) सांगरिया	1,25,673
		(10) टिब्बी	1,39,532
		(11) नोहर	75,240
		(12) भादरा	1,00,089
		कुल योग :—	15,36,198

1	2	3	4
11.	जयपुर	(1) जयपुर	1,71,111
		(2) चाकसू	1,05,357
		(3) सांगानेर	87,940
		(4) बस्सी	2,96,133
		(5) आमेर	2,98,490
		(6) जमुवारामगढ़	5,87,680
		(7) कोटपूतली	1,75,229
		(8) विराटनगर	1,26,272
		(9) फागी	1,72,252
		(10) फुलेरा	1,47,065
		(11) दूदू	2,38,940
		(12) दौसा	1,38,404
		(13) लालसोट	2,74,655
		(14) बसवा	1,76,615
		(15) सिकराय	2,92,220
		कुल योग :—	32,88,363
12.	जैसलमेर	(1) जैसलमेर	97,140
		(2) पोकरण	8,770
		कुल योग :—	1,05,910
13.	झालावाड़	(1) झालरापाटन	1,31,025
		(2) पंचपहाड	3,11,520
		(3) पिड़ावा	2,13,558
		(4) गंगधार	57,942
		(5) खानपुर	3,49,351
		(6) अकलेरा	93,658
		कुल योग :—	11,37,054
14.	झुन्झुनूं	(1) झुन्झुनूं	1,12,694
		(2) चिड़ावा	1,49,479
		(3) खेतड़ी	1,45,490
		(4) उदयपुरवाटी	1,84,758
		कुल योग :—	5,92,351

1	2	3	4
15.	नागौर	(1) नागौर	12,30,596
		(2) जायल	2,07,992
		(3) मेड़ता	2,03,264
		(4) डेगाना	2,84,692
		(5) डीडवाना	20,914
		(6) लाडनू	61,185
		(7) परवतसर	3,04,941
		(8) नावा	1,14,760
		योग:—	24,28,344
16.	पाली	(1) पाली	6,29,557
		(2) बाली	3,61,686
		(3) सोजत	4,90,715
		(4) खारची	2,21,179
		(5) जैतारण	6,52,932
		(6) रायपुर	1,35,129
		(7) देसूरी	2,18,261
		योग:—	52,58,649
17.	सिरोही	(1) सिरोही	1,38,185
		(2) शिवगंज	3,81,999
		(3) रेवदर	90,900
		(4) आबू रोड	59,660
		(5) पिण्डवाड़ा	8,81,711
		योग:—	15,50,405
18.	टौंक	(1) टौंक	3,23,558
		(2) निवाई	1,47,803
		(3) उनियारा	7,93,455
		(4) देवली	14,70,846
		(5) मालपुरा	2,76,960
		(6) टोडारायसिंह	1,91,582
		योग:—	42,04,204

क्र.सं.	जिला	तहसील	राशि
19.	बीकानेर	(1) कोलायत	17,720
		(2) लूणकरणसर	57,500
		(3) नोखा	4,947
		योग:—	80,167
20.	जोधपुर	(1) जोधपुर	98,719
		(2) बिलाड़ा	2,30,000
		(3) शेरगढ़	50,921
		(4) ओसियां	7,25,406
		(5) फलोदी	2,44,499
		योग:—	13,49,536
21.	जालोर	(1) जालोर	2,04,515
		(2) आहोर	1,91,277
		(3) भीनमाल	7,72,433
		(4) सांचोर	3,14,825
		योग:—	14,83,050
22.	सीकर	(1) सीकर	1,12,399
		(2) दांतारामगढ़	61,571
		(3) फतेहपुर	29,086
		(4) लक्ष्मणगढ़	73,194
		(5) नीमकाथाना	96,272
		(6) श्रीमाधोपुर	2,48,082
		योग:—	6,20,604
23.	चित्तौड़गढ़		6,35,505
24.	कोटा		42,63,796
25.	सवाईमाधोपुर		32,87,414

क्र.सं.	जिला	तहसील	राशि
26	उदयपुर	(1) गिरवा	1,03,726
		(2) नाथद्वारा	29,627
		(3) गोगुन्दा	14,683
		(4) राजसमंद	1,60,668
		(5) रेलमगरा	45,531
		(6) आमेट	32,674
		(7) कुम्भलगढ़	45,365
		(8) भीम	--
		(9) देवगढ़	1,951
		(10) वल्लभनगर	87,900
		(11) मावली	2,40,347
		(12) मरियावद	51,648
		(13) सलूम्बर	10,664
		(14) सराड़ा	1,40,265
		(15) खैरवाड़ा	36,625
		(16) झाडौल	19,672
		(17) कोटड़ा	61,072
		योग :—	10,82,428

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 600 की सूची)

जोधपुर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुई सड़कों की सूची

1. जोधपुर से बिलाड़ा
2 जोधपुर से नागौर
3. जोधपुर से पाली
4. दांतीवाड़ा से मेड़ता सिटी वाया पीपाड़सिटी
5 बर से भूपालगढ़, आसोप तक
6. कजनाऊ से गोटन
7 पीपाड़सिटी से बोरुन्दा वाया खेजड़ला
8. पीपाड़सिटी से भोपालगढ़
9. पीपाड़सिटी से रतकुड़िया वाया पीपाड़ रोड
10. साथन से रतकुड़िया
11. सोजत से बिलारा
12. बिलारा से खेजड़ला
13. खारपा से भोपालगढ़
14. जोधपुर जैसलमेर रोड
15. जोधपुर से फलौदी वाया ओसियां
16. फलोदी से नागौर वाया बाप
17. देचू से फलोदी
18. जोधपुर से देचू
19. कि. मी 78 से शेरगढ़ एवं शेरगढ़ कस्बे के बाहर पानी की नाली
20 बांसी रेलवे स्टेशन से सालावाद
21. ओसियां से चामू
22 जोधपुर से सरदार समन्द
23. भोपालगढ़ से पालड़ी
24. भोपालगढ़ से राजलानी
25. आसोप से डेगाना
26 बीनावास से खेरीयासालवा
27. बिलारा से हरियाड़ा
28. जोधपुर-बितारा 85 कि. मी. से ग्राम बकसाला
29. बागोरिया से बूरचा
30. डांगीयावास से कांकानी
31. भिंडोली क्रोसिंग से बिसलपुर भटिण्डा
32 पीपाड़सिटी से भावी वाया तिलावसी
33. ओसियां से सायला
34. हनुमानजी का बेरिया से केरू

260

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की सूची)

सूची काश्तकारों की जिनको मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है

क्र. सं.	कस्बा का नाम	व्यक्ति का नाम
1.	बड कासली उर्फ महाराजपुरा	बेगा पुत्र तोला जाट
2.	नवंरपुरा	कालूराम वल्द गंगाराम
3.	,,	मुसरफ खां वल्द नाजू खां
4.	,,	रामकवंर राजू जाट
5.	,,	माधो पुत्र पन्ना नाई
6.	माथावतों की ढाणी	बहादुर सिंह वल्द देवी सिंह राजपूत
7.	,,	बिलास सिंह वल्द हनूत सिंह
8.	,,	रणजीत सिंह, घूं वल सिंह पि. बलसिंह
9.	,,	भूर सिंह, भैर सिंह, दान सिंह
10.	,,	ज्ञाना सिंह वल्द श्योजी सिंह
11.	,,	जस्मासिंह वल्द देवी सिंह
12.	,,	रूड सिंह पि. खमान सिंह
13.	,,	पदमसिंह वल्द सबलसिंह
14.	कासली खालसा	माफी मंदिर केशोरामजी
15.	,,	माफी मंदिर जानकी बल्लभ जी
16.	,,	रेखा वल्द जीवन जाट
17.	,,	सूरजा वल्द गिरधारी ब्राह्मण
18.	,,	नानचा वल्द भोजा चमार
19.	,,	बद्री, हुकमा पिता कालू
20.	,,	राम कवांर, जगदीश वगैरह
21.	,,	लादूराम वल्द बाला बकस
22.	,,	भूरा वल्द केसा धाचारी
23.	,,	भंवरा वल्द भोजा
24.	सन्तोषपुरा	रामू वल्द राजू जाट
25.	,,	रामू, जीवन, तुल्छा पि. राजू
26.	,,	हीरा वल्द मूना जाट
27.	माजीपुरा	जीवन खां पुत्र मादर खां
28.	दीपपुरा	भूरा वल्द खींवा खाती

Page No 261

2G1

क्र.सं.	कस्बा का नाम	व्यक्ति का नाम
29.	दीपपुरा	माफी मंदिर श्री गोपी नाथ जी
30.	नेतडवास	काना पि. हुक्मा जाट
31.	बोसाना	माफी मंदिर श्री गोपी नाथ जी
32	बोसाना	मादू नाथ वल्द मुकुन्दा नाथ
33	,,	सुरजा, भंगाबी बिरवा 2।3 मांगू सूणी 1।3
34.	,,	शंकरनाथ, हनुमान, सुलताना नाथू, पि. गणेश जोशी
35.	,,	शंकर नाथ वल्द गणेश
36.	,,	मादू नाथ पि. नन्दा नाथ
37.	,,	धूकला, जवारा, पि. देवा जाट
38.	,,	भूरा नाथ वल्द जगू नाथ
39	,,	चुन्नी नाथ, भागीरथ नाथ, बोदूनाथ
40.	,,	शंकरनाथ गणेश नाथ
41.	,,	फूलानाथ वल्द दूला जाट
42.	,,	मांगी नाथ वल्द डूंगा नाथ 1।8
43.	,,	चतरनाथ 1।8 बाल नाथ 1।8
44.	,,	मगूंता नाथ वल्द हीरा नाथ
45	,,	हणमान नाथ वल्द गुमान नाथ
46.	,,	भूरा नाथ वल्द मन्ना नाथ 1।3
47	,,	श्योबक्स वल्द किसना बलाई
48.	,,	नरसिंह जी वल्द मालू सिंह
49	,,	डाल सिंह वल्द भूरा सिंह
50	सीकर	माती वल्द हसर खाती
51	,,	रामवतार वल्द गुलाब दरोगा
52.	,,	वजीर खां वल्द करीम खां
53	,,	गणपत वल्द बन्शीधर 1।3 सत्यनारायण वल्द मोवां
54.	,,	दुर्गा वल्द गंगाबक्स
55.	,,	भागीरथ वल्द भूरा दरोगा
56.	घोद	रमजू सुलतान पि. इसू खां
57.	,,	जोरा वल्द नथावन 1।3 व बहरी मोहन पि. गोविन्द राम, सुखदेव
58.	,,	जीवन राम गोविन्द राम सुखदेव
59.	,,	सोहन लाल दौलत राम महादेवा स्वाई पि. हनुत राम विरामन

क्र.सं.	कस्बा का नाम	व्यक्ति का नाम
60.	घोद	कालू राम वल्द
61.	,,	गणपत वल्द मंगल चन्द
62.	,,	देव लाल पुत्र राम कुवार 1|3
63.	,,	कन्हैया, छोटू पुत्र बीजा 3|4 भाग
64.	,,	गणपत वल्द मंगल चन्द
65.	,,	भागीरथ वल्द भूरा
66.	,,	भंवर सिंह वल्द सालू सिंह

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 407 की सूची)

LIST OF BUILDINGS ON THE MAINTENANCE LIST OF P. W. D. UP TO S. D. O. HEADQUARTERS

S. No. 1	Name of Division 2	Total No. of Buildings 3
1.	City Dn. I—Jaipur.	222
2.	City Dn. II—Jaipur.	815
3.	City. Dn. II—Jaipur.	1563
4.	Distt. Dn. Jaipur.	133
5.	Alwar.	294
6.	Dholpur.	68
7.	Bharatpur.	165
8.	Sawai Madhopur.	694
9.	Jhunjhunu.	202
10.	N. H. W. Dn. Sikar.	323
11.	City Dn. Ajmer.	309
12.	Distt. Dn. Ajmer.	289
13.	Dn. Tonk.	214
14.	City Dn. Jodhpur.	290
15.	Dn. Pali.	822
16.	Dn. Nagaur..	423
17.	Dn. Sirohi.	171
18.	Dn. Jalore.	348
19.	B. & R. Dn. Bikaner.	365
20.	Sri. Ganganagar.	512
21.	Dn. Churu.	167
22.	Dn. Bundi.	240
23.	Dn. Jhalawar.	210
24.	Distt. Dn. Udaipur.	138
25.	City Dn. Udaipur.	351
6.	Dn. Bhilwara.	749
.	Dn. Dungarpur.	125
.	Dn. Banswara.	112
	Dn. Chittorgarh.	482
	Distt. Dn. Jodhpur	60
	Dn. Barmer.	211
	Jaisalmer.	146

264

S.No.	Name of Division	Total No. of Buildings
33.	Dn. Suratgarh.	181
34.	Distt. Dn. Kota.	563
35.	City Dn. Kota	468
36.	R. C. P. Bikaner.	110
37.	R P. C. Hanumangarh.	140
38	R P. C. Anupgarh.	76
	Total :–	12,152